राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-6 नवम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का नवां दिवस संख्या-6

मंगलवार

3 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है । 28 फरवरी को राज्य में टाडा बंदियों के सदर्भ में माननीय गृह मंत्री दिग्विजय सिंहजी और रमजान खां जी ने बहस में यह जवाब दिया था कि सरकार ने केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखा है ...

श्री अध्यक्ष : यह आप बाद में उठा लीजिये ।

डा. चन्द्रभान : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा-सा आपकी जानकारी में ला दूं । एक पत्र लिखा है और उस पत्र को सदन के माननीय सदस्य माहिर आजाद साहब ने पढ़ा है....

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है.... (व्यवधान) प्रश्न काल के बाद इस पर व्यवस्था दी जा सकती है, अध्यक्ष महोदय ।

डा. चन्द्रभान : यहां पर विपक्ष में बैठने वाले सभी सदस्यों की यह मांग थी कि जब सदन के एक सदस्य इस पत्र को पढ़ सकते हैं तो इस पत्र को....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : प्रश्न-काल में कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता ।

डा. चन्द्रभान : इस पत्र को सदन की मेज पर रखा जाना चाहिये । मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, 15 फरवरी को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पंजाब केसरी में एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि टाडा बंदियों के प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है । अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष श्री गुलाम मुस्तुफा खां ने सरकार को जो पत्र लिखा है, वह दो नवम्बर के दैनिक जागरण अखबार में छपा है । ये बड़े कण्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं । गृह मंत्रीजी कुछ कहते हैं, माननीय रमजान खां जी का कुछ बयान है और अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष, जो सरकार की सहयोगी पार्टी के सदस्य हैं, उनका कुछ बयान है....

श्री अध्यक्ष : माननीय चन्द्रभानजी, अब बिराजिये । अब आपकी फोटो आ गई । श्रीमती मदन कौर ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बाड़मेर में खाद्यान्न का वितरण

116. **श्रीमती मदन कौर** (गुढ़ा-मालानी) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती मदन कौर)

(1) बाड़मेर जिले में नवम्बर, 1991 से फरवरी, 1992 तक प्रति माह कितना-कितना अनाज पी. डी. एस. के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया ?

(2) आवंटित अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना किलोग्राम वितरित किया गया ? क्या इस प्रकार वितरित अनाज प्रति व्यक्ति के लिये पर्याप्त है ?

(3) क्या सरकार अनाजों के महगे भाव को देखते हुये प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराने अथवा अकाल एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को अनाज अनुदान उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(4) क्या अनाज के अलावा इस क्षेत्र में कुछ और आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध कराने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और क्या-क्या ?

(5) क्या खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का गन्तव्य स्थान अर्थात् खुदरा डीलर की दुकान तक पहुंचाने की व्यवस्था थोक डीलर/सरकार द्वारा करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब से लागू की जायेगी ? इस व्यवस्था में परिवहन का व्यय कौन वहन करेगा ?

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : एक मिनट, उस दिन जब हाउस एडजोर्न होने का कहा, तब यह सवाल उठा, हमने वाक-आउट किया और गवर्नमेंट का कोई साफ जवाब नहीं आया, इसलिये हम अर्ज कर रहे हैं, इसमें सफाई दी जानी चाहिये। क्या कहते हैं मुख्य मंत्रीजी ? इनकी सहानुभूति है या नहीं ? उनके मंत्रीजी कहते हैं, है सहानुभूति। साफ कहा है यह ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में किसी किस्म का.... (व्यवधान) उनको डांटिये आप, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव है ।

श्रीमती मदन कौर : प्रश्न संख्या 116.

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़े-बड़े केवल फोटो खिचाने के लिये खड़े हुये हैं ।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के सामने एक प्रस्ताव रखता हूं कि आज के प्रश्नकाल को स्थगित किया जाय और उस पत्र के प्रकरण को पहले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं । श्रीमती मदन कौर

श्री सम्पतसिंह (नगर) : पाइंट ऑफ ऑर्डर, सर ।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरी इस पर व्यवस्था दीजिये आप ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर ।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव रखा है कि आज के

(श्री हेतराम बेनीवाल)

प्रश्नकाल को स्थगित करके, जो आज से तीन दिन पहले विधान सभा में एक पत्र की चर्चा हुई थी, बहुत ही अहम् मसला है, उस पत्र के बारे में, आज वह पत्र सदन के सामने रखा जाय। सारे विरोध पक्ष ने, सब ने उस दिन वाक-आउट किया था और हाउस उस दिन एडजोर्न हुआ था। ऐसे महत्वपूर्ण पत्र को रख कर उस पर चर्चा की जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्रीमती मदन कौर।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, फिर आप से हमारा निवेदन है कि आप कृपया इस पत्र को सदन की मेज पर रखवा दीजिये। जब माननीय माहिर आजाद साहब इस पत्र को पढ़ सकते हैं तो सदन के अन्य सदस्यों को पढ़ने की क्यों नहीं इजाजत है ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप इसमें रूलिंग चाहते हैं ? आप रूलिंग चाहते हैं ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : प्रस्ताव यह है कि आज के प्रश्नकाल को स्थगित करके.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप रूलिंग चाहते हैं क्या इसमें ?

डा. चन्द्रभान : हां, हम इसमें आपकी रूलिंग चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : तो आप बैठिये फिर, आप बैठिये फिर। आप रूलिंग चाहते हैं ?

डा. चन्द्रभान : हां, हम आपकी रूलिंग चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, तो बिराजिये फिर। मैं देता हूं।

डा. चन्द्रभान : हमारा इतना निवेदन है कि जब एक माननीय सदस्य पढ़ सकते हैं तो अन्य माननीय सदस्यों को उस पत्र को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है। इसलिये इस पत्र को आज ही सदन की मेज पर रखवाया जाय। यह हमारा आप से पुनः निवेदन है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन पैरों पर है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : प्रश्नकाल को स्थगित करके उसके ऊपर चर्चा की जाय, यह प्रस्ताव है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने टाडा के संबंध में भारत सरकार को लिखे गये पत्र की जानकारी चाही है और यह भी चाहा है कि उस पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखी जाय। मैं ऐसा समझता हूं, भारत सरकार से जिस प्रकार की भी इस मामले में कोरस्पोंडेंस होती है वह गोपनीय होती है। फिर भी अगर माननीय सदस्यों का आग्रह है तो यही पत्र नहीं, इसके पहले भी जो मैंने पत्र भारत सरकार को लिखे हैं, मैं विपक्ष के नेता और अन्य पार्टियों के नेताओं को दिखा दूंगा और वे यह समझते हैं कि आवश्यक है, सदन की मेज पर रखा जाय तो मुझे आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्री सम्पत सिंह : पाइंट ऑफ आॅर्डर, अध्यक्ष महोदय, मैं इसी....

श्री अध्यक्ष : कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं। माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रश्नकाल में कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है।

श्री सम्पत सिंह : मैं आपकी व्यवस्था, इस चकाचौंध के बारे में जानना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री मनीराम सियाग : पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, किस नियम के तहत हमारी विधान सभा की कार्यवाही दूरदर्शन पर दिखाई जायेगी ? क्या सिर्फ संसद की देखा-देखी हमने ऐसी व्यवस्था की है ? अगर की है, तो अध्यक्ष महोदय, किस नियम और किस कानून के तहत की है ? राजस्थान में यह कब कानून बन गया ? कई माननीय सदस्य इस बात का विरोध करेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। जो संसद में सारी चीजें पहले बताई गई, वे ही यहां व्यवस्थाएं लागू होंगी, वे ही यहां आपत्तियां लागू होंगी....

श्री अध्यक्ष : अच्छा होता कि आप बैठ जाते ताकि दूरदर्शन का सामना नहीं करना पड़ता आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री सम्पतसिंह : दूरदर्शन से डर हमको नहीं है लेकिन कम से कम सदन के मार्फत इस बात की जानकारी तो हो कि यह कब कानून पास हो गया, कब यह नियम बन गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले वह तो नियम बतायें जिस नियम में नहीं आ सकता।

श्री सम्पतसिंह : जब माननीय जोशी जी मुख्य मंत्री थे राजस्थान के, तब उन्होंने कहा था कि मैं कार्यवाही को....

एक माननीय सदस्य : नियमों के खिलाफ है यह।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : प्रश्नकाल में इस प्रकार की कोई बात नहीं उठाई जाती है। यह व्यवस्था दे दी है माननीय अध्यक्ष महोदय ने।

श्री सम्पतसिंह : माननीय सदस्य मुझे उपदेश दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि अब जरा प्रश्नकाल का दृश्य आने दीजिये। मेहरबानी करके बैठिये अब आप। श्रीमती मदन कौर।

श्री सम्पतसिंह : दृश्य तो सभी आयेंगे। नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं खाली तस्वीर खिचाने के लिये खड़ा नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय, मेरी विनती भी गम्भीरता से लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : आपूर्ति मंत्री जी।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री रामकिशोर मीणा) : (1) नवम्बर, 1991 से फरवरी, 1992 तक बाड़मेर जिले में पी. डी. एस. के अन्तर्गत प्रति माह उपलब्ध कराये गये अनाज का विवरण संलग्न है।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को इतने हल्के में आप ना लें मेहरबानी करके। अध्यक्ष महोदय....

श्री रामकिशोर मीणा : (2) गेहूं 5 किलो प्रति व्यक्ति व चावल 2 किलो प्रति राशन कार्ड प्रति माह की दर से वितरित कराया गया है। वितरण की मात्रा यद्यपि पर्याप्त नहीं है किन्तु यह प्राप्त आवंटन पर निर्भर है।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तस्वीर खिचाने खड़ा नहीं हुआ....

श्री श्रीचन्द कृपलानी : तस्वीर खिचाने केलिये खड़े नहीं हुए तो बाद में बात कर लेना।

श्री सम्पतसिंह : यह कार्यवाही आ जायेगी, क्या मतलब हुआ फिर। यह हमारे विशेषाधिकारों के हनन का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। आखिर बताइये तो सही कि किस नियम के तहत हमारी यह तस्वीर जायेगी?

श्री बालचन्द आर्यवीर : आप भी तो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पढ़िये, पढ़िये आप।

श्री रामकिशोर मीणा : (3) राज्य सरकार केन्द्र सरकार से अनाज का कोटा बढ़ाने के प्रयास कर रही है। केन्द्र से प्राप्त कोटे में वृद्धि होने पर ही वितरण की मात्रा में वृद्धि संभव है।

श्री सम्पतसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या एक सदस्य को यह जानकारी करने का भी अधिकार नहीं है सदन में?

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतसिंहजी का दर्ज नहीं किया जाय।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इनके चित्र हटा दिये जायें दूरदर्शन से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य इसलिये बोल रहे हैं कि दूरदर्शन में केवल इनका ही फोटो आये। आप एक व्यवस्था कर दीजिये कि यह जो बोलें, इनका फोटो दूरदर्शन पर नहीं आये।

श्री सम्पतसिंह : × × ×

श्री डूंगरराम पंवार : दूरदर्शन का इतना डर है तो दूरदर्शन से दूर ही रहना चाहिये था।

श्री सम्पतसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी आप पढ़िये।

श्री सम्पतसिंह : × × ×

श्री रामकिशोर मीणा : (4) जी हां। जनता चाय, जनता साबुन एवं माचिस का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है और तद्नुसार राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ के माध्यम से इन आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण की व्यवस्था की गई है।

श्री सम्पतसिंह : × × ×

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू): अध्यक्ष महोदय, कृपया इस सवाल का दुबारा से उत्तर दिलवायें माननीय मंत्रीजी से, इतना महत्वपूर्ण सवाल है लेकिन नगर से

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

आने वाले माननीय सदस्य के कथन के कारण कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न का उत्तर दुबारा से दिलवाया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ भी सुनाई नहीं दिया, बहुत महत्वपुर्ण सवाल है खाद्यान्न से सम्बन्धित।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आपको उत्तर मिला हुआ है वह पढ़ा है इन्होंने। आप सप्लीमेंट्री पूछिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य को मिला हुआ है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, हमें नहीं सुनाई दिया। इसलिये इसका उत्तर दुबारा तो दिलवायें कम से कम।

श्री अध्यक्ष : अब आप बोलते रहेंगे तो कैसे सुनाई देगा ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, दुबारा जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : तो आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्नकर्त्ता के पास जवाब आता है सिर्फ।

श्री सम्पतसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आपकी आपत्ति को मैं रद्द करता हूं क्योंकि आपको नियम पता नहीं है। अध्यक्ष को अधिकार है कि वह टी. वी. वालों को अलाऊ कर सकता है। बिराजिये अब आप।

श्री सम्पतसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय दुबारा से उत्तर पढ़ दें।

श्री रामकिशोर मीणा (खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री) : (1) नवम्बर, 1991 से फरवरी, 1992 तक बाड़मेर जिले में पी. डी. एस. के अन्तर्गत प्रतिमाह उपलब्ध कराये गये अनाज का विवरण संलग्न है।

(2) गेहूं 5 किलो प्रति व्यक्ति व चावल 2 किलो प्रति राशन कार्ड प्रति माह की दर से वितरित कराया गया है। वितरण की मात्रा यद्यपि पर्याप्त नहीं है किन्तु यह प्राप्त आवंटन पर निर्भर है।

(3) राज्य सरकार केन्द्र सरकार से अनाज का कोटा बढ़ाने के प्रयास कर रही है। केन्द्र से प्राप्त कोटे में वृद्धि होने पर ही वितरण की मात्रा में वृद्धि संभव है।

(4) जी हां। जनता चाय, जनता साबुन एवं माचिस का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ के माध्यम से इन आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण की व्यवस्था की गई है।

(5) जी हां, सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे में विस्तृत आदेश शीघ्र प्रसारित किये जायेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखिये)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, पहले तो, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध कराया जा रहा है, वह बिलकुल गलत है। पिछले 4 माहों का आवंटन है उसके हिसाब से देख लीजिये और बाड़मेर जिले की आबादी के अनुपात को देख लीजिये, 5 किलो प्रति व्यक्ति तो बैठता ही नहीं है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो आपने विवरण प्रस्तुत किया है उसके हिसाब से बाड़मेर जिले में चावल खाने वाले लोग नहीं हैं लेकिन भुखमरी के लिहाज से, महंगाई के हिसाब से वह जैसे तैसे चावल ही उठा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वहां अनाज के भाव बहुत तेज हैं और लोगों को और अधिक अनाज की आवश्यकता है।

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में अनाज के मामले में सब्सिडी मिलती है। तो इन सीमावर्ती क्षेत्रों में और मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अभावग्रस्त क्षेत्रों में जहां दो साल से बिलकुल फसल नहीं हो रही है वहां, क्या राज्य सरकार अनाज के प्रति सब्सिडी का विचार रखती है। मैंने यह सवाल पूछा है और मंत्री जी ने इसमें चुप्पी साध ली। इसका जवाब आपने नहीं दिया।

चौथा सवाल यह है कि जो 1 जनवरी, 1992 को माननीय प्रधान मंत्रीजी ने और साथ ही में हमारी राज्य सरकार के मुख्य मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी वहां पधारे और उन्होंने यह घोषणायें की कि 1 जनवरी से राज्य में 22 खण्डों में यह नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू हो चुकी है तो मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि आज दो महीने बाद भी आपका यह जवाब कि हम इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित कर रहे हैं लागू कर रहे हैं इस सब का क्या मतलब है, हमें स्पष्ट बताइये।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहला सवाल पूछा गया है उसके बारे में निवेदन है कि माह दिसम्बर और नवम्बर में हमने जो अलाटमेन्ट किया था उसके हिसाब से आदेश 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से किया गया है लेकिन 5 किलोग्राम के हिसाब से जो आवंटन और जनसख्याओं का अनुपात है उस के हिसाब से पूरा नहीं पड़ता था और हमने 80 प्रतिशत जनसंख्या को ही ध्यान में रख कर कि 80 प्रतिशत ही जनता राशन की दुकानों से सामान लेती है उसके हिसाब से 4 किलोग्राम के हिसाब से माह दिसम्बर और नवम्बर में गेहूं का वितरण कराया है। माह जनवरी और फरवरी में 5 किलोग्राम के हिसाब से हमने आवंटन कराया है। मार्च के महीने में हम बाड़मेर जिले के लिये गेहूं का जो कोटा है उसे थोड़ा बढ़ा रहे हैं और उसके हिसाब से ज्यादा बढ़ी हुयी मात्रा उपभोक्ताओं को देने में सफल होंगे।

दूसरे, चावल की आवश्यकता के बारे में बताया कि बाड़मेर दौरे के वक्त भी माननीय प्रधान मंत्री जी आये थे उस समय भी जानकारी मिली थी। वैसे लोग चावल नहीं खाते हैं लेकिन भुखमरी और अकाल लगातार पड़ने के कारण से वहां चावल भी लोग खाने लग गये हैं....

श्री यदुनाथसिंह : अकाल और भुखमरी तो है ना ?

श्री रामकिशोर मीणा : बाड़मेर में अकाल डिक्लेयर कर दिया गया है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जब भुखमरी मान रहे हैं तो आप व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर मीणा :... (व्यवधान) अकाल और अभावग्रस्त इलाका है और क्योंकि अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है उसके हिसाब से भी और चावल की मात्रा भी जितनी है उसको बढ़ाया जा रहा है। तीसरे माननीय प्रधान मंत्री जी जब बाड़मेर में आये थे तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथा स्थानीय सांसद ने मांग की थी कि जो आदिवासी इलाके में सब्सिडी लागू होती है ऐसे इलाकों में भी जहां 4 साल में 3 साल अकाल के होते हैं ऐसे इलाकों में भी इस सब्सिडी स्कीम को लागू किया जाये तो यहां के लोगों को राहत मिल सकेगी। तब माननीय प्रधान मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि हम इस पर विचार करेंगे। अभी तक भारत सरकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है। यदि सब्सिडी देने का विचार या निर्णय लिया जाता है तो इसको लागू कर दिया जायेगा।

चौथे, जो नयी स्कीम के बारे में पूछा गया है 22 जिलों के 122 खण्डों को इसमें शामिल किया गया है तथा पूरे देश में 1 जनवरी से नयी स्कीम को लागू करने का है। इसमें कहां-कहां खामियां हैं इसके बारे में पहले विस्तार से चर्चा हुयी है। उन खामियो को दूर करते हुये, अभी केन्द्र सरकार से लगातार बातचीत चल रही है और इसमें एक्स्ट्रा सामान देने की व्यवस्था है। जो बीच में सामान गायब हो जाता था उसके हिसाब से उसको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं इसके बारे में अधिकारी स्तर पर और केन्द्र से भी लगातार विचार विमर्श के बाद में जो खामियां हैं उनको दूर करते हुये और 'डोर स्टेप डिलीवरी' जिससे कि सामान ज्यादा से ज्यादा जो बीच में गायब हो जाता था उसकी शिकायत नहीं रहे इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। इस स्कीम को 1 जनवरी से लागू करने के बारे में था। अब इसमें आपके बाड़मेर जिले में विजिलेन्स कमेटी 1 जनवरी से बना दी गयी है और उसके हिसाब से पूरी मुस्तैदी के साथ में विजिलेन्स कमेटियां काम कर रही हैं।

श्री अध्यक्ष :....(व्यवधान)....एक-एक का नाम पुकार रहा हूं। मेरे पास सब के नाम लिखे हुये हैं। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न तो मेरा है।

श्री अध्यक्ष : आपको आखिर में।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने जो बाड़मेर जिले के लिये वितरण व्यवस्था बतायी मेरा सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था पूरे राजस्थान के लिये है ? यदि नहीं तो इन्होंने सिरोही जिले के लिये वितरण व्यवस्था क्या बनायी है, उसको भी स्पष्ट करें। साथ ही पिण्डवाड़ा और शिवगंज में केरोसिन वितरण की भारी तकलीफ है उसे भी क्या दूर करेंगे ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, राशन की चीजों का वितरण होता है उसमें जिले को इकाई मानकर चलते हैं। सभी जिलों में सब उप-खण्डों में या तहसीलों में एक-सी परिस्थितियां नहीं होती हैं। जोधपुर जिले में फालना है दो

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

फसली है, भोपालगढ़ है दो फसली है, ओसियां दो फसली है लेकिन फलौदी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक एकड़ भी सिंचित क्षेत्र नहीं है इसलिये नम्र निवेदन है कि सब-डिविजन को आधार और उप-खण्डों को आधार मानकर राशन की वस्तुओं का वितरण होना चाहिये, नहीं तो हमारे साथ बड़ा अन्याय होगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर में जो वितरण व्यवस्था है वह समान नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि अलवर प्रापर शहर मे इस समय पिछले 6 माह से एक यूनिट के लिये कितना किलो गेहूं दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : यह मामला बाड़मेर का है और सारे राजस्थान का पूछेंगे तो कैसे होगा ? ऐसा है कि रिलेटेड क्वेश्चन तो है नहीं और बाड़मेर जिले के संबधित पूछना चाहें तो पूछ लें। अगर आप अपनी-अपनी कांसटीटुएन्सी के बारे में पूछेंगे तो फिर सभी पूछना चाहेंगे। श्री मनीराम।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो वितरण व्यवस्था है बाड़मेर जिले की चाहे बीकानेर जिले की तो जो खाद्य सामग्री में मिलावट होती है उसमें बहुधा डीलर्स को ही दोषी माना जाता है। परसों की ही बात है विजिलेन्स कमेटी, बीकानेर में एक सेम्पल आया जिसमें हमने आंखों से देखा कि उस क्षेत्र में रेल के कोयले मिले हुये थे जिससे यह जाहिर है कि डिपो में मिलावट होती है। एफ. सी. आई. गोदाम में मिलावट होती है उस मिलावट के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री जितेन्द्रसिंह (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार बाड़मेर के गांवों में वितरण की कमी की गयी थी उसी प्रकार जैसलमेर जिले में भी खाद्यान्न के वितरणों में कमी की गयी थी। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने बाड़मेर जिले में 8 किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है प्रति व्यक्ति वितरण की व्यवस्था में परन्तु यह भी पर्याप्त नहीं है। जैसलमेर जिले की बाड़मेर जिले से भी अकालग्रस्त होने से ज्यादा विभीषिका है क्योंकि समस्त 575 ग्राम और पूरे जिले की स्थिति अकालग्रस्त है। दूसरी वस्तु स्थिति यह है कि जिला मुख्यालय को, पंचायत मुख्यालय को, जहाँ कि सार्वजनिक वितरण की कन्ट्रोल की दुकानें हैं उसमें दूरी बहुत है इसलिए बडी कठिनाई होती है। केरोसिन वितरण की प्रणाली ठीक नहीं है। सब जगह जनता को कठिनाई हो रही है इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सब्सिडी जल्दी से जल्दी लागू करें जो आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : वह सैण्टर करेगा। श्री आर्यवीर। मैं आ रहा हूं। सब नाम लिखे हैं।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाके में और ग्रामीण जनता को आवश्यक वस्तुएं व्यवस्था से नहीं मिल पा रही हैं और

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

सारी की सारी ब्लेक हो जाती हैं चाहे वह शक्कर हो, चाहे गेहूं हो, कुछ भी हो। तो क्या मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे ग्रामीण जनता को आवश्यक वस्तुएं मिल सकें क्योंकि अभी अकाल का समय है ?

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के खण्ड 3 में कहा कि केन्द्र सरकार से अतिरिक्त आवंटन होने के बाद हम अतिरिक्ति व्यवस्था करेंगे, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1991–92 में केन्द्र सरकार से कितना गेहूं आवंटन किया गया और कितना राज्य सरकार ने उठाया ? बाड़मेर जिले में कितना गेहूं आवंटन किया गया और कितना वितरित किया गया ? मेरा पहला प्रश्न था उसमें कहा गया है कि आपने अतिरिक्त आवंटन की मांग तो कर ली और आपने पहले वाला गेहूं जो आपका आवंटन हुआ था वह उठाया नहीं तो आपने अतिरिक्त आवंटन की मांग किस आधार पर की ? क्या आपने उससे पहले जो गेहूं आवंटन हुआ था उसको पूरा उठा लिया था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय बैदजी। आपका आखिर में आएगा।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि अकाल की स्थिति ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : और प्रश्न भी उठा लेना। आपका प्रश्न भी है।

श्री चन्दनमल बैद : और अनाज की महंगाई को देखते हुए क्या सरकार इस बात का विचार करेगी कि पी. डी. एस. से जो गेहूं और अनाज का वितरण होता है उसके सिलसिले में आदिवासी, हरिजन सब्सिडाइज्ड और गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले आदमियों को रेट पर इस अनाज का वितरण करे ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काफी पूछ लिये, मंत्री महोदय उत्तर दे दें। अभी सारी बात भारत सरकार पर डालने की चेष्टा माननीय मंत्री महोदय ने की कि भारत सरकार देगी तो हम गेहूं का आवंटन करेंगे।

एक माननीय सदस्य : भारत सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की इनकोंफिडेन्स की वजह से जो पूर्व सालों में गेहूं का आवंटन हुआ उसको ये लिफ्ट करने में असमर्थ रहे। वैसे भी भेदभाव की स्थिति–जैसलमेर में 8 किलो और बाड़मेर में 5 किलो बांट रहे हैं, इसका क्या कारण है, यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, टेलिकास्ट प्रोग्रामकी वजह से मेरे इस गम्भीर प्रश्न को सरकार बहुत हल्के-से ले रही है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं, खण्ड 3 और खण्ड 5 में

(श्रीमती मदन कौर)

में मैंने बहुत पाइण्टेड सवाल पूछे और उन दोनों को ही सरकार ने टाल दिया। पहले खण्ड 3 में मेरा प्रश्न यह था कि अभावग्रस्त क्षेत्र को अनाज अनुदान उपलब्ध कराने का क्या सरकार का इरादा है। इस सम्बन्ध में दुबारा पूछने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया। तीसरा सवाल, खण्ड 5 में सप्लीमेंट्री यह था कि जो वितरण प्रणाली लागू की गयी है एक जनवरी से, उसमें क्या परिवहन व्यय सरकार अपना खर्च करना चाहती है या थोक विक्रेता पर डालना चाहती है? दो सवाल हैं मेरे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, ये 2 सवाल बताइये आप।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले के बारे में जो सवाल पूछा है उसकी सरकार ने पहले भी गम्भीरता से जवाब दिया है और अब भी गम्भीर है। जो भी स्थिति है उसके हिसाब से पूरी गम्भीरता के साथ लगातार हमने प्रयास कर के और जितना अलाटमेण्ट बाड़मेर जिले को किया गया उसको पूरा-पूरा उठाने का प्रयास किया है। खण्ड 3 के बारे में जो पूछा है कि क्या सरकार कोई अनाज अनुदान देने का विचार रखती है, इसके बारे में अभी कोई विचार सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। भारत सरकार से हमने बाड़मेर के लिए मांग की थी। जो भी माननीय सांसद वहां उपस्थित थे उन्होंने भी की थी कि जिस तरह आदिवासी जिलों को सब्सिडी मिलती है उस प्रकार से जहां 4 में से 3 साल अकाल के हों···

श्री अध्यक्ष : ये सब्सिडी का नहीं पूछ रहे। दो सवाल हैं, क्या 10 किलो गेहूं देंगे कि नहीं और परिवहन खर्च कौन वहन करेगा? इनका जवाब दें।

श्री रामकिशोर मीणा : जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इन दो के ही जवाब दीजिए।

श्री रामकिशोर मीणा : परिवहन व्यय के बारे में जो नई स्कीम है डोर स्टेप डिलीवरी, इसके अन्तर्गत थोक विक्रेता को जो मार्जिन दिया जाएगा उसमें परिवहन व्यय भी शामिल है। उसके तहत ही हम इसको जल्दी से जल्दी लागू कर रहे हैं ताकि थोक विक्रेता ही लास्ट डोर तक जो राशन की दुकान है, एफ. सी. आई. गोडाउन से ले जाकर के राशन की दुकान तक उसको पहुंचाये। तो हमने थोक विक्रेता का और थोक विक्रेता के मार्जिन में ही परिवहन व्यय शामिल है।

श्रीमती मदन कौर : तो क्या इसका मतलब परिवहन व्यय थोक विक्रेता वहन करेगा?

श्री रामकिशोर मीणा : हां, थोक विक्रेता वाहन करेगा।

श्रीमती मदन कौर : खुदरा को नहीं देना पड़ेगा?

श्री रामकिशोर मीणा : नहीं देना पड़ेगा। खुदरा विक्रेता के तो जहां उसकी राशन की दुकान है वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थोक विक्रेता की रहेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अखबार नहीं पढ़ें सदन में ।

श्रीमती मदन कौर : इसका मतलब ट्रांसपोर्ट का जितना भी खर्चा होगा वह जिले की थोक विक्रेता की जो एजेंसी है वहीं वहन करेगी । खुदरा व्यापारी को नहीं देना पड़ेगा ?

श्री रामकिशोर मीणा : नहीं देना पड़ेगा ।

श्रीमती मदन कौर : इसका मतलब कंज़ूमर को भी नहीं देना पड़ेगा ?

श्री रामकिशोर मीणा : नहीं देना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री हीरालाल इन्दौरा ।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लिमेंट्री प्रश्न

श्री अध्यक्ष : अब हो गया । बहुत लम्बा हो गया । नहीं, आधा घण्टा हो गया ।

श्रीमती मदन कौर : केवल एक सप्लिमेंट्री पूछूंगी बस····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री चन्दनमल बैद : शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग आ रहे हैं उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर खाद्यान्न वितरण करने का सरकार विचार करेगी क्या ?

बीकानेर में सहकारी क्षेत्र की ऑयल रिफाइनरी

117. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहकारी क्षेत्र में ऑयल रिफाइनरी का कार्य बीकानेर में कब प्रारम्भ हुआ ? उक्त रिफाइनरी में उत्पादन कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ? इस पर लागत कितनी आयेगी एवं कितने व्यक्तियों को इसमें रोजगार मिलेगा ?

(2) क्या उक्त ऑयल रिफाइनरी का उत्पादन सतत् चालू रखने के लिए मूंगफली के उत्पादन एवं उन्नत कृषि के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) सहकारी क्षेत्र में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना का कार्य बीकानेर में माह अगस्त, 1991 में प्रारम्भ हुआ । बीकानेर रिफाइनरी में उत्पादन कार्य अप्रेल, 1992 से शुरू होने की सम्भावना है । बीकानेर रिफाइनरी में मशीनरी की अनुमानित लागत 177.53 लाख रु. है । रिफाइनरी में लगभग 40 व्यक्तियों को स्थाई रोजगार मिलने की सम्भावना है ।

(2) उन्नत कृषि विधियों द्वारा मूंगफली सहित सभी खाद्य तिलहन के उत्पादन बढ़ाने का कार्य कृषि विभाग द्वारा कराया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूछिये ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि उन्नत कृषि विधियों द्वारा मूंगफली सहित सभी खाद्य एवं तिलहन का उत्पादन बढ़ाने का

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

कार्य कृषि विभाग द्वारा कराया जायेगा। मैं इसमें माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कोई विशेष रियायत सहकारिता विभाग द्वारा दी जायेगी क्या ? जिस प्रकार गंगानगर शुगर मिल को गन्ना उत्पादन के लिए अलग से पानी दिया जाता है, इस प्रकार की कोई व्यवस्था सहकारिता विभाग की इसके लिए है क्या ? दूसरा प्रश्न यह है कि 177.53 लाख रुपये का इन्होंने खर्चा बताया है, इतने में हो जायगा क्या या इससे ज्यादा बढ़ जायेगा ? तीसरा, 40 स्थाई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा इसके अलावा अस्थाई रोजगार कितने लोगों को मिलेगा ? इससे कितने किसान और मजदूर लाभान्वित होंगे ? मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 40 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है और कृषि विभाग अपने कृषि सम्बन्धी जिसों, जो अभी वैध हैं उनके अन्दर भी पूरी मदद करेगा, जैसे लट वगैरह लग जाना, खाद देना, दवाइयां देना। सहकारी विभाग करीबन 180 सहकारी समितियां खोलने का विचार रखता है जिसमें 167 सहकारी समितियों के माध्यम से अपने मूंगफली का उत्पादन किया और सरसों का भी उत्पादन किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय कल्लाजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में ऑयल रिफाइनरी का काम कब स्वीकृत हुआ था ? इसकी परियोजना लागत क्या निर्धारित की गयी थी और परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर इस काम को कब शुरू हो जाना चाहिए था ? मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हकीकत में यह योजना बहुत पहले प्रारम्भ हो जानी चाहिए थी····

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछें हैं आपने पहले उनके तो जवाब आ जाएं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अननेसेसरी डिले किया है।

श्री अध्यक्ष : फिर आप बता देना। माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न अभी शुरू हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बता रहे हो, प्रश्न थोड़े ही पूछे हैं। प्रश्न तो पूछ लिये आपने अब तो आप कह रहे हो, बता रहे हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना को कब स्वीकृत हो जाना चाहिए था, एक ? दूसरा, क्या इसकी परियोजना की लागत पूर्व में निर्धारित थी और अभी जो निर्धारित लागत आयी है यह पूर्व निर्धारित लागत से कितनी कम या ज्यादा है ? इस बढ़ी हुई लागत के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। आप बैठिये। पहले जवाब आने दीजिए। बैठिये। (व्यवधान) आप बैठिये।

एक माननीय सदस्य : साहब, मुश्किल से कैमरा सामने आया है····

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर ऑयल काम्प्लेक्स के लिए 3 खण्डों में हमने विभाजित किया था–ऑयल मिल, सोलवेण्ट्री एक्स्ट्रेक्शन और ऑयल रिफाइनरी । इन तीनों का अलग-अलग खर्चा आया । कुल मिलाकर 2673 लाख रुपया 21 हजार 900, यह तो इस पर लागत आने की सम्भावना है । अभी तक इसके ऊपर 927 लाख 26 हजार का खर्च हो चुका है ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रेक्टिकल सवाल पूछना चाहता था, उसका मंत्री महोदय ने गोल-मोल उत्तर दे दिया । मैं यह कहना चाहता था, कृषि विभाग तो अपने प्रयत्न करेगा ही, वह तो हर कोई करेगा अपने उत्पादन के लिये, लेकिन पर्टिकुलरली वहां रिफाइनरी के लिये, मूंगफली के लिये रियायत, रिबेट या सब्सिडी में स्पेशल रिबेट, दूसरे इन्सेन्टिव सहकारी विभाग के माध्यम से दिये जायेंगे, क्या यह मैं पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : सहकारी क्षेत्र के माध्यम से सोयाबीन, मूंगफली, सरसों वगैरह जो वहां उगाया जाएगा उन सोसायटीज को पांच साल तक नाबार्ड वार्षिक योजना के अन्दर सहायता देगा, चाहे कर्मचारी का हो····

श्री हीरालाल इन्दौरा : सहायता किस तरह की ? इंट्रेस्ट माफ करेगा क्या ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : व्यवस्थापक को सहायता देगा ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : वह तो रेगुलर प्रोसेस है आपका ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : यही बताया है । यही पूछ रहे हैं आप ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : वह तो रेगुलर प्रोसेस आपका है जो हमेशा इसके माध्यम से देते हो । इसमें कोई किसी तरह की कीटनाशक दवाइयों की सब्सिडी या इंट्रेस्ट माफ हो···(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप तीनों खड़े हो गये एक साथ ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं मूल प्रश्न-कर्त्ता हूं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आप मूल प्रश्नकर्त्ता हैं, आपने पूछ लिया ना ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, अभी तक मेरे प्रश्न नहीं हुए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, ऑयल रिफाइनरी की क्षमता कितनी थी और पूर्व परियोजना के अनुसार ही क्या आप इसको क्रियान्वित कर रहे हैं या कोई कटौती की गयी है ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य, आप प्रश्न के उत्तर में ध्यान रखें तो बात समझ में आयेगी । ध्यान कहीं और है सबका । सुन नहीं रहे हैं और बोल रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का जवाब बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, यहां जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आप अपनी जानकारी के आधार पर कुछ बोलें, माननीय कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप तो व्यवधान मंत्री हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है। मूल परियोजना क्या थी, उसकी क्षमता कितनी थी ? परियोजना जो प्रारम्भिक रूप में स्वीकृत हुई थी उसके अनुसार उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं या आया इसमें कोई कटौती करने जा रहे हैं ? इसका आप पूर्ण विवरण सदन में रखें।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा एक सवाल है। मुझे यही कहना है माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि लूणकरणसर के अन्दर जो मूंगफली का उत्पादन आज से पांच साल-साल पहले होता था आज उससे आधा रह गया है। वहां की जमीन इस तरह की हो गयी है कि वहां ऑयल सीड्स होंगे ही नहीं। मैं यह पूछना चाहता हूं, कि ऐसी स्थिति में वह फैक्ट्री किस आधार पर चालू रहेगी ? क्या राज्य सरकार उत्पादन के लिये, जो ऑयल सीड्स हैं उनके लिये कोई वैज्ञानिक योजना बना रही है कि उनका उत्पादन वहां हो ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 6–2–1989 को इस परियोजना की स्वीकृति मिली। हमने इसको प्रारम्भ किया। मैंने पूर्व में बताया था, तीन भागों में हमने इसको डिवाइड किया। परियोजना के अन्दर सरसों 120 मीट्रिक टन पर ली जायेगी, प्रतिदिन, मूंगफली की 150 मीट्रिक टन होगी और तेल परिशोधन का कार्य 50 मीट्रिक टन होगी और खली से तेल निकालने का कार्य 150 टन प्रतिदिन होगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : उस एरिया में सरसों होती ही नहीं है। यह पता लगायें। सिर्फ मूंगफली होती है और मूंगफली घट रही है। सरसों है कहां वहां ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री महावीर प्रसाद जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह योजना को मूल रूप में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या उसमें कोई कटौती कर रहे हैं ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब दिलवा दीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : अब सबका नम्बर आने दीजिये। और लोगों का भी नम्बर आने दीजिये।

बीसलपुर बांध का निर्माण

118. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया ? प्रारम्भ से अब तक किन-किन वर्षों में कितना कार्य करवाया जाना प्रस्तावित था और कितनी-कितनी राशि व्यय की जानी थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होने से परियोजना की लागत बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? उत्तरदायी व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो, क्यों ?

(3) इस महत्त्वपूर्ण परियोजना को समय पर सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से पूर्ण करने हेतु सरकार क्या कोई कारगर कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां । बीसलपुर बांध का निर्माण कार्य 1987-88 में आरम्भ किया गया । प्रारम्भ से अब तक बांध निर्माण का कार्य कराये जाने का वर्षवार भौतिक लक्ष्य एवं व्यय की जाने वाले आवंटित राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) **भौतिक लक्ष्य**

क्र. सं.	कार्य का विवरण	इकाई	भौतिक व्यय 1987-88	88-89	89-90	90-91	91-92
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**डाइवर्शन वर्क्स**						
	अ. अप स्ट्रीम काफर डेम	मी.	120	379	—	—	—
	ब. डाउन स्ट्रीम काफर डेम	मी.	—	262	105	—	—

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, खंगारसिंह जी सो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : जब तक कोई आदमी दूसरे की नींद में खलल न डालते हुए सोता रहे, तब तक ठीक है ।

श्री कैलाश मेघवाल : फ्लेन्क ब्लाक्स, (अ) खुदाई 1987-88 में 23,500 घनमीटर, 1988-89 में 6500 घनमीटर । (ब) चुनाई कांक्रीट 1987-88 में 1600 घनमीटर 1988-89 में 38,000 घनमीटर 1989-90 में 16,000 घनमीटर, 1990-91 में 4024 घनमीटर । (3) ओवर फ्लो ब्लाक्स : (अ) खुदाई 1988-89 में दो लाख घनमीटर, 1989-90 में एक लाख घनमीटर, 1990-91 में 12,221 घन. मीटर, 1991-92 में 29,590 घनमीटर । (ब) चुनाई, कांकीट 1988-89 में 10,000 घनमीटर, 1989-90 में 80,000 घनमीटर, 1990-91 में 79647 घनमीटर,

(श्री कैलाश मेघवाल)

1991–92 में 83,000 घनमीटर। 4. इनटेक स्ट्रक्चर (अ) खुदाई 1988–89 में 30,000 घनमीटर, 1989–90 में 30,000 घनमीटर, 1990–91 में 4391 घनमीटर। (ब) कांक्रीट 1990–91 में 5,000 घनमीटर, 1991–92 में 9500 घनमीटर।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मंत्रीजी, यह तो माननीय सदस्य को लिखित में दे दिया होगा ना यहां।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं पढ़ दूं विस्तार से तो क्या बुरा है। आपको भी जानकारी हो जायेगी तो सवाल पूछने में आसानी रहेगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो पढ़ लिया होगा, सप्लीमेंटरी का जवाब आ जाये।

श्री अध्यक्ष : आपके समझने की बात नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो डिटेल में आपने दे दिया इसलिये इसकी कोई जरूरत है नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : (1) वित्तीय लक्ष्य वर्ष 1986–87 में 91 लाख, 1987–88 में 695 लाख, 1988–89 में 1900 लाख, 1990–91 में 2500 लाख, 1991–92 में 2250 लाख। (2) जी नहीं। बीसलपुर परियोजना के बांध के क्रेस्ट लेवल तक के निर्माण कार्य को माह जून, 1992 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति पर है। (3) जी हां। बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्रेस्ट लेवल तक बांध के निर्माण कार्य को माह जून, 1992 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। माह जून, 1994 तक बांध के फाटक लगाकर पेयजल की आवश्यकतानुसार जलाशय में पानी का संग्रहण कर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। बीसलपुर परियोजना का संशोधित प्रारूप केन्द्रीय जल आयोग को माह नवम्बर, 1991 में प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुमोदन के पश्चात् सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहरों का निर्माण कार्य वर्ष 1992–93 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

इस कार्य को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा कराये जाने हेतु पहले से ही कारगर कदम उठाये गये हैं। इस परियोजना के निर्माण की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु तीन समितियां गठित की गयी हैं। राज्य सरकार के स्तर पर निर्माण कार्य में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु शासन सचिव, सिंचाई की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की गयी है जिसमें विभागीय एवं अन्तर विभागीय समस्याओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय किये जाते हैं। आवश्यकतानुसार इस समिति की बैठकों का आयोजन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी किया जाता है। बांध के निर्माण के कारण डूब में आने वाले विस्थापितों के पुनर्वास में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, सूचना की कापियां आती हैं वह तो नहीं दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : आप यह मूल सवाल देखतीं, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। बिल्कुल संतोषजनक लगे आपको और पूरक प्रश्न भी आप ठीक ढंग से कर सकें। इसके अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें जिला स्तर पर निर्माण में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने हेतु विचार विमर्श कर निर्णय लिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्रीजी ने टी. ए डी. पर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान अपनी चिन्ता व्यक्त की है, यह जवाब जिस प्रकार घुमा फिरा कर दिया गया, मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि 1989-90 और 1990-91 में लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और बजट आवंटन भी किया गया था। एक तरफ हम कहते हैं कि बजट आवंटन के अनुसार और दूसरी तरफ 1989-90 और 1990-91 में बजट आवंटन के अनुसार वहां काम पूरा नहीं हुआ, ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत के कारण काम पूरा नहीं हुआ। आज आप कहते हैं कि 1992 में क्रेस्ट लेवल तक हम निर्माण कार्य पूरा करेंगे। क्या यह सही है कि पहले यह 1991 में पूरा किया जाना चाहिये था? आज हम कह रहे हैं गेस लगाकर, कि पहले चरण का काम जून 1994 तक पूरा करेंगे। क्या यह 1993 में पूरा होने वाला था? और, क्या यह सही है कि जो हम पानी का स्टोर करेंगे, उस पानी के स्टोर का उपयोग करने की आज आपकी कोई तैयारी नहीं है? इसलिये जितना पैसा लगाया है, क्या यह सही है कि इसमें लगभग 10 करोड़ रुपये सरकार को एकसट्रा खर्च करने पड़ेंगे समय पर काम पूरा नहीं हुआ इसके लिये? जो हमारा पानी पड़ा रहेगा 15 करोड़ सालाना का, उससे जो कृषि उत्पादन हो सकता है और राज्य के खजाने में करोड़ों रुपये की प्रतिवर्ष आय हो सकती है, वह रुक जायेगी इसकें समय पर पूरा नहीं होने की वजह से मंत्री महोदय, इस आज नहर का काम यदि प्रारम्भ कर दो तो पानी का उपयोग शुरू हो जाये। आज अजमेर और ब्यावर की जनता को पानी पहुंचाने ...

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : 1991 में पहुंचना चाहिये था। क्या यह सही है कि 1991 में जो पानी पहुंचना चाहिये था, वह आज तक नहीं पहुंच सका? इसकी आपने तीन कमेटियां बना रखी हैं। क्या यह केवल टी. ए., डी. ए. लेने के लिये बनायी है, या वास्तव में इन समस्याओं के समाधान के लिये बनायी हैं? इन्होंने कौन कौन सी समस्यों का समाधान किया, कौन कौन-सी रुकावटें आई, मंत्री महोदय बतायें।

श्री परसराम मदेरणा : It seems that he is T. V. conscious

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मदेरणा साहब भी आ गये हैं शायद तीखे सवाल करें। जब मैं विपक्ष में बैठा करता था और

(श्री कैलाश मेघवाल)

मदेरणा साहब इस पक्ष में बैठते थे; उस समय लगातार दो साल तक मेरे मांग करने पर 1982 में माननीय मदेरणा साहब ने इस योजना को केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया था 1982 की 24/6 तारीख को यह भेजी गयी थी। उस समय इस योजना की लागत 91 करोड़ 60 लाख रुपये थी। मैं थोड़ा-सा विस्तार से जवाब दे दूं, क्योंकि माननीय सदस्य ने भी बहुत सारे सवाल पूछ लिये हैं और आगे भी सवाल न उठें, तो जो जानकारी मुझे है, वह मैं दे दूं। उसके बाद में हर एक सवाल का जवाब दे दूंगा। केन्द्रीय जल आयोग ने इस योजना को 1986 तक स्वीकार नहीं किया लेकिन अजमेर में पानी की समस्या को देखते हुये....

श्री अध्यक्ष : अब इसमें जयपुर भी शामिल कर लो, ताकि कोई सवाल ही नहीं उठे।

श्री कैलाश मेघवाल : जयपुर, अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़ इत्यादि जगह पेयजल की उपलब्धि का इसमें प्रस्ताव है और सिंचाई का भी है। जब यह योजना स्वीकार नहीं हुई तो अजमेर की गंभीर समस्या को देखते हुये योजना आयोग की राय से सरकार ने 52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की कि इससे बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये और क्रेस्ट लेवल तक लिया जाये। इसकी स्वीकृति के बाद कई दबाव बढ़े और स्कोप इसका बदला। इसका स्कोप बदलने के बाद यह 1900........

श्री नत्थीसिंह : और सवाल आयेंगे कि नहीं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : ये एक घण्टा पहले बोल चुके हैं, एक घण्टा अब बोल रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं विस्तार से बता रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आधे राजस्थान में जहां पानी है, उनको पानी उपलब्ध नहीं होता, इनका सवाल है।

श्री कैलाश मेघवाल : इसके बाद इसके स्कोप का निर्धारण....

श्री अध्यक्ष : आप जितना संक्षेप में दे सकते हैं, दीजिये, वे सुन लेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : 12-2-1991 को इसके दरवाजे लगवाने व पी. एस. के निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसके बाद 14-11-1991 को यह संशोधित योजना केन्द्रीय जल आयोग को पुनः प्रस्तावित की गई, भेजी गई। इस संशोधित जल योजना का जो अनुमान, 1991 के मूल्यों के आधार पर आया है, वह 328 करोड़ का आया है और यह अभी तक विचाराधीन है। वहां से संशोधित योजना में नहरों के निर्माण की और सारी कार्यवाही की स्वीकृति मिलने के बाद ही हम नहरों के निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सकेंगे। वर्तमान स्थिति यह है कि वहां पर काम चल रहा है। क्रेस्ट लेवल के करीब करीब काम हो गया। माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा है, मैं इसका स्पष्ट जवाब देना चाहता हूं कि 1991....

श्रीमती सुमित्रासिंह : और भी मंत्री हैं, उनको भी जवाब देने का मौका दीजिये। काफी लम्बी-चौड़ी फौज है मंत्रियों की। अकेले यही बोलते रहेंगे क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : उस फौज में आप भी कभी सम्मिलित थीं। आपका दुर्भाग्य, आप वहां जाकर बैठ गई। आप भी थीं उस फौज में, माननीय सुमित्राजी 1988-89, 1990-91 में जो उपलब्ध धनराशि थी वह खर्च नहीं हुई, यह मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन उसके जो कारण सामने आये हैं, वे यह हैं कि यह एक मिली जुली योजना है। यह जलदाय विभाग और सिंचाई विभाग की मिली जुली योजना है........ (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनसे यह उम्मीद नहीं है।

श्री अध्यक्ष : महावीर जी, बैठिये। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें जान बूझकर गलती की गई है।

श्री अध्यक्ष : महावीर जी, बैठिये। श्री नत्थीसिंह जी। आप बैठिये। मंत्री जी खड़े हो गये हैं। कृषि मंत्री जी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : घुमा फिरा कर जवाब दिया गया है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खां : वहां पर किसानों को मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये। आर्डर प्लीज। बैठिये आप। (व्यवधान) बैठिये। आर्डर प्लीज। हो गया। मूल प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो गये। आप क्या पूछेंगे, आपका सवाल नहीं है। वे सन्तुष्ट हो गये। बिराजिये।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय यह ऐसा मसला है, जिसमें बीसलपुर योजना की स्कीम को रखा गया था। उसको बदला गया है....

श्री अध्यक्ष : रामकरण जी, बिराजिये।

श्री रामकरणसिंह : यह बहुत बड़ा मसला है जयपुर के लिये।

श्री अध्यक्ष : आपसे बड़ा नहीं है, आपकी फोटो से बड़ा नहीं है। आप बैठिये।

श्री रामकरणसिंह : मेरी फोटो से यह बहुत अधिक बड़ा है। मेरी फोटो तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां, माननीय सदस्य।

श्री रामकरणसिंह : मैं आपको सही अर्ज करूं कि दो नहरें चलाने की योजना थी। एक नहर बंद कर दी गई। केवल उनियारा को चालू रखने की योजना है। दूसरा, पानी आप इकट्ठा करना चाहते हो, लोगों को वहां से नहीं हटाया गया है और यह जो मंत्रीजी ने जवाब दिया है....

श्री अध्यक्ष : अंकित मत करो। वे बोलते रहेंगे।

श्री रामकरणसिंह : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव

119. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा 1990 में राज्यपाल के प्रथम अभिभाषण में कृषि उपज मण्डियों के चुनाव शीघ्र करा देने की घोषणा की गयी थी।

(2) क्या यह सही है कि तत्पश्चात् कृषि मंत्री द्वारा 6 महीने की अवधि में कृषि उपज मण्डियों के चुनाव करा देने का आश्वासन सदन में दिया गया था ? यदि हां, तो इन चुनावों को न कराने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में कृषि उपज मण्डियों के चुनाव कराने का इरादा रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री रामनारायण विश्नाई) :

(1) जी हां।

(2) जी हां, पंचायती राज संस्थाओं व क्रय-विक्रय समितियों के चुनाव न होने के कारण ये चुनाव नहीं करवाये जा सके।

(3) पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने के बाद ही कृषि उपज मण्डियों के चुनाव हो सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : नत्थीसिंह जी।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 1990 के मार्च के महीने में जब यह घोषणा की गयी थी कि कृषि उपज मण्डियों के चुनाव शीघ्र कराये जायेंगे, तब पंचायतें और कृषि उपज मण्डी, दोनों के चुने हुये बोर्ड और कमेटियां कार्य कर रही थीं। क्या यह सही है कि जिस वक्त मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि छः महीने में चुनाव करा दिये जायेंगे उस वक्त उन्होंने यह जानकार घोषणा नहीं की होगी कि पंचायती राज संस्थायें भी हैं और क्रय विक्रय सहकारी समितियों से चुने हुये संचालक मण्डल भी हैं। जब उनका यह इरादा था और परिस्थिति को देखते हुये यह घोषणा की गयी थी कि छः महीने में चुनाव करा देंगे तो क्या यह गलत नहीं है कि इस बहाने पर चुनावों को बढ़ाने की बात की जाय ? मेरा पहला सवाल तो यह था। दूसरा, मंत्रीजी बता दें मार्च, 1990 में किस तिथि को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात कही गयी और कृषि मंत्री महोदय ने किस तिथि को छः महीने में चुनाव कराने की घोषणा की ? पंचायतें किस तिथि को भंग की गयीं ? क्रय विक्रय सहकारी समितियों के संचालक मण्डल कब भंग किये गये ? क्या यह सही नहीं है कि जान बूझकर चुनाव हटाये गये हों ? मैं जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि यह कहते रहे हैं कि नियम बदलेंगे ? अगर आप नियम बदलेंगे तो चुनाव हो जाने के बाद ही इन चुनावों को हटाओगे। क्या राज्य सरकार का कृषि उपज मण्डियों के चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है, यह बात सही है ? अगर है तो क्या सही कह सकेंगे कि अब तक क्यों नहीं किया ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्रसिंह जी।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब तक चुनाव नहीं हों तब तक क्या राज्य सरकार ने इन मण्डियों में सलाहकार बोर्ड गठित करने का विचार किया था ? यदि

(श्री देवेन्द्र सिंह)

हां, तो इसमें दोनों पूर्व मन्त्रियों ने चिट्ठियां लिखी हैं एम. एल. एज. को और उनके सुझाव मांगे हैं मण्डल कमेटियों के, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंह जी ।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि जब तक ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे कृषि उपज मण्डियों के चुनाव करवाया जाना सम्भव नहीं होगा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों के चुनाव कब तक करवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि देवेन्द्रसिंहजी ने कहा कि विधायकों से इन्होंने पहले सलाहकार समितियों की सूचियां ली थीं, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि कितनी मण्डी समितियों में आपने सलाहकार समितियां बनायी और कितनी में नहीं बनायी ? नहीं बनाने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानकारी चाहूंगा, चूंकि कृषि उपजमण्डी समितियां, क्रय विक्रय सहकारी समितियां और पंचायत इन तीनों के चुनाव एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्या सरकार आज यह घोषणा करेगी, कोई टाइमबाउण्ड प्रोग्राम देकर कि इस साल में कौन-से महीने में और कौन-सी तारीख तक इन सस्थाओं के चुनाव करवा दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने उत्तर दिया उसमें यह कहा कि कृषि उपज मण्डियों के चुनाव इसलिये नहीं करवाये गये कि ग्राम पचायतों के चुनाव नहीं हुये । राज्यपालजी के अभिभाषण में 1990 में आपने कृषि उपज मण्डी के चुनाव करवाने की बात कही है और पचायत 1991 के अंत में आपने मग की है । 1990 से 1991 तक का एक वर्ष का समय तो निकल गया, उस वक्त तो पंचायतें एग्जिस्टिंग पोजीशन मे थी उस वक्त चुनाव क्यों नहीं करवाये गये ? इनके विलम्ब के क्या कारण हैं, एक तो यह बताइये । दूसरा, आप कब तक इस सम्बन्ध में चुनाव करवा देंगे, यह बताने का कष्ट करें ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नत्थी सिंह के मूल प्रश्न में यह कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं होने के कारण कृषि उपज मण्डियों के चुनाव नहीं हो रहे हैं । अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार कृषि उपज मण्डियों के चुनाव पंचायत चुनाव नहीं होने की वजह से टालने की अगर नीयत रखती है तो क्या सरकार पंचायत चुनावों को शीघ्र करवा कर कृषि उपज मण्डी के चुनाव करवाना चाहती है ? एक तो मेरा यह स्पेसिफिक क्वेश्चन है । दूसरा क्वेश्चन, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह है कि राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर राजनैतिक भेदभाव बरतते हुये सलाहकार समितियां बना दी हैं और कुछ जगहों पर जानबूझकर नहीं बनायी ? उसका क्या औचित्य है ? उसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि राज्य में अभी तक कोई कृषि उपज मण्डियों में सलाहकार सतिमियां बनी नहीं हैं, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज।

श्री हेमराज (किशनगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में जो सलाहकार बोर्ड बने हैं वे किन कागजों में मण्डी समितियां कार्यरत हैं ? क्या जो सलाहकार बोर्ड बने थे उनको कोई अधिकार दिये गये हैं या केवल कागजों की खाना-पूर्ति की है ? बोर्डों की लगातार मीटिंगे कृषि उपज मण्डियों की हो रही हैं या नहीं ? माननीय मंत्रीजी इस संबंध में यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : पं. रामकिशनजी।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय मंत्रीजी, जैसा आपने कहा कि एक चुनाव दूसरे चुनाव की वजह से नहीं हो रहे हैं, मैं इस संबंध में केवल इतना-सा चाहूंगा कि क्या सरकार सभी प्रकार की लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव की कोई घोषणा करने की स्थिति में है ? अगर है तो कौन-सी तारीख तक ? दूसरी बात मैं यह चाहूंगा कि जब तक भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री हैं उनके कार्यकाल में कभी भी कोई चुनाव हो सकेंगे ? इसकी जानकारी मुख्य मंत्रीजी दे देंगे; अपने चुनावों के अलावा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई (उर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहूंगा कि ..

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : In spite of repeated attempts, I have failed to catch your eyes, Sir.

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत करवाना चाहूंगा कि जहां तक राज्य सरकार का सवाल है सम्वत् सन् 1990 के अन्दर यह घोषणा जरूर की गयी थी बजट अभिभाषण के समय और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय कि छह महीने के अन्दर सहकारी कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव करवाने की पूरी कोशिश की जायेगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कोशिश की जायेगी ऐसा नहीं है, करवा दिये जायेंगे। .. (व्यवधान)....

श्री चन्दनमल बैद : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में....

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय मंत्रीजी, थोथी घोषणाएं करते तो आपको काफी दिन हो गये लेकिन निश्चित रूप से कब तक करवा देंगे इस बात की घोषणा करें।

श्री चन्दनमल बैद : राज्यपाल ने जो कहा है वही यहां पर दीजिये; अपनी तरफ से सुधार मत कीजिये।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्रीजी जवाब दें चुनाव सम्बन्धित।

श्री रामनारायण विश्नोई : इस बात की घोषणा की गयी थी कि चुनाव करवाने के प्रयास किये जायेंगे ।.... (व्यवधान)....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह नहीं है, यह है कि चुनाव करवा दिये जायेंगे । आप गलत जवाब दे रहे हैं । स्पेसिफिक घोषणा थी ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ऐसे आश्वासन तो मंत्री और मुख्य मंत्रीजी देते हैं, राज्यपाल द्वारा....

श्री चन्दनमल बैद : सदन को गुमराह मत कीजिये, सही कहिये ।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये ।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब सुनना नहीं चाहते, मैं बन्द कर दूं ? आगे चलूं ? नैक्स्ट क्वेश्चन लेऊ ?.... (व्यवधान).... आप सुनिये तो सही उनको ।

एक माननीय सदस्य : माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं उनसे....

श्री अध्यक्ष : 8-8 आदमी एक साथ खड़े हों तो जवाब कहां आयेगा ? आप पहले शांति से जवाब सुनिये ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इतने सवाल पूछे गये उनका जवाब नहीं आया तो फिर उनका मतलब क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । माननीय सदस्य, जब तक आप मंत्रीजी को पूरा जवाब नहीं देने देंगे, बीच बीच में 5 आदमी खड़े होंगे, 6 आदमी खड़े होंगे तो जवाब पूरा होगा ही नहीं । इसलिये एक बार उनको पूरा जवाब कर लेने दीजिये, वे बैठ जाएं फिर और कर लेना सवाल ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वे जो कह रहे हैं वह पहले आप सुन लें ।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ...

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : ये जवाब दे ही नहीं सकते । इन्होंने तो साफ कह दिया कि पंचायतों के चुनावों के बाद कृषि उपज मण्डी के चुनाव हो सकते हैं । पंचायतों के बारे में यह घोषणा नहीं कर सकते । इस जवाब का कोई रेलेवेंस नहीं है इसलिये आप मुख्य मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये । वे ही निश्चित घोषणा कर सकते हैं । ये कैसे कर सकते हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसलिये मैं नैक्स्ट प्रश्न और ले लेता हूं

श्री मनीराम : प्रश्न संख्या 120 ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इस सदन में माननीय मंत्रीजी जवाब दे नहीं सकते । अब नेता महोदय यहां बैठे हैं वह जवाब दे दें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये । जवाब तो सुनिये । प्लीज पहले जवाब सुन लीजिये ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये ।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब तो सुन लीजिये । इनको तो आप सुन लीजिये ।

एक माननीय सदस्य : समय जाया हो रहा है और क्वेश्चन नहीं लेने हैं क्या ?

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल सही है कि....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1990 का अभिभाषण है मेरे पास....

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, यह बात बिल्कुल सही है कि यहां पर यह घोषणा .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुमित्रा जी, जवाब सुन लीजिये । आप जवाब नहीं सुनना चाहते....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जवाब सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष : तो सुनिये आप पहले इनको ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुन रही हूं लेकिन पहले मैं बता रही हूं, पेज नम्बर....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये पहले, जवाब सुनिये ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : पहले वह सुन लें मेरी बात ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न है और यह गलत बयानी दे रहे हैं माननीय मंत्रीजी ।

श्री अध्यक्ष : इसलिये जवाब तो आने दीजिये । जवाब नहीं आयेगा....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सुमित्राजी कह रही हैं उसी प्रश्न के सम्बन्ध में....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बात से पहले 1990 के अभिभाषण में....

डा. चन्द्रभान : पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में जवाब दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप बैठ जाइये । वे सुनना नहीं चाहते । मंत्रीजी, आप बैठ जाइये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम सुनना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, सुनना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप बैठिये । वे जवाब सुनना नहीं चाहते हैं ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है, हम तो सही जवाब सुनना चाहते हैं । इनको सही जवाब देना चाहिये । घोषणा स्पष्ट की है कि छह महीने में चुनाव करवा देंगे ।

डा. चन्द्रभान : जब सदन के मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं तो जवाब उनसे दिलवाइये ।

श्री नत्थीसिंह : और यह प्रयास की बात कह रहे हैं । घोषणा थी कि चुनाव करवायेंगे, फिर कहा कि छः महीने में करवायेंगे....

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्षजी, मुख्य मंत्रीजी कह दें कि....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे तो सुनलें मेरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय,....

डा. चन्द्रभान : पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी क्यों नहीं जवाब दे देते ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं उनको आप सुनना नहीं चाहते । सम्बन्धित मंत्री का जवाब सुनना नहीं चाहते और मुख्य मंत्रीजी के जवाब की बात करते हैं । औचित्य क्या है आपके सवाल का ? पहले उनका जवाब सुन लीजिये, आप सन्तुष्ट नहीं होते तो सवाल दुबारा उठाते । उनको आप सुनना ही नहीं चाहते हैं । (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त हो गया । माननीय कालूलाल गुर्जर, खनिज राज्य मंत्री....

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसके आगे यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिरोही एवं शिवगंज क्षेत्रों की सिंचाई योजनायें

203. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही एवं शिवगंज विधान सभा क्षेत्रों की कृषि भूमि की सिंचाई के लिये कुल कितनी सिंचाई योजनायें चल रही हैं ?

(2) क्या यह योजनायें इन क्षेत्रों की कृषि भूमि के लिये पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों की कृषि भूमि की सिंचाई के लिये क्या सरकार के पास कोई अन्य योजनायें विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कौनसी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र में सूकड़ी परियोजना, वेलागिरी परियोजना एवं कामेरी सिंचाई परियोजना पर कार्य प्रगति पर है ।

(2) जी नहीं । शिवगंज तहसील में छः परियोजनायें क्रमशः कैलाथ नगर, गोडाना-धुबाना खेजड़िया, बड़गाव रोवाड़ा, ओडा नहर का आधुनिकीकरण तैयार की गई है । तथा सिरोही तहसील में पांच योजयायें क्रमशः जावाल करलूट, नवला, मायल गोड तथा रेली वाला तैयार की गई है । इन योजनाओं के तख्मीमें विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं । पर्याप्त वित्तीय प्रावधानों के उपलब्ध होने पर समय-समय पर इन कार्यों को हाथ में लेने के बारे में निर्णय लिया जा सकेगा ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 204

(स्थगित)

भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर द्वारा पटवारियों के हल्का परिवर्तन एवं कर्मचारियों के निलम्बन एवं बहाली प्रकरण

205. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर ने पटवारियों के हल्के गत दो वर्ष में बार-बार परिवर्तित किये हैं ?

(2) कितने और कौन-कौन से पटवारियों को कितने समय के अन्तराल में हल्का

(श्री मनीराम सियाग)

परिवर्तन के आदेश जारी किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें

(3) क्या यह सही है कि भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर ने गत 5 वर्षों में अधीनस्थ कर्मचारियों के निलम्बन और बहाली का क्रम जारी रखा है? यदि हां, तो क्यों? निलम्बित एवं बहाल कर्मचारियों की सूची मय समय सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जब स्थानान्तरण आदेश ही नहीं किये गये हैं, सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर ने गत पांच वर्षों में 17 कर्मचारियों को निलम्बित व 16 को बहाल किया है। सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में बाड़मेर जिले के किसानों को भूमि का आवंटन

206. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में बाड़मेर जिले के किसानों को भू-आवंटन करने का राज्य सरकार का विचार है? यदि हां, तो कितने किसानों को और कब तक?

(2) उक्त क्षेत्र में भूमि आवंटन समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे तथा भू-आवंटन में क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

उत्तर

(1) जी हां, आवंटन नियम, 1975 के नियम 7 (1) में वर्णित प्राथमिकता के अनुसार बाड़मेर जिले का क्रम आने पर भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन किया जा सकेगा। कितने किसानों को भू-आवंटन किया जायेगा, अभी निश्चित किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) भू-आवंटन समिति के सदस्य राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 13 के प्रावधानानुसार है।

भू-आवंटन की प्रक्रिया भी राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के प्रावधानों के तहत ही अपनायी जाती है।

इन्द्रगढ़ (बून्दी) में तहसील कार्यालय

207. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले की अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है?

(2) यदि हां, तो सरकार अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ को पूर्ण तहसील में कब तक क्रमोन्नत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आवंटित भूमि

208. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दिनांक 31 जनवरी, 1985 को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को, किस-किस खसरा नम्बर को कितनी-कितनी भूमि ? ग्रामवार एवं व्यक्तिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दिनांक को किये आवंटन के कुछ मामलों के बाबत जांच की गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत कार्यवाही की सुनवाई आयुक्त, उपनिवेशन बीकानेर द्वारा करके भू-आवंटन यथावत् रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। आवंटियों की ग्रामवार एवं नामवार भूमि के विवरण सहित सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(3) जी हां।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के पशु चिकित्सा केन्द्र

209. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पशु चिकित्सालय कितने-कितने किन-किन स्थानों पर है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में किन-किन पशु चिकित्सा केन्द्रों पर डाक्टर नहीं हैं और कितने-कितने अर्से से ?

(3) पशु चिकित्सा केन्द्रों में सालाना कितनी-कितनी राशि की दवाइयां दी जाती हैं।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में कुल 988 पशु चिकित्सालय कार्यशील हैं। जिलेवार चिकित्सालयों की सूची संलग्न है।

(2) वर्तमान में 222 डाक्टरों के पद रिक्त हैं जो औसतन एक-डेढ़ वर्ष से रिक्त चल रहे हैं।

(3) प्रत्येक पशु चिकित्सालय पर सालाना 8000/– रुपये एवं औषधालय हेतु 5000/– रुपये का आवंटन औषधि क्रय हेतु किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू, झुन्झुनू जिले को पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

210. **श्री किशनाराम** (डूंगरगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दो वर्षों में चूरू तथा झुन्झुनू जिले के किन-किन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा महाविद्यालयों में किन-किन पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी-कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) समाज कल्याण विभाग ने पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को किस स्तर के अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र देने की मान्यता दे रखी है ? सम्बन्धित आज्ञा अथवा पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) समाज कल्याण विभाग द्वारा चूरू व झुन्झुनू में कौन-कौन सी संस्थाओं के छात्रावास चलाये जा रहे हैं और कब-कब से ?

उत्तर

(1) चूरू तथा झुन्झुनू जिले में वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त समस्त स्कूलों तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों के छात्र/छात्राओं को परिशिष्ट "क" के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी गई हैं।

(2) समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति नियम 1989 के नियम 4 (2, क) के द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार को जाति प्रमाण-पत्र देने हेतु मान्यता है।

इसी प्रकार उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु तहसीलदार ही सक्षम अधिकारी हैं। (संलग्न परिशिष्ट ख)

(3) समाज कल्याण विभाग द्वारा चूरू व झुन्झुनू में निम्न संस्थाओं के छात्रावास निम्नानुसार चलाये जा रहे हैं :—

क्रमांक	संस्था का नाम	छात्रावास का नाम	प्रारम्भ करने का वर्ष
1	2	3	4
1. जिला चूरू			
1.	बापा सेवा सदन, सरदारशहर	बापा सर्वोदय, छात्रावास	1957-58
जिला झुन्झुनू			
1.	नेहरू छात्रावास, अलसीसर	नेहरू छात्रावास, अलसीसर	1964-65
2.	राजेन्द्र छात्रावास, सूरजगढ़	राजेन्द्र छात्रावास, सूरजगढ़	1964-65
3.	बापू छात्रावास, चिड़ावा	बापू छात्रावास, चिड़ावा	1955-56

1	2	3	4
4.	नेहरू स्मारक मंडल, नवलगढ़	नेहरू स्मारक मंडल छात्रावास, नवलगढ़	1971-72
5.	गांधी छात्रावास, नवलगढ़	गांधी छात्रावास, नवलगढ़	1972-73
6.	राजेन्द्र छात्रावास, सूरजगढ़	राजेन्द्र छात्रावास, बिसाऊ	1982-83
7.	जवाहरलाल नेहरू छात्रा., टमकोर	जवाथरलाल नेहरू छात्रा., टमकोर	1974-75
8.	इन्दिरा गांधी बालिका अड़ावता	इन्दिरा गांधी बालिका छात्रा., अड़ावता	1960-61

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित शिल्पी शाला योजना

211. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा शिल्पी शाला योजनान्तर्गत पिछले तीन वर्षों में कुल कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया ? वर्षवार विवरण निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें ? वर्ष, आर्थिक लक्ष्य, उपलब्धि, भौतिक लक्ष्य उपलब्धि ।

उत्तर

अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा शिल्पी शाला योजनान्तर्गत वर्ष 1988-89, 1989-90 व 1990-91 (पिछले तीन वर्षों में) लाभान्वित किये गये व्यक्तियों की वर्षवार सूचना निम्नानुसार है :—

नाम योजना	वर्ष	आर्थिक		भौतिक	
		लक्ष्य (लाखों में)	उपलब्धि (लाखों में)	लक्ष्य	उपलब्धि
शिल्पी शाला	1988-89	12 50	11.24	500	593
	1989-90	35.00	6.80	500	613
	1990-91	50.00	43.04	1000	1612

अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित कुओं को गहरा कराने की योजना

212. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा कुओं को गहरा कराने की योजनान्तर्गत पिछले तीन वर्षों में कुल कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया ? वर्षवार विवरण निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें ।

नाम, वर्ष, आर्थिक लक्ष्य, उपलब्धि, भौतिक लक्ष्य, उपलब्धि ।

उत्तर

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा कुओं को गहरा कराने की योजनान्तर्गत 1988-89, 89-90, 90-91 (पिछले तीन वर्षों में) लाभान्वित किये गये व्यक्तियों की वर्षवार सूचना निम्नानुसार है :—

नाम योजना	वर्ष	भौतिक		आर्थिक	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
बोरिंग ब्लास्टिंग योजना	1988-89	3000	2103	54.00	34.24 लाख
	1989-90	1500	2215	40.00	30.56
	1990-91	2000	1619	30.00	20.26

अनुसूचित जाति सहकारी निगम द्वारा अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु संचालित योजनायें

213. **श्रीमती कमला भील** (सागवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अनुसूचित जाति सहकारी निगम की जो योजनायें अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये क्रियान्वित की जा रही हैं, क्या इसी प्रकार की योजनायें तथा ऐसा सैट-अप जन जातीय क्षेत्रीय विकास निगम में आदिवासी उत्थान के लिये क्रियान्विति करने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि., उदयपुर द्वारा जनजाति परिवारों के विकास परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है । अनुसूचित जाति विकास निगम और राजससंघ, उदयपुर की गतिविधियां भिन्न हैं । जहां राजससंघ द्वारा सहकारिता के आधार पर उपभोक्ता सामग्री वितरण, कृषि उपादान वितरण योजना, लघु वन उपज संग्रहण, कृषि उपज, क्रय एवं

(श्रीमती कमला भील)

मत्स्याखेट जैसी योजनाओं द्वारा आदिवासी परिवारों को लाभान्वित किया जाता है वहीं अनुसूचित जनजाति निगम द्वारा परिवारोन्मुखी व्यक्तिगत लाभ की योजनायें बैंकों द्वारा ऋण एवं सब्सिडी उपलब्ध करवा कर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाते हैं। अभी इस स्थिति में परिवर्तन प्रस्तावित नहीं हैं।

बांसवाड़ा के विभिन्न मार्गों पर संचालित निजी बसें

214. **श्री बहादुरसिंह** (दानपुर) :— क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा से दाहोद वाया सियापुर-सालिया, बड़ोदिया, बागीदोरा, कलिजेरा, मोनोडगेर, झालोद मार्ग पर निजी बसें चल रही हैं ?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त मार्गों पर इन्हें परमिट जारी किये गये हैं ? इन वाहनों की संख्या कितनी है ?

(3) क्या सरकार का उक्त मार्ग पर और परमिट जारी करने का कोई विचार है ? यदि हां, तो कितने परमिट और जारी किये जावेंगे ?

(4) बांसवाड़ा परिवहन विभाग ने वर्तमान वित्त वर्ष (1991–92) के दौरान कितने वाहनों का चालान किया और उनसे दण्ड के रूप में कितनी राशि वसूल की गई है ? वाहनों के रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित विवसदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस मार्ग पर चार निजी एवं एक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस को परमिट स्वीकृत है।

(2) जी हां। जैसा कि प्रश्न के भाग एक में बताया गया है, इस मार्ग पर कुल 5 वाहनों को परमिट स्वीकृत हैं।

(3) जी हाँ। किन्तु वर्तमान में मार्ग पर नये परमिट जारी करने पर माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश हैं।

(4) बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1991–92 के दौरान 244 चालान बनाये गये है तथा उनसे 1,52,688/– रु. जुर्माना वसूल किया गया गया है। वाहन वार सूची संलग्न परिशिष्ट "क" में उपलब्ध हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नई कृषि नीति

215. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार कोई नई कृषि नीति बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि बनाली है, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इसमें किसानों व कृषि वैज्ञानिकों से भी परामर्श लेने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो अब तक किन किन से विचार-

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

विमर्श किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, कृषि नीति के बनाये गये प्रारूप पर मंत्री मण्डल द्वारा विचार करके के बाद चालू सत्र में विधान सभा में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) विधान सभा में प्रस्तुत करने के बाद इस पर वैज्ञानिकों व किसानों के विचार भी आमन्त्रित किये जायेंगे।

दैनिक वेतनभोगी वन कर्मी

216. **श्री हुक्माराम** (सिवाना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने दैनिक वेतन भोगी वनकर्मियों को स्थायी कर दिया है ? यदि हां, तो कब से नहीं तो क्यों ?

(2) दैनिक वेतनभोगी वनकर्मियों में स्थायी होने वाले रेन्ज सिवाना (बाड़मेर) के श्रमिकों के नाम व पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार नये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26-10-1991 की अनुपालना में दिनांक 18-1-1989 को लगातार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले श्रमिकों को स्थायी करे जाने की कार्यवाही जारी है।

(2) उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत बाड़मेर जिले की रेंज सिवाना के स्थायी होने वाले श्रमिकों की नामजद सूची मय पद के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कार्य की उपलब्धता के अनुसार दैनिक वेतन पर श्रमिक रखे जाते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

फलासिया (उदयपुर) की नई उप तहसीलें

217. **श्री कुबेर सिंह** (फलासियां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1991-92 में कौन-कौनसी उप तहसीलें बनाई गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में उप तहसीलें बनाये जाने हेतु स्थानीय विधायक के कोई पत्र सरकार को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1991-92 में कोई नई उप तहसील का गठन नहीं किया गया है।

(2) तहसीलों/उप तहसीलों के पुनर्गठन बाबत जन प्रतिनिधियों से प्राप्त समस्त प्रस्ताव अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर की

(राजस्व मंत्री)

अध्यक्षता में गठित समिति को प्रस्तुत किये गये थे। इस समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम कंवरपुरा पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ की विवादग्रस्त भूमि

218. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति के बलकुण्डी ग्राम पंचायत के ग्राम कंवरपुरा में खसरा नं. 67/31, 10 बीघा का असली खातेदार श्री अमरा पुत्र श्री उंकार बलाई, खसरा नं. 67/30, 10 बीघा का खातेदार श्री भंवरलाल, कालू पुत्रान श्री गोकल बलाई एवं खसरा नं. 67/36, 10 बीघा भूमि का असली खातेदार श्री हीरा, मोहन पुत्र रामा बलाई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर कब्जा असली खातेदारों का न होकर नाजायज रूप से श्री मोहनदास पुत्र श्री गणेशदास निवासी बलकुण्डी का है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त असली खातेदारों ने जिलाधीश महोदय को इस आशय का निवेदन किया कि उन्हें कब्जा दिलाया जाय ? यदि हां, तो असली खातेदारों को आज दिन तक कब्जा क्यों नहीं दिलाया गया ? अब कब तक कब्जा दिला दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

रसायनशाला जोधपुर का शान्ति-वर्धक चूर्ण

219. **श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जोधपुर रसायन शाला में 10 लाख रुपये का शान्तिवर्धक चूर्ण बना हुआ पड़ा है ? यदि हां, तो कितने दिन से यह चूर्ण रखा हुआ है ? उसका अब तक वितरण नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी नहीं। साइट्रिक एसिड की पूर्ण मात्रा के अभाव में शान्तिवर्धक चूर्ण अपूर्ण बना हुआ है। चूर्ण के निर्माण का कार्य कार्य दिनांक 1-4-91 से आरम्भ किया गया था। घटक द्रव्य साइट्रिक एसिड पूर्ण मात्रा में उपलब्ध होने पर ही, निर्माण कार्य पूर्ण होगा तदुपरान्त चूर्ण का वितरण करना सम्भव हो सकेगा।

आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण एवं वितरण

220. **श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि औषधालयों में समय-समय पर औषधियां नहीं पहुंच रही हैं ?

(2) वर्ष 1985 से 1991 तक प्रतिवर्ष रसायनशालाओं में कितनी दवाओं का

(श्री गोविन्द सहाय)

निर्माण किया गया, तथा प्रतिमाह औषधालयों को कितनी-कितनी दवाइयां दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) औषधालयों में औषधियां यथा समय-समय पर ही पहुंचाई जाती रही हैं ।

(2) वर्ष 1985-86 से 1991-92 तक विभागीय रसायनशालाओं द्वारा निर्मित की गई एवं इन वर्षों में औषधालयों को सप्लाई की गयी औषधियों का विवरण निम्न प्रकार है—

(राशि लाख रु)

वर्ष	औषध निर्माण	औषध वितरण
1985-86	69.01	27.23
1986-87	38.97	70.92
1987-88	66.19	71.11
1988-89	51.96	94.09
1989-90	65.21	88.02
1990-91	66.17	81.64
1991-92	58.09	69.33

(जनवरी, 92 तक)

औषधालयों को सप्लाई की गई औषधियों का माहवार विवरण, विभागीय स्तर पर तैयार नहीं किया जाता है ।

"खुदाबादी सोनार" गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर

221. श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खोले के हनुमान जी दिल्ली बाईपास रोड के समीप जैनियों की नसियों के सामने ग्राम बास-बदनपुरा, जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 28, 29, 31, 32, 33, 131 लगायत 134 पर खुदाबादी सोनार गृह निर्माण सहकारी समिति (रजिस्टर्ड) द्वारा शान्ति कालोनी के नाम से कुछ प्लॉट काटे गये थे ? यदि हां, तो शान्ति कालोनी में काटे गये समस्त प्लाटों को दर्शाते हुए पूर्ण मास्टर प्लान का नक्शा उसमें सड़कें आदि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें ।

(2) शान्ति कालोनी में उक्त समिति द्वारा काटे गये प्लाट संख्या 40 से 45 तक के प्लाट मूल रूप से किन-किन को आवंटित किये गये तथा इनमें से किन-किन को अन्य नामों पर ट्रांसफर कराया गया ? क्या ट्रांसफर हेतु उक्त समिति द्वारा कोई शुल्क भी लिया गया ? यदि हां, तो जमा कराये गये शुल्क की रसीद की छाया प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) प्लाट संख्या 40 से 45 तक के आवंटियों को जारी किये गये पट्टों (अलाटमेंट लेटर्स) की छाया प्रतियां यदि प्लाट मूल आवंटन के उपरान्त किन्हीं अन्य नामों पर ट्रांसफर किया है तो उसकी कार्यवाही भी दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । शान्ती कालोनी योजना का नक्शा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(सहकारिता मंत्री)

(2) समिति के रिकार्ड के अनुसार शांति कालोनी में काटे गये भूखण्ड संख्या 40 से 45 तक के प्लाट मूल आवंटियों के पास ही है। भूखण्ड संख्या 40 से 45 तक के आवंटियों की सूची परिशिष्ट 'ब" पर संलग्न है। ये भूखण्ड किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं किये गये हैं। अतः जमा शुल्क की रसीद की छाया प्रति देने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) भूखण्ड संख्या 40 से 45 के आवंटियों के अलाटमेंट पट्टों की रसीद की छाया प्रति परिशिष्ट "स" पर 1 से 6 तक प्रस्तुत है। उक्त भूखण्ड मूल आवंटियों के अतिरिक्त किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं किये गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बेगूं क्षेत्र की राजगढ़ दुगार व मोतीपुरा ग्राम पंचायतों के किसानों को भूमि का आवंटन एवं अमल दरामद

222. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत राजगढ़, दुगार और मोतीपुरा के क्षेत्र में सन् 1969 से लेकर आज तक किन किन को किस-किस खसरा नं. में कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई? इस आवंटन के कितने किसानों के नाम, अमल दरामद कब-कब हो चुकी हैं और यदि नहीं, तो अभी तक क्यों नहीं हुई?

(2) क्या यह सही है कि जिनके अमल दरामद नहीं हुई उनको नाजायज कब्जे की कार्यवाही कर सजा और जुर्माने किये गये हैं?

(3) जिनके नाम अमल दरामद हुई है उनमें से कितनों को खातेदारी हक दिये गये? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) बेगूं विधानसभा क्षेत्र की पंचायत राजगढ़, दुगार एवं मोतीपुरा क्षेत्र में वर्ष 1969 से अब तक 2353 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटियों की नामवार सूची संलग्न है। आवंटन के पश्चात् 1411 किसानों के नाम विभिन्न वर्षों में अमल दरामद हुआ है। वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	किसानों की संख्या
1	2
1969	83
1971	114
1972	8
1975	3
1976	2
1977	153
1978	70
1979	130
1980	110
1981	49
1982	51
1983	315

(राजस्व मंत्री)

1	2
1984	57
1985	18
1986	26
1987	15
1988	32
1989	56
1990	56
1991	63
योग	1,411

जिन व्यक्तियों के नाम अमल दरामद नहीं हुआ है उसके निम्न कारण रहे हैं :—

1. इन आवंटन की समय-समय पर शिकायत/अपील होने पर कोर्ट द्वारा आवंटन निरस्त करने मे।

2. आवंटी द्वारा प्रीमियम जमा नहीं कराने से।

3. आवंटित भूमि काबिल काश्त नहीं होने या अन्य कारणों से आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लेने से।

4. आवंटन की पत्रावलियाँ सम्बन्धित न्यायालय में विचाराधीन अवधि के दौरान सेटलमेंट होने से आवंटित भूमि के खसरा नं. परिवर्तित होने से अथवा बन्दोबस्त विभाग द्वारा भूमि सिवायचक दर्ज कर देने से भी अमल दरामद नहीं हो सका।

(2) जी नहीं। आवंटित भूमि से भिन्न खसरा नं. अथवा आवंटन से अधिक भूमि पर नाजायज कब्जा करने वाले व्यक्तियों को ही सजा दी गई है।

(3) 1411 व्यक्ति जिनके नाम अमल दरामद हुआ है, उनमें से 88 व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। शेष द्वारा नियमों के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से खातेदारी नहीं दी गई है। संबंधित के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार खातेदारी दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला दौसा के देवालयों को विभाग द्वारा दी जाने वाली राशि

223. श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला दौसा में स्थित किन-किन मन्दिरों को कितनी-कितनी राशि देवस्थान विभाग से दी जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या दी जाने वाली राशि पर्याप्त है यदि नहीं, तो क्या सरकार राशि बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला दौसा में स्थित मन्दिरों को दी जा रही सहायता राशि बाबत सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देवस्थान मंत्री)

(2) विभाग द्वारा मन्दिरों को दी जाने वाली सहायता राशि वर्तमान मंहगाई को देखते हुए बहुत कम है। राशि बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण

224. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) व **श्री लक्ष्मी नारायण दवे** (सोजत) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1991 से फरवरी, 1992 तक राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कुल कितना गेहूं, चीनी, खाद्य तेल का वितरण किया गया ? उसमें पाली जिले को कितना आवंटन कब-कब किया गया तथा जिलाधीश, पाली ने प्रत्येक तहसील में उपरोक्त सामग्री का आवंटन कितना-कितना कब-कब किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले के जन प्रतिनिधियों द्वारा बार-बार निवेदन करने के बावजूद अभी तक वहाँ प्रति व्यक्ति निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गेहूं का पूरा कोटा नहीं मिला ?

(3) क्या यह सही है कि राशन के लिए आवंटित गेहूं, चीनी व खाद्य तेल की कालाबाजारी होती है तथा वितरक उसे ऊंचे भावों में इन चीजों को बाजार में बेचते हैं ? यदि हां, तो अब तक कितने विक्रेताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1991 से फरवरी, 1992 तक राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कुल 11,21,834.3 मै. टन गेहूं 2,48,923.8 मै. टन लेवी चीनी और 5040 मै. टन खाद्य तेल का वितरण किया गया है। इसमें पाली जिले को जितना आवंटन जब-जब किया गया तथा जिलाधीश, पाली ने प्रत्येक तहसील में उपरोक्त सामग्री का आवंटन जितना-जितना जब-जब किया, उसकी विषयवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) सभी वितरक आवंटित गेहूं, चीनी व खाद्य तेल की कालाबाजारी नहीं करते तथा उन्हें ऊंचे भावों पर बाजार में नहीं बेचते परन्तु जो ऐसा करते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। राशन के लिये आवंटित गेहूं, चीनी व खाद्य तेल की वितरकों द्वारा बाजार में बेचने के प्रयास किये जाने के कारण चार विक्रेताओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में परिचालकों की ईयर मार्क सीट

225. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कुबेरसिंह)

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की डीलक्स एवं सुपर डीलक्स बसों में परिचालकों के बैठने हेतु कोई सीट ईयर मार्क कर रखी है ? यदि हां, तो कौनसी ?

(2) यदि नहीं, तो क्या निगम मानवीय दृष्टिकोण को मद्‌दे नजर रखते हुए परिचालकों के लिये उक्त बसों में कोई सीट ईयर मार्क करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। निगम की "डीलक्स" और "सेमी डीलक्स" वाहनों के प्रवेश द्वार के पास ही चालक के बांई ओर एक फोल्डिंग सीट परिचालक के लिये ईयर मार्क की हुई है। निगम में सुपर डीलक्स बस सेवा के नाम से कोई बस नहीं चलती।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचित क्षेत्र विकास (चम्बल) के उपखण्ड बून्दी में ड्रेन्स की खुदाई

226. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सिंचित क्षेत्र विकास (चम्बल) के उपखण्ड बूंदी में कितनी ड्रेन्स खोदी गई ? उनमें से प्रत्येक का नक्शा ड्रेन्स नाम, ड्रेन की लम्बाई के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बांई नहर उपखण्ड बून्दी में खोदी गई ड्रेन की जानकारी निम्न प्रकार से है :—

नाम जोन	मेन ड्रेन	मेनसब ड्रेन	कैरियर ड्रेन	सीवेज ड्रेन
	कि. मी.		कि.मी.	कि.मी.
जोन नं. 1 से 9	131.27		85 49	140.67

विस्तृत विवरण संलग्न है :–(प्रपत्र अ एवं ब)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सुरक्षा की दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्र की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण

227. **श्री अमीन खाँ** (शिव) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या सरकार सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों की सीमा सुरक्षा हेतु सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की विशेष योजना बनाना चाहती है ?

(2) क्या सरकार के पास जिला बाडमेर, जैसलमेर की सीमा सुरक्षा सड़कों यथा; देतानी, रामसर, राणासर, डगरा रोड मुनाबा, गडरा रोड हरसानी, शिव, जैसलमेर, मैयाजलार, शास्त्री गाँव; मैयाजलाहै मुनाबा, मेयाजलार गागरिया, बिजडोर के किनारे पेड़ लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(3) क्या सरकार स्थानीय पेड़ों के पौधे स्थानीय नर्सरियों में तैयार कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो खेजड़ी, फोग, अरणी, गाओली, बोरडी, कुमट. कांका, रोहीडा, जाल–मोराली, कैर–गुगलनी

(श्री अमीनखां)

के कितने-कितने पौधे कौन कौनसी नर्सरियों में तैयार हैं ? सूची सदन के मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले की नर्सरियों में स्थानीय प्रजातियों के उपलब्ध पौधों की सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला डूंगरपुर के आश्रम विद्यालय

228. **श्रीमती कमला भील** (सागवाडा) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में कितने आश्रम स्कूलों में से, कितने किन-किन कारणों से बन्द कर दिये गये ?

(2) क्या राज्य सरकार पुनः इन आश्रम स्कूलों को खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) 1952 से आरम्भ किया गया खडलई आश्रम स्कूल क्यों बन्द किया गया ? सरकार उसे पुनः प्रारम्भ करने की स्वीकृति कब तक देने का विचार रखती है ? क्या यह भी सही है कि जिले के आश्रम स्कूल सामग्री व सामान के अभाव में चल रहे है ? यदि हां, तो आश्रम स्कूलों में पूरी व्यवस्था सरकार कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में जनजाति विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों में से एक भी आश्रम छात्रावास बन्द नहीं किया गया है।

(2) डूंगरपुर जिले में जनजाति विभाग द्वारा संचालित समस्त आश्रम छात्रावास यथावत चल रहे हैं। अतः पुनः खोलने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(3) खडलाई का आश्रम स्कूल बन्द कर दिया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा इसे पुनः प्रारम्भ करने के आदेश दे दिये गये हैं। जनजाति विभाग द्वारा संचालित जिले के समस्त आश्रम छात्रावासों में सामग्री व सामान का अभाव नहीं है।

जिला बांसवाड़ा की वन भूमि पर अवैध कब्जे

229. **श्री बहादुरसिंह** (दानपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में वन भूमि पर 1 जून, 1980 को लोगों ने नाजायज कब्जे किये थे ? यदि हां, तो कितने महीने बाद उक्त अवैध कब्जों के विभाग ने मुकदमें दर्ज किये और क्या जुर्माने के रूप में कोई राशि वसूल की गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से माह में वसूल की गई। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बहादुरसिंह)

(2) क्या सरकार 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक के वन भूमि पर किये गये अवैध कब्जों का निपटारा कर आदिवासियों के हक में जमीन दिलाने की कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य सरकार द्वारा 1-7-1980 से पूर्व वन भूमि पर आदिवासियों द्वारा किये गये अतिक्रमणों का नियमन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की अनुमति से करने का निर्णय लिया गया है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : श्री कालूलाल गुर्जर, खनिज राज्य मंत्री द्वारा सदन की मेज पर.... (व्यवधान)।

डा. चन्द्रभान : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। पहले आप बैठिये। नो पाइंट आफ आर्डर.... (व्यवधान).... यह सदन की मेज पर रख रहे हैं, इसके बारे में पाइंट आफ आर्डर है आपका ?.... (व्यवधान).... तो बैठिये।

डा. चन्द्रभान : नहीं, जीरो आवर के बारे में है।

श्री अध्यक्ष नो पाइंट आफ आर्डर, आप बैठिये।.... (व्यवधान)....

श्री कालूलाल गुर्जर (खनिज राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीय अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड व उसके सहयोगी निगमों से संबधित ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1989-90 सदन की मेज पर रखता हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जोशीजी।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, प्राइंट आफ आर्डर।.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री जोशीजी के भाषण पर पाइंट आफ आर्डर है ? फिर पाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकता है। पाइंट आफ आर्डर करण्ट विषय पर हो सकता है। माननीय श्री जोशीजी बोल रहे हैं। इसमें आपको आपत्ति है ? फिर बैठिये आप।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, श्री जोशीजी के भाषण पर पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : फिर मैं आपके पाइंट आफ आर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता हूं।

डा. चन्द्रभान : मेरा पाइंट आफ आर्डर इस पर है।....

श्री अध्यक्ष : आप उठा नहीं सकते हैं।

डा. चन्द्रभान : शून्यकाल की जो व्यवस्था है उसको क्यों समाप्त किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : वह हाऊस की सहमति से समाप्त हुआ है। बैठिये आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : हाऊस में नहीं रखा।

डा. चन्द्रभान : हमने 28 तारीख को भी इसका विरोध किया था।

श्री अध्यक्ष : आपके अकेले के विरोध से नहीं होगा। हाऊस की सहमति से हुआ है। आपके अकेले के विरोध से हाऊस की सहमति रोकी नहीं जा सकती है.... (व्यवधान) यह नोट नहीं किया जाय।

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे।.... दर्ज नहीं हो। बैठिये आप। माननीय श्री जोशीजी।

डा. चन्द्रभान : × × ×

श्री हरिदेव जोशी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, यह जो अभिभाषण है, यह एक प्रकार से सरकार की रीति-नीति की व्यवस्था है। राज्यपाल सरकार की ओर से बोलते हैं और यह प्रथा इसलिये है कि लोकतंत्र में सब लोग समझें कि सरकार की पॉलिसी क्या है, क्या प्रोग्राम है, क्या अचीव किया है और कहां फैल्योर है? इस दृष्टि से मैं इस भाषण को पढ़ता हूं, और मैंने पढ़ा है। मुझे ऐसा ल ा कि विभागों ने अपने-अपने नोट्स भेज दिये और किसी एक व्यक्ति ने उसको चिपकाकर के भाषण तैयार कर दिया। इसमें न तो कोई नीतिगत चर्चा है और न ही कोई मार्ग-दर्शन है।

शासन में जो लोग हैं वह राजनीति से संबंधित हैं, आखिर क्या दिशा निर्देश देना चाहती है, यह सरकार किस प्रकार और कैसे अपनी नीतियों को क्रियान्वित करना चाहती है? यह बात इसमें कहीं नहीं आयी है। कुछ आंकड़े दिये गये हैं। यह तो सरकार है, खर्चा भी होता रहेगा, कर्जा भी होता रहेगा और चुकाया भी जाता रहेगा। मगर दिशा निर्देश क्या हैं? इस चीज को स्पष्ट किया जाना चाहिये था, वह इसमें नहीं किया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण की परम्परा को एक प्रकार से केवल निभाया गया है। इसको गम्भीरता नहीं दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें शुरूआत में ला-एण्ड-ऑर्डर और उसके बाद एक पैराग्राफ और है उसमें कहा गया कि सरकार संवेदनशील है। मुझे यह संवेदनशीलता कहां है और कैसी है? यह राजस्थान में आज देखने को नहीं मिली है। दूसरे पैराग्राफ में सरकार कहती है कि इतने गांव कुल मिलाकर अकालग्रस्त हैं अकाल को हमने पहली मरतबा नहीं देखा है। अकाल पहले भी पड़े हैं। जब स्केयरसिटी होती है तो सरकार तकादा करती है कलक्टर को कि जल्दी अपनी रिपोर्ट भेज दो। रिपोर्ट भेज दी जाती है, फिर जल्दी उस पर विचार होता है और तब तक टेस्ट वर्क शुरू हो जाते हैं। इस वर्ष अब तो मंत्रीजी नये आ गये हैं, हमारी बहन के साथ अन्याय करके। उनका

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिदेव जोशी)

पोर्टफोलियो लेकर के यहां बैठे हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल (अकाल राहत मंत्री) : उन्होंने शिकायत की होगी।

श्री हरिदेव जोशी : वह शिकायत मुझ से करें तो कोई गैर वाजिब बात नहीं है। मैं यह कह रहा था कि मेहरबानी करके मालूम कीजिये, जाइये और पता करिये कि कितने लोगों को आपने काम दिया।

आम तौर पर अक्टूबर में रिलीफ वर्क शुरू हो जाते हैं। अब तो सुविधा यह है कि पिछले फाइनेन्स कमीशन ने अकाल के बारे में, नेचुरल क्लेमिटीज के बारे में एक प्रकार की व्यवस्था की हैं। उस व्यवस्था को आपने काम में क्यों नहीं लिया ? उस समय आपकी सेंसेटिविटी का क्या हुआ ? आदमी भूखों मरे और हम लोग यहां पर भाषण करें यह सेंसेटिविटी है। मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा, मगर दुर्भाग्यवश उसका कोई परिणाम नहीं निकला। आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही के हिस्से जहां आदिवासी लोग रहते हैं वहां पर हालत बहुत खराब है। आज अगर मैं यह कहूं कि सरकार ने जैसे हाथ ऊचे कर दिये हैं। इस प्रकार की स्थिति है। अब जब ऐसे हालत हैं तब सेंसेटिविटी कहां गयी ? संवेदनशीलता कहां गयी ?

अध्यक्ष महोदय, अकाल तो था ही, इसके साथ ही राज्य सरकार ने अकाल जैसे कामों के अन्दर विलेज लीडरशिप आगे आकर कुछ काम करती, लोगों की मदद करती, उसको खत्म कर दिया। आपको मालूम है, आप उस समय थे या नहीं थे। श्री भैरोंसिंहजी जिस समय पहले मुख्य मंत्री थे, उस समय भी को-इन्सिडेंस यह हुआ था कि पंचायतें भंग कर दी गयी और आगे चुनाव नहीं कराये गये।

श्री रामकिशन : पंचायतों के तो कराये, मगर पचायत समितियों के नहीं कराये। 14 साल तक आपने नहीं करवाये थे।

श्री हरिदेव जोशी : हाल यह है कि आज गांवों के अन्दर उनकी समस्याओं के अन्दर कोई हाथ बंटाने वाला नहीं है। गांव के पंच, सरपंच, पंचायत समितियों के प्रधान और प्रमुख वगैरह, एक ग्रामीण लीडरशिप जो डवलप हुई है उसमें यह स्थिति होती थी कि सरकार की ओर से मंजूरी देर से भी आती थी मगर सरपंच भागा-भागा जाता और कोई भी व्यवस्था करवाता और भूखे आदमी की मदद करता था। आज उस सरपंच को बेकार कर दिया गया है। कण्डम करके अलग कर दिया गया और पंचायत समितियां जिसमें सरपंच कुछ राहत लाने की कोशिश करते थे, वहां पर बी. डी. ओ. एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर बनकर बैठ गये थे। जिला परिषदों का हाल बेहाल है। तो ऐसी स्थिति में मन में एक विचार आता है कि क्या यह सरकार लोकतंत्र को पसंद करती है। यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यह कि पहले भी आपने यह किया। इस बार फिर शासन आपके पास आया, आपने यही किया। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सेंसेटिविटी जो आप कहते हैं, वह कहने की बात है। आदमी भूखों मरते हैं उसकी हालत का आपको अन्दाजा नहीं है। आप कोई बहुत बड़े राज-

(श्री हरिदेव जोशी)

घराने में पैदा नहीं हुये, गांव में पैदा हुये हैं तो गांवों की यह हालत से आपको अन्दाज क्यों नहीं होती। क्यों नहीं आपको ऐसा लगता है कि एक गलती हो रही है उसको आप जल्दी दूर कर दें। हमने आपसे प्रार्थना की, आपने उसको स्वीकार किया। आपके साथ मीटिंग्स हुई, बैठे। हमने हमारे विचार रखे, आपने अपने विचार रखे। पर परिणाम क्या है? बहुत बड़ा शून्य। इस लिये मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप चाहे एक रथ–यात्रा निकालें या चाहे दस रथ यात्रायें निकालें वह रथ–यात्रायें बेकार हैं। हिन्दुस्तान की जनता ने अभी पंजाब में वोट देकर बतला दिया है कि रथ–यात्राओं का परिणाम निकलता है....(व्यवधान) तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो आवश्यक है उसको कीजिये जो आवश्यक नहीं नहीं है उसको मत कीजिये। मैं आपकी कठिनाइयों को भी जानता हूं, आपकी कठिनाइयां क्या है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : देखिये आप में यह कूवत नहीं है तो मैं क्या करूं? आपकी काबलियत को तो मैं बढ़ा नहीं सकता। अब आपकी वह उम्र भी नहीं रही है।

एक माननीय सदस्य : आपकी तो है?

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह कह रहा था कि अगर आप सारे पालिटिकल सिनारियों को सामने रखें तो राजस्थान ही आपको बतला देगा कि आपकी सरकार की लोकप्रियता कितनी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सबसे पहले लोकसभा के चुनाव हुये थे, उस समय दुर्भाग्यवश कांग्रेस लोकसभा की 25 सीटें हारी। बीस सेगमेंट्स में कांग्रेस को बहुमत मिला था उस समय। उसके बाद विधान सभा के चुनाव हुये। उन चुनावों में कांग्रेस को 50 सीट्स मिलीं। इसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव हुये उन चुनावों के अन्दर कांग्रेस 102 सीट्स पर विजयी पाई। अर्थात राजस्थान की जनता ने यह महसूस किया कि बी. जे. पी. गुड्स डिलिवर नहीं कर सकती। इसके बाद विधान सभा के बाई इलेक्शन्स आये। यह तो ठीक है कि मुख्य मंत्रीजी, मैंने आपके भाषणों के टेप रिकार्डस सुने हैं। आपने अपनी परफार्मेंस पर वोट मांगे थे। आपने मांग की थी कि अमुक कैन्डीडेट को नहीं, हमारी पालिसी को, हमारे प्रोग्राम को, हमारी जो कार्य दक्षता है उसके आधार पर हमको वोट दो और उसका परिणाम क्या रहा, वह आपके सामने है। अभी पंजाब में चुनाव हुये और दूसरी जगह चुनाव हुए, वह दिशा करते हैं कि हवा किधर की है, रुख क्या है। मेहरबानी करके दीवार के ऊपर लिखे हुये को पढ़ो और अपने आपको उस स्थान से ऊपर उठने की कोशिश कीजिये।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आपने संसेटिविटी की बात कही है। अभी कुछ दिनों पहले एक सवाल पूछा गया था कि पुलिस की हिरासत के अन्दर कितने लोग मरे। आपने 15 आदमियों की संख्या बताई। संख्या उससे ज्यादा है मगर मैं उसमें डिस्प्यूट नहीं करना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग शासन में बैठे हुए हैं इसलिये हम आंखें मूंद लेने वाले नहीं होना चाहिये कि जनता जिससे पीड़ित

(श्री हरिदेव जोशी)

है, शोषित है उसको कोई राहत नहीं मिले ? यह दो आदमियों के फोटोग्राफ हैं। जिनको पुलिस की हिरासत में पीटा गया, इनकी चमड़ी बिलकुल उधेड़ी हुई है और ये मर गये हैं। आप क्या कहते हैं। 15 आदमियों की नहीं, मैं तो एक आदमी की बात कहता हूं, अगर एक आदमी भी हिरासत के अन्दर मरता है तो उसकी जिम्मेदारी किसी ओर की नहीं चीफ मिनिस्टर की है, उसको अपने आप ओन करना चाहिये। अगर आप ओन नहीं करते हैं तो आपकी सेंसेटिविटी नहीं है मैं ऐसा मानता हूं। कारण यह है, आपको इसलिये कहना पड़ता है कि राजस्थान का शासन एक जगह सेन्ट्रलाइज्ड है। संविधान कैसा ही है, रियासतें, राज्य केन्द्र से अधिक अधिकार मांगते हैं, परन्तु राजस्थान के अन्दर शासन संकुचित होकर केवल एक जगह रह गया है। इसलिये मैं इन मंत्रि-मंडल के सदस्यों के ऊपर कोई बात कहना नहीं चाहता, जो इनकी आज हैसियत है....

श्री राम किशन : इससे तो आप मुख्य मंत्री की हैसियत बढ़ा रहे हैं, वह इसका प्रचार करेंगे....।

श्री हरिदेव जोशी : आप अपने मिनिस्टर को अधिकार दें या न दें यह आपके देखने की बात है, मगर मिनिस्टर्स अपने आपको हैल्पलेस फील करें कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो नई अफवाहें बाजारों में बनती हैं। उसमें सबसे पहले यह देखा जाता है कि जो जिस जगह बैठा है वह वहां ठीक ढंग से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर कोई गलती होती है उसको कोई पूछने वाला है या नहीं। आज यह बात सही है कि माइनेरिटी गवर्नमेंट आप रन कर रहे हैं। उसमें आपको क्या कठिनाइयां आ सकती हैं इसको मैं समझता हूं। श्री भाटी जी की चिट्ठी आती है, श्री दिग्विजय सिंह जी के पास में, वह कहते हैं वह चिट्ठी मुझे मिल गयी है। उसके बाद परिणाम शून्य। शामियाने गढ़ जाते हैं, ओथ लेने के लिये लोगों को इतला दे दी जाती है। उसके बाद आप देखते हैं परिणाम क्या है ? यह आपकी राजनैतिक कठिनाइयां हैं। यह जो आपकी तकलीफ है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर विश्वास न करके सारी चीज को अपने थ्रू करे, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। आप निभा सकते हों तो कीजिये। मैं और तो माननीय सदस्यों को नहीं कहना चाहता मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर वे यह अपेक्षा करते हैं कि समय उनका साथ देगा, तो नहीं देने वाला है। होम मिनिस्टर साहब, आप होम मिनिस्टर कहने के हैं। आपके बस में यह नहीं है कि आप अपने विभाग में कुछ कर सकें। एक-एक फाइल जो गांव से, पुलिस हैडक्वार्टर से यहां मंगवा ली जाती है, उसके ऊपर कार्यवाही हो नहीं हो, वह पड़ी रहती है। सुनते हैं, होम मिनिस्टर साहब, परेशान होते हैं। मैं कहता हूं लोगों को, भाई, वे तो हिज मास्टर्स वाइस हैं उसमें अगर आप श्री भैरोंसिह जी की आवाज....

श्री दिग्विजय सिंह : मैं माननीय विपक्ष के नेता महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि हिज मास्टर्स वाइस नहीं। आपको यह बहम कैसे हो गया ? आपने कभी कोई बतायी नहीं बात। और वह नहीं हुई हो मेरे विभाग में, तो आप बतला दें।

श्री यदुनाथ सिंह : अब भी उनके कहने से बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो आपका जी जानता है कि आपकी क्या दुर्दशा हो रही है आजकल।

श्री दिग्विजय सिंह : श्री प्रद्युम्न सिंहजी, यह तो आपको अनुभव था।

श्री नत्थी सिंह : स्वीकार तो करते हैं।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद ही +++ मजदूर हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने अखबारों की टिप्पणी पढ़ी, माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी : आप अपने चीफ मिनिस्टर के लायल रहें, इसको मैं बुरा नहीं मानता, आप अपने चीफ मिनिस्टर की आवाज में आवाज मिलावें, इसको भी मैं बुरा नहीं मानता, पर आप होम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर खाली नैगोशिएटर का काम करें तो इसका कोइ अर्थ नहीं है। आज इन कुछ चीजों ने आपकी सरकार का पलड़ा जो पहले ऊंचा था, और ऊंचा किया है। बजट अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। उसको सुधारने के लिये हम बैठ कर आपस में बात कर सकते हैं। और कोई समस्याएं हों उनका निदान निकाल सकते हैं, मगर जब दिन निकालने की नीयत होवे तब कुछ नहीं कहा जा सकता।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संवेदनशीलता आपमें रहनी चाहिये। कोई ऊंचे दर्जे के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति संवेनशील नहीं होगा तो कभी भी लोकानुरंजन नहीं कर सकता। आपकी एक पोलिटिकल पार्टी हैं। उस पोलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम होगा, उसकी फिलासाफी होगी उसके दिशा-निर्देश होंगे। यह इतनी छपी हुई किताब क्या दिशा-निर्देश देती है ? यह खाली क्लर्कस का भेजा हुआ, सैक्रेटरीज का देखा हुआ, कटिंग करके चिपकाया हुआ एक दस्तावेज है, जिसकी रिवाज पूर्ति आपको करनी थी वह आपने कर दी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जितना भी सम्भव हो सका है, हमने आपको कोआपरेशन दिया है। आप यह नहीं कह सकते कि आपने ज्यादा समय बिठाने की कोशिश की हो और हम नहीं बैठे आपके बिल पास नहीं किये, आपने कोई प्रोग्राम रखे उनको पास नहीं किया। अपनी ओर से हमने सम्पूर्ण सद्भावना किस काम आयी ? क्या परिणाम निकले उसके ? परिणाम यही है कि राजनैतिक दृष्टि से हम लोग कमजोर हुये ! आज कोई मिनिस्टर यह नहीं कह सकता, अखबार खोलो तो यह पाओगे कि श्री भाटीजी की चिट्ठी यह आयी है, अमुक साहब की चिट्ठी यह आयी है। दो मिनिस्टर के इस्तीफे हो गये, चार मिनिस्टर्स के इस्तीफे हो गये। पोलिटिकल पार्टी है डिफरेंसेज होते हैं। मगर क्लीयर होना चाहिये कि क्या डिफरेंसेज हैं। या तो श्री भाटीजी के बारे में ही कहूं कि श्री भाटीजी की आदत कुछ दबाव देने की अथवा ब्लैकमेल करने की हो गयी है जिससे परेशान

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिदेव जोशी)

हैं मुख्य मंत्रीजी अथवा फिर श्री भाटीजी के रोजमर्रा टेलट्विस्टिंग होता है जिससे उनको परेशानी होती है और भागे-भागे आते हैं। जो चर्चाएं चलती हैं मिनिस्टर के बारे में, अच्छा नहीं लगता।

आज अनाज के भाव कहां जा रहे हैं? दूसरी चीजों के भाव कहां जा रहे हैं? आप कह सकते हैं कि केन्द्रीय बजट इसके लिये जिम्मेदार है। एकहद तक है। आपने प्रधान मंत्रीजी को आमन्त्रित करके बाड़मेर में नये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और बूस्ट-अप करने के लिये एक आयोजन रखा। बहुत अच्छा किया। मगर उसके बाद? वही ढाक के तीन पात। आपने नया क्या किया? आपने यह किया कि जिन को-आपरेटिव सोसाइटीज के पास काम था उनसे ले लिया और लेकर के अपने किसी आदमी को दे दिया। सोसाइटीज को फाइनेंस करती थीं बैंक। छोटा महाजन है, छोटा व्यापारी है उसकी एक बोरी खरीदकर पैसा चुकाकर ले जाने की हैसियत नहीं होती है। जितना भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कायम किया हुआ है, यह चला आ रहा है। जब महंगायी होती है थोड़ा बहुत उसमें वो कर लेते हैं, नाम ले लेते हैं और भाव ठीक हुये नहीं कि फिर ये सोसाइटीज डैड रहती हैं। मेरा निवेदन यह है कि इन सब चीजों को देखने की कोशिश कीजिये। आखिर मंत्री-गण इस बात के लिये तो नहीं हैं कि मैं किस से छोटा हूं मैं किस से बड़ा हूं, मेरा कितना चलता है मेरा कितना नहीं चलता। इन चीजों को देखें।

मुख्य मंत्रीजी, आपने जब यह पद ग्रहण किया तब भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही थी। उसके लिये आपने कुछ प्रयत्न भी किये। किसी प्रयत्न में आदमी सफल भी होता है किसी में असफल भी होता है, उसकी नीयत साफ होनी चाहिये। उसकी नीयत अगर साफ नहीं है तब वह गुनाह होता है। आज हम सुनते हैं सैक्रेटरीज फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर एक प्रकार की काई जम गयी है और दो तबके हैं वे दोनों दूर के दूर भागते हैं। कोई एक-दूसरे पर विश्वास नहीं करता। और छोड़ दीजिये, अब तो डिपार्टमैण्ट्स के अन्दर हो गया है कि यह अमुक का आदमी है और यह अमुक का आदमी है।

आप देखिये, साम्प्रदायिकता के बारे में आपका पहला पैराग्राफ है। उस पहले पैराग्राफ को ही आधार मानकर आप बतला सकते हैं कि रायट के कितने केसेज में कितनों को सजा हुई? जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर हाथ डाला गया? आपने इसको पब्लिक किया कि किनको आप गुनाहगार मानते हैं और किनको नहीं मानते हैं? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पुराने जमाने में जिन लोगों को आप बहुत बुरा कहते थे वे बहुत नजदीक हैं। ठीक है, उस आदमी में इतनी अक्ल है कि उसके बारे में जो छाप आपके ऊपर थी अथवा आम जनता में थी उसको वह मिटा सका और आपका वह हो सका। मगर आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि आपकी मिनिस्ट्री की हालत क्या है। जिस समय मैं आया था, और मंत्रिमंडल बनाया था तब बड़ा मंत्रिमण्डल बना था। उस समय आपने कहा था "अली बाबा चालीस चोर" वह कहानी मुझे याद आती है। अब आप क्या कहेंगे? आप अपने मंत्री-

(श्री हरिदेव जोशी)

मण्डल के बारे में क्या कहेंगे ? आप यह मत सोचिये कि उनके मन की बातें केवल आप ही जानते हैं, हम नहीं जानते । मगर गवर्नमेंट की क्रेडीबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं आपकी पार्टी के बारे में ।

श्री हरिदेव जोशी : आप जानते होंगे, इसमें दोराय नहीं । जो पालिटिक्स में है वह जानता ही होगा । जानना चाहिये भी, नहीं जानते हैं तो राजनीति में रहने के योग्य नहीं हैं ।

मैं यह कह रहा था कि आपको मालूम है क्योंकि आज कितने मिनिस्टर्स पर मुकदमे चल रहे हैं ? गृह मंत्रीजी, आप मुझे बतला सकते हैं ? बताइये, करेक्शन कर लीजियेगा । क्यों होते हैं ? (व्यवधान) ... ।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : जिनको अभी हटाया है, उनके बारे में तो बताइये ।

श्री हरिदेव जोशी : भारतीय जनता पार्टी के दो, मैं श्री दिग्विजय सिंहजी की टीम की बात नहीं करता, वह कोई टीम ही नहीं है । एक सिद्धांत के, एक विचार के वे लोग नहीं हैं । मगर भारतीय जनता पार्टी तो वेल रेकग्नाइज्ड है । क्या आपके लिये यह आवश्यक नहीं था कि इन दो ने किस कारण से इस्तीफा दिया उससे सदन को अवगत कराते । उन लोगों के बारे में गलतफहमी फैलती जाये और वे लोगों की निगाहों में गिरते जायें और आप कुर्सी पर बैठकर, उनके नेता हो, यह भी वह करते जायं ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वह मेरी आदत नहीं है, परन्तु लगभग दस बारह मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ संगीन मुकदमें हैं वे अदालतों में हाजिर नहीं होते, वारन्ट निकालने की बात होती है । इन सब बातों ने आपकी पार्टी की इमेज को खराब किया है । इसलिये नहीं किया है कि आप कहां स्कूल खोलते हैं और कहां नहीं खोलते, कहां अस्पताल खोलते हैं और कहां नहीं खोलते । जनता एक प्रकार से ऊब गई है ।

एक माननीय सदस्य : बांसवाड़ा में खोलें ।

श्री हरिदेव जोशी : वहां तो आप खोलेंगे नहीं ।

मैं ऐसा समझता हूं कि यह ऐसा पहलू है, जिसको समझने की आपको आवश्यकता है । आप कोशिश करते हैं, ठीक है, परन्तु जब तक वह सारा बूमरैंग करके आपके ऊपर जा पड़े तब जाकर आप महसूस करें, यह कोई बात नहीं । आप यदि मुझसे चाहेंगे, तो मुझे जो जानकारी है वह मैं आपको दे दूंगा वैसे वह सारी चीजें अखबारों में छप चुकी हैं ।

श्री भैरोंसिंह जी, एक जमाना था, आप इधर बैठते थे और आपकी निगाहें यों रहा करती थीं, आज सीमित क्यों हो गई ? वह सीमित क्यों हो गय है ? देखिये जितना आप विचार-विमर्श करेंगे उतना आप पायेंगे और जितना आप उसको अपने अन्दर दबा कर रखेंगे तो वह आपको भी विस्फोट करेगा और सबको विस्फोट करेगा । मेरे ख्याल से यह प्रदेश आज कठिन परिस्थितियों

(श्री हरिदेव जोशी)

से गुजर रहा है। अभी आप पीने के पानी की बात कर रहे थे। मिनिस्टर साहब जवाब नहीं दे पा रहे थे। अजमेर ऐसा क्षेत्र है, उसकी अमुक रैयत के अन्दर पानी की किल्लत है। जो प्रोग्राम बना था उसके अनुसार अब तक अजमेर में पानी पहुंच जाना चाहिये था। ब्यावर में मैंने पहुंचा दिया था। उदयपुर की जयसमद की स्कीम को ... (व्यवधान)....

श्री जगजीतसिंह (किशनगढ़) : किशनगढ़ में नहीं पहुंचाया।

श्रीमती सुमित्रासिंह : नहीं पहुंचाया, तभी तो यहां बैठे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आज जो भी कहें। आज कोई भी गांव के अन्दर क्योंकि जिम्मेदार आदमी नहीं है हैण्ड पम्प खराब हुआ तब भी पानी नहीं मिलता है, बावड़ी खराब हुई तो भी पानी नहीं मिलता है। सैंसेटिविटी इसको कहते हैं कि आपको उतावलापन होना चाहिये। आपको यह होना चाहिये कि कितनी जल्दी और कैसे इस सारे कार्य को करायेंगे। वैसे मैं अहमियत नहीं देता, इलैक्शन के अन्दर लोगों में भावनाएं भरने के लिये और वोट पटाने के लिये भाषण दिये जाते हैं। आप भी देते हैं और हम भी देते हैं। मगर आपने अपने भाषण में कहा कि जोशीजी और श्री माथुर साहब ने मिल कर जितना काम किया है उससे ज्यादा काम मैंने कर दिया है। सुश्री गिरिजा व्यास उस समय थी। मैंने हंस कर उनसे कहा कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिये कि श्री भैरोंसिंह जी और मैं क्वेश्चन-आंसर के रुप में सेशन कर लें टेलीविजन पर और राजस्थान की जनता जो फैसला करे वह फैसला हो जाय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हो जायेगा। (व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : तैयार हो क्या ? फैसला चुनाव होगा।

श्री अध्यक्ष : आज जो हो रहा है उसको तो सुनिये आप। यह हो रहा है शान्ति से सुनिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, इसके बाद तो चुनाव होना चाहिये।

डा. चन्द्रभान : यह तो आपके कारण से हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद में वह भी होगा। मतदान भी हो जायेगा, सब हो जायेगा।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विकास को आप आधार मान कर चलते हैं तो विकास चारों तरफ होना चाहिये। आप एक जगह एक प्रकार की पालिसी अख्तियार करें और दूसरी पालिसी अख्तियार करें यह गलत चीज होगी। जब आप विरोध पक्ष में थे तब हमसे सवाल करते थे। बिजली का दो पैसा बढ़ाया था हमने, एग्रीकल्चर पावर के लिये 2 पैसे बढ़ाये थे। आपने इतना जबर्दस्त विरोध किया था उसका, कितने लोग जेल में गये थे। श्रीमती सुमित्रा बहन ने भी कोई कमी नहीं रखी थी परेशान करने में। परन्तु मैंने उसकी कभी आपको शिकायत नहीं की, कभी आपको यह नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? आप विरोध पक्ष में थे, आपका कर्तव्य था कि आप लोक जागरण करें और हमारे बारे में अगर कोई गलतियां हों तो दूर करने की कोशिश करें।

(श्री हरिदेव जोशी)

मैं पूछना चाहता हूं कि आपके मुख्य मंत्री बनने के बाद में किसान को कितनी राहत दी गई बिजली के अन्दर.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर ।

श्री हरिदेव जोशी : आप किसान को ऊंचा उठाने की बात करते हैं . (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हरिदेव जोशी : किसान के विकास का साधन पानी है । उसके लिये आपने एक स्कीम तो यह निकाली कि जो तत्काल पैसा भर देगा उसको तुरन्त बिजली मिल जायेगी । ऐसा था न ? कितने लोगों के पैसे जमा हुए और कितने लोगों को कनेक्शन मिल गये ? कुछ अन्दाजा है आपको ?.... (व्यवधान).... अब जब उस स्कीम को आपने अबन्डन कर दिया था तो रुपया वापस क्यों नहीं पहुंचाया ? उसका पैसा ले लिया और उसको बिजली नहीं दी, यह आपकी सैंसेटिविटी है ? .... (व्यवधान) ....

श्री रामनारायण विश्नोई : 90 प्रतिशत लोगों को कनैक्शन दिये हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : आपको बैचेनी क्यों नहीं होती है ? .... (व्यवधान) ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर । कृपया शान्ति से सुनिये ।

श्री हरिदेव जोशी : जो काम नहीं हो सकता है उसके लिये जनता कभी आग्रह नहीं करती है । जनता यह जानती है कि आज हवा क्या है ? आज तो बिजली के बाबत कहना उचित ही नहीं है मगर आपने काफी वह किया है, क्या आप मुझे बतला सकते हैं कि कितनी मेगावाट पावर आपने नई जनरेट को अपने कार्यकाल के अन्दर मैं यह पूछ रहा था कि आपके कार्यकाल के अन्दर कितनी मेगावाट नई पावर जनरेट हुई है ? जिन लोगों से पैसे लिये थे उसके मुकाबले में आंसू पोंछने का काम खाली हमारा है, आपका नहीं है ? अगर आप यह मानते हैं तो आज आप दुरुस्त कीजिये कि जिन लोगों से पैसे वसूल किये हैं और बिजली नहीं पहुंचाई गई है उनके घरों के ऊपर एक हफ्ते के अन्दर पैसा वापस रिफंड कीजिये मय ब्याज के·· (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पैसा नहीं कनेक्शन दीजियेगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : बिजली दे नहीं सकते हैं पैसा वापस कर दें बस ।

श्री हरिदेव जोशी : बिजली दे नहीं सकेंगे । यह बिजली दे नहीं सकते हैं व्यर्थ की बात का कोई अर्थ नहीं है । मैं कहता हूं कि आज आप घोषणा कीजिये पैसा वापस कर दीजिये मय ब्याज के तो आपने न्याय किया है, यह मैं मानूंगा । वरना मैं यह समझूंगा कि एक प्रकार का तरीका है यह तो लोगों को + + +बनाने का ।

एक बड़ा सवाल मेरे सामने आया है । मुख्य मंत्रीजी, लोगों ने कई रिप्रजेन्टेशन दिये है । वह यह हैं कि इन्जीनियरिंग कालेज और मेडिकल कालेजेज के अन्दर दूसरी जगह भरती हुए लोगों को यहां पर लाया गया है । हैल्थ मिनिस्टर साहब अगर यहां होते तो मेहरबानी करके बतला देते कि कितने लोगों का माइग्रेशन स्वीकार किया

+ + +शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री हरिदेव जोशी)

गया है ? क्या यह कानून सम्मत है ? हमसे मिलने-जुलने वाले आदमियों को मदद पहुंचाने की इच्छा होती है, जितना अपने से हो सके उनकी मदद करनी चाहिये, मगर हमने यहां शपथ ली है कि बिना किसी भेद-भाव के काम करेंगे। यह उसका खण्डन है। पिछले दरवाजे से अमुक मिनिस्टर का अथवा मुख्य सेक्रेटरी का लड़का तो आकर जयपुर में बैठ जाय और दूसरे लोग बाहर टक्करें खाते रहें। आज कई दिनों से मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज के स्टूडेन्ट्स घूमते फिर रहे हैं। आपसे भी मिले थे। आपतो सबको बैठा देते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खुद के ही नहीं हैं।

श्री हरिदेव जोशी : बैठा देते हो आप सबको।

श्री भैरोंसिह शेखावत : खुद के नहीं हैं।

श्री हरिदेव जोशी : बहुत गड़बड़ हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, संकट टल जायेगा।

श्री हरिदेव जोशी : आखिर क्या बात है कि एक आदमी के प्रति तो इतने कठोर होते हैं जो नहीं होना चाहिये और दूसरे के प्रति इतने लिबरल होते हैं। अगर कानून सम्मत होता और आप 20-21 कर देते तो मैं कुछ नहीं कहता, मगर कानून के विपरीत एकदम हलाहल करें आप, यह नहीं होना चाहिये। सुनते हैं कि कुछ लड़के डोनेशन देकर महाराष्ट्र और बैंगलोर के अन्दर वहां पर भरती हुए और उनको माइग्रेट करके यहां लाने की व्यवस्था कर दी गई। श्री चतुर्वेदीजी ने तो इसको हैण्डल किया है, बता सकते हैं आप यह सही है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (स्वास्थ्य मंत्री) : क्या....(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : माइग्रेशन, आप नहीं कहते, आपको असुविधा है, मुझे मालूम है....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे, मेरा विभाग भी नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे मालूम है। आप बैठे हों चाहे आप बैठे हों, आप जवाब नहीं दे सकेंगे। इस प्रकार की चीजों से सरकार की इमेज गिरती है। सब कुछ हो सकता है, यह तो सब ऐसा ही है सब कुछ हो सकता है करने वाला चाहिये। लोग जैक की बात करते हैं, जैक होना चाहिये। अभी यहां जूडिशियल आफिसर्स के इण्टरव्यू हो रहे हैं। मेरे यहां से भी दो-चार आदमी आये और मुझ से कहा कि साहब वो करवा दें, मैंने कहा कि हो नहीं सकता। उसमें हाईकोर्ट के जजेज बैठते हैं, उनको कहना अशिष्टता है और यह सम्भव नहीं है। कहने लगे क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मैं गरीब हूं पैसा नहीं दे सकता इसलिये नहीं हो सकता मेरा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह गलत है।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं होना चाहिये न ऐसा। यह इम्प्रेशन हम लेकर घूमते हैं इसलिये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह सही मानते हैं कि जो जजेज सलेक्शन कमेटी में बैठे हैं They can be purchased,

श्री हरिदेव जोशी : मैंने तो सुझाव देकर के रवाना कर दिया ना। मैंने तो कहा कि वहां पर जजेज बैठते हैं वहां कोई सम्भावना नहीं है और इसलिये आप मुझे प्रेशराइज मत कीजिये। मैंने उनको कह दिया आज हमारी रेपुटेशन यह हो गई any thing can be done. मैं आपसे कहता हूं कि आपके ऊंचे से ऊंचे अधिकारी से लेकर के और चपरासी तक इनसिक्योर फील करता है ऐसा क्यों है? यह डिस्गस्ट क्यों आया? मैं आशा करता हूं कि इसको आप देखेंगे। जो मिनिस्टर सेक्रेट्री के नोट के ऊपर डिसेंटिंग नोट दे सके, यह क्षमता रखता हो तब जाकर के वह उसको अपना बास मानता है। मेहरबानी करके ऐसी स्थिति पैदा कीजिये कि जिससे राजनीतिक पार्टियों के लोग कमजोर निगाह से न देखें।

मुझे कई बातें कहनी थीं मगर टाइम बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कह कर के इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे काम कीजिये जिससे पीड़ित आदमी हैं वह राहत महसूस करें। साम्प्रदायिकता केवल यह नहीं है कि कोई हिन्दू मुस्लिम राइट हो, साम्प्रदायिकता वह भी है कि हम नफरत पैदा करते हैं और भय पैदा करते हैं। इसमें आपको जितना लोगों का सहयोग चाहिये उतना लीजिये और यह कोशिश कीजिये कि जो स्कार राजस्थान में है वह जल्दी ही हिल अप हो जाये अन्यथा यह लोग बंटे हुए ही रहेंगे। घटनाचक्र बहुत तेजी से घूम रहा है तो इस तेजी से घूमने के कारण किस समय हम सोते हुए पकड़े जायेंगे उसका कोई अन्दाज नहीं है।

मैं यह निवेदन कर रहा था थोड़ा रिपीटेशन हो जायेगा जिन लोगों को बहुत पीटा और तंग किया जिसके कारण से उनकी मौत हो गई है पुलिस कस्टडी में, आप मजिस्ट्रेरियल इनक्वायरी करवाकर के यह हमको सूचित कर दें कि बगैर पीटे मरा है। आज यह क्या हो रहा है कोई पूछने वाला नहीं है डारी डेथस् और दूसरे इस प्रकार के किस्तों के अन्दर सरकार एक पार्टी बन जाती है और सात बार फाइलें अमुक के पास उधर, अमुक के पास इधर चली जाती हैं। साल भर वैसे ही निकल जाता है। उसके बाद में उन माता-पिताओं में या दूसरों में यह हिम्मत नहीं रहती है कि वह कुछ कह सकें, कुछ कर सकें। शासन के ऊपर बैठा आदमी हमेशा अवेलेबल होना चाहिये कारण कि इतने बड़े इलाके को पार करके वह यहां आता है, जिसके पास में खाने को अनाज नहीं है वह अपनी रिलीफ के लिये आता है और उनको कोई मिलता नहीं है रिलीफ देने वाला तो हमारा ही उसके अन्दर कुछ न कुछ दोष होगा यह सम्भव है।

आजकल यह बीमारी बढ़ रही है कि पोस्टिंग हुआ, मन्जूर कर लिया और फिर टीचर्स स्कूलों में नहीं जाते हैं। सब्जेक्ट टीचर्स की दो-दो साल से उनकी जगह खाली पड़ी हैं मगर उनकी पूर्ति नहीं होती है। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर ऐसी जगह हैं जहां सब्जेक्ट तो खुल गया मगर टीचर्स नहीं हैं। आज बड़ा टफ कम्पीटीशन का युग हो गया है। इन सरकमस्टान्सेज के अन्दर आप कैसे आशा कर सकते हैं कि गांव का लड़का निकल कर के बाहर आएगा।

(श्री हरिदेव जोशी)

हम किसानों को मदद करने की बात करते हैं और इतना परसेंट बजट इसके लिए अलाट किया जा सकता है और यह किया जाना चाहिये आप सोचते हैं। वह बजट क्या करेगा ? अगर हममें नम्रता नहीं है। इस सिस्टम में वह तो हमेशा जैसे पीड़ित रहा था वैसे ही पीड़ित रहेगा। तो मैं आपको एक बार फिर निवेदन कर दूं कि धन्यवाद का भाषण आपने यहां रखा है, इस भाषण के अन्दर जो चीजें आनी चाहिये थी वह तो आई नहीं और अनावश्यक चीजों को दे दिया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

माननीय मुख्य मंत्रीजी।

(1 00 म. प.)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सन्दर्भ में प्रस्तुत धन्यवाद भाषण पर विचार विमर्श में भाग लिया, मैं विपक्ष के नेता का भी आभारी हूं कि कई विषयों पर आज उन्होंने मार्गदर्शन दिया।

अध्यक्ष महोदय, मोटे रूप से यहां पांच बातों पर चर्चा हुई है। पंचायतों के चुनाव नगर पालिका के चुनाव, सहकारी समितियों के चुनाव, दूसरी चर्चा अकाल पर हुई। अकाल की चर्चा के साथ-साथ भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई। विकास के कार्य नहीं हुये यह भी आरोप लगाया गया। यह सब बातें कहने के साथ-साथ लोक सभा के गत चुनावों में और विधान सभा के उप चुनावों में जिस प्रकार के परिणाम निकले उसके आधार पर त्याग पत्र की भी मांग की गयी। त्याग पत्र मांगने का आपका अधिकार है। इस अधिकार का आप सदैव प्रयोग करते रहें, मुझे निश्चित रूप से उससे खुशी होगी। भगवान करे आपको यह मौका सदा के लिये मिलता रहे।....

श्री चन्दनमल बैद : हमतो आपको यह मौका देना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कहा गया कि लोक सभा के चुनावों के बाद मुझे त्याग पत्र दे देना चाहिये। जोशीजी को याद होगा 1989 के लोकसभा के चुनावों में जब 25 की 25 सीटों पर कांग्रेस हार गयी और विधान सभा के चुनाव कुछ महीनों के बाद होने वाले थे, तो नैतिक दायित्व उस पार्टी का क्या बनता था ? मैं ऐसा समझता हूं कि जिन लोकसभा की 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हारी, कांग्रेस पार्टी को तुरन्त त्याग पत्र देना चाहिये था। लेकिन त्याग पत्र नहीं दिया।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माथुर साहब ने दे दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब माथुर साहब ने त्याग पत्र दे दिया। मैं ऐसा समझता हूं कि फिर जोशीजी आ गये उसके कारण से 25 की हार का दायित्व नहीं रहा, लेकिन शिवचरणजी को हटाकर जोशी जी आ जायें उस समय जोशीजी को कहना,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहिये था कि शिवचरणजी ने त्याग पत्र दिया वह ठीक है और मैं भी इस समय मुख्य मंत्री नहीं बनना चाहता और यह कहते कि कांग्रेस पार्टी हारी है इसलिये कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि कांग्रेस पार्टी त्याग पत्र देकर नये विधान सभा के चुनावों की तैयारी करें। उस समय तो कोई बोले नहीं, अब यहां पर यह कहा जाये, मैं इस मामले के लिये यह कहना चाहता हूं कि एक बार देश में इस लोकतान्त्रिक व्यवस्था में यदि इस प्रकार की व्यवस्था बन जाये कि लोक सभा के चुनावों में हार के कारण सत्तारूढ़ दल को त्याग पत्र देना चाहिये....

श्री राम किशन : रामकृष्ण हेगड़े ने दिया था आपको याद होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह याद है लेकिन इस कारण से नहीं दिया। इस्तीफा तो बहुत लोगों ने दिया है लेकिन कारण यह नहीं था। वह कारण मैं बताना नहीं चाहता कि किस कारण से त्याग पत्र दिया था। लेकिन इस कारण से त्याग पत्र नहीं दिया। अगर इस देश में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि जिस व्यवस्था में कोई सत्तारूढ़ दल यदि उप चुनावों में पराजित होता है तो उसको त्याग पत्र देना चाहिये इस प्रकार की यदि परम्परा बनती है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री नत्थीसिंह : परम्परा तो बनानी है। आप ही कर दें शुरू।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस परम्परा के निर्माण का समय ठीक है, वह इसलिये ठीक है कि भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न दलों की सरकारें हैं। केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है यदि सारी सरकारें मिलकर यह निर्णय कर लें कि यदि इस प्रकार के उप चुनावों के परिणाम निकलते हैं तो दायित्व सत्तारूढ़ दल का होगा और सत्तारूढ़ दल यदि चुनाव में पराजित होता है तो इस प्रकार का उत्तरदायित्व उनको निर्वहन करना पड़ेगा, मैं ऐसा समझता हूं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मैं जोशीजी आपके ऊपर यह दायित्व छोड़ता हूं कि आप केन्द्र सरकार में प्रधान मंत्रीजी से मिल कर जो इस समय प्रधान मंत्री भी है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं वह इस प्रकार की व्यवस्था के सम्बन्ध में अगुवाई करें और उस अगुवाई के बाद जो कोई परिणाम निकलेगा वह यदि मुझे उसका दायित्व निर्वहन करना है तो मैं निश्चित रूप से करूंगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी के ओपनिंग बैट्समैन श्री देवपुराजी ने कहा कि राज्यपाल तो बहुत अच्छे हैं, भाषण अच्छा नहीं दिया। मैं ऐसा समझता हूं कि राज्यपाल और भाषण के बीच में यह भेद-भाव पैदा करने की कोशिश क्यों की गयी है। अब आप भी जानते हैं कि भाषण के एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने मेरे विरुद्ध एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय को दिया और उसमें कहा कि मुख्य मंत्री को बर्खास्त किया जाय। मैं नहीं समझता कि जब आपको यह मालूम था कि विधान सभा में राज्यपाल महोदय आयेंगे और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, अभिभाषण

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के ऊपर वोट पड़ेंगे, सत्तारूढ़ दल विजयी होगा और जिन्होंने ज्ञापन दिया है वह पराजित होंगे। यह सब कुछ जानते हुये भी आपने राज्यपाल महोदय से निवेदन किया कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाय। इसका मतलब क्या निकलता है। क्या आपको लोकतन्त्र में विश्वास है? चुनी हुई सरकार के लिये आप इस तरह से राज्यपाल महोदय से बर्खास्त करने की मांग करें, यह किस बात का संकेत है। आपका स्वयं का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अगर मेरे ऊपर आरोप थे, मेरी सरकार के ऊपर आरोप थे, आपको बढ़िया अवसर मिल रहा है विधान सभा में बोलने का, अपने विचार रखने का और उस आधार पर राज्यपाल महोदय को आप कह रहे हैं कि जिस सरकार के भाषण को आप कल पढ़ने जा रहे हैं, उस सरकार को बर्खास्त कर दो। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार की प्रवृत्ति से पंजाब में बादल सरकार को बर्खास्त किया गया, बरनाला सरकार को बर्खास्त किया गया, यह उसी का परिणाम है कि पंजाब में आज इस प्रकार की हालत बनी हुई है। भगवान की कृपा से जनता का अधिकार छीनने की कोशिश मत करो, जनता ने हमें सरकार दी है, हम कोई भीख से मांग कर नहीं लाये, जनता ने हमें यहां भेजा है। यह अधिकार जनता का है। करोड़ों की जनता ने यह सरकार चुनकर भेजी है, उस सारी जनता के अधिकारों पर कुठाराघात करने के लिये आप राज्यपाल को अधिकार देना चाहते हो....

श्री हीरालाल देवपुरा : जनता ने आपको कहां अधिकार दिया है? यह अधिकार दिया है? यह अधिकार तो उन्होंने दिया है जो आपके 85 लोग बैठे हैं। आपने जो गलत गठजोड़ करके सरकार बनाई है, जनता की भावना के अनुरूप नहीं है (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे बोलने तो दो।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फारमेशन। मुख्य मंत्रीजी का भाषण हो रहा है, जवाब हो रहा है और अभी-अभी विधान सभा के सामने कच्ची बस्तियों के 3000 लोगों पर हैवी लाठीचार्ज हुआ है और आप सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं? सरकार सरकार के रूप में काम नहीं कर रही है।....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी के भाषण में हस्तक्षेप नहीं किया। मैं यह आशा करता हूं कि जिन्होंने सुनाया है, वे कम से कम सुनने की क्षमता तो रखें।.. (व्यवधान) मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस विधान सभा के माननीय सदस्य जनता के अधिकारों को राज्यपाल के हाथों में देना चाहते हैं और राज्यपाल के हाथों में यदि यह दे दिया तो लोकतंत्र की क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान लगा सकते हैं? मैं इसीलिये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि राज्यपाल तो अच्छे हैं और भाषण उनका खराब है, इसका मतलब राज्यपाल की गरिमा घटाने की आपने कोशिश की है।

श्री हीरालाल देवपुरा : सम्भवतः

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आपने भाषण को पढ़ा नहीं है या आप भूल रहे हैं। मैंने कहा कि राज्यपाल का सदन में आने पर स्वागत करते हैं। अच्छे-बुरे की बात मैंने किसी के लिये नहीं कही। लेकिन जो अभिभाषण उनके मुंह से दिलवाया जा जा रहा है इस सरकार के माध्यम से, उसका मैं विरोध करता हूं। पहले पढ़ लेते तो अच्छा होता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात वही की वही है।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह नहीं है। एकदम फर्क है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत मुझे बोलने दीजिये आप।

श्री हीरालाल देवपुरा : भैरोंसिंह जी अच्छे हैं, बुरे हैं, वह नहीं कहता। मैं कहता हूं कि भैरोंसिंहजी के यहां आने का स्वागत करता हूं लेकिन जो कुछ कह रहे हैं मैं उसका विरोध करता हूं। There are two different things.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब आप राज्यपाल को अच्छा नहीं मानते।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह आपका इन्टरप्रिटेशन है। आप यह भावना फैलाना चाहते हैं, यह उनको बताना चाहते हैं कि यह कांग्रेस आपके लिये क्या सोचती है? यह आपका सोच है और आपकी यह आदत रही है कि कहां किस प्रकार से मिसगाइड किया जाय?

श्री हरिदेव जोशी : आप चीजों को टवीस्ट करते हैं। विषय को इधर-उधर कर देते हैं और बात का जवाब नहीं देते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : पानी पीने का मौका ढूंढ लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हू कि लोकतंत्र की व्यवस्था में गवर्नर का महत्वपूर्ण....

श्री हरिदेव जोशी : माफ कीजियेगा, हारने के बाद इस्तीफा देने की यह स्थिति आपने पैदा की थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसी ?

श्री हरिदेव जोशी : जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, चौधरी चरणसिंह जी गृह मंत्री थे और मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे, उस समय हमारी सबकी सरकारों को आपने भंग कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जोशीजी को स्मरण होगा कि हम सब लोग मीसा में बंद थे। विधान सभा के चुनाव 5 वर्ष के लिये हुये थे, आपने उनको 6 वर्ष का कर दिया। नयी सरकार आयी, उसने 6 को 5 वर्ष कर दिया। भंग करने का सवाल कहां पैदा हुआ। आज हम अगर गल्तियां करते हैं, सरकार अनपापुलर होती है, जन सेवा के काम नहीं करती है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी, विधान सभा का कार्यकाल तो नहीं बढ़ा था... (व्यवधान) विधान सभा का नहीं बढ़ा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को यदि अवसर मिलता है सरकार की आलोचना करने का, सरकार की कमियां बताने का, तो इसका निश्चित रुप से अगले चुनावों के परिणामों पर असर पड़ेगा या मौका हाथ से खोना चाहते हो और सीधे कहना चाहते हो कि सरकार को बर्खास्त किया जाय। मैं समझता हूं, इस प्रकार की मांग करना लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है, इससे कोई कम नहीं हो सकता।

श्री हरिदेव जोशी : लोकतंत्र में बिना किसी डर के, भय के कोई आदमी यह कह सके कि यह सरकार +++ है, इसको हटाओ, वही लोकतंत्र है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां यह कह सकते हैं लेकिन राज्यपाल को नहीं, पब्लिक को कह सकती है। आप पब्लिक में जाइये, यह कहिये कि सरकार +++ है, इसको हटाओ लेकिन राज्यपाल को जाकर के यह कहे कि सरकार को हटाओ। और जोशीजी, और किसी के लिये शोभा की बात हो सकती है, जोशीजी आपके लिए नहीं हो सकती।.... (व्यवधान)....

श्री हरिदेव जोशी : यह बात करके आप करना चाहते हैं, यह सम्भव नहीं है। मैं एक पार्टी को रिप्रजेन्ट करता हूं और और पार्टी जो महसूस करती है, वह मैं कहता हूं। आप मुझे यह कहकर बहलाने की कोशिश मत कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरे से बहक जाये, ऐसी भूलने की बात मैं भी नहीं कह सकता। आप बहकने वाले नहीं है, यह बिल्कुल सही है। लेकिन लोकतंत्र की कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं से बाहर जाने का प्रयत्न यदि हम करेंगे तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर पंचायत चुनावों को विशेष रूप से जिक्र किया है कि पंचायत चुनाव नहीं कराये, ये नहीं करायें। यहां पर यह भी कहा गया है कि विकास के काम नहीं हुये। जोशीजी आपको जानकारी होगी लेकिन सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि पहाड़िया जी के शासन में, जब वे मुख्य मंत्री थे 1980-81 में और 1981-82 में, 333 करोड़ रुपये की योजना थी जो बढ़कर 340 करोड़ रुपये हो गई। केवल दो प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई है। माथुर साहब के राज में, 1982-83 से लेकर 1984-85 तक, 340 करोड़ रुपये की योजना....

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपकी बात को समझ गया। आप मेहरबानी करके यह बताइये इसमें गवर्नमेंट आफ इण्डिया का कन्ट्रीब्यूशन क्या था। आप गवर्नमेंट आफ इण्डिया का पैसा लेकर के, मैंने कहा कि चिट्ठी लिखी है कि पैसा दे रहे हैं आप उठा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जवाब दे दूं, फिर आपका भी जवाब दूंगा। मैं आंकड़े बता दूं। यह आपके लिये शायद इंकन्वीनियंट हो सकता है।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री हरिदेव जोशी : यह हर एनुअल प्लान के लिये होता है, उसमें इन्क्रीज होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वही बता रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : हां, तो क्या बतायेंगे ? सब जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोशीजी, आपने बताया, वही मैं बता रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : क्या बतायेंगे, सब जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने क्या बताया वह भी सब जानते हैं। मुझे बोलने दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि जोशीजी का नम्बर आने लगा तो रोकने लगे। आपके शासन में 1985-86 से 87-88 तक 430 करोड़ रुपये से बढ़कर 645 करोड़ रुपये की योजना बनी। आपके शासन में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह मैं स्वीकार करता हूं। अध्यक्ष महोदय, 1990-92 में, इन दो वर्षों में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब इसमे समझता हूं कि आंकड़े मैंने तो बनाये नहीं लेकिन....

श्री प्रेमसिंह दहिया : केन्द्र सरकार ने ज्यादा पैसा दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं इसलिये कहना चाहता हूं....

श्री हरिदेव जोशी : स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मंत्रीजी, यह भी बताइये कि फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन में 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उसके लिये भी आपको शाबासी दी जाय ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और अकाल में जो कम पैसा मिला है, उसके लिये भी आपको शाबासी दी जाय ?

श्री चन्दनमल बैद : नहीं दी जाय। पहली बार नेच्युअरली केलेमटी फण्ड बन या गया है, वह दूसरी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अकाल में जहां 124 करोड़ रुपये एक साल में मिल रहा है, उसे हम 650 करोड़ रुपये लिये थे, वह भी आप ही का कारण है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय आप सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान काफी पीछे रह गया। अध्यक्ष महोदय, जोशीजी ने भी कहा, माथुर साहब ने भी कहा, मैं भी प्रयत्न कर रहा हूं कि जिस गाडगिल फार्मूले से हमे केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती है, उस गाडगिल फार्मूले में कोई न कोई परिवर्तन हो। इस गाडगिल फार्मूले के कारण से राज्यों में विशेष अन्तर पैदा हो गया है। कई राज्य पीछे रह गये और कई राज्य आगे बढ़ गये। अब आगे और पीछे का संतुलन नहीं बना तो इस देश में इस प्रकार की हालत होगी कि जिस हालत के कारण जो पीछे है, वह पीछे चले जायेंगे और जो प्रोस्पकस है, वह और प्रोस्पकस हो जायेंगे। उसका एक उपचार है कि राज्य की प्रति व्यक्ति पर केपिटा इन्वेस्टमेंट है, उसकी मात्रा बढ़ाई जाय।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, यह सौभाग्य मुझे ही दो बार मिला। मैं जब 1977-80 में राजस्थान का मुख्य मंत्री था, उस समय पहली बार आल इण्डिया एवरेज था बड़े राज्यों का, उससे ज्यादा बढ़ कर राजस्थान में विनियोजन हुआ। यह पहला मौका है और दूसरा मौका भी आज मैं आपको कहता हूं कि बड़े राज्यों का औसत 310 प्रति व्यक्ति योजनागत व्यय है और इस वर्ष राजस्थान की 319 है। यह भी राजस्थान को ही दूसरा मौका मिला है। अब आप यह कहें कि भारत सरकार से आप पैसा लाये हैं। लाये होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको मौका नहीं था भारत सरकार से पैसे लाने का ?

श्री हरिदेव जोशी : हम भी लाये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी लाये हैं तो पीछे कौन रहा ? (व्यवधान) अब आप पीछे रह गये उसका दोष मेरे पर और मैं आगे निकल गया उसका भी

(1.20 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दोष मेरे पर। न आपका दोष है न मेरा दोष है। आज भी राजस्थान को पैसा मिलता है, वह राजस्थान में किस प्रकार से खर्च हो उसकी व्यवस्था है। राजस्थान में पूंजीगत व्यय ज्यादा बढ़े ताकि आगे बढ़े हुए राज्यों की तुलना में हम भी आ सकें और राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैंने इसलिये कही कि विकास के काम हैं। अब उपाध्यक्ष महोदय, यहां कहा गया कि कोई काम नहीं हुआ। अब यह सारा असेसमेंट करती है भारत सरकार, मैं तो करता नहीं। 20 सूत्री कार्यक्रम में राजस्थान पहले नम्बर पर आया। काम नहीं करता तो कैसे आता ? उपाध्यक्ष महोदय, जवाहर रोजगार योजना के कार्यक्रम में 1991 में राजस्थान प्रथम नम्बर पर आया। अगर काम नहीं करता तो कैसे आता ? उपाध्यक्ष महोदय, वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिन्दुस्तान में राजस्थान का दूसरा नम्बर रहा। यदि काम नहीं होता, पेड़ नहीं लगते तो किस प्रकार से इसका आंकलन होता ? उपभोक्ता संरक्षण के मामले निपटाने में राजस्थान प्रथम श्रेणी में रहा। तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम राज्यों में रहा। खाद की खपत वृद्धि में देश के प्रथम तीन राज्यों में रहा। ऐसी बात अगर है....

श्री प्रेमसिंह दहिया : फर्जी आंकड़े पेश करने में भी रहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है। यदि फर्जी आंकड़ों से प्रभावित हो जाय तो वह सरकार तो फर्जी साबित हो गई। लेकिन अपनी सरकार पर आरोप मत लगाओ। मैं यह बात इसलिये कह रहा था कि बार बार इस बात की चर्चा की गई कि किस प्रकार से काम नहीं हुआ, काम के लिये एक पैसा नहीं लगा। आखिर काम हुआ है। काम हुआ है तभी तो नम्बर आया है। यह मैं कह सकता हूं कि मुझे स्वयं को संतोष नहीं है, राजस्थान में जितने विकास के काम होने चाहिये वे नहीं हुये और नहीं हो रहे हैं। इसका कारण है साधन नहीं है

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

और साधन कहां से जुटे, इसकी व्यवस्था पर विचार करना पड़ेगा ।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले पंचायत चुनावों के विषय को लेता हूं । यहां यह कहा गया कि पंचायत चुनाव नहीं कराकर लोकतंत्र की हत्या की गई । बड़ा गंभीर आरोप है । इतना गंभीर आरोप, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी स्मरण शक्ति के अनुसार सबसे पहले चुनाव 1959 में हुये ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इससे पहले भी हुये ।

श्री नत्थी सिंह : पंचायत समितियों के हुये थे ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 1959 में ही हुये । एक-दो पहले हुये थे । पंचायत समिति और पंचायतों के चुनाव सन 1959 में ही हुये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मौजूदा एक्ट में ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : तारीख आपकी मान लूंगा, मुझे बोलने दें । 1959 में चुनाव हुये और उसके बाद 1965 में चुनाव हुये । 1965 से लेकर 1978 तक चुनाव' नहीं हुये ।। 13 वर्ष तक चुनाव नहीं हुये ।

श्री चन्दनमल बैद : पंचायतें भंग नहीं कीं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप मेरी बात तो सुनिये ।

श्री हरिदेव जोशी : आप किस पर आरोप करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अथवा चुने हुये आदमियों के ऊपर ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं दोनों बात बता देता हूं । 13 वर्षों तक आपने चुनाव नहीं कराये और 13 वर्ष तक आपने चुनाव नहीं कराकर आप बता दीजिये कि आपने लोकतंत्र की सेवा की है या लोकतंत्र की हत्या की है ? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, 1965 के बाद 1978 में चुनाव हुये । अब 1978 के चुनाव की बात आप कह रहे हैं कि चुनाव पूरे नहीं हुये । मानता हूं । 1978 में चुनाव हुये केवल पंचायतों के । पंचायत समिति और जिला परिषदों के इसलिये चुनाव नहीं कराये की सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि अशोक मेहता की एक कमेटी बैठी हुई थी और शीघ्र ही इस बात की जानकारी आई थी कि पंचायत समिति और जिला परिषद् का गठन किस प्रकार से किया जाय और उसका इंतजार किया गया । लेकिन लोकतंत्र की आत्महत्या आपका राज आने के बाद में उस समय की जब 1978 के अंदर 5 वर्ष के लिये चुनाव हुये थे और आपने 5 वर्ष की अवधि को घटाकर 3 वर्ष किया और 1983 में पंचायतों को भंग कर दिया । अब उस समय शायद आपको यह नहीं था ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : चुनाव करा दिये थे ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : चुनाव कराये लेकिन 5 वर्ष की अवधि 3 वर्ष की । (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : चुनाव तो कराये थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आपको ध्यान नहीं है तो मैं क्या कहूंगा ?

श्री चन्दनमल बैद : एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त नहीं किये गये थे, आप अपनी बात को सुधारिये । हमने पंचों को घर नहीं बैठाया था और ग्राम सेवकों को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाया था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इसकी अवधि भी 3 साल ही थी, 5 साल नहीं थी । 5 साल की अवधि कभी नहीं हुई थी, 3 साल ही थी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुमित्रा जी, आपको जानकारी नहीं है तो क्यों आप मेरा समय व्ययतीत कर रही हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कह रहा हूं कि उसके बाद में चुनाव हुये । 1985 में चुनाव हुये जबकि अवधि खत्म हो गई थी 1990 में । हमने पंचायतों को भंग नहीं किया, हमने अवधि नहीं बढ़ायी ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पंचायतों के चुनाव 1987 में हुये थे, 1985 में नहीं हुये थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मान सकता हूं ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : 1988 में हुये चुनाव ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपने 5 साल की बजाय 3 साल में ही क्यों कर दिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही तो कह रहा हूं मैं । आपको शायद यह पता ही नहीं है कि 5 वर्ष की अवधि घटाकर 3 वर्ष की अवधि कांग्रेस शासन ने की थी ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप तो बढ़ा सकते थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात सही है कि आप मेरे से उम्मीद करते हैं । अब 1985 में चुनाव होकर 1990 में अवधि खत्म हुयी ।

श्री हरिदेव जोशी : आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है ?

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपसे कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे से तो उम्मीद नहीं, आपने तो पहले उम्मीद की है । एक सरपंच को बना दिया 13 वर्ष तक राज करता रहा । गांव वाले कहते हैं यह मरेगा तभी सीट खाली होगी, सीट ही खाली नहीं होगी । यह हालत आपने लोकतंत्र की कर दी, उस लोकतंत्र के बारे में आप क्या चर्चा करते हो ?

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने बिना मरे ही कर दी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब प्रश्न यह आया कि इन पंचायतों का समय नहीं बढ़ाया । इसके दो कारण हैं । एक कारण

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

तो सबसे बढ़िया यह रहा कि इन पंचायतों का पुनर्गठन हुये बहुत अवधि हो गयी थी। आबादी बहुत बढ़ गयी थी, पंचायतों का आकार कई जगह बहुत बढ़ गया, कई जगह पंचायतों का आकार बिलकुल छोटा रह गया। ड्यूलेशन के अन्दर लोगों में समस्या खड़ी हो गयी। इसलिये एक विचार आया कि इन पंचायतों का पुनर्गठन किया जाय। अब पंचायतों का पुनर्गठन, आप लोग यह कहेंगे कि पंचायत रहते हुये, पंचायत समिति रहते हुये या जिला परिषद रहते हुये भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं, आप कह सकते हैं लेकिन मेरी राय बिलकुल भिन्न है कि अगर ग्रामीण जनता की इच्छा के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन करना है तो बीच की व्यवस्था को हटाना पड़ेगा और बीच की व्यवस्था है प्रधान, बीच की व्यवस्था है सरपंच; बीच की व्यवस्था है प्रमुख। जनता सीधी कहे कि किस प्रकार पंचायतों का गठन करना है।

श्री हरिदेव जोशी : एम. एल. ए. नहीं रहे, लोक सभा के मेम्बर नहीं रहे और चुनाव करा दिये। नहीं करवाने चाहिये।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : इस विषय में आप न हमको गुमराह कर सकते, न इस सदन को गुमराह कर सकते। मैं मानता हूं कि आप गुमराह करने में माहिर हैं लेकिन इस वक्त कोशिश न करिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं जोशी जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं अगर इसी तरह से टोकाटोकी जारी रही, मुझे उसकी चिन्ता नहीं है....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आपके स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना पड़ता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरे स्वास्थ्य का ध्यान मत रखिये। यदि उस कारण से करना है तो करते जाइये।

श्री हरिदेव जोशी : बेसिक इश्यू है, जनियन डिफरेंसेज हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जेनियन डिफरेंसेज आपने जो बातें कहीं उससे मेरे जेनियन डिफरेंसेज आये. मैंने और पार्टी के लोगों को टोका नहीं। अब अगर आप टोकाटोकी करना चाहते हैं तो मैं उसका विरोध नहीं करता लेकिन समय ज्यादा लगेगा और कोई सवाल पैदा नहीं होता।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि चुनाव परिसीमन के सम्बन्ध में जनता की सीधी राय ली जाय या जनता ने जिन लोगों को 5 वर्ष पहले या 3 वर्ष पहले चुना था उन लोगों की राय ली जाय। यह सब जानते हैं कि सरपंच का प्रधान का और प्रमुख का कितना प्रभाव रहता है और उस प्रभाव के कारण जिस तरह का वह चाहता है उस तरह का परिसीमन होता है, जनता चाहती है उस तरह का परिसीमन नहीं होता है। और इस आधार पर पंचों को, सरपंचों को हटाया और परिसीमन की व्यवस्था की। मैं ऐसा समझता हूं, आज माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पंचायतों के चुनाव जल्दी कराओ। परिसीमन की एक कानूनी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के आधार पर कलक्टर ने अपनी कार्यवाही सम्पन्न की....

श्री हरिदेव जोशी : कानून किसने बनाया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कानून तो आपके हैं।

श्री हरिदेव जोशी : परिसीमन के....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परिसीमन के भी कानून वही है जो पुराने हैं।

श्री हरिदेव जोशी : गाइड लाइन जो है आपकी, जिसके आधार के ऊपर आप परिसीमन कर रहे हैं वह हम बना कर गये थे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंचायत एक्ट तो आपका बनाया हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : वह तो है बनाया हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस, तो फिर क्या है।

श्री हरिदेव जोशी : पर परिसीमन की अभी जो आपने गाइडलाइन निकाली है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह गाइड लाइन मैं बता रहा हूं आपको, सारी बातें, मैं कोई छिपाता नहीं इस सदन से....

श्री हरिदेव जोशी : नहीं-नहीं, छिपाने का है क्या, वह सब पब्लिश हो चुकी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनते तो जाइये। मैं सही-सही बात कोई कह रहा हूं, छिपा नहीं रहा हूं उससे आपको परेशानी हो रही है....

श्री हरिदेव जोशी : आप बात को ट्विस्ट करके कह रहे हैं, उसको ट्विस्ट करके....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन कर रहा हूं कि अब इस दृष्टि से पंचायतों का परिसीमन कराने के लिए कलक्टर्स वगैरह से राय ली। कुछ मित्रों ने यह सुझाव दिया कि कलक्टर के ऊपर ही यह सारा काम छोड़ दिया जाय; यह उचित नहीं है। मैंने कहा कि क्या व्यवस्था की जाय तो व्यवस्था के लिये दो सुझाव आये। एक सुझाव विपक्ष की तरफ से और एक सुझाव मेरी तरफ से। मैं वह बात सही-सही कह रहा हूं। जोशीजी का यह मानना था कि इसके लिये कोई एक कमीशन अपाइंट किया जाय और उस कमीशन में पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्य भी हों या नॉन-आफिसियल। मैं इस प्रस्ताव को उचित नहीं मानता, उचित इसलिये नहीं मानता कि किसी भी नॉन-ऑफिसियल का लिंक किसी भी पार्टी से हो सकता है, एक चर्चा का विषय हो, उसकी पर्सनल्टी के खिलाफ भी जा सकता है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता था और न मैंने किया। हमने एक वन मैन कमीशन अपाइंट कर दिया। अब मैं इस सदन पर और जोशीजी पर छोड़ता हूं, एक बात छोड़ना चाहता हूं; यदि आप कह रहे हैं कि पंचायत चुनावों में विलम्ब हो रहा है, लोकतन्त्र की हत्या हो रही है....

डा. चन्द्रभान : वह वन मैन कमीशन कौन सा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी बनाया है. राजेन्द्र जैन। राजेन्द्र जैन डवलपमेंट कमिश्नर।

डा चन्द्रभान : कितने दिन पहले बनाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी, अभी बनाया है। काफी दिन हो गये। नोटिस भी निकल गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि कमीशन की व्यवस्था को आप उचित नहीं समझते, थोड़ा गम्भीरता से सुनिये, कमीशन की बात को उचित नहीं समझते और आप ऐसा मानते हैं कि कमीशन के कारण से और विलम्ब होगा तो हाउस मुझे छूट दे दें कि जो कलक्टर्स ने रिकमण्डेशन की है उस आधार को सारा पुनर्सीमांकन मान कर उसके आधार पर तुरन्त चुनाव करा दूं....

डा. चन्द्रभान : हम से तो पूछा ही नहीं, पिछले हाउस में सवाल आया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब पूछ रहा हूं ना मैं। अब पूछ रहा हूं। अब यदि कोई विलम्ब होगा तो मेरे कारण से विलम्ब नहीं होगा।

श्री हरिदेव जोशी : अब आप देखिये, मुख्य मंत्रीजी....

डा. चन्द्रभान : चार महीने किस कारण से रहे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चार महीने तो मैंने कहा कि पुनर्सीमन कराया और आवश्यक था और कराना था और कराया है। जान-बूझकर कराया है। इसमें विलम्ब हो जाय वह उतना घातक नहीं है जितना पंचायतों का इस प्रकार का गठन हो जाय कि एक गरीब आदमी चुनाव जीत सके और गरीब आदमी सरपंच और प्रधान बन सके ..

श्री हरिदेव जोशी : गरीब के नाम पर मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। सवाल यह है कि लोक सभा के इलेक्शन, डिलिमिटेशन होवे तो उसके अन्दर मेम्बर्स बैठ सकता है, असेम्बली के लिये हो तो उसमें बैठ सकता है मगर पंचायतों के अन्दर नहीं बैठ सकता नॉन-ऑफिसियल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खैर, यह आपके और मेरे बीच में मतभेद हैं. मैं उसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता। मैंने आपकी तरफ से यह कहा है कि आपने यह सुझाव दिया था कि इस प्रकार के आयोग का गठन किया जाय। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैंने इसको स्वीकार नहीं किया, मैंने एक कमीशन अपाइण्ट कर दिया। अब आप कहते हैं कि कमीशन के कारण से विलम्ब होगा तो मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि कलक्टर्स ने बाकायदा नोटिस निकाल कर लोगों ने आब्जेक्शन लेकर जो प्रपोजल भेजे, उन्हीं प्रपोजल्स के आधार पर आज आप तय कर दें, मैं तुरन्त ही चुनाव की घोषणा कर देऊं....

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : मुख्य मंत्रीजी, यह गलतबयानी है। कलक्टर्स ने कोई ऐसे नोटिस निकाले नहीं। यह गुपचुप सारा काम हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब....

डा. चन्द्रभान : मुख्य मंत्रीजी, आप तो इतनी घोषणा कर दो कि 1992 में करवा दोगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी बात सुनो। डाक्टर साहब थोड़ा समझ कर बात करो।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी, कलक्टर....(व्यवधान)

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) : करा दो ना चुनाव, तैयार हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप ठहरिये बीच में, आपको कलक्टर्स ने जो भी प्रपोजल्स भेजे हैं और जिस तरह से आप इस सदन के अन्दर एक प्रस्ताव रख रहे हैं और प्रस्ताव नहीं, यह धमकी दे रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं !

श्री परसराम मदेरणा : हां, अभी आपने। मैं इन्टरप्ट नहीं करता आपको, लेकिन यह हाउस the executive is answerable to this sovereign House. और इस हाउस ने लॉ बना रखा है, राजस्थान पंचायत एक्ट और पंचायत समिति एक्ट के अन्तर्गत आप कलक्टर्स के प्रपोजल को सीधा असेप्ट नहीं कर सकते, आपको उसकी हियरिंग की कार्यवाही और प्रोसीजर गो-थ्रू करना पड़ेगा तो अगर हम कह भी देते हैं तो अभी तो यह हाउस सेशन में है, आपको अमेण्डमेंट लाने पड़ेंगे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह देंगे तो मैं कल ही अमेण्डमेंट पेश कर दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : अमेण्डमेंट पेश करने की बात आप सोच रहे हैं लेकिन अमेण्डमेंट पेश करने के पहले क्योंकि प्रोपजल्स जो कलक्टर्स से आये हैं और जिन लोगों ने प्रपोजल दिये, वह यह सोचते थे, कलक्टर्स और दूसरे लोग, जो कुछ भी प्रपोजल दे रहे हैं उसके विषय में आज मैं नहीं जाना चाहता, आप अगर डिबेट रखना चाहते हैं तो कई दफा डेट्स चेंज की, आपने तहसीलदार को दे दिया, नायब तहसीलदार को काम दे दिया। कलक्टर को तो रात को आपको जब यह मालूम हुआ कि कलक्टर ही सुन सकता है। तो एक तारीख के पीछे इनीशियल करवाये आपने जाकर के उससे और इसलिये मैं यह सोच रहा हूं कि लोगों ने यह सोचा कि हमारे सामने एक अपोरचुनिटी है और उस अपोरचुनिटी को हम अवेल करेंगे उस अपोरचुनिटी को अगर आप इस स्टेज के ऊपर स्टेन्गुलेट करते हैं या अपोरचुनिटी का अवरोध करते हैं, मैं समझता हूं, लोगों ने, जिन्होंने आब्जेक्शन्स किये हैं और जो यह सोच रहे थे कि हमको एक अवसर मिलेगा, उनके साथ विश्वासघात होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्टेन्गुलेट नहीं कर रहा हूं, मैंने तो केवल आपसे राय मांगी है। राय इसलिये मांगी कि यहां यह कहा गया कि जान-बूझ कर पंचायत चुनावों को टाला जा रहा है। अब इसमें जल्दी कैसे हो सकती है, उस जल्दी का एक प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखा है। अब आप उसको स्वीकार नहीं करते तो कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में चुनाव होंगे। कानूनी प्रक्रिया तब पूरी होगी। अब यदि आप कानून का सहारा लेना चाहते हैं तो मैं इस सदन को इतना विश्वास दे सकता हूं कि एक बार आप निर्णय कर लेंगे कि कलक्टर की अनुशंषा के आधार के ऊपर पंचायतों का पुनर्गठन कर दिया जाय तो उसी प्रकार का विधेयक में संशोधन मैं तुरन्त ही विधान सभा में पेश करके और जिस दिन विधान सभा में कानून पेश करूंगा उस दिन पंचायतों के चुनाव कब होंगे, उसकी तारीख की घोषणा कर दूंगा। मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, किसी को गुमराह नहीं कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहा हूं। मैं तो एक सीधी सी बात कर रहा हूं। अब मेरे सीधेपन से कही हुई बात भी अगर कोई धमकी लगती हो तो मेरा दुर्भाग्य है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : हम तैयार हैं आप घोषणा कर दीजिये, चलिये, हम तैयार हैं....

श्री परसादीलाल मीणा : हम तैयार हैं, आप आज ही घोषणा कर दीजिये, आइये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : करिये घोषणा। चलिये, आप इसको हमारे ऊपर टालिये मत, आप घोषणा कर दीजिये। घोषणा कर दीजिये आप तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आ गई बस, आपकी बात।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बिराजिये अब।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : फिर इसका बहाना ढूंढ कर फिर कोई नई साजिश आप करेंगे इसलिये आप आज कर दीजिये घोषणा।

श्री परसादीलाल मीणा : आज ही कर दीजिये घोषणा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप।

श्री देवेन्द्र सिंह : हम तैयार हैं, आज ही घोषणा करिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मान ली बात, बैठो तो सही। (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : मानने की हिम्मत नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, हम लोग तैयार हैं। आप करिये, अमेण्डमेंट लाइये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री चन्दनमल बैद : खुद पूछ रहे हैं, बिराजे कैसे ? हमसे सवाल पूछा है, जवाब नहीं दें उसका।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। चन्दनमल जी मैं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब कह दिया आपने। बिराजें।

श्री चन्दनमल बैद : वह हमसे सवाल पूछें सवाल का जवाब नहीं दें हम ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं यह बोल रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की सम्मति है कि उस आयोग की प्रतीक्षा नहीं की जाय और कलक्टर्स ने....

श्री देवेन्द्र सिंह : सदन की सम्मति नहीं, अपोजीशन की सम्मति है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो ?

श्री देवेन्द्र सिंह : सदन तो आप कहोगे जो करेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, आप और हम दोनों मिल कर कर रहे हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : हमारी सम्मति पूछ रहे हैं आप तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी और हमारी भीहै। यह मान कर चल रहे हैं। मेरी सुन लीजिये। इस सदन की सम्मति है कि कलक्टर्स की अनुशषा के आधार पर जो पुनर्सीमांकन हुआ है उस आधार के ऊपर पचायतों के चुनाव करा दिये जाय और मैं आपको यह एश्योरेंस देता हूं कि इस सम्बन्ध में यदि कानून में, नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो जल्दी ही वह परिवर्तन के लिये विधेयक आपके सामने पेश कर दूंगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इस सत्र में ले आईये साहब, इस सत्र में ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सत्र में ही, सत्र के बाद का कोई सवाल नहीं है।

श्री रामनारायण विश्नोई : परसरामजी मदेरणा की इसमें सम्मति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं अब तो सबकी सहमति हो गई। उपाध्यक्ष महोदय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यदुनाथ सिंहजी और परसरामजी बता दें ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब इस विषय में मैं ऐसा समझता हूं....

श्री नत्थीसिंह : अब तो बात हो गई।

डा. चन्द्रभान : उनकी क्यों चिन्ता कर रहे हैं आप, वह हमारे साथ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब इस सम्बन्ध में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एक विषय का मैं समझता हूं कि यह ऐतिहासिक निर्णय है कि सारे सदन ने मिलकर जो मुझे सलाह दीसलाउसह को मुख्य मत्री के रूप में मैंने स्वीकार किया है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी जो कलक्टर्स ने प्रस्ताव भेजे हैं या अनुशंषा आपको प्रस्तुत की है उसका पहले आप गजट नोटिफिकेशन तो निकालेंगे? वह हमारी जानकारी में नहीं है कि क्या भेजे हैं? टॉप सीक्रेट रखा है उसको। किसी भी माननीय सदस्य को यह जानकारी नहीं है कि कलक्टर ने प्रस्ताव क्या भेजे हैं। और कलक्टर के प्रस्ताव को जब तक हम देख नहीं लेते तब तक इस प्रकार का जो है I am not a party of such a resolution. अनुशंषा है क्या यह तो बतायें। माननीय सदस्यों ने जाकर चुपके-चुपके कुछ देख लिया हो मुझे मालूम नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की थी। कलक्टर ने टाप सीक्रेट रखा है। जोधपुर कलक्टर ने हमें अपने प्रस्तावों की जानकारी नहीं दी है। उस प्रासीडिंग को एब्जार्ब कीजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि जो कलक्टर्स ने रिकमन्डेशन की है वह प्रकाशित होंगी और उसी के आधार पर पंचायतों का पुनर्गठन होगा और उसी के आधार पर पंचायतों के वार्ड बनेंगे और उसी के आधार पर चुनाव होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गयी कि विधान सभा के अन्दर कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता की बात मानूं या कांग्रेस के अध्यक्ष की बात मानूं। यह मेरे सामने जरूर समस्या खड़ी हो गयी है....

श्री हरिदेव जोशी : दोनों की ही ओपीनियन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, दोनों की ओपीनियन अलग-अलग है। यह अब कोई कांग्रेस पार्टी के चुनाव हों और अलग अलग हों तो मैं नहीं कह सकता हूं। विधान सभा में एक प्रश्न खड़ा हुआ है और उसके ऊपर अलग-अलग ओपीनियन है। जहां तक आप प्रकाशित कराने की बात कह रहे हैं मदेरणा सहाब में आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि 29 फरवरी को कलक्टर्स के जो प्रस्ताव हैं वह प्रकाशित हो चुके हैं। अब आपने देखा या नहीं देखा मैं कह नहीं सकता। जल्दी में कोई देख भी नहीं सकता लेकिन सारी बहस का एक ही अर्थ निकलता है कि इस लिस्ट के आधार पर चुनाव करा दें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : हमें लिस्ट का तो पता ही नहीं है, चुनाव क्या होंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अब इस विषय पर मैं समझता हूं ज्यादा चर्चा करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां अकाल के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में कुछ विशेष क्षेत्रों को और खासकर पश्चिमी राजस्थान को इस समस्या से हर वर्ष जूझना पड़ता है। इस बार यह बात सही है कि अकाल की स्थिति बनी है लेकिन मैं सदन को एक जानकारी देना चाहता हू कि यह बात भी फिर मैं सदन के ऊपर ही छोड़ूंगा कि 1986 87, 87-88 में और 1988-89 के प्रारम्भिक काल में राजस्थान में अकाल की स्थिति बनी। जिस समय अकाल की स्थिति बनी उस समय फाइनेन्स कमिशन राजस्थान में आया और उसके सामने आपने भी ज्ञापन दिये और मैंने भी ज्ञापन दिये। फाइनेन्स कमिशन ने पिछले वर्षों का रेकरिंग एक्सपेन्डीचर का औसत निकाल कर एक नेचुरल केलेमिटी फण्ड बनाया जिसमें 93 करोड़ रुपये की भागीदारी भारत सरकार की और 31 करोड़ की भागीदारी राजस्थान सरकार की इस तरह से 124 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे और पांच वर्षों में 620 करोड़ रुपये मिलेंगे। अब यह सदन इस पर विचार कर ले कि एक वर्ष के अन्दर 650 नहीं सम्वत् 2044 का जो अकाल पड़ा था उस अकाल में 900 करोड़ के लगभग खर्च हुए हैं और अब 900 करोड़ रुपये खर्च हुए उस समय जबकि मिनिमम वैजेज 11 और 13 रुपये थी और आज मिनिमम वैजेज हैं 22 रुपये। उतनी ही धनराशि खच करनी पड़े तो मुझे 1800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब आप अन्दाज लगा लें....

श्री चन्दनमल बैद : 44 के अकाल और इस अकाल में मुकाबिला कर रहे हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारी बात तो सुन लें....

श्री हरिदेव जोशी : आपके पास दो ही आल्टरनेटिव हैं या तो काम शुरू करें अथवा नहीं करें। तो आप इस राय के हैं क्योंकि मरें तो मरें काम शुरू नहीं करने हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोशीजी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं काम तो शुरू कर रहा हूं और काम भी ज्यादा खोलूंगा। मजदूरों की सख्या ज्यादा बढ़ेगी लेकिन सदन को मैं निवेदन करना च हता हूं कि साधनों का अभाव है और 87-88, 88-89 या 86-87 का मुकाबला नहीं किया जा सकता....

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह कहना चाहता हूं कि भूखे आदमी को कम से कम रोटी मिलनी ही चाहिये। आप बहुत ज्यादा काम नहीं दें लेकिन क्या आप उसको भूखों मरने दोगे ? मेरे इलाके के अन्दर अभी आज बंद होगा। वहां लाठियां चलेंगी, लाठी चार्ज होगा। आखिर आदमी भूखों मरते क्या करेगा ? इसलिये महरबानी करके इसकी कोई जिद्द का विषय मत बनाइये और जहां काम शुरू करने हैं तत्काल कर दीजिये। कोई दो ऑप्शन नहीं हैं आपके पास में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये। लोगों को काम मिले, लोगों को रोटी मिले यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस जिम्मेदारी से अपने आपको बचाने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि इस समय साधन उतने नहीं हैं जो आपको अपने शासनकाल में साधन मिले थे....

श्री हरिदेव जोशी : क्या साधन हमारे पास ज्यादा थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको भारत सरकार ने खूब पैसा दिया।

श्री हरिदेव जोशी : आप काम तो शुरू करो। आप काम तो शुरू करते नहीं है। आज आंध्रा के अन्दर पैसा दिया गया, तामिलनाडु में दिया गया, दूसरे राज्यों में दिया गया और राजस्थान को भी मिलेगा लेकिन आप शुरूआत ही नहीं करना चाहें तो कहां से मिलेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मतलब यह है कि आंध्रा, तामिलनाडु और बाकी राज्यों में पैसा दिया गया और मुझे नहीं दिया गया। मैं इसलिये कह रहा हूं कि मैं वह चिट्ठी भी लाया हूं जो कि प्रधान मंत्री जी को लिखी है और उसमें सारी स्थिति बताई है। मैं ऐसा समझता हूं कि भारत सरकार ना ना करती जाये और मैं पैसा खर्च करूं और फिर भारत सरकार मुझे दे देगी तो क्या आप गारन्टी देते हैं इस बात की कि पैसा मिल जायेगा ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पैसा नहीं देंगे तो आपसे क्या वसूल करेंगे ? आप तो खर्च कर दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि अकाल पिछली बार 85-86, 87-88 में पड़ा था लेकिन आप यह मानकर चलें कि इस बार तिलहन की पैदावार बहुत हुई है....

श्री हरिदेव जोशी : भैरोंसिंह जी फिर वही बात करते हैं आप....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जो कह रहा हूं सुन लें....

श्री हरिदेव जोशी : आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मैं यह कहता हूं कि आप चाहे सलेक्टेड 10 लोगों को एक गांव में दीजिये लेकिन जो भूखों मर रहा है उसको अनाज मिलना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि व्यवस्था कर रहा हूं और व्यवस्था पूरी करूंगा ...

श्री हरिदेव जोशी : कोई काम्प्रोमाइज नहीं है इसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई काम्प्रोमाइज मैं भी नहीं कर रहा हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह कह कर हम चलें कि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है तो दूसरी स्थिति भी देखनी पड़ेगी कि राजस्थान में कुछ जिले ऐसे भी हैं कि जहां रबी की फसल बहुत अच्छी है, तिलहन की फसल बहुत अच्छी है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लोग माही के क्षेत्र में हरी खेती करने लग गये। यह सब परिवर्तन आया है लेकिन मैं एश्योरेन्स देता हूं कि राजस्थान में कोई आदमी ऐसा नहीं रहेगा जिसको रोजी नहीं मिलेगी या राजस्थान में ऐसा आदमी नहीं रहेगा....

श्री हरिदेव जोशी : आप यह बात कह रहे हैं लेकिन लोग गुजरात गये हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह रोजी कब तक मिलेगी ? तब तक तो लोग मर जायेंगे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि यह मरने की बात तो आप इस साल आये हैं यह हम बहुत करते रहे हैं। उधर बैठने वाले और मैं इधर बैठा था तो बहुत करते थे....

श्री हेतराम बेनीवाल : मिलाजुला ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मिलाजुला ही है, यही मान लो। लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि इस सारी स्थिति में जैसा मैंने आज के 3 दिन पहले एक आदेश निकाला कि कोई पंचायत ऐसी नहीं होगी जिसमें एक अनाज की बोरी नहीं होगी। सब में होगी। मैं ऐसा समझता हूं कि आपके जमाने में तो पाव भर अनाज भी नहीं था, दाना भी नहीं था। मैंने एक-एक बोरी रखवाई है इसलिये कि कोई आदमी यदि भूख से मरता हो तो वह बोरी में से खर्च करे और इस बोरी की जगह दूसरी बोरी मैं कहता हूं कि और पहुंच जायेगी। तो इससे आप अन्दाज लगा लें कि चिन्ता हमको भी है...

श्री चन्दनमल बेद : हमारे मुख्य मंत्री श्री शिवचरणजी माथुर ने भी यही आदेश निकाला था, यह आपकी जानकारी के लिये बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसीलिये उनको हटाया था। आगे की बात यही है ना कि यह आदेश निकाला इसलिये उनको हटाया। अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय फरवरी, मार्च चल रहा है। मार्च, अप्रेल और मई और जून यह चार महीने वास्तव में संकट के हैं। अब इस संकट के समय जितना भी हम कर सकते हैं चाहे लाख मजदूर लगाने पड़ें, चाहे दो लाख मजदूर लगाने पड़ें उसकी सारी व्यवस्था की है और उस आधार पर सब जगह रोजगार के काम खोले जायेंगे मैं आपको इतना ही निश्चित रूप से कह सकता हूं। इसमें कोई रुपया बचाने की भी जरूरत नहीं। हमारे पास इस समय इस वर्ष नेचुरल केमिटी फण्ड पिछले साल का बचा हुआ और अगले साल का कुछ हिस्सा इसमें लगा कर के और फिर भी आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान के राजस्व से रुपया निकालकर के लोगों की इस समस्या का समाधान किया जायगा इसमें कोई चिन्ता की आवश्यकता नहीं है....

डा. चन्द्रभान : अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिया है ? आज की तारीख में किसी को रोजगार दिया है आपने ?.... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इनके हल्ला करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा....

श्री उपाध्यक्ष : डा. साहब, सदन से परम्परा रही है सदन के नेता बोलते हैं तब ज्यादा इन्टरवेंशन करते हैं। बिराजें आप।

डा. चन्द्रभान : सदन के नेता बोल रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई प्रश्नकाल नहीं है बिराजें आप। बता देंगे आपको।

डा. चन्द्रभान : तो मेरा अधिकार है सदन के नेता से यह पूछने का कि (व्यवधान) आप बताइये कि अब तक आपने कितने लोगों को रोजगार दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : वह सुन लिया।

डा. चन्द्रभान : घोषणायें करते जा रहे हो कि इतनों को रोजगार देंगे, अब तक कितनों को रोजगार दिया आपने ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको क्या पता अब तक (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

डा. चन्द्रभान : मेरा सवाल मुख्य मंत्री जी से है, मेरा उनसे प्रश्न है आज की तारीख में कितने लोगों को रोजगार दिया आपने अकाल में। आज भी घोषणायें तो आप करते जा रहे हो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कह सकता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि योजनागत कार्य और फेमीन के कार्य, इन दोनों का डोबटेलिंग करना पड़ेगा....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप 90 के भाषण में कह चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भाषण का ही तो समर्थन कर रहा हूं मैं। इन दोनों का डोबटेलिंग करना पड़ेगा। यहां प्रश्न यह है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। रोजगार चाहे पी. डब्ल्यू. डी. से, चाहे जवाहर रोजगार योजना से, चाहे पी. एच. ई. डी से, चाहे आर. एस. ई. बी. से मिले, लोगों को रोजगार मिलना चाहिये और रोजगार मिलने की दृष्टि से जोशीजी कह रहे थे बांसवाड़ा में क्या हो रहा है ?

श्री यदुनाथ सिंह : जहां पर अकाल नहीं है, कुछ क्षेत्रों में वहां का पैसा वहां चला जाएगा, इन डिपार्टमेंट में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि जहां पर अकाल नहीं है उसको आमंत्रित क्यों कर रहे हैं। अकाल में नहीं है यह एक अच्छी बात है।

श्री यदुनाथसिंह : आमंत्रित आप कर रहे हैं जब आप वहां का पैसा ले जायेंगे दूसरी जगह ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डवलपमेण्ट का पैसा नहीं ले जायेंगे....

श्री यदुनाथ सिंह : तो कहां से ले जायेंगे आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके जिले का पैसा आपके ही लगेगा....

श्री यदुनाथ सिंह : तो आपके पास और कौनसा छापाखाना रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डोवटेलिंग का मतलब यह नहीं है कि भरतपुर का या धौलपुर का पैसा मैं किसी दूसरी जगह ले जाकर के खर्च कर दूंगा....

डा. चन्द्रभान : आप डाइवर्ट मत कीजिये। यह बताइये कि कितने लोगों को रोजगार दिया है। (व्यवधान) यह लोग इसलिये हल्ला कर रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि इस सरकार ने एक भी आदमी को रोजगार नहीं दिया अकाल राहत योजना में इसलिये हल्ला मचा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की सारी मजदूरी बांसवाड़ा में 22 हजार 332 मजदूर काम कर रहे हैं विभिन्न योजनाओं पर और अकाल के कामों पर....

एक माननीय सदस्य : कहां, साहब ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बांसवाड़ा में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक जिले का बताया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीकानेर में 12 हजार 399 काम कर रहे हैं, जैसलमेर में 10 हजार 430 काम कर रहे हैं, बाड़मेर में 15 हजार 315 काम कर रहे हैं और उदयपुर में 33 हजार काम कर रहे हैं। इसलिये ऐसी बात नहीं है कि काम चालू नहीं हुआ, लोगों को रोजगार नहीं मिला। मैं मानता हूं कि इसकी संख्या बढ़ानी है। रोजगार के और काम करने हैं। यह सब-कुछ व्यवस्था (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के सम्बन्ध में यहां प्रश्न खड़ा किया है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : नोहर-भादरा में अकाल नहीं है क्या ? नोहर के कुछ गांवों में भी अकाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यहां बिजली का प्रश्न खड़ा किया गया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की जितनी गम्भीर समस्या है इसको विपक्ष के नेता भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : पहले आपको समझ में नहीं आई क्या कितनी समस्या को इकट्ठा किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले मेरी समझ में आयी थी कि आपके कारण से यह समस्या पैदा हुई है ...

श्री हरिदेव जोशी : आपने जिस समय छोड़ा था उस समय कितने मेगावाट छोड़ा था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही बता रहा हूं आपको। आप जो मन में सोच रहे हैं सबका जवाब दूंगा। वहीं से बोलने की जरूरत नहीं। सबका जवाब दूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : आप तो खाली बातें करके और वह करवाने की कोशिश

(श्री हरिदेव जोशी)

करते हैं इसके सिवाय कोई सब्स्टेंटिव चीज तो है नहीं।

(1.55 म.प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा हूं, मुझे तो जोशीजी आप एक बात बताइये, मैं एक ही जानकारी चाहता हूं। आप छोड़कर के कौन-सी योजना से मैं बिजली पैदा कर सकता था, उसका नाम बता दीजिये ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो पूछेंगे और आप बतायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अकाल से कोई बिजली पैदा कर सकता हूं आखिर जो प्रोजेक्ट हैं उन्हीं से तो बिजली पैदा कर सकता हूं यदि राजस्थान में कोई चालू प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं कहां से बिजली पैदा कर लूं।(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दो साल हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे जो दो साल में किया वह बताना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, पावर तो जनरेट होती है, कोई हमारी स्कीम है, प्लाण्ट लगाने के लिये योजना है। जब मैंने चार्ज लिया था उस समय कोई योजना ऐसी नहीं थी जो योजना एक वर्ष, 6 महीने, दो वर्ष में पूरी हो जाय और उससे पावर जनरेट हो जाय। अब आज आप कहते हैं कि आपने कोई पावर जनरेट नहीं की तो पावर जनरेट कोई माचिस लगानी है क्या कि लगाई फट आग पैदा हो गयी। इससे तो कोई बिजली पैदा नहीं होती। बिजली पैदा होने के लिये सोर्सेज, हमारे पास 5-6 सोर्सेज हैं। पहला सोर्स था, हमने कोशिश की 1984 में योजना बनी। 1989 तक उसको खाते में डाल दिया, आप कह रहे हैं क्या किया ? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी में गया, वाटर एण्ड पावर कमीशन में गया, प्रधान मंत्रीजी के पास गया और सूरतगढ़ की परियोजना को मैंने स्वीकार कराया और आपको जानकारी के लिये कहता हूं, कल सुमित्राजी कह रही थीं कि प्राइवेट सेक्टर को नहीं लेना चाहिये। अब आप मुझे बताइये राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है, भारत सरकार पैसा देती नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इन्टरनेशनल एजेन्सीज बहुत हैं जहां से आप पैसा ला सकते हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना कह रहा हूं, सरकार के पास, भारत सरकार के पास पैसा नहीं है। आखिर योजना पर कहीं न कहीं से तो पैसा खर्च होगा। हमने इस योजना को बनाकर भारत सरकार के माध्यम से वर्ल्ड बैंक को भेजा है। वर्ल्ड बैंक के अभी वाइस चेयरमैन आये थे उनसे बात-चीत हुई और बातचीत पर, मेरा विश्वास है कि सूरतगढ़ परियोजना के लिये हमें विश्व बैंक से पैसा मिल जाएगा लेकिन मैंने इसका इन्तजार नहीं किया। इस बार भी करोड़ों रुपयों का प्रावधान कर रखा है कि सूरतगढ़ के ऊपर काम चालू रहे। अध्यक्ष महोदय, दूसरी योजना थी बरसिंगसर में लिग्नाइट के आधार पर हम बिजली उत्पादन करने का काम कर सकते हैं। मेरे

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

आने से पहले राजस्थान सरकार नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन से एक एग्रीमेंट किया, सुमित्राजी भी इसको अच्छी तरह जानती हैं उसके बाद में जब आया तो इसमें तीनों शामिल कर लिये, पलाना, गुढ़ा और बरसिगसर और वह केवल बरसिंगसर में लगाना चाहते थे। पलाना और गूढ़ा को रिजर्व रखना चाहते थे। मैंने आकर कहा कि एक तो आपने जो कोष्ट ऑफ जनरेशन केलकुलेट की वह ज्यादा है और दूसरा आपने बरसिंगसर के साथ गुढ़ा और पलाना पर कब्जा कर लिया वह आप इस क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार रखना चाहते हैं। कई दिनों तक विवाद चला और उसके बाद में उन्होंने पलाना को उससे मुक्त कर दिया उसके बाद में क्या हुआ बरसिंगसर के मामले में नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन ने जितनी जगह चाही उतनी जमीन एक्वायर कर के दे दी। उसका काम शुरू हो रहा है और मैंने परसों ही प्रधान मंत्रीजी से निवेदन किया है कि आप बरसिंगसर में उसका शिलान्यास रखते और मुझे खुशी है कि उन्होंने यह कह कर स्वीकार कर लिया कि इस महीने में नहीं लेकिन मैं अगले महीने में निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आ जाऊंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जिस प्रधानमंत्री को आपने बुलाया वही नहीं रहते। पहले राजीव गांधी आने वाले थे, वह नहीं रहे, वी. पी. सिंह को बुलाया थोड़े दिनों बाद वह नहीं रहे, चन्द्रशेखरजी को बुलाया, उनका भी पत्ता साफ हो गया। इसलिये प्रधानमंत्रीजी को मत बुलाओ किसी और को ही बुला करके करा दो आप....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजीव गांधी को मैंने नहीं बुलाया, वी. पी. सिंह को मैंने नहीं बुलाया। अब आपकी इतनी ही दुर्भावना थे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वी. पी. सिंह को तो आपने न्यौता दिया था प्रोग्राम तय हो गया था। आप असत्य बोल रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब यह इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करेंगी तो वाणी पर मेरे भी ताला नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप असत्य बोल रहे हैं। मैं विथड्रा करती हूं। असत्य बोल रहे हैं यह कह रही हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सही बात करने का काण्ट्रेक्ट आपका ही नहीं है, बोल मैं भी सकता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने विथड्रा कर लिया। असत्य बोलना कह दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वी. पी. सिंह जी को नहीं बुलाया न राजीव गांधी को बुलाया, मैंने नरसिंहरावजी को बुलाया अभी बाड़मेर में। बाड़मेर में आये और अब नरसिंहरावजी को यहां आ जाते हैं। तो मैं इसलिये नहीं बुला रहा हूं कि वे प्रधानमंत्री हैं। मैं इसलिये बुला रहा हूं कि प्रधानमंत्री बनकर इस प्रोजेक्ट में किसी प्रकार की हमारी सहायता कर दें इसमें आपको दर्द हो रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता। (व्यवधान) दर्द ही नहीं हो रहा, इतनी दुर्भावनायें मन में रख रही हैं कि जो आयेगा

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

वही चला जायेगा। यह आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं कईयों को बुलवा कर रवाना कर देता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब बता दिया ना।

(2.00 म. प.)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर यही मंत्र कहीं सही होता तो यह काम भी मैं कर सकता था।

अध्यक्ष महोदय, अब यह कहा गया कि 1990–91 और 91-92 में नया बिजली का जनरेशन नहीं हुआ। मैं आपकी जानकारी के लिये बता देऊं कि सी. ई. ए. ने जो प्रोजेक्शंस दिये थे आज के तीन वर्ष पहले, उन प्रोजेक्शंस की तुलना में उनके प्रोजेक्शंस यह थे, राजस्थान में बिजली कितनी अवेलेबल होगी, एस्टीमेटेड एनर्जी अवेलेबल एज पर सी. ई. ए. 90–91 के लिये उनके एस्टीमेट थे 9991 मिलियन यूनिट और एक्चुअल अवेलेबिलिटी है 11,147 एम. यू. इससे आप अन्दाज लगा लीजिये कि कहां से बिजली आयी है। दूसरा मैं और कहना चाहता हूं, आप कहेंगे 91–92 की बात कहिये। मैं 91-92 की बात कहना चाहता हूं कि सी. ई. ए. के प्रोजेक्शस से 10,176 एम. यू. का था, एक्चुअल अवेलेबिलिटी हुयी है 12,785 मिलियन यूनिट। अब इससे आप अन्दाज लगा लीजिये, बिजली आयी कहां से। दो ही स्रोत हैं बिजली के।

श्री परसराम मदेरणा : परचेज कर ली।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां मैं कह रहा हुं ना। मैं इन्कार थोड़े ही कर रहा हूं। आप यह समझते हैं कि मैं परचेज नहीं करता और काश्तकारों के कुएं बंद हो जाते। आप उल्टा समर्थन कीजिये कि मैंने परचेज की है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी, हम तो एक बात कह रहे हैं, परचेज की है और क्वेश्चन बना कर सामने फेंकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, नहीं, मैं नहीं कर रहा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह नहीं कर रहा....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपकी नीयत को समझ गया, आप मेरे पक्ष में हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नीयत तो आप मेरी समझ सकते हैं, मैं आपकी नीयत समझने में अभी तक असमर्थ रहा हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अब बिजली जनरेट हुयी है। मैं एक और कहना चाहता हूं, आज कह रहे हैं बिजली की समस्या, बिजली की समस्या। गये वर्ष में बिजली कटौती नहीं हुयी, आप उसकी तारीफ नहीं करते हैं।

एक माननीय सदस्य : किसी को दी ही नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो यह बिजली मैंने जेब में रख ली? यह 12, 785 मिलियन यूनिट मैंने अपनी जेब में रख ली? जेब में रखली तो मैं जल जलाकर यहां थोड़े ही अ ता।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ तथ्यों के आधार पर बात कहिये। मैं आपका यह कहना मान सकता हूं कि दो साल में कोई नया प्लांट नहीं लगा जिससे पावर जनरेट हुई हो। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जोशीजी, आपको ध्यान है, कोटा थर्मल प्लांट का प्लांट लोड फेक्टर कितना था जब मैंने चार्ज लिया? चालीस प्रतिशत। आज लोड फैक्टर कितना हो गया? 62 प्रतिशत।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 63 प्रतिशत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सॉरी, 65 प्रतिशत। अब यह भी किस मुश्किल से हुआ है? आपकी सरकार ने मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दो समझौते किये जिसमें राजस्थान को डुबोया। मैं 1984 के समझौते की बात नहीं करना चाहता, 1985 में आपने समझौता किया कि केन्द्रीय परियोजनाओं से जितनी बिजली मिलेगी, उस बिजली मिलने का आधार क्या है? आधार दो प्रकार के आपने रखे, एक तो पर केपिटा प्लान एक्सपेण्डीचर और दूसरा आधार आपने रखा पर केपिटा कंजम्पशन। अब इन दोनों में हम नीचे रह गये। जिससे शेयर का जो प्रमोशन हमको मिलना चाहिये सेण्ट्रल प्रोजेक्ट्स से वह हमको नहीं मिल पाया। यह आपने 1985 का समझौता किया, अब 1985 का समझौता राजस्थान को आज खा रहा है। उसके लिये तो कोई नहीं बोलता है। अगर यही आधार दूसरे होते कि राजस्थान में रिक्वायरमेंट कितनी है, राजस्थान में एनर्जी जनरेट करने के प्रोटेंशियल कितने हैं, राजस्थान में कितनी फाइनेन्सेज की व्यवस्था हो सकती है, राजस्थान की बैकवर्डनेस कितनी है, राजस्थान की इन चीजों को आधार बनाया होता तो सेण्ट्रल प्रोजेक्ट्स से राजस्थान को ज्यादा हिस्सा मिलता। दुर्भाग्य है कि 1985 में राजस्थान की सरकार ने ऐसे मापदण्ड स्वीकार कर लिये जिससे राजस्थान को सेण्ट्रल प्रोजेक्ट्स से हिस्सा नहीं मिलता है और आप इस पर मेरा दोष लाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जोशीजी को खुद को याद होगा कि कोटा थर्मल के लिये....

श्री हरिदेव जोशी : कोटा थर्मल को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बनाया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बनाया। मैंने भी बनाया।

श्री हरिदेव जोशी : अटरू गैस का किसने किया?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अटरू नहीं, अन्ता गैस।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अटरू में आपने बनाया तो उसकी क्रेडिट आपने ली है. मैं उसको मना नहीं करता। आपने बनाया, मैंने बनाया, आज सूरतगढ़ का बन रहा है तो सूरतगढ़ के बारे में मैं क्लेम नहीं करने वाला हूं कि मैंने बनाया। एक प्रोसेस है उस प्रोसेस में कभी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, मैंने उस प्रोसेस के अन्दर उसको फाइनल कराया, फाइनल होने के बाद में इंजीनियर्स लग कर उसको तैयार करेंगे, यह मैं क्रेडिट का सवाल नहीं कहता, न मैं क्रेडिट लेता इस बात के लिये मैंने सूरतगढ़ को मंजूर करवा लिया। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जिन्होंने राजस्थान के हितों पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कुठाराघात किया वह अक्षम्य हैं अक्षम्य अपराध किया है, आज अपराधी की दृष्टि से जिन्होंने इस प्रकार का समझौता किया वह राजस्थान का कभी हित नहीं कर सकेगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, यह प्लांट लोड फैक्टर....

डा. चन्द्रभान : आप सुधार कर लो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डाक्टर साहब, आप तो जानते हैं प्लांट लोड फैक्टर कम क्यों हुआ, बढ़ा क्यों। इसका कारण यह था कि हमने एक समझौता कर लिया। यों हमें पास से सिंगरौली और बाकी के स्थानों से कोयला मिलता था, हमसे एक समझौता कर आये कि जो नजदीक की कोलरीज हैं वहां से तो हमको कोयला नहीं मिले, हमको कोयला मिले बिहार से। अब बिहार से कोयला जिस प्रकार का आता है, मैं कहना नहीं चाहता, यदि टनवेव के ऊपर बिहार का कोयला बिना छटनी के डाल दिया जाय, टनवेव टूट जाय। पत्थर उसमें, कोयले की क्वालिटी में कमी, कोयले का वजन कम। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से मैंने कहा कि या तो बिजली देओ या मुझे अच्छा कोयला देओ, सस्ता कोयला देओ, उस कोयले का सारा पैटर्न बदला। बदलने के बाद नजदीक की कोलरीज से कोटा का कोयला मिलने लगा और उसका रिजल्ट है कि 62 प्रतिशत लोड फैक्टर के ऊपर कोटा का प्लांट चलने लगा और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर प्रधान मंत्रीजी से कह कर जो तीन लाख टन का हमने एग्रीमेंट किया है, ज्यादा से ज्यादा उसमें से नजदीक की कोलरीज से दिला दें तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 62 प्रतिशत का लोड फैक्टर बढ़ा कर 70 प्रतिशत तक इंजीनियर ले जायेंगे। आज यहां मदद करने की आवश्यकता है, आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज आप यह कहें कि बिजली पैदा नहीं हुई, यह बिल्कुल सही है। मैं इसको मना नहीं करता। आज आप यह क्रेडिट लेना चाहे कि अंता गैस का आपको क्रेडिट मिले, मुझे उसको देने में कोई आपत्ति नहीं। मैं और कोशिश कर रहा हूं कि अन्ता गैस की दूसरी यूनिट के लिये हम तीन सौ-साढ़े तीन सौ मेगावाट पावर जनरेट कर लें इसके लिये गैस अवेलेबल करा दी जाय दूसरे फेज के लिये, कोशिश कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इसी महीने में इस दृष्टि से सफल हो जाऊंगा और वहां का जनरेशन होगा। अब यह समस्याएं हैं, जोशीजी, कोटा थर्मल प्लांट लगा हुआ है, एक यूनिट बिल्कुल बंद पड़ा है। अब कोटा थर्मल प्लांट का यूनिट मेरे हाथ में नहीं, न आपके हाथ में है। अब वह बंद हो गया उसमें भी बिजली की कमी आ रही है। उसके उपरांत भी बिजली की सप्लाई को मेन्टेन करने की राजस्थान सरकार ने पूरी कोशिश की है।

अब प्रश्न यह आता है जब सुमित्रा जी यह कहती हैं कि प्राइवेट सैक्टर को इन्वाइट नहीं करें. अब प्राइवेट सैक्टर को इन्वाइट नहीं करूं तो यह कारखाने की जहां जमीन एक्वायर करली, जो कारखाने बनाने हैं उनका पैसा कहां से आये? आपको जानकारी है, राजस्थान में जैसे परसरामजी ने कहा मैं बिजली परचेज कर रहा हूं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

114 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रहा हूं और 114 पैसे प्रति यूनिट में खरीद कर, घाटा खाकर मैं लोगों को बिजली दे रहा हूं, मैं आज मानता हूं, मैं चाहे विपक्ष में था, चाहे आज सत्ता पक्ष में होऊं लेकिन वहां जो था और यहां हूं और आज आप यहां थे और वहां बैठे हैं, एक बात के ऊपर, गम्भीर क्वेश्चन है जिसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि क्या हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उनकी कास्ट वसूल करें या नहीं करें।

डा. चन्द्रभान : पहले तो करते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले दूसरे कारण थे, आज कारण दूसरे हैं।... (व्यवधान) आप किसान हो चाहे उपभोक्ता हो, एक बार फैसला करलें... (व्यवधान) डाक्टर साहब, एक सुन लीजिये, आज जो राजस्थान में बिजली के उपभोक्ता हैं उसके कारण से बिजली बोर्ड को जो घाटा हो रहा है, इस घाटे की पूर्ति कौन करते हैं? जो बिजली का उपभोग नहीं कर रहे हैं। आज आम टैक्स पेयर....

डा. चन्द्रभान : इसमें भ्रष्टाचार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भ्रष्टाचार निकाल दीजिये। आप लग जाइये उसमें भ्रष्टाचार को रोकने लिये, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप पक्ष में नहीं होंगे भ्रष्टाचार के, मैं भी पक्ष में नहीं होऊंगा। लेकिन एक बात का निश्चित रूप से इस सदन को आज नहीं तो दो वर्ष के बाद, नहीं तो पांच वर्ष बाद विचार करना पड़ेगा और विचार नहीं किया तो भारत सरकार की जो हालत हुयी है, आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक के सामने हमें जाना पड़ा है, सब्सिडी में हमें कटौती करनी पड़ी है, इनफ्लेशन रेट को बढ़ी हुयी देखकर हमें महंगाई को प्रोत्साहन देना पड़ा है, यह हालत वहां भारत सरकार की हुयी है यह राज्य सरकारों की भी हालत होने वाली है।

श्री हरिदेव जोशी : उस समय हम करते थे उस समय आप विरोध करते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं कह हूं ना। कारण अलग थे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : चलो आपने रियलाइज तो कर लिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुन लीजिये। अगर मान लीजिये आप यह समझें कि मैं वहां बैठकर विरोध करता था इसलिये अब आप विरोध कर रहे हैं तब तो कोई मेरा आर्ग्यूमेंट ही नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : देर आयद दुरुस्त आयद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तब तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। यदि राजस्थान के डवलपमेंट की दिमाग में आपके चिन्ता है तो इस आधार पर चिन्तन करना पड़ेगा कि सर्विसेज की कास्ट वसूल की जाय या नहीं। मैं आज कहता हूं, राजस्थान में लगभग 1800 करोड़ रुपये हमने सिंचाई पर खर्च किये हैं। 1800 करोड़ रुपये सिंचाई में खर्च किये हैं। आज मेन्टीनेंस का पैसा हम वसूल नहीं कर पाते। इस मेन्टीनेंस का पैसा वसूल नहीं कर पाते और बजट में उतना प्रोविजन रख नहीं पाते, नतीजा क्या निक-

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

लता है ? नतीजा यह निकलता है कि नहरों से, जिन काश्तकारों को पानी मिलना चाहिये उतना पर्याप्त पानी नहीं मिलता है ।

श्री हरिदेव जोशी : उस समय आप विरोध करते थे ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपको इतना कह सकता हूं । मैं आज वह बात अभी नहीं कहना चाहता हूं । कल बजट पेश करूंगा उसके बाद मैं यह बात आपको बता दूंगा । आज मैं नहीं बोलना चाहता हूं । मैं आज केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार को गम्भीरता से चिन्तन करना पड़ेगा कि जो उपभोग करता है और उसके कारण से जो घाटा हो, उसकी पूर्ति राजस्थान के गरीबों को करनी पड़े, यह पद्धति ज्यादा दिन नहीं चलेगी ।

श्री नत्थीसिंह : ठीक है जो सर्विसेज पर खर्च हो, वह आप लेना चाहते हैं । जो सारा कमा कर देता है, वह घाटे में ही रहे, कर्ज में ही डूबा रहे, उसकी आपको कोई चिन्ता नहीं है । इन दोनों बातों की तुलना आप कैसे करते हैं । इन दोनों बातों को सोचिये आप ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जितने किसानों के शुभ चिन्तक आप हैं, उतना मैं भी हूं ।

श्री नत्थीसिंह : आज बदल रहे हो । आज आप जोशीजी की हा में हां मिला रहे हो । बदल रहे हो । वहां पहुंच कर आप भी इनके जैसे हो रहे हो ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जब नत्थीसिंह जी और चन्द्रभान जी मेरे साथ थे, तब यह कह सकते थे कि किसानों का इससे बढ़िया मसीहा कोई नहीं हो सकता ।

श्री नत्थीसिंह : हमने आपको बढ़ाने नहीं दिया । हमने किसानों को सही मदद दिलायी, यह सही बात है ।

डा. चन्द्रभान : आपने तो हमारे साथ आन्दोलन किया था, दो पैसे के खिलाफ ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उस समय तो आप यही कहते थे । दो पैसे के खिलाफ नहीं लड़ा था । आपने तो मांग पत्र देखा ही नहीं होगा । मेरे पास तो आज भी है । मैं इसलिये निवेदन कहना चाहता हूं कि कौन किसानों का मसीहा है और कौन नहीं है । मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान के इतिहास में, किसानों के हित में जितना इस सरकार ने काम किया, उतना आज तक नहीं हुआ । चन्दनमल जी आप तो ताली पीटोगे ही । क्योंकि किसानों का हित हो आपको जलन नहीं हो, दोनों बातें नहीं हो सकती । वह तो स्वाभाविक है । कोई बड़ी बात नहीं है । मैं इन्हीं बातों को उस आधार पर रखना चाहता हूं कि कम से कम गंभीरता से इस हाउस में नहीं, हाउस के बाहर बैठकर कोई इस विषय पर चिन्तन तो करे कि सर्विसेज की पूरी कोस्ट वसूल न करें तो रीजनेबल कोस्ट तो हम वसूल करें । इस प्रकार की व्यवस्था चलेगी, तभी राजस्थान का डवलपमेंट होगा, तभी नहरें लोगों के खेतों तक पहुचेंगी और तभी गांव-गांव में जाकर बिजली के खंभे लगा कर बिजली मिलेगी । आज आप यह सोच लीजिये जो

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

बिजली ले रहे हैं, उनको चिन्ता नहीं है। लेकिन जिनको बिजली नहीं मिल रही है, उनको इस बात की चिन्ता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बिजली के कनेक्शन मिल जायें। इस आधार पर डा. चन्द्रभानजी मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान में यह भी रिकार्ड है कि आज तक राजस्थान में 34 हजार कुओं को एक साथ बिजली नहीं दी, उसका भी हमने रिकार्ड कायम किया है। आज जो किसानों के हित की बात करने वाले हैं, वह इस आधार पर चिन्तन कर लें। मैं अध्यक्ष महोदय, जब बिजली बोर्ड पर चर्चा होगी, तब इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर पाऊंगा लेकिन जो जोशीजी ने मुझे कहा था मैं इस विषय पर बोलने को तैयार भी नहीं था। उन्होंने कहा बिजली जनरेट नहीं हुई, इस आधार पर मैंने बात कही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चित्तौड़ के बारे में प्रकाश डाल दें तो ठीक रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चित्तौड़ के बारे में योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत वर्षों की कोशिश के बाद अब दी गई है और उसको हमने भारत सरकार को भेज दी है। चितौड़ के बारे में मैं सतर्क हूं, लगातार पीछा करता रहता हूं। लेकिन एक मामले में मैं जोशीजी की मदद चाहूंगा। सत्तारूढ़ दल, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल, सबकी मदद चाहूंगा। एक बार फैसला कर लें। मैंने तो एन. डी. सी. की मीटिंग में मुख्य-मंत्रियों के सामने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : धौलपुर के थर्मल पावर का क्या हुआ। अब तक कुछ भी जवाब नहीं दिया। थोड़ा जाग जाइये आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक घंटा हो गया है। मेहरबानी करके अब इंटर-फियरेंस बंद करिये। प्लीज अब बैठिये आप। हर आदमी खड़ा हो कर कहे, यह कोई तरीका नहीं है, यह कोई परम्परा नहीं है। बैठिये आप, प्लीज सिट डाउन। यह परम्परा नहीं है। इंटरवेंशन कुछ लोग कर सकते हैं। हर आदमी खड़ा होकर इंटरवेंशन करेगा तो यह भाषण कभी समाप्त नहीं होगा। आप सदन के समय का ध्यान रखिये। बिराजिये आप। प्लीज बैठिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्षजी, इनको जबर्दस्त दर्द है। रामप्रसादजी लड्ढा को जबर्दस्त दर्द है कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पहाड़ियाजी को अभी तक क्यों नहीं बनाया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुख्य मंत्रीजी वहां जाओ तो सही। धौलपुर के थर्मल पावर का सवाल है। अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है और सदन में कोई भी जान-कारी नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे सभी राज्य हों, इन राज्यों की वर्षों से भारत सरकार के पास योजनाएं पैण्डिंग पड़ी हैं। वह चाहे बिजली की हो, या सिंचाई की हो, या सड़क की हो। यह

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

सभी योजनाएं भारत सरकार के पास पड़ी हैं। हमने कई बार पत्र लिखे, कई बार सूचनाएं भेजी, कई बार सूचियां बनाकर भेजी, कई मामलों में लोकसभा के सदस्यों को लिखकर भेजा, कई विषयों के ऊपर संबंधित मंत्रालयों से बातचीत की। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपकी और इस सदन की आज्ञा हो तो सारी, जितनी भी लम्बित योजनाएं हैं, उन योजनाओं की सूची में पहले अलग-अलग दलों के सदस्यों और नेताओं को भिजवा देऊंगा और उसके बाद विधान सभा से एक प्रस्ताव पारित करें भारत सरकार को लिखा जाये कि हमारी इन योजनाओं को जल्दी से जल्दी स्वीकृति दे। मैं यह समझता हूं इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैंने एन. डी. सी. की मीटिंग में स्पष्ट रूप से कहा था। सारे चीफ मिनिस्टर्स की मौजूदगी में मैंने यह बात कही थी कि हमारी योजनाएं पड़ी हैं। मै एक उदाहरण देना चाहता हूं। धौलपुर की योजना 400 करोड़ रुपये की बनी। कॉस्ट एस्कलेशन के कारण आज वह 1600 करोड़ की हो गई। ऐसी कई योजनाए हैं, जिनमें कॉस्ट एस्कलेशन हो गया और जिस के कारण फाइनेंशियल अरेंजमैण्ट होना मुश्किल है। मैंने उस समय भी कहा था। भारत सरकार और प्रधानमंत्रीजी को संबोधित करते हुये कहा कि यहां सारे प्लानिंग कमीशन के लोग बैठे हैं, सी. ई. ए. के लोग बैठे हैं, सी. डब्ल्यू. पी. सी. के लोग बैठे हैं, यह सब बैठे हैं। मैंने कहा प्रधानमंत्रीजी इन सबको ताले में बंद कर दीजिये और उस समय तक ताले मत खोलिये, जिस समय तक भारत के अन्य राज्यों की योजनाओं पर किसी न किसी प्रकार का निर्णय न हो जाये।

श्री चन्दनमल बैद : यह बात पहले समझ में आई होती तो ठीक रहता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कैसे? मैंने हमेशा आपका समर्थन किया है, इस मामले में! मैं आज भी कहता हूं, विपक्ष में था, तब भी मैंने राजस्थान के हित के मामले में भेदभाव नहीं किया और आपका समर्थन किया। जब मैंने यह कहा कि ताला लगाया जाये तो सीताराम केसरी खड़े होकर कहने लगे कि ताले की चाबी भैरोंसिंह को न दी जाये। एक चाबी मुझे दी जाये। मैंने कहा डबल लॉक की भी व्यवस्था हो जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब इससे आप अन्दाजा लगा लें कि मैटर की सीरियसनेस कितनी है। मैं चाहूंगा कि सदन ने जिस प्रकार का आदेश दिया है, उसके आधार पर एक प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को जाये और इस बात का प्रयत्न करें कि हमारी योजनाएं जल्दी से जल्दी स्वीकार हो जायें। मैं देवपुरा जी से यह उम्मीद नहीं करता था। उन्होंने एक बात कही कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार है।

डा. हरिसिंह : किसानों के जो पैसे आपने ले लिये, न उनको कनेक्शन दिये, न उनको हल्ले मचाने से किसानों को कनेक्शन नहीं मिलेंगे। मैं जानता हूं भैरोंसिह जी के इशारे से आप हल्ला मचा सकते हैं। लेकिन आप मुख्यमंत्रीजी को मेरी बात सुनने दीजिये। आपने पैसे ले लिये। योजना में कनेक्शन दिये नहीं, कितने दिन तक आप इनको लटकाओगे। कुछ लोगों के गहने बिक गये। ब्याज भर रहे हैं, आपकी इसके

(डा. हरिसिंह)

बारे में क्या मंशा है ? कृपया स्पष्ट कीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देवपुरा जी ने एक बात कही कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार है । कोई और बोलता तो मुझे आपत्ति नहीं होती ।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह आम लोगों की भावना है । माननीय मुख्यमंत्रीजी जो मैंने कहा है, गांवों में जाकर लोगों से पूछिये । वह क्या कहते हैं इसके बारे में । इसलिये मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार एक तरह से शिष्टाचार बन गया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देवपुराजी यह तो मानकर चलिये कि गांव में अकेले आप ही नहीं जाते हैं, मैं भी जाता हूं । गांव वाले मुझसे भी मिलते हैं । गांव वालों की आड़ में आप क्यों बोलना चाहते हैं । बोलिये हिम्मत से कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार है । मन में विश्लेषण कीजिये कि आपने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बताकर इस भ्रष्टाचार की कितनी तारीफ की है । मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने स्वयं ने कहा है कि आप इसका विश्लेषण करके देखिये कि क्या स्थिति हो गई है । मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है । आपने जिस जोर से कहा था, उसी हिसाब से मैंने कहा था कि आप इस पर पुनः विश्लेषण करके सोचिये कि क्या स्थिति बन गइ है, राजस्थान की ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भ्रष्टाचार को शिष्टाचार की परिभाषा में लाकर आप क्या अचीव करना चाहते हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप यही कहते ना, आप तो अपना (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा आपने कहा ठीक है, मान लिया मैंने ठीक है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं, कही है मैंने, नहीं क्यूं की है, मैंने, मैं ना नहीं करता । लेकिन आप उसको इन्टरप्रेट गलत कर रहे हो । मैं परिभाषा में नहीं लेता हूं, मैंने तुलना की है कि आज स्थिति यह बन गयी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह स्थिति बन गयी नहीं, इसको तो आप नहीं बन गयी तो बनाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन जाय ।

श्री हीरालाल देवपुरा : बनाना नहीं, बन गयी है आपके राज में ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहते नहीं कि बने कि नहीं बने । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन को इस बात की जानकारी है और मैं जोशीजी का आभारी हूं कि इन्होंने कम से कम एक बात तो कही कि भ्रष्टाचार को रोकने का आपने प्रयत्न किया लेकिन आप सफल नहीं हुये । अभी आपके सामने यह बात कही कि मैंने प्रयत्न किया ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : उन्होंने यह भी कहा कि आपके मन्त्रिमण्डल में जो लोग बैठे हैं उनके लिये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस पार्टी में बैठे उनका क्या करूं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप उनको भी करो....

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : इनको भी बुलाओ और उनको भी बुलाओ।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : मुख्य मंत्रीजी मैंने आपको भ्रष्टाचार के मामले में एक पत्र लिखा था आपको याद होगा और उस पत्र का आपने जवाब नहीं दिया और आपके मंत्रिमण्डल के सदस्य के बारे में मैंने आरोप लगाया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कार्यवाही करना, इसमें अगर नीयत खराब हो तब तक अपराध है और नीयत खराब नहीं है तो प्रक्रियाओं में उलझनों के कारण से जितने जल्दी हम रिजल्ट्स निकालना चाहते हैं वह रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते। अब आई. ए एस. अफसर के खिलाफ आप प्रोसीक्यूशन करना चाहो तो भारत सरकार से परमिशन लेवो, आई. ए एस. को सस्पेण्ड करना चाहो, भारत सरकार को लिखो, भारत सरकार परमीशन दे नहीं. कई महीनों तक वह मामला लटका रहे। आप यह समझें, मैं यह मानता हूं कि कि जितनी तत्काल कार्यवाही होनी चाहिये वह कानूनी और बाकी के नियमों की प्रक्रियाओं में इस प्रकार के अवरोध पैदा हो गये हैं जिनका लोगों को लाभ मिल रहा है। मैंने हाल ही में इस प्रकार के विचार किये हैं और विचार करके मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी और स्वयं भी विचार कर रहा हूं कि इन सारी नियमों में और प्रक्रियाओं में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाय ताकि जो दोषी आदमी हो उसको तुरन्त सजा मिल सके। आज अगर किसी को सस्पेण्ड करते हैं तो फिर वह कोर्ट में जाकर बहाल करवा लेगा। यह कुछ कमियां है और इन कमियों को मैं इसलिये स्वीकार नहीं करता कि इन कमियों के कारण से लोग बच रहे हैं और हम उनको पकड़ नहीं रहे हैं। मैं एक साल का अचीव्मेण्ट आपको बता देना चाहूंगा....

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मैं क्षमा चाहूंगा। इनका कान्स्टीट्यूट पहले अगर आप सोच लेते कि सैण्ट्रल के क्या डाइरेक्शन्स हैं, प्रपोजल्स हैं इसमें, क्या आपके सामने इरिटेंट्स आयेगा। यह अगर पहले सोच लेते तो अच्छा रहता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि इसके ऊपर शुरू से विचार चल रहा है और लगातार....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने एक....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप बैठ जावो ना।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने एक बात कही....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो बहुत बातें कही हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आई. ए. एस. अधिकारी के खिलाफ आप कार्यवाही करना चाहते हैं लेकिन केन्द्र सरकार परमिशन नहीं दे रही है। क्या ऐसा कोई मामला पेंडिंग है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसे मामले जो विचाराधीन है मैं जिक्र नहीं करना चाहता, मैंने केवल आपके सामने एग्जाम्पल पुटअप की है कि आज बिना मन्जूरी के किसी आदमी का प्रोसीक्यूशन मैं नहीं कर सकता। आप इसको मानकर चलिये, इस तरह कई बार लोग सोचते हैं कि इसमें डिले क्यों हो गयी।

डा हरिसिंह (फुलेरा) : स्टेट मे ताल्लुकात रखने वाले भ्रष्टाचार नहीं करते मुख्य मंत्रीजी ? क्या इंजीनियर नहीं करते, क्या यह डाक्टर नहीं करते, क्या इनकी सैन्टर से परमीशन लेनी पड़ती है ? आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया वह बताइये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, 1991 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो की संज्ञा दी गयी और इस साल में जो अचीवमेंट है, मैं बता देता हूं उससे आपको अन्दाज हो जायेगा। प्रारम्भिक जांच दर्ज हुई है 147 मामलों में जिसमें 95 गजेटेड आफिसर हैं, अपराध दर्ज हुए हैं 218 में जिसमें 105 गजेटेड आफिसर हैं, ट्रेप केसेज का आल टाइम रेकार्ड है, 92 केसेज दर्ज हुए हैं ट्रेप के जिसमें 16 केसेज गजेटेड आफिसर के खिलाफ है, चालान जिसमें 93 हुए हैं यह भी आल टाइम रेकार्ड है उसमें 31 गजेटेड आफिसर हैं, विभागीय जांच प्रस्तावित जिसमें हो रही है उनमें 62 है और 35 गजेटेड आफिसर हैं। मैं आपको संक्षेप में यह देना चाहता हूं और मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूं कि अगर यह कानूनी प्रक्रिया और इस प्रकार के व्यवधान नहीं हों तो और भी ज्यादा इफेक्टिव कार्यवाही हो सकती है और उस सम्बन्ध में जितना मैं सतर्क हूं उस सतर्कता के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस भूत से पूरा संघर्ष करना पड़ेगा और बिना संघर्ष के भूत नहीं मिटेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को शिष्टाचार कह कर इस सारे भ्रष्टाचार को रोकने के वातावरण को दूषित नहीं करें।

अपराधों की बात कही गई और यह कहा गया कि साम्प्रदायिक तनाव मेरे राज्य में कुछ ज्यादा हुए और बाकी के राज्यों में साम्प्रदायिक तनाव नहीं हुए। मैं जोशीजी आपको इतना ही कह सकता हूं, आप जानकार हैं इसलिये कि आज कौनसा राज्य है जिस राज्य में ला एण्ड आर्डर सिच्युएशन कोई पर्टीकुलर बात को लेकर नहीं खड़ी हुई हो। आप आन्ध्र प्रदेश में जायें, आन्ध्र प्रदेश के अन्दर नक्सलवादी ने उत्पात मचा-रखा है, एक विशेष क्षेत्र में पुलिस नहीं जा सकती और वहां का प्रशासन नहीं जा सकता, महाराष्ट्र का चन्द्र नगर का एरिया ऐसा है जिसमें नक्सलवादियों ने अपनी गतिविधियां शुरू कर दी और मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश की सीमा पर सभी प्रकार की गड़बड़ियां कर रहे हैं और अभी कावेरी का विवाद चला। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जिस प्रकार का विवाद हुआ और तमिलों के साथ किस प्रकार से प्रान्तीयता के आधार पर लूट-पाट और हत्यायें और बाकी के अपराध किये गये। आन्ध्र प्रदेश के अन्दर न केवल, मैं आंकड़ों में आपको नहीं ले जाना चाहता, आन्ध्र प्रदेश के अन्दर जितने कम्युनल राइट्स हुए हैं, और जितने लोगों की हत्यायें हुई हैं, राजस्थान कहीं भी उस नम्बर में नहीं आता।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप उसमें कीर्तिमान करना चाहते हैं कर लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कीर्तिमान ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : हां, कीर्तिमान करना चाहते हो तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि मैं कीर्तिमान चाहता हूं और कीर्तिमान कायम....

एक माननीय सदस्य : जयपुर में दंगे हुए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जयपुर में हुआ दंगा, मैं इसको मना नहीं करता, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसको....

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : दंगों में आपके मंत्री और विधायक मौजूद थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये यूं कहने से मतलब नहीं चलेगा । आप कमीशन के सामने जाकर कह दीजिये । यहां बोल रहे हैं । आप वहां जाओ कमीशन के सामने, हलफनामा देकर कहो कि अमुक-अमुक मंत्री और विधायक उसमें शामिल हैं । यहां बोलने से कौन-सी बहादुरी दिखा रहे हो । यहां प्रिविलेज कोई किसी के खिलाफ बोल जाय उसका कोई एक्शन नहीं हो सकता । मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 89 के अन्दर

श्री हरिदेव जोशी (प्रतिपक्ष के नेता) : थक गये होंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं थका, आप शाम तक बुलवा लो चाहे । मेरे अचीवमेण्ट्स हैं मुझ बोलने में क्या संकोच है ।

एक माननीय सदस्य : आप नहीं थके क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप यह कह दो कि मेरे भाषण से और मेरे काम से सन्तुष्ट हैं तो मैं बन्द कर देता हूं । अगर आप दोनों बातें चाहो तो नहीं हो सकता लेकिन मैं इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि भाषण समाप्त करूंगा उस समय तक आप कह देंगे कि हम आपके काम से सन्तुष्ट हैं यह मैं समझ रहा हूं । तो धीरे-धीरे अब जो मैं कह रहा हूं आपके गले उतर रही है। मैं अध्यक्ष महोदय, इतना ही कह सकता हूं, मैं, ज्यादा जोशीजी ने कहा, समय नहीं लेना चाहता । कम्युनल राइट्स 1991, मैं संख्या देकर आपका समय नहीं लेना चाहूंगा लेकिन इस सिच्युएशन पर कन्ट्रोल किया है, 1990 के अन्दर जो घटनाएं हुई है मैं इस सदन में पहले भी कह चुका हूं लेकिन पुराने जमाने में 1989 में, 1988 में और 1987 में जितना तनाव और हत्यायें और इस प्रकार की चीजें बनी है मैं समझता हूं उससे राजस्थान बड़ा अछूता रहा है । मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा पूरे सदन से कि यह इतना सेन्सिटिव मैटर है कि धीरे-धीरे जैसे जोशीजी ने कहा कि आपस में इस प्रकार का वातावरण बन गया, छोटी सी चिनगारी एक बम की शक्ल ले सकता है, जहां इस प्रकार की चिनगारी पैदा हो मैं समझता हूं हम सब मिल कर उसको रोकने की कोशिश करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न आता है गंगानगर का । मैं और मामलों में तो जाना नहीं चाहता, गंगानगर का मैं इतना ही कह सकता हूं कि गंगानगर में जिस प्रकार की स्थिति बन गयी थी उस स्थिति पर हमने

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

काफी कण्ट्रोल किया है। उस कण्ट्रोल करने के कारण आज पंजाब में जिस प्रकार की स्थिति है आपको शायद मालूम होगा कि पंजाब में अर्द्धसैनिक बल और सैना दोनों लगी हुई है, दोनों लगने के उपरान्त भी वहां रोज हत्यायें और बाकी के काम सब होते हैं। कोई सैना कम नहीं लगी हुई है, अर्द्ध-सैनिक बल की भी शायद 9 हजार कम्पनियां लगी हुई हैं ...

एक माननीय सदस्य : 900 है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 900 कम्पनियां लगी हुई हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : वहां की स्थिति और गंगानगर की स्थिति में....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप बैठ जाइये ना। आपको कुछ ए., बी., सी., डी, का पता नहीं है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : क्यों नहीं है पता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप बैठें, मुझे बोलने दीजिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : why do you compare Rajasthan with punjab? वहां की परिस्थिति अलग है। आप तो सी. आर. पी. नहीं रख पा रहें हैं। वहां तो मिलिट्री है।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ला एण्ड आर्डर पर विचार करने से पहले हम को एक तथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, पुलिस फोर्स उस प्रकार से नहीं बढ़ रही है। कई वर्षों के बाद अभी दो बटालियनों की नयी भर्ती शुरू की है। जनसंख्या बढ़ रही है पर थानों की स्ट्रेन्थ वहीं की वहीं, जिलों की स्ट्रेन्थ के साथ आज जिस प्रकार का वातावरण बना, उसको हैण्डल करना चाहें, उसमें कई कठिनाइयां आती हैं दो बटालियनें अभी खड़ी की हैं।

मैं गंगानगर के बारे में कह दूं। गंगा-नगर जिले में 1989 में 13 ए. के.-47 रायफलें पकड़ी और 35 ए. के.-56 पकड़ी और कारतूस 16256 पकड़े 91 में ए. के.-27 पकड़ी 104 और ए. के -56 पकडी 534 और कारतूस 42217 पकड़े गये। अब इससे आप अन्दाज लगा लें कि पुलिस ने जान जोखिम में डाल कर किस प्रकार का काम किया है। 36 करोड़ का तस्करी का माल जब्त किया है। आज आप यह कहते हैं कि ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब है, गंगानगर की स्थिति खराब है। मुझे खेद है कि दो बच्चों का अपहरण हो गया, उसमें हम लोग लगे हुए हैं, मुझे विश्वास है-मैं डिटेल में नहीं जाऊं तो उसको पकड़ने में ज्यादा आसानी होगी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह जो कुछ हो रहा है उसमें पुलिस की मुझे तारीफ करनी चाहिये कि जिस प्रकार के सरकमस्टान्सेज हैं, जिस प्रकार का पुलिस बल लगा हुआ है, हथियार नहीं, गाड़ियां नहीं। कल ही केन्द्रीय गृह मंत्रीजी ने एक बैठक बुलायी थी उसमें मैंने कहा मुझे आप ए. के.-47 राय-फल दीजिये, कहने लगे कई राज्यों ने पैसे नहीं दिये। मैंने कहा मैं पैसे आपको शाम को ही पकड़वा कर चला जाऊंगा। मुझे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ए के.–47 रायफल दे दीजिये और देने के सा० मेरे पुलिस के पास कम से कम ऐसे हथियार तो हों जो टैरेरिस्ट के पास हैं। उनके पास ए. के.-47 और ए. के -56 हैं और हमारे पास थ्री नाट थ्री लेकर घूमते रहें तो टैरेरिस्ट की मानसिकता पर कोई असर नहीं होगा और इस दृष्टि से हम ने मांग की। उन्होंने कहा कोशिश करेंगे। मैंने तो यहां तक कहा कि जो हम पकड़ें वही हमको दे दें। यह थानों में पुलिस के लिये इन्सेंटिव होगा और इन्सेंटिव के चलते सब प्रकार की बात चलती है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मुख्य मंत्रीजी, बता सकते हैं इसमें कितना पुलिस का प्रयास है और कितना अदर एजेन्सी का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाइये, मैं बता दूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 8 हजार की लागत से बुलट प्रूफ जाकिट भारत निर्मित खरीदी जाकर पुलिस अधीक्षकों को जिला गंगानगर में दी गयी है। इसके अलावा 3 लाख की लागत की 50 बुलट प्रूफ जाकिट 42 इंग्लैण्ड से और 8 जर्मनी से क्रय की गयी और पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को आवंटित की गई हैं, उनको सुरक्षित करने के लिये। 100 ए. के.–47 और 20 हजार कारतूस भारत सरकार से प्राप्त कर पुलिस बल को उपलब्ध कराये गये। 636 कमांडों प्रशिक्षित किये जा रहे हैं। आतंकवादियों द्वारा विस्फोटक व विध्वंशकारी पदार्थों का उपयोग एवं हथियारों के डिटेक्शन के लिये विभिन्न प्रकार के उपकरण लगभग 15 लाख के क्रय किये गये। 12 लाख का सामान एस. टी. सी. के माध्यम से इंग्लैण्ड और कनाड़ा से आयात किया गया है। उसमें दो मेटल डिटेक्टर 8 हैण्ड मेटल डिटेक्टर। 20 डिटेक्टर, एक्सप्लोसिव डिटेक्टर। इस प्रकार का सामान खरीद कर उनको दिया गया। इसी प्रकार गाड़ियां दी गयीं और इसी प्रकार से अन्य उपकरण उनको उपलब्ध कराये गये। जो सरकार कर सकती थी उसको रोकने के लिये सब कुछ किया है और इसका परिणाम है कि सब कुछ कार्यवाही आतंकवादियों द्वारा करने के उपरान्त भी इस सीमा पर और गंगानगर जिले में उस प्रकार की स्थिति नहीं बनी है जो लोग उसकी आशा करते थे।

अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की सीमा 1044 किलोमीटर है। 1044 किलोमीटर सीमा की व्यवस्था करना और आज के दिन व्यवस्था करना आसान बात नहीं है। लेकिन सदन को जानकारी देना चाहूंगा, सदन एक बात के लिए सतर्क हो जाय। आतंकवादियों के बीच में और तस्करों के बीच में सांठ-गांठ हुई है। यह सांठ-गांठ हमारे लिये खतरनाक होगी। इसलिये मैंने भारत सरकार को भी सावधान किया है और इतनी बड़ी सीमा के ऊपर आप बी. एस. एफ या राजस्थान की पुलिस या राजस्थान के प्रशासन से सारी परिस्थितियों का मुकाबला कर सके, कर रहे हैं, लेकिन इसके लिये इक्विपमेंट चाहिये, साधन चाहिये इस दृष्टि से मैंने कहा था। आप मुझे हथियार दीजिये। आप जीप दीजिये दुर्भाग्य की बात है कि 1989 में पंजाब एक्शन प्लान बना उसमें 9 से साढ़े 9 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को मिलना चाहिये था। सब कुछ प्रयास करने के बाद केवल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

50 लाख रुपया मिला। हमने अपने बजट से सारा सामान खरीदकर पुलिस को दिया है। उसके उपरान्त भी आप कहें कि वहां व्यवस्था ठीक नहीं है तो मैं ऐसा समझता हूं कि पुलिस और सबका उसके कारण मनोबल नहीं टूटे मैं उस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक और क्राइम्स की स्थिति है। आप चाहें तो मैं आंकड़े दे दूं. आंकड़े मेरे पास हैं लेकिन मैं सदन का समय इसलिये नहीं लेना चाहता कि यह आंकड़ेबाजी जिस समय पुलिस की डिमाण्ड आयेगी, उस समय पूरे विस्तार से बता दूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूं जो व्यवस्था चल रही है उसमें इम्प्रूवमेण्ट की हमेशा गुंजाइश रहती है। कमियां भी रहेगी। उन कमियों को किस प्रकार से डिटेक्ट करके रोका जाय उसका हम निश्चित रूप से इन्तजाम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कई बातें और भी कही गयी। उस विषय में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में योजना-बद्ध विकास ज्यादा हो, भारत सरकार से ज्यादा से ज्यादा सहायता लें, जो कुछ व्यवस्था की हैं। उसमें धन की आपूर्ति के लिये यदि हमें प्राइवेट सैक्टर को इन्वाइट कर सकें और वह आ सके तो उसको आने के लिये भो आमंत्रित किया जायेगा। मैं समझता हूं कि अब विपक्ष को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि परसों मनमोहन सिंहजी ने जिस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया है। जैसे गोर्बाच्योव ने सारे संसार को कम्युनिस्टों से मुक्त कर दिया। मनमोहन सिंह ने अपना बजट प्रस्तुत करके कांग्रेस पार्टी को समाजवाद से मुक्त कर दिया। यह तो बहुत अच्छी बात हुयी है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हू....

श्री हेतराम बेनीवाल : आप एक साथ मिल जायं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आडवानी जी ने तो इतनी तारीफ की है अमेरिका में अपने भाषणों में तो आपकी आडवानीजी से कुछ भिन्न राय है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो आपको यही कह रहा हूं समाजवाद से मुक्त कर दिया इससे बड़ी क्या बात होगी ?

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में जिस प्रकार की अकाल की स्थिति, चुनाव की स्थिति है, उन पर अपने विचार रखे हैं। इस सदन में फिर अवसर मिलेगा, अपने विचार व्यक्त करता रहूंगा। मैं नहीं कहता शासन में कोई कमी नहीं है पर उस को दूर करने की नीयत मेरी साफ है ओर माननीय सदस्य कुछ कहेंगे तो निश्चित रूप से उसके आधार पर काम करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद दिये जाने का जो प्रस्ताव है वह एक साथ पारित कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया गया धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अनेक माननीय सदस्य : नां।

श्री अध्यक्ष : हां पक्ष जीता... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया गया धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति, 1991–92 का 47, 48, 49, 50, 51 वां प्रतिवेदन

श्री परसराम मदेरणा समिति का प्रतिवेदन रखेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (सभापति, जनलेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति, 1991–92 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं—

1. जनलेखा समिति, 1973–74 के पांचवें प्रतिवेदन (पंचम विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 47 वां प्रतिवेदन।

2. जनलेखा समिति, 1973–74 के छठे एवं सातवें प्रतिवेदन (पंचम विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 48 वां प्रतिवेदन।

3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, वर्ष 1984–85 (सिविल) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेद संख्या 5.2, 5.3 एवं 7.1 पर समिति का 49 वां प्रतिवेदन।

4. जनलेखा समिति, 1972–73 के द्वितीय प्रतिवेदन (पंचम विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 50 वां प्रतिवेदन तथा

5. जनलेखा समिति, 1972–73 के तीसरे प्रतिवेदन (पंचम विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 51 वां प्रतिवेदन

सदन की मेज रखे गये पत्रादि

अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि (अधिसूचना) श्री भंवरलाल शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 2 (8)/राजस्व/भूमि रूपान्तरण/90 दिनांक 3.3.92 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व नगरीय क्षेत्र की आवासीय एवं नगरीय प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियतिकरण, नियमतिकरण, नियम 1981 में संशोधन किया गया है। सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य

पुर: स्थापित किये जाने वाले विधेयक

राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य । पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक ।

श्री रामनारायण विश्नोई, ऊर्जा मंत्री राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

श्री रामनारायण विश्नोई (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

श्री रामनारायण विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करता हूं ।

राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत, प्रभारी मंत्री, राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करता हूं ।

राजस्थान भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : श्री मिश्रीलाल, प्रभारी मंत्री राजस्थान भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

श्री मिश्रीलाल चौधरी (उप मंत्री, राजस्व) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री मिश्रीलाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

श्री सांवलियाजी मन्दिर विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा परिनियमन संकल्प के लिये।

(अनुपस्थित)

श्री राम किशोर मीणा, प्रभारी मंत्रीजी।

श्री राम किशोर मीणा (देवस्थान मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सांवलियाजी मन्दिर विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंहजी।

श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को तीन महीने के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल को लाने के लिये जो कारण दिये गये हैं इसमें यह स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि अनियमिततायें क्या हुई हैं। ट्रस्ट की आडिट रिपोर्ट के आधार पर, या किसी इन्क्वायरी के आधार पर या किसी चीज के आधार पर सरकार ने यह तय किया है कि इस ट्रस्ट को खत्म किया जाये और सरकार के नियन्त्रण में लिया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि क्योंकि इसमें कारण नहीं दिये गये हैं, सरकार या मंत्री महोदय जब जवाब देंगे उसमें स्पष्ट कहेंगे कि किस लिये इसे सरकार के नियंत्रण में लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को लाने में एक बहुत बड़ा घातक इफैक्ट होगा। सर्वप्रथम तो यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ग्वालियर स्टेट में 16 गांव थे उनको मन्दिर को नियंत्रण करने का अधिकार था उस अधिकार को यह सरकार खत्म कर रही है। सर्व प्रथम तो यह है कि 16 ही गांवों में इलेक्शन होता था और वोट देकर रिप्रजेन्टेशन तैयार करते थे, नुमायंदे चुने जाते थे और वह नुमायंदे इस ट्रस्ट को चलाते थे। अब जिस हिसाब से यह कानून आयेगा उसमें जो क्वालिफिकेशन्स इन्होंने दे रखी है उससे यह स्पष्ट होता है कि बाहर का दखल इसमें जरूर होगा। एक प्रोविजन तो यह रखा है कि उन 16 गांवों में से प्रतिनिधि होंगे उसको रखा जायेगा। और 8 आदमी इस बोर्ड में नामीनेट किये जायेंगे। उन आठ आदमियों को लेने के लिये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। 16 गांवों में से तीन आदमियों को रखा जावेगा, पांच आदमी बाहर के होंगे और उन पांच आदमियों के लिये इन्होंने जो क्वालिफिकेशन्स डाली है उसमें विष्णु रिलिजन, हिन्दु रिलिजन के डिस्टिंगुश्यड आदमी होंगे। अगर 16 गांवों में पढ़ा लिखा या डिस्टिंगुश्यड आदमी सरकार की नजर में नहीं होगा तो 16 गांवों का ही रिप्रजेन्टेशन उसमें नहीं होगा। तीन आदमी तो आपने ऐसे रखे हैं

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

"....who have distinguished themselves in the administration, legal affairs and official matters." इसका मतलब जो सरकारी नौकरी में रह चुका होगा उनको रिप्रजेन्टेशन होगा। अध्यक्ष महोदय, इन 16 गांवों में न तो ऐसा मिलेगा जो हिन्दू स्कालर हो, न आपको ऐसा मिलेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हुआ हो। इसका मतलब यह कि जो रिप्रजेन्टेशन 16 गांवों को मिलता था उसमें आप कटौती करेंगे। "two eminent Hindus of the State of Rajasthan." आपने इसका स्कोप इतना बढ़ा दिया है, पहले इन 16 गांवों का नियंत्रण जो इतने सालों से चल रहा है वह नियंत्रण उन 16 गांवों के लोगों के हाथ से निकाल कर बाहर के आदमियों को देना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार की नीयत इसमें साफ नहीं है। सिर्फ इसलिये नहीं है कि यह क्वालिफिकेशन्स लगाकर गांव वालों को तो आप वंचित रखना चाहते हैं और शासन पार्टी की जो फिलासफी है उसके अन्तर्गत आप उन आदमियों को लाना चाहते है जो या तो विश्व हिन्दू परिषद से लगाव रखता हो या उन लोगों को लाना चाहते हैं जो केवल ब्राह्मण हों। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इन 16 गांवों का जो रिप्रजेन्टेशन आता है उनमें गूजर, अहीर और उड़मी जाति के लोग ज्यादा होते हैं। उन्हीं को रिप्रजेन्टेशन जाता है। यह तीनों ही जातियां मण्डल आयोग के अन्तर्गत ओ. बी. सी. में आती हैं इन जातियों से नियन्त्रण आप उठाकर इन जातियों को देना चाहते हैं यह इसके पीछे नीयत है। आज तक इन जातियों का इसके ऊपर न तो कब्जा रहा है न नियंत्रण रहा है। इस ट्रस्ट को चलाने के लिये ग्वालियर स्टेट ने जो रूल्स और रेगुलेशन्स बनाये थे उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इन्हीं जातियों में से ट्रस्ट बनेगा और इन्हीं जातियों का रिप्रजेन्टेशन होगा। इस ट्रस्ट में जो पैसा आता है उस पर इनका नियंत्रण होगा। ब्राह्मण केवल पूजा का अधिकारी होगा और इस ट्रस्ट में जो पैसा आता है उस पर उसका नियन्त्रण नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस मन्दिर में आज के दिन हर महीने चार-पांच लाख रुपया एकत्रित होता है। यह साल का जो 25–30 लाख रुपया आता है उस पर नियंत्रण करने की इस सरकार की मंशा है। मैं मानता हूं 15-20 साल से जो ट्रस्ट के मैम्बर बने हैं उनमें हिन्दू पदाधिकारी जो भी रूलिंग पार्टी थी उसके साथ में जुड़कर उनको सुविधा जरूर उपलब्ध करते थे। वह सुविधा वह पाते थे। हो सकता है कि जो नई रूलिंग पार्टी है उनको भी सुविधा मिल जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मन्दिर का नियंत्रण पूर्ण रूप से केवल इन ओ.बी.सी. की तीन जातियों का होना चाहिये और मेरा यह मत है। इसके लिये आपकी पार्टी जो आर्डिनेंस लाकर इस कानून को लाई है उसको तीन महीने के लिये जनता में प्रचालित किया जाये ताकि आपको सही ओपीनियन मिलेगी कि आखिरकार किस के हाथ में यह नियंत्रण जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में बार-बार यह लिखा गया है who does

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

profess Hindu religion." जो हिन्दू होगा उसी का नम्बर जायेगा... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इस सरकार से, मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इस हिन्दू की परिभाषा क्या है ? कांस्टीट्यूशन के आर्टीकल 25 में हिन्दू जाति का जो विश्लेषण हुआ है, या एक्सप्लेनेशन टू में जो यह कहा गया है कि सिख भी हिन्दू हैं, बौद्ध भी हिन्दू है, जैनी भी हिन्दू हैं उसको इन्क्लूड करते हैं ? या मनुस्मृति में जिसको हिन्दू माना गया है कि जिसको गायत्री मंत्र पढ़ने का हक होगा, जिसको जनेऊ लगाने का हक होगा, उसी को हिन्दू मानते हैं ? इसकी क्या आपने परिभाषा की है ? किस हिन्दू को इसका मैम्बर बनायेंगे, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आर्टिकल 25 और एक्सप्लेनेशन टू का सवाल है, आपको पता ही है कि आज सिख भी यह कहते हैं कि हमारा नाम इस एक्सप्लेनेशन टू से निकाल दिया जाय, हम हिन्दू जाति बनना नहीं चाहते। इसके साथ ही साथ जैनियों ने भी यह विचार चला रखा है कि हम हिन्दू जाति नहीं हैं, हमें माइनारिटी डिक्लेयर किया जाय। राजस्थान पत्रिका के मालिक कुलिशजी ने भी सुप्रिम कोर्ट में रिट लगायी है कि ऐसा जजमेंट दें कि जैनियों को हिन्दू से अलग रखें और जैनियों को एक माइनारिटी डिक्लेयर करें। मैं केवल इतना पूछना चाहूंगा कि सरकार इस हिन्दू की परिभाषा किस हिसाब से करती है ? इस एक्ट में जो शब्द लिया है, कौनसे दायरे में यह हिन्दू आता है ? क्या इसका दायरा होगा ? कौन इसमें इन्क्लूड होगा और कौन इसमें एक्सक्लूड होगा ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे भी ज्यादा आब्जेक्शनेबल बात इसमें यह लिखी हुई है कि इस ट्रस्ट का जो पैसा होगा उसका बेनिफिट हिन्दू के लिये होगा, हिन्दू जाति के लिये होगा। उसके साथ-साथ लैपर असाइलम का मेण्टिनेंस और एस्टेब्लिशमेंट केवल हिन्दुओं के लिये होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान के कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत यह अलग-अलग करना कि यह ट्रस्ट जो हास्पिटल बनायेगा वह केवल हिन्दुओं के काम आयेगा, मैं समझता हूं कि कांस्टीट्शन के भी खिलाफ है और जिस भावना से यह देश बना है, एक हुआ है उस भावना के भी खिलाफ है। इसको यहां से डिलीट कर देना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि आप हिन्दू की परिभाषा क्या करते हैं ? मनुस्मृति के हिसाब से करते होंगे तो जितने शिड्यूल्ड कास्ट हैं वे भी इस हास्पिटल में नहीं जा सकेंगे। मन्दिर में तो जा ही नहीं सकते, उनको वैसे ही रोक है, किन्तु हास्पिटल में भी शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी नहीं जा सकता। गांव के आस-पास मुस्लिम आबादी बहुत है, कम से कम चार गांव ऐसे हैं जिनमें दो-दो हजार मुस्लिम रहते होंगे। आधा मील पर जो हास्पिटल खुला हुआ है सांवलिया जी में, वहां जाने पर उनके ऊपर रोक लगेगी। सरकार का क्या मानस है इसके पीछे इसका स्पष्टीकरण सामने आना चाहिये। शासक पार्टी के शिडयूल्ड कास्ट के केबिनेट मंत्री श्री कैलाश मेघवाल इसका बेनिफिट उठा सकेंगे, मैं समझता हूं, इसका जवाब आप स्पष्ट रूप से देंगे क्योंकि आपने स्पष्ट रूप से कहा है कि हास्पिटल केवल हिन्दुओं के काम आयेगा

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

जनरल के काम नहीं आ सकता। जितना भी पैसा इस ट्रस्ट का है वह केवल उन हिन्दुओं के काम आयेगा जिनको कास्ट में माना जाता है ? या शिड्यूल्ड कास्ट का भी उसमें नम्बर आयेगा ? जो हास्पिटल और एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशंस बनेंगे उनका अड़ौस-पड़ौस में जो मुस्लिम रहते हैं वे भी उपयोग कर सकेंगे, यह सबसे बड़ा प्रश्न इस सदन के सामने है। क्या यह सदन एक ऐसे एक्ट को पास करने को तैयार है जिसमें यह डिसक्रिमिनेशन होगा, जो अपने कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है और जो इस देश की एक भावना है उसके खिलाफ है। जब तक यह स्पष्टीकरण नहीं आवे, सदन से मैं निवेदन करूंगा कि इस एक्ट को तीन महीने के लिये जनता में परिचालित किया जाय ताकि सही भावना जो जनता की है वह सामने आये।

श्री अध्यक्ष : कल्ला जी, आप बोलेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, 2 दिसम्बर, 1991 को संविधान के अनुच्छेद 213 (ए) के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने एक अध्यादेश जारी कर सांवलिया जी के मन्दिर का अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण किया उस समय राज्य सरकार ने तीन उद्देश्य बताये—प्रबन्ध हम अच्छा करेंगे, प्रशासन अच्छा देंगे और शासन। क्या ये सांवलिया जी के मन्दिर पर भी शासन करना चाहते हैं ? यह शब्द इन्होंने, मैं समझता हूं बहुत ही गलत इस्तेमाल किया है। सांवलियाजी तो स्वयं ओमनीपोटेंण्ट, ओमनीसिएण्ट और ओमनीप्रजेण्ट हैं। उनके लिये इस शब्द का उपयोग किया जाना और शासन करने की मंशा, मैं समझता हूं, कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं मान सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 गांवों के मूल निवासियों ने इस मन्दिर की स्थापना की। 1957 में कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। हर वर्ष चुनाव के माध्यम से जन-प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और इस मन्दिर की अच्छी व्यवस्था करते हैं। उन्होंने वहां पर स्कूल भवन बनाये, धर्मशालायें बनायीं, अच्छे चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय बनाये और इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं कि फरवरी, 1991 में कुछ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संस्था से गबन-घोटाला किया गया, जिसकी एफ. आई. आर. नम्बर 106/91 और 115/91 पुलिस थाना भादसोडा में दर्ज करायी गयी। लेकिन अफसोस है कि राजस्थान सरकार के मंत्री ++ने राजनीतिक रूप से मुलजिमान को संरक्षण प्रदान किया और परेशान होकर

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बात गलत है। विजयसिंह झाला यहां हैं नहीं, अस्वस्थ हैं। उनकी अदम मौजूदगी में इस प्रकार का चार्ज लगाना उचित नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप इसका प्रति-उत्तर दे देना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं देऊं या नहीं देऊं....

+++नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्वयं नियमों को जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने मुझे नोटिस दिया होता तो मैं जवाब दे देता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वे तो अस्वस्थ हैं और पूरे सदन में आयेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी बात सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे नोटिस दे देते।

श्री अध्यक्ष : किसी के नाम से जब आपको आपको आरोप लगाने हैं तो उसके लिये नोटिस देना जरूरी है। उन आरोपों की प्रतिलिपि उनके पास भी जाती है। आप यदि उसमें कुछ प्रमाण पेश करें तो सन्तुष्ट होने के बाद इजाजत आपको मिलने पर आरोप लगाये जा सकते हैं। इसलिये इनके नाम से जो आरोप लगाये गये हैं वे हटा दिये जायं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, यह चिट्ठी जो मेरे पास आयी है मैं सदन की मेज पर रख देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप नाम मत लीजिये किसी व्यक्ति विशेष का जो यहां है नहीं। यहां है भी तो भी आरोप लगाने की एक प्रक्रिया है, वह आप जानते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के सम्बन्ध के बारे में गांव वासियों की चिट्ठी आयी है, आप इजाजत देंगे तो मैं सदन की मेज पर रख दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्यों रख देंगे सदन की मेज पर ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस चिट्ठी के अनुसार जो राजनीतिक संरक्षण दिया गया उसी के परिणामस्वरूप आज यह स्थिति आ गयी कि राजनीतिक विद्वेष रखते हुये, राजनीतिक तौर पर राज्य सरकार उसको अधिग्रहित करने जा रही है, जिस मन्दिर की प्रबन्ध व्यवस्था अच्छी थी। मेरा एतराज यह भी है कि आज उन्हीं सोलह गांव के लोग जनतान्त्रिक प्रणाली से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल्ला जी, लोकल कांग्रेस वाले क्या कहते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : लोकल कांग्रेस वाले क्या कहते हैं अधिग्रहण नहीं होना चाहिये। मुझे मालूम है, आज सुबह ही लोग मिले हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने इसके प्रबन्ध के लिये जिन लोगों को लेने की बात कही है, मानीय मुख्य मंत्रीजी जब विपक्ष के नेता के रूप में बोलते थे तो कहते थे कि जिलाधीश के पास इतना काम कर दिया है कि उसको फुर्सत नहीं है, वह ओवरबर्डण्ड है। सांवलिया जी के मन्दिर के प्रबन्ध में इन्होंने देवस्थान आयुक्त और जिलाधीश को सम्मिलित किया है। इनकी मंशा यदि अच्छी होती तो उन 16 गांव के लोगों को, वे जिस तरह जनतान्त्रिक प्रणाली से चुनकर आते थे, वैसी व्यवस्था करके उसका बोर्ड बनाते, तो कोई बात समझ में आती। गांव के जो ओ. बी. सी. के लोग वहां पर जनतांत्रिक प्रणाली से चुनकर अच्छी व्यवस्था करते थे, इन्होंने राजनीतिक बदले की भावना से उसको भंग करके, बाहर के लोगों को बुलाकर मैं समझता हूं, उनकी भावनाओं पर कड़ी चोट

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पहुंचायी हैं। इसके साथ-साथ मेरे पूर्व जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने यह बात कही कि केवल मात्र एक शब्द पर स्ट्रैस देकर....

श्री अध्यक्ष : आप उसको रिपीट क्यों करते हैं, अपने आर्ग्युमैण्ट्स दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसको इलैबोरेट कर रहा हूं आगे, इसका विस्तार कर रहा हूं। देश के संविधान में हर व्यक्ति को मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाने की समान स्वतन्त्रता हैं। सांवलिया जी के मन्दिर के डिवोटीज सारे लोग हैं। इसमें जो पर्टिकुरली यह बात कही है कि इसका तो यही उपयोग करेंगे, यह संविधान के प्रतिकूल जाता है। मैं तो यह कहता हूं कि 16 गांव के निवासी जिस धार्मिक भावना से इस मन्दिर की व्यवस्था कर रहे थे, उनके अधिकार में ही इसको चलने देना चाहिये न कि इसका सरकारीकरण किया जाना चाहिये। इसलिये इसको एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय। जो ये बिल लेकर आये हैं इसका मैं विरोध करता हू।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य, आप बोलेंगे।

(3.00 म. प.)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के अन्दर जिस तरह का प्रोविजन किया गया है, देवस्थान विभाग के प्रति जो मन्दिर हैं उन मन्दिरों में काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों का, सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से विरोध रहा है। हिन्दुओं के जिन मन्दिरों को देवस्थान विभाग में ले लिया गया उसमें निजी मन्दिर भी ले लिये गये। उनकी जांच की गयी, लेकिन उन निजी मन्दिरों को मुक्त नहीं किया गया आज तक। इसी तरीके से जो प्रबन्ध देवस्थान विभाग को सौंपा है, जो लोग पूजा करना नहीं जानते, ऐसे पुजारियों को लगा दिया गया उनके बजट की पूरी व्यवस्था नहीं की गयी। देवस्थान विभाग की सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, लोग अनाधिकार कब्जे करके अधिकार जता रहे हैं। देवस्थान विभाग के अधिकारी मिलकर यह सब करा रहे हैं। हमारे यहां उदयपुर में जगदीश जी का मन्दिर है, उसके पास में ऊपर जो मन्दिर है उसके बारे में अनेक बार मंत्री जी से, वहां के अधिकारियों से कहा। मंत्री जी के यह देने के बाद भी कि यहां के देवस्थान विभाग के कमिश्नर साहब से बात कर लीजिये, कमिश्नर ने मौका नहीं दिया कभी उन प्रतिनिधियों को मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा। जिस तरह से सिखों के गुरुद्वारों की अपनी व्यवस्था है, मस्जिदों की जिस तरह से अपनी व्यवस्था है, जिस तरीके से गिरजाघरों की अपनी व्यवस्था है, उस तरह हिन्दुओं को भी अधिकार होना चाहिये कि वे अपने मन्दिरों की स्वयं व्यवस्था करें, उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिये।

इसमें जो प्रावधान किया गया है कि ऐसे तीन व्यक्ति, जो हिन्दू धर्म या संस्कृति, विशेष रूप से वैष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत सेवा करने में विशिष्ठ रहे हों, ऐसे तीन लोग हों, मैं चाहता हूं कि इसमें तीन आदमी नहीं, बल्कि पांच आदमी रखे जाने चाहिये ताकि वह ठीक तरीके से इस बात को कह सकें।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

संविधान की बात कुछ लोगों ने कही। धारा 29 के अन्तर्गत उनको अपनी संस्कृति को, अपनी सेवाओं को बनाये रखने का अधिकार दिया गया है। लेकिन बहु संख्यक लोग हैं, उनके भी कुछ अपने अधिकार हैं। और बहु संख्यक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है जब मन्दिरों पर इस तरह से एकाधिकार किया जाता है।

आपने इसमें कलक्टर को उसका प्रतिनिधि रखा है। कलक्टर वैसे ही साठ-पैंसठ कमेटियों का मैम्बर होता है, चेयरमैन होता है, वह ठीक तरह से जिले की व्यवस्था नहीं कर पाता। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है और सरकार से आग्रह है कि इस बिल के अन्दर यह प्रावधान करें कि सम्पूर्ण हिन्दू समाज को ही इसके अन्दर रखें, प्रशासनिक अधिकारियों को बढ़ाकर इस तरीके से वहां की व्यवस्था की जाये।

सांवलियाजी के अन्दर जिस तरीके से स्कूल की बिल्डिंग, हास्पीटल की बिल्डिंग है, जिस तरीके से वहां पर प्रबन्ध हुआ है, वहां पर इतनी सम्पत्ति है कि उस सम्पत्ति के माध्यम से विश्वविद्यालय चलाया जा सकता है। इस तरह का प्रयास करना चाहिये, और यह तभी किया जा सकता है जब इसमें उस तरह के लोग लगें जिन की भावना उस क्षेत्र में काम करने की हो। जिस तरीके से उस सम्पत्ति की आज तक लूट, खसोट होती रही और लोगों को लाभ प्राप्त होता रहा, वे आज भी चाहते हैं कि वही व्यवस्था बनी रहे।

मैं व्यवस्था के तो पक्ष में हूं कि सरकार ने सांवलियाजी के लिये जो किया, उसके लिये राजस्थान की सम्पूर्ण जनता ने उनको धन्यवाद दिया है कि

(3.05 म. प.)

(श्री हीरा सिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस व्यवस्था को बदल करके, उन लोगों से इस व्यवस्था को छीन करके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उसकी सम्पत्ति को बचाया जा सकता है और जो लोग व्यक्तिगत लाभ उठा रहे थे उस सम्पत्ति का, उस सारी सम्पत्ति का उपयोग समाज के लिये किया जा सकता है।

लेकिन मेरा यह निवेदन है कि यहं वैष्णव सम्प्रदाय में लोगों को जोड़ कर, जो इस भावना से जुड़े हुये हैं, इस संस्कृति से जुड़े हुये हैं, और जिन के कारण देवस्थान विभाग खास तौर से यह संरक्षण नहीं कर पा रहा है मंदिरों का, और जिस तरीके से मंदिरों की दुर्दशा हो रही है, इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसलिये मेरा आग्रह है कि तीन महीने के लिये इसको जनता के अन्दर प्रसारित करके जनता की भावनाओं की जानकारी लेकर, बाद में इसको पास करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनलालजी सैनी।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सांवलियाजी के मन्दिर के ट्रस्ट के बारे में जो व्यवस्था करने पर विचार रखे हैं, वह विचार तो वास्तव में ठीक है। अभी बात की गई कि हिन्दू कौन है और कौन नहीं है। इसमें कोई बात नहीं है। संविधान जैसे हिन्दू की व्याख्या करेगा, जिसे हिन्दू कहेगा, उसको हिन्दू माना जायेगा।

(श्री मदनलाल सैनी)

मेरा इसमें सुझाव है कि विश्व हिन्दू परिषद और और भी हिन्दूओं के अलग-अलग संगठन समय-समय पर सस्कृति और धर्म की व्यवस्था करते हैं, इस प्रकार से जो हमारे आचार्य हैं जैसे शकराचार्य हैं, और दूसरे आचार्य हैं, उनका भी योगदान इसमें मिले तो जिलाधीश महोदय के स्थान पर इस प्रकार के लोगों को लिया जाना ज्यादा ठीक रहेगा।

इसलिये इसको जनमत जानने के लिये भेजना उचित रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वर प्रसाद भारद्वाज (अनुपस्थित) श्रीमती सुमित्रा सिंह (अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल के बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो 16 गांव इस मन्दिर की परिधि में आते हैं वहां के व्यक्तियों की विशेष पूजा अराध्य देव श्री सांवलियाजी का स्थान पूरे भारत में बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त कर चुका है और इस मन्दिर की आज डेढ़ करोड़ रुपये से भी ज्यादा वार्षिक आय है। ग्रामवासियों की और से माननीय मुख्य मंत्रीजी को कई बार ज्ञापन दिये गये हैं तथा कलक्टर के यहां पर भी उन्होंने एक ज्ञापन दिया है 15 जुलाई और 16 गांवों के व्यक्तियों ने, जिसमें सभी पार्टियों के व्यक्ति थे, आकर कहा कि या तो रात-दिन के अन्दर-अन्दर इसकी व्यवस्था के संबध में कोई कार्यवाही तत्काल की जाय अन्यथा हम यहां पर धरणा, अनशन आदि करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में 18-9-1991 को आयुक्त, देवस्थान विभाग को शीघ्र जांच करने के लिये पत्र भेजा गया और जो आरोप लगाये गये थे ग्राम वालों की तरफ से तत्कालीन प्रबन्ध कार्यकारणी के सम्बन्ध में, उसमें से अधिकांश आरोप सही सिद्ध पाये गये। उसके बाद सरकार द्वारा निर्णय किया गया कि इसको बेहत्तर और अच्छी व्यवस्था के लिये इस सम्बन्ध में बिल बनाकर अलग से इसका एक्ट बना दिया जाय और उसी के तहत विधिपूर्वक उसका संचालन किया जा सके। जिस प्रकार की इसकी आय और मान्यता है, सरकार का यह दृष्टिकोण है कि जो मन्दिर है, उसकी ख्याति बढ़े, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन मिले।

इस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इसमें 16 गांव हैं ,जो इसकी परिधि में आये हुये हैं उनके व्यक्तियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है लेकिन इस बिल में यह व्यवस्था की गई है कि कम से कम 3 व्यक्ति, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होगा वह इन 16 गांवों में से ही लिये जायेंगे, अध्यक्ष तथा बाकी के जो 2 मैम्बर और लिये जायेंगे कम से कम हैं, ज्यादा मैम्बर भी लिये जा सकते हैं, उसके हिसाब से सरकार यह प्रयत्न करेगी कि उन्हीं गांवों के व्यक्तियों द्वारा ही प्रबन्ध कार्यकारिणी हो जो अच्छी और बेहत्तर व्यवस्था उसको कर सकें।

इस सम्बन्ध में सभी पार्टियों के लोगों ने ज्ञापन दिया था। उसकी जांच करवाई गई थी और जांच में सही पाये जाने पर ही इस प्रकार का सरकार द्वारा निर्णय किया गया है।

(श्री रामकिशोर मीणा)

इस सम्बन्ध में एक बात माननीय श्री कमलेन्द्र सिंहजी के कही कि इसमें हिन्दू शब्द शामिल किया गया है उस हिन्दू शब्द की परिभाषा क्या होगी? इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दू शब्द की परिभाषा हमारे संविधान द्वारा दी गई है वह इसमें शामिल है, कोई रोक-टोक नहीं है दर्शन करने के लिये और जो दूसरे प्रकार के अस्पताल हैं और अन्य व्यवस्थाएं हैं उनसे सभी प्रकार के हिन्दू उसका लाभ ले सकते हैं फायदा ले सकते हैं उसमें किसी प्रकार का बन्धन नहीं लगाया गया है। जिस प्रकार के इसमें उद्देश्य बताये गये हैं 2 दिसम्बर के आर्डिनेन्स में, प्रबन्ध और प्रशासन इसका किस प्रकार से हो, उसके अच्छा बनाने के बारे में सरकार का विचार है और इसी को दृष्टिगत रखते हुये यह बिल लाया गया है।

मेरा विनम्र निवेदन है कि 3 महीने के लिये जो जनमत जानने के लिये परिचालन किये जाने के लिये मांग की गई है उसको रद्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री सांवलियाजी मन्दिर, विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री यदुनाथसिंह : हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

एक माननीय सदस्य : कैसे जीता?

श्री यदुनाथसिंह : देख लें अच्छी तरह से।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अगेन पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि श्री सांवलियाजी मन्दिर विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

श्री कमलेन्द्र सिंह : हां पक्ष जीता।

श्री यदुनाथसिंह : यह काला कानून है इसको ऐसे पास नहीं होने देंगे। क्या बात कर रहे हैं, हिन्दू जायेगा अस्पताल में.... (व्यवधान)....

श्री भरोसीलाल : श्री मेहन्दीपुर के बालाजी का तो लाये नहीं? व्यवधान....।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अगेन एक बार फिर पूछवा लेता हूं....(व्यवधान)....

श्री यदुनाथसिंह : और कहां जायेंगे देश में से?

श्री उपाध्यक्ष : और कोई बात.... (व्यवधान)....

श्री कमलेन्द्र सिंह : डिवीजन करवा लीजिए। रेकार्ड पर आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : डिवीजन की जरूरत ही नहीं है इस समय....

श्री कमलेन्द्र सिंह : एब्शोल्यूट जरूरत है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, डिवीजन की हमारी मांग है....

श्री कमलेन्द्र सिंह : हमारा अधिकार है,

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिवीजन कराने का, आपको डिस्क्रिएशन ही नहीं है इस मामले में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जिस मामले में हम डिवीजन मांगते हैं, डिवीजन कराना पड़ेगा।

श्री कमलेन्द्र सिंह : आपको डिस्क्रिएशन ही नहीं है।....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक बार फिर पूछवा लेता हूं।

प्रश्न यह है कि श्री सांवलियाजी मन्दिर विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

श्री कमलेन्द्र सिंह : हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : जो पक्ष में हो वह खड़े हो जायं।

श्री कमलेन्द्र सिंह : हमारा डिवीजन कराने का अधिकार है। डिवीजन करवा लीजिये।

श्री यदुनाथसिंह : डिवीजन होना चाहिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, गलत राय मत दीजिये।

श्री कमलेन्द्र सिंह : डिवीजन करवा कर रिकार्ड करवा लीजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : जनमत जानने हेतु जैसी छोटी सी बात के लिये जहां सदन में यह मांग की जा रही है और जनमत जानने में भी क्या परेशानी आ रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : ना, ना। यह भी डिवीजन क्लेम करने के साथ व्यवस्था है कि जो पक्ष में हों वह खड़े हो जायं।

श्री यदुनाथसिंह : हां, पहले घण्टी तो बजाएं आप।

श्री उपाध्यक्ष : घण्टी तो बजा देंगे लेकिन यह भी एक व्यवस्था है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : घण्टी देकर बुलाओ फिर खड़े करवाना।

श्री उपाध्यक्ष : काल बैल देनी पड़ेगी क्या ?

श्री मदनलाल सैनी : यह आवश्यक नहीं है घण्टी देना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी आप नए सदस्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : घण्टी बजा दीजिये।

श्री कमलेन्द्र सिंह : नहीं, नहीं। मैं निवेदन करता हूं कि रिकार्ड कराने का हमारा अधिकार है। वोट का रिकार्ड करवाएं डिवीजन करके।

एक माननीय सदस्य : आप खड़े हो जाएं गिन लेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप पहले घण्टी देकर बुलवायें तो सही सबको।

(मत-विभाजन-घण्टी)

श्री यदुनाथसिंह : आप अमेंड कर दीजिए। आप कृपा करके यह जो जिस

(श्री यदुनाथसिंह)

तरह का विधेयक आ रहा है, अच्छा होगा कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से अमेण्डमेंट मूव कर दे। हमें समय कम मिला है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे का ?

श्री यदुनाथसिंह : यह कि, साहब, उसमें हिन्दू ही जायेंगे, दूसरे नहीं जायेंगे अस्पताल में, स्कूल में और... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लें पहले आप। जहां पर यह प्रतिबन्ध है वह हिन्दू शब्द हटा देंगे।

श्री यदुनाथसिंह : हटा दें तभी पास होगा। अभी अमेण्डमेंट मूव करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मूव कर देंगे।

श्री यदुनाथसिंह : तब तक दूसरा बिल ले लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं। कोई जरूरत ही नहीं है। वह हम वैसे ही हाउस की भावनाओं से अमेण्डमेंट नहीं हो तो भी हटा सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह गलत बात है साहब। पहले हटाना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, अब आप मूव कर दीजिये। मैंने श्री यदुनाथसिंहजी से कहा था कि वह मूव कर दें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री यदुनाथसिंह : तब तक श्री रामकिशोर साहब बोल दें। (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी तो विचारार्थ लिया जायेगा। ऐसी क्या बात है।?

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो स्टेज और बाकी है।

प्रश्न यह है कि श्री सांवलियाजी मन्दिर विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि श्री सांवलियाजी मन्दिर विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अमेण्डमेंट आ रहा है साहब अभी।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में कहा गया है, अमेण्डमेंट ले आइये ना। सदन के नेता महोदय द्वारा कहा गया है ऐसा....(व्यवधान) ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप प्रस्ताव मूव कर दो ना।

एक माननीय सदस्य : उसकी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यदि कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पुनः प्रभारी मंत्रीजी से निवेदन है कि

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सरकार अगर स्वयं ले आती है इस अमेण्डमेंट को तो यह बहुत उचित रहेगा। जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा, उनकी भावना भी है। वह उधर से ही मूव हो जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मौखिक भी इसमें प्रस्ताव रखा जा सकता है। मैं यह रखता हूं कि क्लाज (28), धारा (28) उपधारा (2) के खण्ड (घ) में शब्द है—हिन्दू धर्म को मानने वाले ऐसे निराश्रित व्यक्तियों के लिये, जो शरीर से असमर्थ तथा असहाय हों, दीन गृह का निर्माण व रख-रखाव करना। इसमें "हिन्दू धर्म के मानने वाले" इन चार शब्दों को विलोपित कर दिया जाय .. (व्यवधान) इसमें लिखा है हिन्दू धर्म को मानने वाले ऐसे निराश्रित व्यक्तियों के लिये, जो शरीर से असमर्थ तथा असहाय हो, दीन गृह का निर्माण और रख-रखाव करना। इसमें यह निराश्रित रह जायेंगे वह चाहे किसी के भी हों। "हिन्दू धर्म को मानने वाले ऐसे" इन पांच शब्दों का विलोपन कर दिया जाय तो बाद में यह रह जायेगा—निराश्रित व्यक्तियों के लिये जो शरीर से असमर्थ तथा असहाय हों—दीन गृह का निर्माण और रख-रखाव, यह स्वीकार कर लिया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : धारा "ग" और है। हिन्दुओं के फायदे के लिये एक अस्पताल और कोढ़ी आश्रम की स्थापना और रख-रखाव करना, इसमें भी सभी के फायदे के लिये होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह भावना एक ही है जो आप कह रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक कैसे है, वह धारा अलग है... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें साधारणतया वह लिखा हुआ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हिन्दू धर्म के बजाय सांवलियाजी के प्रति आस्था रखने वाले लोगों के लिये, यह हो जाय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इसका बैरोमीटर क्या होगा, इसको नापने का मापदण्ड क्या होगा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बिल में अभी मुख्य मंत्रीजी ने संशोधन प्रस्तुत किया है इस क्लाज मे और कांसीक्वेंसल जितने भी अमेण्डमेंट, जैसा कि अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, तो कांसीक्वेन्नल अमेण्डमेंट भी आप स्वीकार कीजिये और कांसीक्वेन्सल अमेण्डमेंट स्वीकार करने के बाद में आप अमेण्डेड क्लाज को स्वीकार कराइये हाउस से।

श्री चन्दनमल बैद : अमेण्डमेंट स्वीकार कर रहे हैं लेकिन मेन एक्ट में भी अगर ऐसे शब्द होंगे तो फिर आउट आफ कन्टेस्ट हो जायेगा। यह इस वास्ते मेन एक्ट में भी वह शब्द निकालने पड़ेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेन एक्ट यही है।

श्री चन्दनमल बैद : यही है क्या, ठीक है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, सन्दर्भ दो हैं, एक नहीं है। हर जगह हिन्दू शब्द को निकालना जरूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बिल की जगह दूसरा बिल ले लिया जाए, तब तक बात करके फिर संशोधन कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से दूसरा बिल लिया जा रहा है।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1991

परिनियत संकल्प

श्री परसरामजी मदेरणा और श्री राम नारायण जी वर्मा, सदस्य विधान सभा परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष जी, दोनों साथ-साथ नहीं बोलेंगे। पहले मेरा नाम पुकारिये। दोनों को साथ बुला रहे हैं, साथ-साथ बुलायेंगे क्या ?

उपाध्यक्ष जी, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश 1991 के सम्बन्ध में निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं। "यह सदन श्रीमन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 1991 को प्रख्यापित राजस्थान सहकारी सोसाइटी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या–9) को अस्वीकार करता है।"

उपाध्यक्ष जी, भारत के संविधान के आर्टिकल 213 के नीचे लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर से पास है और उनका इनवोक इंटर सेशन पीरियड में किया जाता है और वह ऐसी सरकमस्टान्सेज, इमरजेन्सी हो तब किया जाता है। इस सदन को जानकारी होगी कि पिछले सत्र में माननीय सहकारिता मन्त्री जी एक अध्यादेश लाये थे और उन्होंने उस अध्यादेश के जरिये को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की धारा 36 के अन्दर अमेण्डमेंट करवाया का, धारा 36 में एक नया क्लाज जोड़ा था "36–बी" एक साल के लिये इन सोसाइटियों के अगर चुनाव नहीं होते हैं और क्योंकि चुनाव अभी तक हुये नहीं हैं और चुनाव अभी तक शेष हैं, एक। और दूसरा हम सोसाइटियों की पुनः संरचना करना चाहते हैं इसलिये हम समय चाहते हैं एक साल का। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है और इस अध्यादेश का मतलब यही है कि यह पावर सिर्फ गवर्नर में है। आर्टिकल 213 इस प्रकार है और मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान की राज्य सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। जब 12 सितम्बर, 1991 को इस सदन में माननीय सहकारिता मंत्री जी एक संशोधन लेकर आये और उसके पास हाउस सदन में था, संरचना के सम्बन्ध में जो कुछ भी आपकी कल्पना थी इन सोसाइटियों के वापिस रिस्ट्रक्चरिंग की तो सभी अमेण्डमेंट्स आपको बिल में समावेश करने चाहिये थे। लेकिन एक बार अमेण्डमेंट कराकर के आप 12 सितम्बर को यहां से चले गये और उसको राज्यपाल की अनुमति मिली 23 या 24 सितम्बर को। एक महीने के बाद में आपने दूसरा ऑर्डिनेन्स प्रोमल्गेट करवा दिया। इसका मतलब यह है कि सदन को, जो सोवरेन हाउस है और जिस सोवरेन हाउस को इस बात का पूरा अधिकार है लेजिस्लेट करने का, बेसिकली बी आर दी लेजिस्लेटर्स, विधायक हैं हम, कानून बनाने वाले। हाउस को बाई पास करके इस तरह से आर्डिनेंस के जरिये आप

(श्री परसराम मदेरणा)

कानून बनाते हैं, यह सदन की अवमानना भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पहली बार हुआ है शायद।

श्री परसराम मदेरणा : और सदन की गरिमा को आप ठेस लगा रहे हैं माननीय मुख्य मंत्री जी। मैं पहली बार की बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक ही मिनिस्टर उसी एक्ट के अन्दर अमेण्डमेण्ट महीने भर बाद में और ला रहा है, यह जो पद्धति है, यह इस हाउस को बाइ पास करने की है। हाउस की आथोरिटी पर ट्रेस पास है। मेरी समझ में नहीं आया कि यह मार्केटिंग के चुनाव के सम्बन्ध में उस वक्त भी चर्चा हुयी 12 सितम्बर को और माननीय मन्त्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि मार्केटिंग के चुनाव जल्दी ही प्रारम्भ होने वाले हैं और हम चुवाव करवा देंगे। जब मार्के- के चुनाव होने वाले थे और उसमें कोई अमेण्डमेंट आप इस कानून में करना चाहते थे, अधिनियम के अन्दर, वो भी आपको उस वक्त लेना चाहिये था। आपने यह नहीं किया। आपने उठते-बैठते, रेंगते आपने 6 महीने में मार्केटिंग के चुनाव करवाये और उसका मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं मुख्य मंत्रीजी। सबसे पहले मार्केटिंग चुनाव के रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसाइटी ने निर्देश दिये अधिकारियों को 9 जुलाई, 1991 को और 9 जुलाई को वो देने के बाद में 2–8–91 को पोस्टपोन कर दिये, स्थगित कर दिये। उस स्थगन के बाद हम सदन में मिले थे और उस पर चर्चा हुयी थी, को-आपरेटिव एक्ट के सैक्शन 36 और जितने भी उससे रिलेवेण्ट प्रावधान थे उन पर और उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसायटी ने 14–11–91 को एक चुनाव कार्यक्रम निकाला। चुनाव कार्यक्रम निकालने के बाद, बिना सोचे-समझे यह सरकार किस तरह से निर्णय लेती है इसका एक स्पष्ट उदाहरण है नेक्स्ट डे 15/11 को चुनाव स्टे कर दिया। 14 को आदेश देते हैं। जब तक आदेश नीचे के अधिकारियों के पास पहुंचे, स्थगन का आदेश दूसरे दिन रवाना हो जाता है और उसके बाद, स्टे करने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, 4–12–91 को आर. सी. एस. ने फिर चुनाव के आदेश दिये कि चुनाव का कार्यक्रम बनाया जाय। मार्केटिंग सोसाइटी के चुनाव होंगे और 4/12 के आदेश को उसी महीने की 26 तारीख को फिर स्टे कर देते हैं। इस 4/12 और 26/12 के बीच में कई प्रकार के अमेण्डमेंट होते हैं। आज जो आर्डिनेन्स निकालने के बात कही गयी है, जिसके रीजन्स और आब्जेक्ट्स दिये गये हैं, बड़े लचर हैं और लोजिक के किसी भी स्टेण्डर्ड में उचित प्रतीत नहीं होते।

Section 33 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 provides for a constitution of tne Committee. In accordance with by-laws and the number of members of the Committee vary from society to sciety.

कहीं पर भी वेरी नहीं कर रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। एक ही प्रकार के बाइलॉज हैं पूरे राजस्थान में को-आपरेटिव सोसाइटी के और यह लचर दलील जो यहां पर सर-

(श्री परसराम मदेरणा)

कार ने दी है उसमें बाई लॉज में प्रावधान वह था कि छह डायरेक्टर तो सोसायटी से चुने जायेंगे जी. एस. एस. से, जो इंडिविजुअल मेम्बर्स हैं उनमें से पांच डायरेक्टर चुने जायेंगे। इस प्रकार का प्रावधान वेरी नहीं कर रहा था, कोई भी सोसायटी में वेरी नहीं कर रहा था। पूरा का पूरा प्रावधान एक ही था राजस्थान भर में और उस अमेण्डमेंट के जरिये सैक्शन 33 में अमेण्डमेंट लाये हैं और यह है कि अब छह और पांच ग्यारह की जगह सात और दो, नौ डायरेक्टर होंगे ओर नौ डायरेक्टर्स में से दो डायरेक्टर्स इण्डिविजुअल में से आयेंगे, वह एग्रीकल्चरिस्ट को रिप्रजेण्ट करेंगे। क्या प्रभारी मंत्रीजी आपको इसकी जानकारी है कि तमाम की तमाम सोसायटीज जो सात डायरेक्टर्स चुनने जा रही हैं वह सब के सब काश्तकार हैं, कोई भी आदमी दूसरा धन्धा करने वाला नहीं है। इंडिविजुअल भी काश्तकार हैं। आपका यह कहना कि हमने दो का प्रावधान इसलिये किया है कि एग्रीकल्चरिस्ट का रिप्रजन्टेशन हो और यह जरूरी है, यह आप भ्रान्ति फैला रहे हैं, सबके सब पहले थे। मेरी समझ में नहीं आया कि आपने जो सात और दो का जो बाइफरकेशन रखा है उसके पीछे आपका लोजिक क्या है, आधार क्या है, प्रूडेंस क्या है, उसका औचित्य क्या है? लेकिन इसमें समय पर जो तारीख बदली गयी वायरलेस दिये, कई प्रकार के आदेश निकाले, लेकिन कार्यक्रम लेने और स्टे आर्डर होने के बीच दिसम्बर के महीने में सेक्रेट्री टू गवर्नमेंट ने भी कुछ नोटिफिकेशन निकाले और वह नोटिफिकेशन दो निकाले। पहला नोटिफिकेशन यह है "In exercise of the powers conferred on the State Government by Sec. 139 of the Rajasthan Cooperative Societies Act the State Government, hereby orders that provision of Sub-Sec. IV of Sec. 34 of the aforesaid Act regarding disqualification of the membership of the Committee due to default, shall apply with the following modification:" और मोडिफिकेशन क्या किया है: The default within the meaning of Sub-Sec. IV of Sec. 34 shall be construed as default only with a society to which the election is sought and to no other society. इसका, उपाध्यक्ष महोदय, अभिप्राय यह है कि यदि मैं किसी जी. एस. एस. का सदस्य हूं और मैं उसमें डिफाल्टर हूं, मैं वहां डिफाल्टर हूं परन्तु मैं मार्केटिंग के चुनाव में खड़ा हो सकता हूं। वहां पर यह मेरी डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगी। इस प्रकार का प्रावधान जो सैक्शन 139 में पावर्स यूज किये and Sec. 139 is in exemption to a Society. यह कोई एग्जम्पशन सोसाइटी को नहीं है, यह इंडिविजुअल को एग्जम्पशन है। इसलिये यह वलरेबल एक्सरसाइज आफ पावर्स यूज किये हैं इन्होंने। लेजिस्लेटिव पावर, सेक्रेट्री टू गवर्नमेंट को कोई भी इस प्रकार का अधिकार नहीं है और यह स्ट्रक डाउन होगा नोटिफिकेशन। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपको यह पहली आदत पड़ गयी है आर्डिनेन्स प्रोमल्गेट कराने की और उसमें भी बार-बार आप चुनाव के कार्यक्रम स्थगित करते रहे। यह इस बात की ओर

(श्री परसराम मदेरणा)

इशारा करता है, इस बात का इण्डीकेटर है कि सरकार कितनी हेफेजर्ड और कितनी कन्फ्यूज्ड हुई। सरकार को कोई भी निर्णय लेने के पहले जो भी अमेण्डमेंट करने हो और कोई भी नोटिफिकेशन निकालने हो, जो रिलेवेन्ट है, उनको पहले निकालना चाहिये था और यह बात भी नहीं, चुनाव का कार्यक्रम देने के बाद आप यह भूल गये कि एस. सी. और एस. टी के पहले जो इंडिविजुअल मेम्बर्स से दो डायरेक्टर थे उनका कोई उल्लेख नहीं किया और फिर एक नोटिफिकेशन 21 तारीख को निकाला वह आलरेडी थे आपने यह भी नहीं निकाला। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने बड़ी चालाकी से, पहले एक नॉन आफिसियो डायरेक्टर था मार्केटिंग में और अब बाई लॉज में अमेण्डमेंट करके और चार नॉन आफिसियो डायरेक्टर को रखा है। इलेक्टेड ग्यारह के नौ कर दिये नॉन आफिसियो नोमिनेटेड एक था उसके चार कर दिये और एक एस. सी. का सात में से एक एस. सी. का होगा और इंडिविजुअल के दो में से एक एस. टी. का होगा। इस प्रकार का प्रावधान निकाला 21/12 को एक तरफ आपने आदेश दे दिये कि 4/12 को चुनाव कार्यक्रम प्रारम्भ होना चाहिये और 21/12 को आप यह अमेण्डमेंट करते हैं सैक्शन 139 को इनवोक करके, और इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह आपको जो इनवोक करने की पहली आदत पड़ गयी है और हैफहैजर्ड वे में जो आप कर रहे हैं-और यही कारण है कि को-आपरेटिव के अन्दर जो चुनाव हुये हैं वह बड़े अजीबो-गरीब चुनाव हुये हैं। जब तक आपके निर्देश चुनाव होने के वहां पर गये और कुछ अमेण्डमेंट होने के, जो मैं पढ़ रहा हूं, 21-12-91 के नोटिफिकेशन का जो हवाला दे रहा हूं उससे पहले कई मार्केटिंग सोसाइटी के रिटर्निंग आफीसर्स ने चुनाव पुराने बाइ लॉज से करवा दिये और हाई कोर्ट में यह चेलेन्ज हुआ, स्टे ले लिया। इस प्रकार की जो दयनीय स्थिति आपने मार्केटिंग के चुनाव में बनायी है इससे यह मालूम होता है कि आप इस को-आपरेटिव के पूरे सैक्टर की संरचना करेंगे कि नहीं करेंगे लेकिन चारों तरफ से इसमे डेमोलिश करने में लगे हुए हैं। यह इतना बड़ा आन्दोलन है, देश में पहली पंचवर्षीय योजना से जो प्रगति की है उसको आप रोकना चाहते हैं। मैंने मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा था सितम्बर में, कि आप सेन्ट्रल को-आपरेटिव और अपेक्स को-आपरेटिव बैंक के चुनाव शीघ्र कराइये और उन्होंने मुझे अपने पत्र में, जो मेरे पास है, आश्वासन भी दिया कि राजस्थान राज्य सहकारी दुग्ध संघ के चुनाव बहुत जल्दी करा रहे हैं, शीघ्र करा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली है, मैं कन्फर्म तो नहीं हूं, को-आपरेटिव मंत्रीजी इसका उत्तर देंगे, आपने एपेक्स बोडीज के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है। राजस्थान राज्य सहकारी दुग्ध संघ, आज इसमें करोड़ों रुपये का घाटा है और लम्बे अरसे से एक प्रशासक बैठा रखा है जो अजगर की तरह कुण्डली मारे बैठा है। इसमें कांग्रेस सरकारें भी उतनी ही दोषी है जितनी कि यह सरकार। अपेक्स बोडीज के चुनाव उन्होंने भी डिस्क्रिमनेटरी तरीके से करवाइये और मैं अब ऐसा सुन रहा हू कि डेयरी डवलमेंट बोर्ड इसको टेक-ओवर कर रहा है। एक तरफ मुख्य मंत्रीजी चुनाव के लिये मुझे पत्र लिखते हैं और मैं देखता हूं कि पत्र दो पेज

(श्री परसराम मदेरणा)

का लिखा है उन्होंने और उसके बाद आप इसको ट्रांसफर करने जा रहे हैं और ट्रांसफर इसलिये किया जा रहा है कि इसमें जबर्दस्त लोस है। चूंकि काम करने का तरीका ऐसा है कि आप वहां चुनींदा संस्थाओं का आना नहीं चाहते। डाक्टर कुरिअन यहां आये थे साल भर पहले, उन्होंने राज्य सरकार को परामर्श दिया था कि वे इमिजियटली राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन के चुनाव करवा देने चाहिये। सरकार ने आश्वासन भी दिया था। कुरिअन के यहां आने का और कुरिअन के परामर्श का हवाला मुख्य मंत्री जी ने अपने पत्र में भी दिया है लेकिन आपने चुनाव नहीं करवाये। इसी प्रकार से दूसरा एक और फेडरेशन है शीप एण्ड वूल का। राजस्थान स्टेट शीप एण्ड वूल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, जानकर आश्चर्य होगा कि इस फेडरेशन के चुनाव भी हुए थे 2-3 साल पहले और इसका अध्यक्ष बना, जो सचिव है उस विभाग का, वह अध्यक्ष बना है इलेक्शन के द्वारा। भेड़ पालकों के 2 या 3 डाइरेक्टर चुने गये। तीन डाइरेक्टर बने हैं इलेक्टेड और 4 डाइरेक्टर बने हैं नोमिनेटेड और गवर्नमेंट को रिप्रेजेन्ट करता था सेक्रेटरी वह तो बन गया, उसको तो प्रपोजर और सैकण्डर मिल गये। भेड़पालक की रेबारी एडवोकेट है जालौर का, जिसका नाम मुजे याद नहीं, जब वह अपना नामोनिशान पेपर भरने लगा तो उसके पास एक प्रपोजर था और सैकण्डर नहीं था और इसमें यह क्यों रहना चाहते हैं क्योंकि बहुत लम्बे अरसे से 20 साल से इस फेडरेशन में सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर रहता आया है। कारण इसका यह है उपाध्यक्ष महोदय, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इस फेडरेशन के द्वारा मीट भेजा जाता है और मीट भेजने के लिये इस फेडरेशन में जो डेपुटेशन पर सरकारी अधिकारी हैं उसमें से 50 सरकारी अधिकारी ऐसे हैं जो फोरेन कंट्रीज में गये हैं, दुबई गये हैं, वहां जाकर फ्री पोर्ट से माल लाते हैं और आपने इन को-आपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स को बेहाल कर रखा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने राजस्थान क्रय-विक्रय संघ, अपेक्स को-आपरेटिव बैंक, स्टेट लैण्ड डवलपमेंट बैंक, प्राइमरी डवलपमेंट बैंक के चुनाव ही नहीं करवाये। अब आप आफ-साइड चल रहे हैं। जी. एस. एस. के चुनाव करा दिये। जी. एस. एस. के चुनाव आपने करवाये 20 जनवरी तक और मार्केटिंग के चुनाव एक साल बाद करवाये। चाहे प्राइमरी सोसाइटी हो, सेन्ट्रल सोसाइटी हो और अपेक्स सोसाइटी हो, कुछ सोसाइटीज का डिवीजन इस तरह का है कि टू-टायर सिस्टम है। लैण्ड डवलपमेंट बैंक का टू-टायर सिस्टम है, प्राइमरी लैण्ड डवलपमेंट बैंक में थ्री टायर सिस्टम है मार्केटिंग का। प्राइमरी सोसाइटी के चुनाव, प्राइमरी सोसाइटी का डाइरेक्टर मार्केटिंग में और मार्केटिंग का चुनाव क्रय-विक्रय सघ में। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलग-अलग जिस तरह का स्ट्रक्चर है टू-टायर का या थ्री-टायर का, इन संस्थाओं के चुनाव आप जरा जल्दी कराइये। अभी मैं कल पढ़ रहा था उपाध्यक्ष महोदय, 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो डेस्क्रिपटिव डाक्युमेंट है और डेस्क्रिप्टिव डाक्युमेंट में स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात पर एम्फेसिस दी है कि हम राजस्थान को स्वावलम्बी बनाने के लिये अलग-अलग सेक्टर्स में और जो भारत सरकार की को-आपरेटिव-

(श्री परसराम मदेरणा)

पालिसी सन् 1977 में देश के लिये निर्धारित कर दी है राष्ट्रीय नीति, उसी के अनुरूप इन संस्थाओं को मजबूत करके इनके प्रतिनिधियों को भागीदार बनाना चाहते हैं और इसलिये मंत्रीजी आप एक अमेण्डमेंट लाये लास्ट में सेक्शन 34 में। आपको बहुत बड़ी शंका है कि एम.एल.ए., एम. पी. और प्रमुख जाकर के इन सोसाइटीज के सदस्य नहीं बन जाय लेकिन इसका जो ड्राफ्ट है वह बहुत डिफेक्टिव है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस डेजरनिंग लाइट से डिस्टर्ब हो रहा हूं और यह....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत दूर हैं इस समय तो।

श्री परसराम मदेरणा : सदन डिस्टर्ब हो रहा है इस सरकार की उपलब्धियों से और इसकी परफार्मेन्स से। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था, आपने जो अमेण्डमेंट किया है, सेक्शन 34 के अन्दर 7 (बी) लाना चाहते हैं—

"No person shall remain both a member of a committee and a member of Parliament, or a State Legislature or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, if already a member of Parliament or State Legislature or toe Pramukh of the Pradhan of Panchyat Samiti, he shall, at the expiry of a period of 14 days from the day he becomes the member of such Committee;"

"....member of a such committee,"

प्रभारी मंत्रीजी, यह बहुत डिफेक्टिव भाषा है। आप यह कह सकते थे कि यह डाइरेक्टर नहीं बनेगा। आप यह कर सकते थे कि डाइरेक्टर चुना भी नहीं जायेगा। पालियामेंट और लोकसभा में ऐसी व्यवस्था है कि 40 दिन के अन्दर आप्शन है उसके पास में कि वे लेजिस्लेचर रहना चाहता है या लोक सभा का सदस्य रहना चाहता है लेकिन आपने इसमें "No person shall remain both a member of a Committee and a member of the Legislature." मैं मेरे गांव की जी. एस. एस. का सदस्य हूं। मैंने वहां से उधार नहीं लिया लेकिन किसी ने वहां से 50,000 रुपये ऋण ले रखा है उस सोसाइटी से और उसके बाद में वह लेजिस्लेटर बन जाता है और आटोमेटिकली उसकी मेम्बरशिप खत्म हो जाती है ओर मेम्बरशिप खत्म हो जायेगी तो सोसाइटी ऋण को कैसे वसूल करेगी ? वह मेम्बर ही नहीं है। इसलिये मैं यह समझता हूं, इसलिये फिर आगे यह यूज किया है.... "He becomes a member of Such Committee." इसलिये जब मेम्बर—"He cannot remain a member of a Society." मेम्बर उसकी फीस देकर सदस्य बनता है को-आपरेटिव संस्था का, सबसे नीचे के स्तर पर। फिर उसको मेम्बर रहने में क्या ऐतराज है, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। ऑफिस बियरर न रहे, डाइरेक्टर न बने, इस प्रकार का जो प्रावधान है। वह आप डाल सकते थे लेकिन यह जो प्रावधान है, जो आपने यह डाला है इसकी ड्राफ्टिंग बहुत डिफेक्टिव है, मेरा ऐसा मानना है।

(श्री परसराम मदेरणा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय भारतीय सहकारी संघ की दो साल पहले आल इण्डिया कान्फ्रेन्स थी। उसमें मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। उस सम्मेलन में अलग-अलग राज्यों में जो-जो अरेंटमेंट्स और अधिनियम हैं, इस पर भी एक पेपर दिया गया था और उसमें राजस्थान का जो को-आपरेटिव एक्ट है इसके ऊपर भी करीबन 2-3 पेज थे। यह प्रतिक्रियावादी है, यह को-आपरेटिव मूवमेंट को चेकमेट करने वाला और उसका गला घोंटने वाला है और आप बार-बार उसमें अमेण्डमेंट करते जा रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि सेक्शन 139 के अन्दर आपको पावर्स ही नहीं है यह नोटिफिकेशन निकालने की और सेक्शन 139 में लेजिस्लेटिव पावर जो इस लेजिस्लेचर की है उसका उपयोग किया है जो इस लेजिस्लेचर ने आप पर कन्फर नहीं किया है, बहुत क्लीयर है सेक्शन 139। सेक्शन 139 यह कहता है—

"The Government may, by general or special order, exempt any cooperative society, or any class of societies from any of the provisions of this Act."

आप इसमें एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे हो, क्वालीफिकेशन आफ डिस्क्वालिफिकेशन डाल रहे हो इंडिविजुअल मेम्बर्स की, इसको इस्तेमाल करते हुए, जो भी नोटिफिकेशन आपने निकाले हैं तीनों, सेक्शन 139 को इनवोक करते हुए और वह लेजिस्लेटिव पावर कर रहे हो जबकि एग्जेम्प्शन की सिर्फ गवर्नमेंट को पावर्स दी हुई हैं और वह केवल सोसाइटीज के लिये है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो आर्डिनेन्स प्रामल्गेट करवाया है प्रभारी मंत्रीजी ने और स्टेट की सरकार ने वह बिना सोचे-समझे करवाया है। चुनाव का बार-बार कार्यक्रम दिया है। और स्थगित किया है। आज आप जो संशोधन लाये हैं, यह संशोधन भी वेल थॉट आउट नहीं है, और आपने पहले आर्डिनेन्स निकाल दिया। इस आर्डिनेन्स को निकालने के बाद सेक्शन 139 के पावर्स इनवोक करके और उसमें दूसरी जो कमियां रह गई थीं, तो पूरे का पूरा डिपार्टमेंट मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बिना सोचे-समझे, बिना कोई नीति-निर्धारण किये, डींग यहां पर यह मार रहे थे कि हम इसका रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं। यह है रिस्ट्रक्चरिंग आपकी। रिस्ट्रक्चरिंग यह है आपकी कि डेट देना और वापस उस रिस्ट्रक्चर को तोड़ना। इस प्रकार की पद्धति आप अपनाते हैं उससे मैं समझता हूं कि आप इन सोसाइटीज के चुनावों को मजाक बना रहे हैं। प्राइमरी और मार्केटिंग के बीच में एक साल का फर्क है। होना यह चाहिये कि को-आपरेटिव के पिरामिड को खड़ा करने के लिये थ्री टायर या टू टायर सिस्टम है उसके अनुसार चुनाव होना चाहिये। उसमें कोई भी प्रावधान है, चाहे आप बाई-लॉज में करना चाहते हैं, चाहे आप रूल्स में करना चाहते हैं आपको एक साथ साइमलटेनियसली करके उसके बाद चुनाव प्रारम्भ करने चाहिये थे लेकिन पिछले दफा भी आप आर्डिनेन्स सितम्बर में लाये और अक्टूबर में आर्डिनेन्स निकाल दिया और अब यह क्या गारण्टी है कि यह जो 25 अक्टूबर को आर्डिनेन्स निकलवाया, जिसको

(श्री परसराम मदेरणा)

आप बिल से रिप्लेस करना चाहते हैं' यह कोई फूलप्रूफ है, मैं ऐसा नहीं समझता। जो आपके इरादे हैं रिस्ट्रक्चरिंग के सम्बन्ध में, मैंने उस वक्त भी इस पर प्रश्न चिह्न लगाया था, आप हाउस को कान्फीडेन्स में लीजियेगा कि इन सोसाइटीज को कैसे रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, सारे सिस्टम को या होल पिरामिड को। आप कह भी नहीं रहे हैं। हवाई बात जरूर कर रहे कि हम इसमें आमूल-चूल संरचता करेंगे इनकी ओर जो संरचना आप कर रहे हैं यह काफी दयनीय स्थिति है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन से निवेदन करूंगा कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान सहकारी सोसाइटी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 को....

There is a provision in Art. 213

An ordinance promulgated under the Article shall have the same force and effect as an Act of the Legislature of the State accented to by the Governor, but every such ordinance shall be laid before the Legislative Assembly of the state or, where there is a Legislative Council in the State, before both the Houses, and shall cease to operate at the expiry of the six weeks from the re-assembly of the Legislature.

इस सदन में सिक्स वीक में पास नहीं करावें तो अपने-आप ही वह एक्सपायर हो जायेगा और दूसरा अल्टरनेटिव दिया है। मैं दूसरे अल्टरनेटिव के अन्तर्गत यह परिनियत संकल्प लाया हूं और वह यह है कि— Or if before the expiry of the period, a resolution disapproving it is passed by the Legislative Assembly.

इसलिये राजस्थान की सोवरेन लेजिस्लेटिव असेम्बली को मेरा निवेदन है कि आर्टिकल 213 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए आप अपना मत सुनिश्चित कर इस अध्यादेश को, मेरा निवेदन है, डिस्अप्रूव करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राम नारायण वर्मा (अनुपस्थित)

माननीय श्री चतुर्भुज वर्मा, प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या उत्तर देंगे। जानते ही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सब जानते हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्र) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मदेरणा साहब का मैं बहुत आदर करता हूं और यह को-आपरेटिव आन्दोलन से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। मैं तो यह समझता था कि आपने जो 40 साल में कुछ गलतियां की थीं उनके ऊपर कुछ सुधार करके मुझे कुछ सुझाव देंगे। लेकिन मदेरणा साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इसमें कौनसा पाप कर दिया? (व्यवधान) मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मुझे आप बोलने दीजिये। मैं आपके

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

सामने छोटा सा पड़ता हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल यहां लाकर मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया ? मैंने सहकारी आन्दोलन की संरचना और उसमें स्वच्छता लाने के लिये किया क्योंकि इसके ऊपर राजनीति हावी हो गई थी। सन् 1981 के अन्दर, मदेरणा साहब बताइये, आपने सारे एम. एल. एज्. को सब जगह चेयरमैन बना दिया था, राजनीतिकरण नहीं हुआ था ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : आज आई. ए. एस. अफसर बैठे हुए हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप भाषण दे रहे हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मुझे ताज्जुब है। आप बीच में न बोलें। माननीय सदस्य, मैं आपका आदर करता हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एम. एल. एज्. को तो आपने हाउसिंग को-आपरेटिव के चेयरमैन बनाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया उत्तर देने दीजिये।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय परसराम जी का मैं बहुत आदर करताहूं। मैंने 9 सदस्य मार्केटिंग सोसाइटीज में इक्विलिटी बिफोर दी लॉ, कानून के अनुसार सारे राजस्थान में इक्विलिटी हो, चाहे सी. सी. बैंक हो, चाहे अन्य सोसाइटीज हों, क्योंकि खर्चे ज्यादा हो रहे थे। आज आपको मालूम है कि सारी ग्राम सेवा सहकारी समिति डूब गई, सारी मार्केटिंग को आपने डुबोकर छोड़ा है, सारे भूमि विकास बैंक डुबोकर छोड़े हैं, सारे को-आपरेटिव बैंक डुबोकर छोड़े हैं। ऐसी कौनसी संस्था है जिसका उद्धार करके आपने मुझे दिया है ? और अब मैं उनकी संरचना करना चाहता हूं। आज उसको आर्डिनेन्स के माध्यम से किस प्रकार से मैं करूं, मेरे पास कोई चारा नहीं रहा, एक तरफ आप मेरे ऊपर बार-बार निरन्तर दबाव दे रहे हैं कि चुनाव कराइये। आज जाखड़ साहब, कृषि मंत्री अपने केन्द्रीय मंत्री से कह रहे हैं कि चुनाव कराइये। मैं कह रहा हूं, चुनाव निरन्तर कराता जा रहा हू, ऐसी कोई सोसाइटी बाकी नहीं छोड़ी, केवल जिला केन्द्रीय बैंक और शीर्ष बैंक छोड़ी हैं, उसके लिये भी मैं एक आर्डिनेन्स लाया था कि दो साल के अन्दर सारे चुनाव करा दूंगा। पांच महीने बाकी है, पांच महीने के अन्दर. जो आपने दो साल से चुनाव नहीं करवाये थे, चालीस साल से चुनाव नहीं करवाये थे....

श्री प्रेमसिंह दहिया : यह क्या कह रहे हैं .. (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : कैसे कह दिया, चालीस साल से चुनाव नहीं कराये। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है, कब-कब चुनाव हुए।

श्री चतुर्भुज वर्मा : कल्ला साहब शांति से बैठ जाइये, सुनते जाइये। माद्दा ग्रहण करो।

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप कुछ भी कहते रहें. (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : ढाई साल से चुनाव हुए नहीं हैं....

श्री चतुर्भुज वर्मा : राजस्थान डेयरी फैडरेशन, राजस्थान आवासन संघ, केशोराय पाटन चीनी शुगर मिल, बुनकर संघ अनुसूचित जाति सहकारी विकास संघ मदेरणा साहब, मैं आपसे प्रश्न पूछूं, इनके चुनाव कब कराये थे आपने, आपके पास कोई जवाब है इनका ? मैं फिर भी कह रहा हूं कि पांच महीने बाकी है, पांच महीने के अन्दर लोकप्रिय पद्धति के द्वारा इनके चुनाव करवा दिये जायेंगे ! इसमें कोई शंका नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभी में, जितनी भी को-आपरेटिव सोसायटी है ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : सभी के चुनाव। जितनी भी को-आपरेटिव हैं, उनका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सदन के अन्दर कि पांच महीने और छह महीने का इनका समय है....

श्री हेतराम बेनीवाल : अब एक और बढ़ गया है, साल तो नहीं बढ़ जाय।

श्री चतुर्भुज वर्मा : आप बहुत पुराने वरिष्ठ सदस्य हैं, मुझे हैल्प करना चाहिये आपको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं तो प्रिविलेज आ जायेगा।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैंने दो साल कहा था आपसे, आर्डिनेन्स लाया था, दो साल का जो समय, पांच या छह महीने का जो भी है, उसके अन्दर मैं इनके चुनाव करा दूंगा। इसमें कोई शंका नहीं है। माननीय मदेरणा साहब .. (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : बास से पूछ लिया क्या ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : आप शांत रहिये महोदय, मैं आपकी कद्र कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अपना भाषण प्रारम्भ करिये।

श्री परसराम मदेरणा : अभी आप अपेक्स के चुनाव कराने की बात कर रहे हैं ना, आज मार्केटिंग के सम्बन्ध में है यह अमेण्डमेंट जो दूसरी अपेक्स बॉडी है वह क्रय-विक्रय संघ है, जब तक आप रेंगते-रेंगते चुनाव करवायेंगे तो सीधे से जो भी डाइरेक्टर्स आये हैं मार्केटिंग में....

श्री चतुर्भुज वर्मा : अब माननीय मैं....

श्री परसराम मदेरणा : अब वह डाइरेक्टर्स को रिप्रजेण्ट करती है, मार्केटिंग जो करेगी क्रय-विक्रय संघ में, जनरल बॉडी को, उनकी टर्म खत्म हो जायेगी, उनका टर्म निकल जायेगा तो यह आप डेढ़-डेढ़ साल में एक एक को जो है, साल-साल में करा रहे हो ..

श्री चतुर्भुज वर्मा : मदेरणा साहब, आप निश्चिन्त रहिये, कोई समय निकलेगा नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : इसका परिणाम यह होगा कि यह आपकी ऐसी जो संस्था है एक तरह से साइम्लटेनियसली अभी उस अवधि के अन्दर तीन साल में नहीं चलेगी साथ-साथ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय मदेरणा साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कोई समय नहीं निकलेगा, इनके प्रतिनिधि जायेंगे, कोई इनका समय नहीं निकलने दूंगा। ऐसा नहीं है। आप भी ईमानदारी से देखो। पता है मुझे जोधपुर का, जब आप चेयरमैन थे, आपने कोई चुनाव कराया था उसका ? आपने कांग्रेस के समय में भी

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

दूसरा कांग्रेस का सदस्य नहीं आने दिया, आपने कोई चुनाव नहीं करवाये थे ।

श्री परसराम मदेरणा : काहे के चुनाव ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : यह कहीं न कहीं उदाहरण हमारे सामने, आदर्श उदाहरण पेश....

श्री हेतराम बेनीवाल : आप इनसे एक्जाम्पल क्यों लेते हो? इनसे बराबर होना जरूरी है ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैं एक्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं एक्जाम्पल को छोड़ूंगा, मैं इसकी संरचना करूंगा, स्वच्छता लाऊंगा, कोई चिन्ता करने का कारण नहीं है, को-आपरेटिव सोसायटी के बारे में यह कह सकता हूं, मुझे तो दो साल हुये हैं, साल भर मुझे और रुकने दीजिये, मैं यह भी देख रहा हूं कि आपका मॉडल....

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात सुनिये, 1986 में, आप गलत बयानी कर रहे हैं हाउस में....

श्री चतुर्भुज वर्मा : मदेरणा साहब, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, आपका जो सैन्ट्रल मॉडल द्वारा....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं–नहीं, जो जी. एस. एस. के चुनाव हुये....

श्री चतुर्भुज वर्मा : आपके सैन्ट्रल मॉडल को सेन्टर वाले ही लागू नहीं कर सके, आप मुझे कह रहे हैं यह बात....

श्री प्रेमसिंह दहिया : अब आप सुन तो लो ।

श्री परसराम मदेरणा : और उसके छह महीने के बाद में सी. सी. बैंक, मैं कहता हूं कि छह महीने तो निकल गये उसमें, निकलने नहीं चाहिये थे लेकिन आपने साल भर पहले करा दिये, सी. सी. बैंक के चुनाव करवाये क्या ? 1986 में हुये और 1987 में सी. सी. बैंक के पूरे राजस्थान में चुनाव हुये....

श्री चतुर्भुज वर्मा : तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि 9 सदस्य मैंने मार्केटिंग में रखे हैं, 7 सदस्य मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति का, ग्राम सेवा....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय मदेरणा साहब, आप यह विश्वास कर लें कि यह जाखड़ नहीं, धाकड़ हैं, जो कहते हैं पूरा करेंगे ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : तो माननीय मदेरणा साहब, मैं यह निवेदन कर रहा था आपसे (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया :....जवाब तो सही दे सकें यह....

श्री चतुर्भुज वर्मा : प्रेमजी, आप शांति से बिराजिये न । मैं निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, 7 सदस्य हमने ग्राम सेवा सहकारी समिति के रखें हैं । एक ग्राम सेवा सहकारी समिति सैंकड़ों आदमियों का प्रतिनिधित्व करती है । पहले कोई भी आदमी, अपनी सांभर मिल का कोई आदमी यहां जयपुर में बैठ कर प्रस्ताव करवा लेता था, उस राज में यह परम्परा थी, बारां खण्ड का रहने वाला कोटा में बैठ कर प्रस्ताव करा लेता है । इस दफा हमने एक प्रावधान चेंज किया है, ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो अध्यक्ष होगा वह मार्केटिंग में चुनाव

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

नहीं लड़ेगा। अगर मान लो, ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष कहीं गया है, कहीं व्यापार पर गया, विदेश में चला गया, कहीं यात्रा पर चला गया तो उसकी गैर हाजिरी में केवल उपाध्यक्ष उसका चुनाव लड़ने का अधिकारी होगा, अन्य कोई नहीं होगा। मैंने कौन सा गलत किया है, समय तो लगता। लेकिन सहकारिता की जो प्रक्रिया है उसको बदलना तो आवश्यक हो गया। चूंकि गन्दगी का ढेर होता जा रहा है सब जगह, इतनी बेईमानी हो गई थी कि कोई भी इन्सपेक्टर पांच सौ कोस पर बैठ कर जयपुर में उस प्रस्ताव को असेप्ट करता था, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। आने वाले समय के अन्दर मदेरणा साहब, यह निवेदन करना चाहता हूं आपके इस सहकारी क्षेत्र के अन्दर से बेईमानी नाम का शब्द मेरे कृत्यों के द्वारा हटा दूंगा और आप साल भर में, छह महीने के अन्दर यह मान लेंगे कि वास्तव में सहकारिता का कोई आंदोलन हुआ है। इस बात का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): नत्थीसिंहजी, आह सुन लो।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप मेज तो बजाओ, इसका मतलब आप साथ नहीं हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : जहां तक व्यक्तिगत दो सदस्य का सवाल है, मैंने इसलिये किया है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां ज्यादा महत्व रखती हैं और पांच सहकारी, एक ही गांव के एक हजार आदमी बनाता था और उनमें से पांच सदस्य जीत कर आते थे। मैंने इसलिये इसको बदला है और इसलिये वहां मैंने दो रखे हैं और दो में भी एक शिड्यूल कास्ट का रखा है, लोगों का जनमत क्या है, मुझे गांवों में मालूम पड़ा कि शिड्यूल कास्ट को इसमें छोड़ दिया, पहले रखा हो या नहीं रखा हो, मैंने शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब का एक सदस्य....

श्री प्रेमसिंह दहिया : वह शिड्यूल ट्राइब का है, दूसरा एस. टी. है। एस. सी. का नहीं है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : आप बिराज जायें ना, यह आपकी समझ के बाहर की बात है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : शिड्यूल ट्राइब है दूसरा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रेम सिंहजी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : तो इसलिये मैंने शिड्यूल कास्ट, शिडयूल ट्राइब....

श्री प्रेमसिंह दहिया : वह ठीक कर लें अपना, सशोधन कर लें, शिड्यूल ट्राइब का है वह सैकण्ड सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष : दोनों ही होंगे, शिड्यूल ट्राइब और कास्ट दोनों होंगे इसमें....

श्री चतुर्भुज वर्मा : शिड्यूल ट्राइब और शिड्यूल कास्ट दोनों का मैंने प्रतिनिधित्व किया है इसमें कोई शंका नहीं है। मदेरणा साहब....

श्री परसराम मदेरणा : दो में एक एस. टी. है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप गलत बोल रहे हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : एक में शिड्यूल ट्राइब है और एक में शिड्यूल कास्ट है....

श्री परसराम मदेरणा : यही तो बात कर रहे हैं। यही आप गलत बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान में कहीं ट्राइब है, कहीं कास्ट है इसलिये किया है वह तो।

श्री चतुर्भुज वर्मा : तो इसलिये मैंने 9 सदस्य का एक यह प्रावधान रखा था। उस समय क्योंकि जल्दबाजी हो रही थी कि चुनाव कराओ, चुनाव नहीं करवाते, मैंने उसकी प्रक्रिया चालू करवाके चुनाव करा लिया। केवल अब आज की तारीख में बांसवाड़ा और पाली के अन्दर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के, चूंकि हमारे ग्राम व्यवस्थापक हड़ताल पर थे, कागजात, रिकार्ड नहीं था हमारे पास, उनके हम चुनाव कुछ नहीं करा पाये, उनके चुनाव कराने के बाद केवल दो जिले हैं पाली और बांसवाड़ा, उसके बाद मार्केटिंग के, उनके चुनाव करा लिये जायेंगे।

जहां तक सवाल आता है सदस्य की योग्यता का, मैंने एक संशोधन यह भी किया है कि अगर मान लो कोई सदस्य धारा 74 के अन्दर डिफाल्टर हो गया, पनिशमेंट के योग्य पाया गया, पैसा छह-छह साल तक नहीं चुकाता था और उसके बाद भी चुनाव लड़ता था लेकिन मैंने इसके ऊपर एक अकुंश लगाया है, यदि कोई सदस्य, धारा 74 के अन्दर जो आरोप लगाया है उस पर, उस पर हाई कोर्ट या किसी कोर्ट से स्टे नहीं लेता है, उस व्यक्ति को लड़ने का अधिकार नहीं होगा। जो डिफाल्टर होंगे वह चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर मान लो, ब्याज नहीं चुकाता तीन साल से या थोड़ा-बहुत पैसा नहीं चुकाता है तो अगले तीन साल तक भी उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। जो डिफाल्टर होगा, जो उस संस्था को चूसना चाहता है उस आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। गबन-घोटाले करने वालों को रोकने का मैंने प्रयास किया है। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आपने कहा कि एम. एल. ए., एम. पी., प्रधान, प्रमुख, यह चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, मैंने यह कब कहा कि समिति का मैम्बर नहीं हो सकता। यह आर्डिनेन्स में साफ है डाइरेक्टर नहीं हो सकता। डाइरेक्टर से मेरा मतलब है, अपनी निर्वाचित जो बॉडी होगी, उसका केवल डाइरेक्टर नहीं होगा। सदस्य कोई भी रह सकता है, समिति के आप सदस्य रहें मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन राजनीतिकरण, जो मैंने आपके या पब्लिक के बीच में कुछ वायदे किये थे, उनकी पालना हेतु मुझे कुछ करना पड़ रहा है इसलिये थोड़ा सा आपको भले ही कष्ट हो लेकिन आपको इसके लिये खुशी होनी चाहिये थी कि वास्तव में सहकारिता क्षेत्र बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और कहीं भी ऐसा कोई डिफाल्ट नहीं है, जो वायदा किया, समय के ऊपर पूरा करता हुआ जा रहा हूं और आने वाले चुनाव में सारे, समस्त शीर्ष बैंकों का जो पांच या छह महीने का समय बाकी है, जो आर्डिनेन्स लाया था पहले, जो बिल में परिवर्तन हो गया था, दो साल का मैंने कहा था, इस बीच में सारे चुनाव कराकर मैं राजस्थान और सेन्टर से भी कहूंगा कि हमने चुनाव करा दिये हैं, हमारी इसके पीछे कोई मेलाफाइड इन्टेंशन नहीं है। इसलिये मैं तो दोनों हाथों से आपसे निवेदन कर

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

रहा हूं कि इस बिल को पास करने में मुझे....

श्री उपाध्यक्ष : आपको तो एक चांस और मिलेगा बोलने का।

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मत्रीजी, मैंने क्लाज 7 (बी) पर कोई बात नहीं कही है लेकिन आप बीच में बोले हो। मैंने इतनी ही बात कही कि बोथ ए मेम्बर, यह 7 (बी) में कह रहे हैं आप, 7 (ए) में तो मैंने बात ही नहीं की। जो आप अभी अमेण्डमेंट की बात कर रहे हैं कि डिस्क्वालिफाइड है, गबन कर रहे हैं और उनको आपने फांसी दे दी, वह ठीक किया। मैं तो यह कह रहा था कोई भी ब्लैकशिप कहीं पर भी हो सकती है, कॉ-आपरेटिव डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग हैं, निश्चित तौर पर उनको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिये। मैं इस क्लॉज पर बोला ही नहीं, मैं तो यह कह रहा था कि No person shall remain both a Member of the Committee and a Member of the State Legislature.

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैम्बर आफ दी कमेटी का मतलब है डाइरेक्टर,

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कमेटी मैम्बर है वह तो कहां है। उसमें सिर्फ डाइरेक्टर ही है।

श्री उपाध्यक्ष : कमेटी ही कहलाती है वह।

श्री चतुर्भुज वर्मा : कमेटी का सदस्य नहीं रह सकता लेकिन मैम्बर तो रहेंगे ही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान सहकारी सोसाइटी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 9) को अस्वीकार करता है ?

(समय 4.11 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

(अस्वीकृत)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला। थोड़ा-थोड़ा बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अभी भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मूल अधिनियम और अभी जो संशोधन किये जा रहे हैं उसके बारे में विस्तार से व्याख्या की। मैं इस सम्बन्ध में धारा 33 में जो संशोधन इन्होंने 33 के तृतीय परन्तुक के पश्चात् किये हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। धारा 74 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति–एक तो वह होते हैं जो गबन घोटाले करते हैं और एक व्यक्ति वह होता है जो परिस्थितियोंवश संस्था का पेमेन्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे राजस्थान में हर एक साल बाद या दो साल बाद अकाल पड़ते हैं और अकाल के कारण व्यक्ति अपना

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

रहा हूं कि इस बिल को पास करने में मुझे....

श्री उपाध्यक्ष : आपको तो एक चांस और मिलेगा बोलने का।

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मंत्रीजी, मैंने क्लाज 7 (बी) पर कोई बात नहीं कही है लेकिन आप बीच में बोले हो। मैंने इतनी ही बात कही कि बोथ ए मेम्बर, यह 7 (बी) में कह रहे हैं आप, 7 (ए) में तो मैंने बात ही नहीं की। जो आप अभी अमेण्डमेंट की बात कर रहे हैं कि डिस्क्वालिफाइड है, गबन कर रहे हैं और उनको आपने फांसी दे दी, वह ठीक किया। मैं तो यह कह रहा था कोई भी ब्लैकशिप कहीं पर भी हो सकती है, कॉ-आपरेटिव डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग हैं, निश्चित तौर पर उनको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिये। मैं इस क्लॉज पर बोला ही नहीं, मैं तो यह कह रहा था कि No person shall remain both a Member of the Committee and a Member of the State Legislature.

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैम्बर आफ दी कमेटी का मतलब है डाइरेक्टर,

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कमेटी मैम्बर है वह तो कहां है। उसमें सिर्फ डाइरेक्टर ही है।

श्री उपाध्यक्ष : कमेटी ही कहलाती है वह।

श्री चतुर्भुज वर्मा : कमेटी का सदस्य नहीं रह सकता लेकिन मैम्बर तो रहेंगे ही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 1991 को प्रख्यापित राजस्थान सहकारी सोसाइटी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 9) को अस्वीकार करता है ?

(समय 4.11 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

(अस्वीकृत)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला। थोड़ा-थोड़ा बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अभी भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मूल अधिनियम और अभी जो संशोधन किये जा रहे हैं उसके बारे में विस्तार से व्याख्या की। मैं इस सम्बन्ध में धारा 33 में जो संशोधन इन्होंने 33 के तृतीय परन्तुक के पश्चात् किये हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। धारा 74 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति--एक तो वह होते हैं जो गबन घोटाले करते हैं और एक व्यक्ति वह होता है जो परिस्थितियोंवश संस्था का पेमेन्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे राजस्थान में हर एक साल बाद या दो साल बाद अकाल पड़ते हैं और अकाल के कारण व्यक्ति अपना

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

ऋण नहीं चुका पाता है लेकिन दो साल बाद जब अच्छा जमाना आ जाता है तो अपना ऋण मय ब्याज के चुका देता है अध्यक्ष महोदय ऐसे व्यक्ति तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यह जो इन्होंने कानून बनाया है यह उन लोगों के लिये बहुत ही दुखदायी है इसलिये इस कानून को वहां सीमित करना चाहिये कि जो गबन घोटाले करते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिये तो आप चाहे तीन साल, चार साल या 10 साल तक भी कर दें....

श्री अध्यक्ष : अभी तो परसराम जी ने कहा था उसके वर्डिंग्स आप देख लेना वह जो एम. एल. ए. और उसके लिये है ना ? उसके शाब्दिक वर्डिंग्स ठीक करवा लीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय डिफाल्टर केवल मात्र परिस्थितियोंवश यदि कोई ऋण नहीं चुका सके और उसके बाद मय ब्याज के ऋण चुका देने के बाद उनका चुनाव लड़ने का जो प्रजातांत्रिक अधिकार समाप्त करने जा रहे हैं यह न्यायोचित नहीं है। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने धारा 34 की उप धारा (7) (ख) में विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान और लोकसभा के सांसद को इन सहकारी सोसाइटियों में मैम्बर कमेटी बनाने के लिये उनको एक तरह से उपयुक्त नहीं माना है। यदि वह एम. एल. ए., एम. पी. बन जायेगा तो 14 दिन के अन्दर उससे हट जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक-एक जिले के जिलाधीश जाने कितनी-कितनी कमेटीज के अध्यक्ष और मैम्बर हैं। इसी तरह से माननीय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेक्रेटरी कोआपरेटिव के सेक्रेटरी भी हैं और कम से कम 15-20 क्या, उससे भी ज्यादा के बोर्ड के अध्यक्ष हैं—बीज निगम के अध्यक्ष, तिलम संघ के अध्यक्ष और पता नहीं कितने-कितने संघों के वह अध्यक्ष हैं। क्या वह तो कोई एक्स्ट्रा काम्पीटेन्स रखते हैं और जन प्रतिनिधि जो सहकारी संस्थाओं में चुनकर जाते हैं वह दो संस्थाओं के भी मैम्बर नहीं रह सकते और वह भी चुनाव जीतकर आते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को यह विचार करना होगा कि क्या वह ऐसे हिटलरशाही कानून बनाने के पक्षधर हैं ? जहां जन प्रतिनिधियों को चुनाव से वंचित किया जा रहा है। प्रजातंत्र का इतिहास लिखा जायेगा तो आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जायेगा.... (व्यवधान) आप जवाब दें तब बोल लेना।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मेरा नहीं लिखा जायेगा। सेन्टर ने बनाया उसमें भी यही प्रावधान है कि राजनीतिकरण नहीं होगा उसके अन्दर भी यही प्रावधान है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह आयेगा तो हम उसका भी विरोध करेंगे।

श्री चतुर्भुज वर्मा : सेन्टर के खिलाफ बोलते हैं तो बोलो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो भी होगा। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि आप विधायकों को, जन प्रतिनिधियों को जो कि चुने हुये लोग हैं उनको किसी भी कमेटी में चुनकर आने से नहीं रोक सकते। एक जिलाधीश और आई. एस. अधिकारी मैंने बताया कि एक सेक्रेटरी बीस-बीस संघों में अध्यक्ष हैं और बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में हैं।

श्री अध्यक्ष : चुनकर आने से कहां रोक रहे हैं ? चुनकर आने के बाद तो कह रहे हैं कि 14 दिनों में इस्तीफा दे दें। चुनकर आने के लिये कहां रोक रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां तो किसी एक संस्था में ही रह पायेंगे ना।

श्री अध्यक्ष : हां, तो किसी एक का रहे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह गलत है ना।

श्री दिग्विजय सिंह : हर जगह विधायक ही विधायक बैठा दें उसके नीचे का कार्यकर्त्ता कभी नहीं आये यह चाहते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको पता नहीं है, मेरे कार्यकर्ता ही नहीं हैं। मैं कभी दो संस्थाओं में चुनकर नहीं आया।

श्री दिग्विजय सिंह : तो फिर क्यों पैरवी कर रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, नहीं यह गलत है। इसी तरह से माननीय सहकारिता मंत्री महोदय ने अभी अपना जवाब दिया....

श्री अध्यक्ष : यह उनका अपना विचार है। आप सुन लीजिये, वह अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव कर लिये, लेकिन आज कितने महीने हो गये इसके बाद इन्होंने सी. सी. बी. के चुनाव नहीं कराये, अपेक्स बैंक के चुनाव नहीं कराये।....

श्री अध्यक्ष : इस पर तो आप बोल चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस पर नहीं बोला है।

श्री अध्यक्ष : बोल चुके हैं ना। और बोलने वाले हैं ना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने अभी शुरू ही कहां किया है। एक मिनट ही नहीं हुआ अभी। मैं पहली बार बोल रहा हूं, ऐसा क्या करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रोवीजन पर तो पूरा बोल चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं बोला। मैं अभी पहली बार बोल रहा हूं इस बिल पर।

श्री अध्यक्ष : मेरा मतलब इस प्रोवीजन से है जिसके ऊपर आप आपत्ति कर रहे हैं। इस पर तो बोल चुके हैं वही तो है आपत्तिजनक। और तो इसमें कुछ है ही नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं नहीं। अध्यक्ष महोदय, इन सहकारी संस्थाओं का एक सुनियोजित तरीके से चुनाव कार्यक्रम इनको प्रकाशित करके करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : वो तो आश्वासन दिया है मंत्री महोदय ने कि जल्दी करा देंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में ब्यावर, केकड़ी, जोधपुर, पाली, जैसलमेर और बीकानेर ये ऊन की बहुत अच्छी मण्डियां हैं। यहां पर मादा भेड़ों को वूल फैडरेशन यहां से मांस काट-काट कर डिब्बे बन्द करके भेज रहा है और मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि आपने इस संस्था के चुनाव नहीं कराये और जब तक आप मादा भेड़ें

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बेचते रहेंगे—आज तक राजस्थान ऊन का निर्यातक प्रदेश था और आज हम न्यूजीलेण्ड और ग्रास्ट्रेलिया से ऊन का आयात कर रहे हैं। यह स्थितियां राजस्थान को और देश को कहां ले जायेंगी यह तो बताने वाली भविष्य की पीढ़ी होगी लेकिन यह जो काम आप कर रहे हैं यह उचित नहीं है।

ठीक इसी तरह से हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटीज के केम्प लगे जयपुर में, अन्य स्थानों पर भी लगे उसके क्या परिणाम रहे? ग्राप उसके बारे में बिल्कुल मुंह बन्द करके बैठ गये। (व्यवधान) आज भी सोसाइटीज के एक्ट में संशोधन आते हैं तो स्कोप इसका वाइड होता है। आपको यह उपबंध भी साथ-साथ करना चाहिये। आज जिन लोगों ने दस-दस साल से हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटीज से मकान लिये हैं आज वह अधरझूल में लटके हुये हैं और आज संस्थाओं के हैड स्वयं सहकारी संस्थाओं के और इन को-आपरेटिव सोसाइटीज से प्लाट ले-लेकर बैठ जाते हैं वह लोगों को क्या न्याय देंगे? तो अध्यक्ष महोदय, यह एक्ट में जो परिवर्तन ला रहे हैं जन समस्याओं का समाधान करने के लिये भी इनका उचित उपबंध करना चाहिये था और अंत में एक बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जन प्रतिनिधियों को आप आटोमेटिकली धारा 34 (7) (ख) के अनुसार जो वंचित करने जा रहे हैं इसको वापिस लेना चाहिये इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नत्थीसिंह जी।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव दिया है और वह मैंने इसलिये दिया है कि हमारे सहकारिता मंत्री जी कई बार इस सदन में कह चुके हैं और बड़ी उनकी तीव्र उत्कट अभिलाषा है कि सहकारी आन्दोलन को बड़ा सुदृढ़ बनाया जाय और इसके लिए वह कहते हैं कि राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 में व्यापक संशोधन और सुधार लाया जाय ताकि अच्छी फुटिंग्स पर खड़ी हो सकें। कहते तो वह यही हैं लेकिन जो बिल लाये हैं पीसमील में, टुकड़ों में उससे उनका उद्देश्य कुण्ठित होता है बजाये इसके कि वह सुदृढ़ हो। उदाहरण के लिए आपने अब भी कहा है और राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण में भी कहा है कि पहले एक वर्ष में प्रशासक लगायेंगे सरकारी अधिकारी, तब भी मुझको शंका थी कि नहीं होंगे। फिर लाये दो वर्ष में करा देंगे और अब कहा है कि 6 महीने में। मुझे शंका है कि 6 महीने में आप नहीं करा पायेंगे क्योंकि अभी इसमें जो प्रोवीजन आ रहे हैं मार्केटिंग सोसाइटी के मामले में जिसके चुनाव आपने अभी कराये हैं सी. सी. बी. के पी. एल. डी. बी. के और अपेक्स के नहीं हुए और ग्रपेक्स के तो ग्रापने सही कहा है इधर भी 15 सालों में चुनाव नहीं करा पाये इसके लिये तो कांग्रेस वाले भी दोषी हैं और आप भी और हम भी दोषी हैं। कोई इसके दोष से मुक्त नहीं है। कोई कानून नहीं है 15 वर्ष चुनाव नहीं करायें लेकिन जो सी. सी. बी. और पी. एल. डी.

(श्री नत्थीसिंह)

बी. के चुनावों की बात करते हैं तो मुझे इसलिये शंका है आपका मस्तिष्क साफ नहीं है कभी कहते हैं इन सी. सी. बी. और पी. एल. डी. बी. को मिलाकर एक कर देंगे, मर्जी करेंगे। कभी कहते हैं हम यूनीटरी सिस्टम बनायेंगे इनकी ब्रांच बना देंगे। आंध्रप्रदेश में जाकर देख आओ क्या हुआ है मर्जर का नतीजा। अब तक आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और उसके लिये भी आपको यहां पर बिल लाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। अभी आपका दिमाग साफ नहीं है तो इसलिये आप कहते हो 5 महीने में करा देंगे। बिल्कुल ऐसी बात मत कहो जिसको आप क्रियान्वित नहीं कर सको इसलिये मेरा सुझाव है कि इस पूरे अधिनियम पर गम्भीरता से विचार करिये और व्यापक संशोधन लाइये और उसके तहत कार्यवाही करायें तभी तो आपका उद्देश्य सफल होगा वरना नहीं। अब आप यह लाये हैं इसलिये चुनाव अभी आपने कराये। चुनावों के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं तो चाहता हूं चुनाव की प्रक्रिया भी बदलो। छोड़ो इस को-आपरेटिव वालों को। अध्यक्ष महोदय, को-आपरेटिव में मार्केटिंग चुनाव कराये। मेरे यहां दो चुनाव अधिकारी लगाये। एक तो उनके साथ चला गया जो दूसरी पार्टी लड़ रही थी, कह दिया मुझे जोइन्ट रजिस्ट्रार ने बुलाया है इसलिये ले गये और आया ही नहीं चुनाव कराने। एक बजे बाद कहा है कि मुझे अपहरण कर के ले गये। आज तक उमने एफ. आई. आर. दर्ज नहीं कराई और आपके डिपार्टमेण्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया अब तक। मिल गये, मिलकर चुनाव नहीं कराया बाद में रजिस्ट्रार दौरे पर गये हुए थे दूसरा निर्वाचन अधिकारी हुआ तब चुनाव हुये और वे सब अपहरणकर्त्ता और सब हार गये।

दूसरे में, यह आपने कानून में संशोधन कर दिया कि अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार है। एक इंस्पेक्टर गया, अब मैं बहुत ज्यादा छोटी बात नहीं कहूंगा, क्या लालच था 5 अध्यक्षों के पर्चे खारिज कर दिये, सदस्यता सूची से नाम काट दिये कि भई मैं तो आपको अध्यक्ष नहीं मानता। सी. ओ. कह रहा है कि यह अध्यक्ष हैं, सोसाइटी के कागज कह रहे हैं अध्यक्ष है, फिर काट दिया कि नहीं मानता मुझे प्रस्ताव चाहिये इसलिये मैं कहता हूं कि चुनाव की प्रक्रिया इलेक्शन कमिशन को दे दीजिये। इलेक्शन कमिशन को बाकायदा निर्धारित समय पर चुनाव कराने दीजिये ताकि वक्त पर हो सके।

अब आपने धारा 33 के विषय में जो बात कही है और माननीय चतुर्भुज वर्मा ने कही है जो को-आपरेटिव में बहुत दिनों से रहे, यह कहा कि किसानों के प्रतिनिधि आवें "ब" श्रेणी में। "अ" श्रेणी में भी किसानों की सहकारी समितियों सदस्य होती हैं और "ब" श्रेणी में क्रय-विक्रय संघ में केवल वही सदस्य बनते हैं जो किसान होता है और जो अपना माल क्रय-विक्रय पर लाता है। यह आपके बाईलॉज में प्रावधान है। जो किसान नहीं होते और व्यापार करता है उसके लिये तीसरी श्रेणी है "स", एक रुपया देना पड़ता है उन्हें। नोमिनल मैम्बर्स होते हैं उनको यह अधिकार नहीं होता है इसलिये किसको बहका रहे हो यह कह करके हमने किसानों के लिये यह प्रावधान किया है। एक गलती आपसे हुई, पूरा नहीं सोचा

(श्री नत्थी सिंह)

आपने कहा कि अनुसूचित जाति के लिये प्रावधान किया, किसमें ? "अ" श्रेणी में । मार्केटिंग सोसाइटी ऐसी हैं जहां एक भी सहकारी समिति का अध्यक्ष अनुसूचित जाति का है ही नहीं, एक भी नहीं है। कहां से आयेगा, अनुसूचित जाति का मैम्बर चुनकर, आपने कोई प्रावधान नोमिनेशन का नहीं किया। एक बार सर्कुलर निकाला था दूसरा निकाल दिया कि नहीं नहीं, कर मत देना हम सोचेंगे इस पर इसलिये बिना पूरी गम्भीरता से सोचे हुए आपने यह संशोधन किया है। "ब" श्रेणी में अब तक 5 थे आपने कह दिया यह भी बन जाते हैं इसके लिए प्रावधान अलग हो सकता है, कैसे बनें, लेकिन इसमें एक था अनुसूचित जाति का, एक था अनुसूचित जनजाति का और तीसरा था लघु और सीमान्त कृषक, दो थे जनरल। आपने किसको काटा है, अनुसूचित जनजाति का काटा, लघु सीमान्त का काट दिया, कह दिया जनजाति का होगा इसलिये इस पर अभी आपने पूरी तरह विचार नहीं किया। विचार करके करते तो संशोधन दूसरी तरह का होता इसलिये मैं कहता हूं इसको जनमत जानने को प्रसारित करो।

अब तीसरी बात आपने कही है 7 (बी) आपने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। आप कहते हैं मैंने एम. एल. ए. एम. पी. प्रधान, प्रमुख को डिबार कर दिया और क्रांति हो जायगी और क्या कहते हैं, वेस्टेड इण्ट्रेस्ट के लिये लाते। थोड़ा तथ्यों पर भी आप सोचें। आपने कांग्रेस के राज्य का एक उदाहरण दे दिया इन्होंने नोमिनेट कर दिया, आपने तो नोमिनेशन में पहले ही प्रावधान कर दिया है गवर्नमेण्ट सर्वेण्ट होगा, तो वह खतरा आपको कहां था ? क्या जवाब दे रहे हैं आप, नोमिनेशन वाला खतरा कहां से आ गया आपको ? चुनाव की बात हो रही है यह। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछली बार चुनाव हुए 34 प्राथमिक सहकारी बैंक हैं राजस्थान के। एक भी एम. एल. ए. और एम. पी. चुनाव में जीतकर के नहीं आया, कोई प्रधान नहीं था, कोई अध्यक्ष नहीं था 34 पी. एल. डी. बी. से, 27 सी. सी. बी. से, बाड़मेर में जो नहीं बनीं उनमें केवल 3 एम. एल. ए. अध्यक्ष बनकर आये। जोधपुर से माननीय मदेरणाजी, जयपुर से डा. हरि सिंह, भरतपुर से बाइचांस में आ गया। तीन ही थे 27 में से 3, यह वेस्टेड इण्ट्रेस्ट का प्रकोप हो गया ऐसे और एक बात अध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब से आपने एक प्रश्न किया था, मुझे उससे एक बात याद आयी, सटीक प्रश्न था। आपने कहा यह तो कहते हैं चुनाव लड़ने का अधिकार है। चुनाव लड़ने के बाद इस्तीफा दे सकते हो। मुझे याद है पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात जो कहते थे अगर सहकारिता को सही रखना चाहते हो तो ऑफीसियल इंटरफियरेंस और राजकीय इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिये। गाडगिल साहब, जो प्लानिंग कमिशन के उपाध्यक्ष भी रहे और जो हमारे राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसलिये कि राष्ट्रीय सहकारी संघ में इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं की हैं उनको राज्य सभा का सदस्य मनोनीत किया, सदस्य बनाया उनको और वह सहकारी संघ के अध्यक्ष रहे हैं और राज्य सभा के सदस्य भी। आज त्रीबाणदास पटेल को हम प्रणाम करते हैं कोआपरेटिव वाले लोग, जो उन्होंने दुग्ध क्रांति की है उसका

(श्री नत्थी सिंह)

क्या गुजरात की विधान सभा में यो दान नहीं था, क्या पार्लियामेण्ट में उनका योगदान नहीं था ? बहुत बड़ा योगदान था। सहकारिता वहीं सफल होती है जहां निष्ठावान सदस्य उसकी सेवा में हों और उसके लिये कोई मैम्बर पार्लियामेण्ट का है या कोई असेम्बली का है, प्रधान है, प्रमुख है, साधारण है यह कोई कैटेगिरी नहीं हो सकती। यह तो आप उनके अधिकार पर प्रतिबंध लगा रहे हो। दुबारा सोचिये, इसलिये मैं कहता हूं बहुत व्यापक संशोधन कर रहे हैं, मूलभूत अधिकारों पर आप प्रतिबंध लगा रहे हैं इसलिये ऐसे प्रावधानों को निश्चित रूप से जनता के सम्मुख भेजना चाहिये। (समय समाप्ति सूचक घण्टी) जनमत जानना चाहिये और भी जो आपने संशोधन करना चाहा वह एक में, 74 के विषय में आपने कहा कि बहुत अच्छा है। गबनकर्ताओं पर, इन पर पाबंदी तो आपने लगाई है कोई दिक्कत नहीं। आज भी है आज वह 3 वर्ष तक चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता जिसके खिलाफ 74 का आर्डर पास हो जाय और पैसे भर दे तब भी 3 वर्ष तक नहीं होता। यह तो बहुत अति है। वह पैसे भर दे तब भी 3 वर्ष तक पेनेलाइज, एक बार अर्डर हो तब तक, 3 वर्ष का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वह तो रहे जो इसमें आज ओरोजिनल एक्ट में है लेकिन भरने के बाद भी 3 वर्ष की पाबंदी और रहे यह बहुत ही आरबीट्रेरी है इसको वापस लीजिये तभी होंगे यह प्रावधान और जितने भी और आपके संशोधन हैं सब जनमत जानने के लिये प्रसारित करिये और तब एक व्यापक विधेयक लाइये और उस पर विचार कराइये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के बारे में प्रस्ताव करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1992 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल मंत्रीजी को दो ही बातें निवेदन करनी हैं। मैं इस बारे में उन बातों को नहीं दोहरानी चाहती जो माननीय सदस्य पहले ही पूर्व में बोल चुके हैं। एक तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आपने केवल इलेक्टेड प्रतिनिधियों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही बेईमान कैसे समझ लिया बाकी सब ईमानदार होंगे, यह कैसे सोच लिया ? क्या इस तरह का जो परीक्षण आपने पूर्व में किया उससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ? आपने डिबार कर दिया चुने हुए प्रतिनिधियों को। प्रमुख वह नहीं बन सकेगा सोसाइटी के अन्दर। एक ही जी. एस एस. के अन्दर आप मैम्बर बनकर आ सकते हो. इसके अलावा तो बाकी जो जायेंगे वह तो डाइरेक्टर्स ही जायेंगे तो डाइरेक्टर्स को तो आपने कह दिया कि नहीं जा सकते, तो इसका मतलब आपने, मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपको यहसुझाव किसने दिया ? कि क्यों कोई चुना हुआ प्रतिनिधि और आप स्वयं भी इस राय के तो नहीं हो सकते कि इस मामले

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

में केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों को डिबार किया जाय और बाकी किसी को नहीं, तो मैं कारण जानना चाहती हूं आखिर आपको यह सुझाव किसने दिया ?

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि यह बात सही है कि धारा 74 के अन्दर आपने जिन लोगों के खिलाफ गबन के केसेज के आधार पर कोई आदेश पारित हो उन लोगों को जो पहले एक सुविधा थी कि वह चाहे पैसे दे या नहीं दे, लाखों रुपया गबन करने के बाद भी चुनाव लड़ सकते थे, उनको पैसा जमा कराने के बाद आपने तीन साल के लिये डिबार किया है। यदि आप यह समझते हो कि यह गड़बड़-घोटाले, गबन, गबन जैसा काम करने वालों को आपने 3 ही साल के लिये क्यों, आजीवन क्यों नहीं डिबार कर दिया ? आप हमेशा के लिये कहते हैं क्योंकि यह धारा 74 केवल गबन करने वालों के खिलाफ है। बाकी किसी के, जिसने समय पर पैसा नहीं चुकाया या कोई और बात हुई उनके खिलाफ नहीं है, जहां लाखों रुपया खा गये तो आप उनको आजन्म कह दो कि यह आदमी जिसके खिलाफ गबन का केस प्रूव होने के बाद में आदेश पारित हो गया और कोर्ट से जिनको स्टे नहीं मिला है ऐसे आदमी कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, जब तो मैं समझती हूं कि एक यह इतना डिटरेण्ट नियम होगा कि उसके आधार पर कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा आइन्दा गबन करने की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ ही मुझे निवेदन यह करना है कि मार्केटिंग सोसायटी के चुनाव जो हुए, कितनी बार उन चुनावों को आपको केन्सिल करना पड़ा ? चुनाव होने के पहले नोटिफिकेशन निकल गया, नोमिनेशन हो गये और नोमिनेशन के बाद कभी किसी नाम से कभी तो इस नाम के ऊपर कि हम यह नहीं कर पाये, यह कहां का न्याय है कि आपने राजस्थान सहकारी सोसायटी एक्ट में बिना अमेण्डमेण्ट लाये कह दिया, केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही इन बोर्डस् के अन्दर डाइरेक्टर के स्थान पर जायेंगे और उन्हीं को राइट आफ वोट होगा ? क्योंकि जो जायेंगे उन्हीं को राइट आफ वोट आपने कह दिया। इस आधार पर तो आपको सोसायटीज के चुनाव दुबारा कराने चाहिये थे क्योंकि सोसायटी चुनावों के समय तो आपने यह स्पष्ट नहीं किया था कि यह केवल उन्हीं को अधिकार होगा; अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही वोट देने का अधिकारी होगा ओर वही डाइरेक्टर का चुनाव लड़ सकेगा। जी. एस. एस. के चुनाव के समय यह बात नहीं की। चुनाव हो गये उसके बाद आपने कह दिया। मान लीजिये, किसी व्यक्ति को इस बात का अनुमान होता कि मुझे जाना है, मुझे चुनाव लड़ना है तो वह अध्यक्ष बनता, उपाध्यक्ष बनता। लेकिन उस समय तो नियम यह था कि रिजोलूशन होगा जी. एस. एस. का, जी. एस. एस. अपने रिजोलूशन के जरिये किसी को भी प्रतिनिधि भेज सकेगी। तो यह आपने ऐसे ही बैठे बैठे कर दिया जो कि लोकतन्त्र की भावना के विपरीत है। उसी तरीके से प्रजातन्त्र की मूल भावना के विपरीत है। उसी तरीके से प्रजातन्त्र की मूल भावना के आपका इस तरह का संशोधन लाना भी विपरीत है कि जिसमें आप प्रमुख, प्रधान,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

विधायक और संसद सदस्य को डिबार करने जा रहे हैं यह भी लोकतन्त्र की मूल भावना के विपरीत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बस खतम कर रही हूं ना। घण्टी बजाने की नोबत नहीं आनी चाहिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : वह इसलिये कि आप रिपीट कर रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं रिपीट नहीं कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष : यह आपत्ति कल्लाजी ने भी उठायी है, यह आपने भी उठायी। यह आपत्ति हो चुकी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब जिसने दिया संशोधन, सब उठायेंगे, साहब।

श्री अध्यक्ष : आपने पहले अपनी बात नहीं की ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ कीजियेगा, जिसने संशोधन दिया है उसको बोलने का हक है और वह उठायेगा।

श्री अध्यक्ष : उतना हक है जितना मैं इजाजत देता हूं, यह इसमें सशोधन कर लीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बैठ रही हूं। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय से कि वह यह बतायें कि यह सुझाव उन्हें दिया किसने है कि जिसके अन्दर चुने हुए प्रतिनिधियों को डिबार करने की बात की गयी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी जी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्ला साहब ने भी यह बात उठायी थी डिफाल्टर को तीन साल तक के लिये भी क्यों कर रहे हो। माननीय नत्थी सिंह जी और सुमित्रा सिंहजी ने उसको साफ कर दिया खुद ही। इसमें डिफाल्टर नहीं हो, डिफाल्टर होता है तो क्या होता है ? मान लो अकाल पड़ गया, कुछ हो गया तो अल्पकालीन ऋण मध्यकालीन कर दिया जाता है, मध्यकालीन लोंग टर्म में परिवर्तित कर दिया जाता है। उनके ऊपर कोई डिबार नहीं है, वह चुनाव लड़ सकता है। लेकिन गबन घोटाले के अन्दर 74 में अगर कोई सिद्ध हो जाय, उसके ऊपर कोई हाई कोर्ट से स्टे वगैरह नहीं लाया तो मैंने उसको रोका है। आप कानूनन आई. पी. सी. में देख लीजिये, जो मोरल टर्पिट्यूड के अन्दर पनिशमेंट होता है उसको 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने के लिये डिबार किया जाता है। तो मैंने तो तीन साल के लिये किया है। माननीय सुमित्रा जी का हमारे सामने बहुत अच्छा सुझाव है कि चोर को कभी चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि कल्ला साहब....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्री जी, एक बात स्पष्ट कर दें आप। डिफाल्टर और गबनकर्ता, यह दो अलग चीजें हैं। डिफाल्टर के कारण और भी हो सकते हैं। इसलिये मैं डिफाल्टर को हमेशा के लिये डिबार करने की बात नहीं कर रहीं हूं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लेकिन मैं गबनकर्ता को हमेशा के लिये डिबार करने की बात कर रही हूं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैंने भी यही कहा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : धारा 74 को थोड़ा स्पष्ट कर दें कि धारा 74 में क्या है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : धारा 70 के अन्दर जांच करने के बाद जो गबन करता है, बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है वह धारा 74 में आता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है, ठीक है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1992 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्रीजी पारित करने के लिये प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री चतुर्भुज वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया गया।

मुख्य सचेतक जी, तीसरे बिल के लिये रखिये।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार न किया जाना

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची के मद संख्या 4 में निश्चित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992 पर प्रक्रिया के नियम 28 (4) के अन्तर्गत आज विचार नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की इसमें सहमति है ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पारित किया गया।

माननीय मंत्रीजी। मैं इसको खण्डशः ले रहा हूं। खण्डशः ले रहा हूं।

श्री नत्थीसिंह : कौन सा ?

श्री सांवलियाजी मन्दिर विधेयक, 1992 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाजी वाला। खण्ड 2 से 27, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 27 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 27 स्वीकार किये गये।

खण्ड 28. संशोधन प्रस्तुत कर रहें हैं आप ?

श्री रामकिशोर मीणा (देवस्थान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि विधेयक के खण्ड 28 के उप खण्ड (2) की,–(क) मद (ग) में आये शब्द "साधारणतः हिन्दुओं के फायदे के लिये एक" और

(ख) मद (घ) में आये शब्द "हिन्दू धर्म को मानने वाले" लोपित किये जायें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 28 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 28 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 28 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 28 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 29 से 36 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 29 से 36 स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 29 से 36 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र प्रस्तावना नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किया गया।

अनुसूची–कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जायें ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

प्रभारी मंत्रीजी, पारित के लिये प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सांवलिया जी मन्दिर विधेयक, 1992 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : पंडित रामकिशनजी पहले आप बोल लें, आप पहले बोल चुके हैं।

श्री रामकिशन वर्मा (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज इस अध्यादेश में प्रस्ताव किया गया है उसका तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि आज हिन्दू धर्म और हिन्दू धर्म को मानने वाले लोग जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको भी क्या हम नये ढंग से सोचने को तैयार हैं या नहीं। आज हिन्दू धर्म की स्थिति यह है कि जैसा माननीय कमलेन्द्र सिंहजी कह रहे थे, शायद कुछ माननीय सदस्य उसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं, मैं धर्म की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, धर्म की खराबी और गुणों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन हिन्दू धर्म सिमटता जा रहा है। सिख यह कहते हैं, हम हिन्दू नहीं हैं। जैन यह कहते हैं हम हिन्दू नहीं हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह किसने कह दिया ?

श्री रामकिशन वर्मा : कहते हैं, कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, हम अलग हैं।

इसके साथ-साथ हजारों वर्ष से जिन्होंने हिन्दू धर्म की मर्यादा की रक्षा की, जिस पर हमारे समाज का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उन हरिजन वगैरह को मन्दिरों में प्रवेश की इजाजत नहीं है। तो हिन्दुओं के मन्दिर बनें, उनमें सेवा पूजा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जो हमारे देश की बहुसंख्या है वह बहुसंख्या आज मन्दिरों में नहीं जा सकती, उसके लिये क्या हम सब लोग मिलकर कोई विचार करने को तैयार हैं ?

माननीय मुख्य मंत्रीजी आपकी जानकारी में आया होगा अभी महाराष्ट्र में बरसात हो गई और एक पुलिस का सब इंसपेक्टर जो शिड्यूल्ड कास्ट का था, मैं उन दिनों वहीं था पूना में। वह बरसात से बचने के लिये मन्दिर में घुस गया। वहां मन्दिर में उसकी हत्या कर दी गयी। आखिर में हिन्दुओं को यह सोचना चाहिये कि मन्दिर बने, उनमें सेवा पूजा हो लेकिन हम अपने आचरण से हिन्दू धर्म को इतना सीमित नहीं कर दें कि एक दिन ऐसा आये कि हिन्दू धर्म के सम्पूर्ण अस्तित्व के लिये एक चुनौती खड़ी हो जाय। पर शायद हमने गम्भीरता से कभी विचार नहीं किया। यह जो बिल हमारे सामने विचारार्थ आया था उस समय जब यह रखा गया कि हिन्दुओं के अलावा दूसरों को, हालाकि शब्द उसमें जनरली यह है ऐसा नहीं है कि उसमें रोका गया हो। लेकिन फिर भी एक प्रवृत्ति दिख रही थी कि अगर एक तरफ तो ईसाई मिशनरीज हैं जो विदेशों से धन लाते हैं और ऐसे क्षेत्रों में सेवा का कार्य करते हैं जिससे लोग बिना कहे उनके धर्म में सम्मिलित होते चले जा रहे हैं और एक हम लोग हैं कि कहेंगे कि

(श्री रामकिशन वर्मा)

हमारे मन्दिर में दूसरा आदमी नहीं आयेगा । हमारे पैसे से दूसरा आदमी फायदा नहीं उठायेगा । हमारे अस्पताल में दूसरा आदमी इलाज नहीं करवायेगा तो इस अनुदारता की वजह से हिन्दू धर्म सिमटेगा, कमजोर होगा और एक सीमित दायरे में चला जायेगा । इसके माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपसे कहना चाहता हूं कि आपका दल मैं यह नहीं कहता कि आप कन्जरवेटिव, जैसे ही मैं कन्जरवेटिव कहूंगा तो आप प्रोग्रसिव पर कूद पड़ोगे। मैं तो बहुत प्रगतिशील हूं लेकिन आपके दिमाग की बनानट है, आप की खास तौर पर दिमाग की बनावट इस तरह की हैं कि आप इन सारी समस्याओं पर गम्भीरता से सोचने के लिये तैयार नहीं है ।

दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में वर्ण व्यवस्था है । मुझे कल बड़ी तकलीफ हुई जब मेरे सामने माननीय रामविलास पासवान हरिजनों से यह कह रहे थे कि तुम मन्दिर में मत जाओ, जहां तुम्हें अपमान सहना पड़ता हो वहां तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो हिन्दुस्तान के संविधान को पढ़ो । तो मैं भी ईश्वरवादी और मन्दिर जाने वाला नहीं हूं लेकिन इस बड़े समाज में, नौजवानों के दिमाग में यह बात बैठ गयी तो हमारे लिये यह खतरा बहुत ज्यादा गम्भीर है । तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब दलों को मिल कर जो भी सवर्ण और दूसरे लोग हैं, हरिजन हैं, जिनको हमने हिन्दू माना है, हजारों वर्षों से जो हिन्दू हैं जो आज भी अपने आपको हिन्दू कहते हैं उनको इन मन्दिरों में प्रवेश होना चाहिये, किसी प्रकार का आने-जाने पर उन पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । यह खतरा हमारे लिये बहुत व्यापक होता जा रहा है ।

दूसरी स्थिति, अध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे बड़ा अफसोस होता है कि जितने भी हमारे धर्म हैं उनमें महिलाओं का स्थान क्या है ? मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि यह धर्मों ने व्याख्या क्या की है ? मैंने आज मुसलमानों से पूछा कि तुम्हारे कितने पैगम्बर हुये ? तो वह कहने लगे कि हमारे अब तक 11 लाख 24 हजार पैगम्बर हो चुके हैं । फिर मैंने पूछा की कोई महिला पैगम्बर थी ? तो कहते हैं कि कोई महिला पैगम्बर है ही नहीं । उनका तो यहां तक सोचना मुसलमानों का, बुद्धि के मामले में पुरुष और स्त्रियों में फर्क है । इसलिये जब गवाही होगी तब दो स्त्रियों की गवाही एक पुरुष के बराबर होगी । तो आप देखिये....

श्री अध्यक्ष : पंडितजी, एक मिनट । फर्क यह है बुद्धि के मामले में लेटेस्ट साइंटिस्ट डिस्कवरी हुयी है कि महिला के मस्तिष्क के दोनों हिस्से काम करते हैं कई बार जबकि पुरुष का एक ही हिस्सा काम करता है । यह हुआ है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपके बिना कहे ही प्रत्यक्ष में हमको यही ज्ञान है ।

श्री रामकिशन वर्मा : खैर, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इस्लाम यह मानकर चलता है कि महिलायें हीन होती हैं, और धर्म का प्रचार निरंतर होता चला जा रहा है, 11 लाख 24 हजार पैगम्बरों में से एक महिला पैगम्बर नहीं हुयी । हमारे यहां भी 24 अवतार हुये हैं । मैंने एक दिन डा. राममनोहर लोहिया से पूछा था जब वह

(श्री रामकिशन वर्मा)

राम, कृष्ण और शिव पर कुछ अध्ययन कर रहे थे कि हमारे यहां कोई महिला अवतार क्यों नहीं हुयी ? अगर आत्मा है, अमर है और प्राण धारण करती है तो कभी महिलाओं में भी तो ईश्वर का अंश आ जाना चाहिये था । लेकिन आज तक कोई महिला नहीं हुयी । जैनियों में नहीं हुयी, बौद्धों में नहीं हुयी । अवतार की कह रहा हूं....

श्रीमती तारा भण्डारी : मल्लीनाथजी तीर्थंकर हैं ।

श्री रामकिशन वर्मा : एक महिला का नाम बता देता हूं आपको जो जिसका दक्षिण में बड़ा जिक्र है वह मैंने जरूर सुनी है । अन्यथा सभी धर्मों में महिलाओं को अछूत, नर्क का द्वार और उनको अकल्याण का कारण समझा गया है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, पंडितजी, आपके जो 24 अवतार हुये हैं, अब आप कैसे कहेंगे कि जो मछली अवतार है वह महिला नहीं थी । या वराह अवतार हैं वह महिला नहीं थी या जो हंसा अवतार है वह महिला नहीं थी । कैसे कहेंगे आप ?

श्री रामकिशन वर्मा : आप तो विद्वान हैं । आप इस तरह से व्याख्या नहीं करो पुरुष की तो मेरा कहने का मतलब है कि हरिजन और महिलाओं को इन मन्दिरों में उचित स्थान देना चाहिये । मुझे ताज्जुब होता है कि हजारों वर्षों से हमारे ठाकुरजी की पुजा केवल ब्राह्मण ही क्यों करें ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी एक परीक्षा होनी चाहिये जो शास्त्रों और पूजा पद्धति को पास कर लें, चाहे वह हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो द्विज हो चाहे अद्विज हो उसको पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिये । अगर इन चीजों पर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे धर्म का संकट इतना सा नहीं है कि हम धर्म की चर्चा करते चले जायें, हमारा धर्म सिमट रहा है, हमारे धर्म पर इस तरह के बहुत तरह के खतरे आ रहे हैं । मैं केवल बुराई की दृष्टि से नहीं बल्कि कल्याण की दृष्टि से इस बात पर चर्चा करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी आपके दल द्वारा धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है । आप जिस तरह से अनुदार होकर इस बात पर सोचते हैं कि जैसे अभी कोई महाशय कह रहे थे कि अब इसमें एमिनेंट हिन्दू लिख रहा है । दो हिन्दू इसमें एमिनेंट हिन्दू इसमें नोमिनेट होंगे । अब मेरी राय में दो एमिनेंट हिन्दू एक तो भैरोंसिहजी हैं और एक ललितकिशोर चतुर्वेदी और तो राजस्थान में कोई हिन्दू है ही नहीं । क्या मैं हिन्दू नहीं हूं या प्रोफेसर केदार हिन्दू नहीं हैं, क्या ये ठाकुर साहब हिन्दू नहीं हैं लेकिन एमिनेंट हिन्दू का मतलब यह है कि हिन्दू धर्म को जो समझे, उनकी व्याख्या को समझे, उसके दर्शन को समझे, उसकी पृष्टभूमि को समझे । एमिनेंट का मतलब तो यह हुआ कि आपने राज सत्ता प्राप्त कर ली और सारे गुण आप में समाहित हो गये । जबकि मैं समझता हूं कि भैरोंसिहजी तो एक अधर्मित व्यक्ति हैं । अब उनको ऐसे बोर्ड में कहीं नोमिनेट कर दिया गया, ऐसे बोर्ड में जो यह भी नहीं समझते हैं कि कृष्ण का अवतार और यह श्री सांवलियाजी जो पूजा हो रही है, आपने देखा होगा कि इसमें चित्र किस तरह के हैं, सारी इन चीजों को कौन समझेगा ? इनकी व्याख्यायें कैसे होंगी । तो इस एमिनेंट

(श्री रामकिशन वर्मा)

शब्द को भी आपको माफ कर देना चाहिये था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप में और मेरे में इतना फर्क है कि मैं मन्दिर में जाता हूं श्रद्धा से और आप मन्दिर में जाते हैं आलोचना की दृष्टि से। यह बड़ा अन्तर है।

श्री रामकिशन वर्मा : मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं जाता। माननीय मुख्य मंत्रीजी आप इस तरह कांग्रेस वाले नहीं समझेंगे, लोगों में फैला देंगे कि मैं आलोचना के लिये मन्दिर में जाता हूं। आपका जो तरीका है बात करने का लोगों को उल्टे ढंग से समझाने का, वह नहीं है मेरा मतलब। मैं जाता हूं मन्दिर लेकिन मैं अध्ययन करने जाता हूं कि हमारे जो अवतार हैं, दूसरे जो हमारे महापुरुष हैं उनके व्यवहार से आज के समाज में... (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सीता-राम, राधे–गोविन्द लक्ष्मीनारायण यह सब महिलाओं के ही तो नाम हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : आप समझ नहीं पायेंगी इस चक्कर को।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आपने एक बड़ी गलत बात कह दी। यह कैसे कह दी ?

श्री नत्थीसिंह : आपके जुनियर को बता दी है इसलिये आप चैलेंज मत करो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहती हू कि कोई भी नाम लेओ राधे–गोविन्द, राधे पहले आयेगा महिला का नाम, सीता–राम, सीता पहले आयेगा, हर बात के अन्दर महिलाओं का नाम आता है। आप कहते हैं कि महिलायें नहीं हैं यह कैसे कह दिया ?

श्री रामकिशन वर्मा : मैं माननीया श्रीमती ताराजी और आपको यह निमंत्रण देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : पंडितजी गलत फंस गये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : हमारे सती भी हुयी हैं तो हम में से हुयी हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : हमारे चार.... (व्यवधान) आपको जानकारी नहीं है। हमारे चार तीर्थ हैं और श्रीमती ताराजी कह रहीं थीं कि राधे के साथ कृष्ण के फोटो हैं। आप चले जायं पुरी में कृष्ण का किसके साथ फोटो है, जब वह कृष्ण रहे थे बृज में तब तो उनके साथ में राधा है लेकिन जब पुरी पहुंच गये तो राधा कहां है वहां जरा जाकर देखो, द्वारका में आप जाय तो वहां राधा नहीं है. वहां सत्यभामा के साथ कृष्ण हैं कृष्ण, कहीं रुकमणी के साथ हैं, कहीं जामवन्ती के साथ हैं। मैं केवल यह कहना कहना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को हम समझें कि भगवान कृष्ण महापुरुष थे, सम्पूर्ण कलाओं के अवतार थे और मैं समझता हूं कि संसार में कृष्ण जैसा व्यक्तित्व बहुत कम होता है लेकिन आप जरा देखिये जब जवानी थी तब तो उनके साथ राधा थी लेकिन जैसे ही सिंहासन पर आये, जैसे द्वारिका में राज बना तो वहां सत्यभामा आ गयी राधा को भुला दिया गया।.. (व्यवधान)....हां, वही तो फर्क है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार।

श्री अध्यक्ष : देखिये, पंडितजी, आप

(श्री अध्यक्ष)

अपने आपको ठीक करिये। कृष्ण 11 वर्ष की उम्र में चले गये थे। राधा-कृष्ण का सम्बन्ध, कृष्ण 11 वर्ष के थे तब मथुरा में चले गये थे जिन्दगी भर वापस नहीं आये, जिन्दगी भर राधा से नहीं मिले। बचपन का समय था जवानी नहीं थी। (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : कंस के वध के समय कृष्ण की उम्र और द्वारिका जाने के वक्त उम्र। खैर, उस दृष्टि से मैं कह नहीं रहा हूं। किन्तु जब बात इन्होंने छेड़ दी तब मैं कह रहा था कि हमारे चारों जो बड़े धाम हैं, और जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी हुयी है उनके साथ राधा कहीं पर भी नहीं है—केदारनाथ में नहीं, द्वारिका में नहीं, पुरी में नहीं, वहां अलग-अलग तरह के हैं तो इन सारी चीजों के बारे में मुझे खाली इतना सा कहना है कि हमारे धर्म, स्त्री के बारे में, हरिजन के बारे में, पिछड़ों के बारे में अब तक जो व्यवहार करते रहे हैं उस व्यवहार को हमें दुरुस्त करना चाहिये, उसको सुधारना चाहिये। जब तक हमने इसको दुरुस्त नहीं किया तो हमारे धर्म का संकट बहुत गहन होता चला जायेगा। इसीलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मन्दिर, हम जहां राज्य सरकार अपने अच्छे इरादे से मैं इसे बुरा इरादा नहीं मानता। राज्य सरकार कोई खराब एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसे दुरुस्त कर रही है बहुत अच्छा है लेकिन साथ-साथ इस बात को प्रोत्साहित करें, जबर्दस्ती नहीं कि कोई पुजारी किसी जाति का हो, उसने शास्त्र पढ़ा हो और शास्त्र सम्मत पूजा करने का उसको ज्ञान हो गया हो तो उसे पुजारी बनाने के लिये उसे नहीं रोकना चाहिये। केवल एक जाति के लोग पुजारी बने मैं समझता हूं कि इससे जात-व्यवस्था बढ़ रही है और हरिजनों का आक्रोश, जैसा मेरे सामने परसों 5-10 हजार हरिजनों में कहा गया कि आप मन्दिरों में मत जाओ, केवल आप कान्स्टीट्यूशन पढ़ो तो मैं समझता हूं कि हमारे धर्म का बड़ा भारी संकट है। इन सारे सवालों पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। एक निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं जैसा कि माननीय कमलेन्द्र सिंहजी ने कहा कि यह जिन गांवों से सम्बन्धित यह मन्दिर है उनका निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिये। हो सकता है उनमें कोई गड़बड़ी हो, हो सकता है व्यवस्था में खामियां रही हो। लेकिन साथ-साथ में जो हमारे देवता हैं, अब देवता है या नहीं, देवता ने मनुष्य को बनाया या मनुष्य ने देवता को बनाया यह भी एक बड़ा भारी प्रसंग है। लेकिन अगर कहीं है तो लोकल दृष्टिकोण को बिलकुल साफ रखना चाहिये। मैं खास तौर पर इस धर्म के सम्बन्ध इतनी सी बात कहना चाहूंगा, हिन्दू धर्म को, दूसरे धर्मों को हमें ज्यादा चिन्ता करने की जरूरत नहीं, वह अपने बारे में अपनी चिन्ता करें। लेकिन हिन्दू धर्म विस्तार बनें, उदार बनें, संसार में फैले और सर्वमान्य बनाया जाय। इसके लिये हिन्दुओं को निरन्तर संघर्ष भी करना चाहिये सुधार भी करना चाहिये और जो विसंगतियां हैं धर्म की, उसकी नयी व्याख्याओं के अनुसार हमें आचरण करने की भी कोशिश करनी चाहिये और ये पुराने ढंग की जो चीजें हैं उन पर हमें नये ढंग से चिन्तन करनी की कोशिश करने चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्लाजी। संक्षेप में ही बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो, माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने जो अमेण्डमेण्ट किये हैं वह हमको मिले नहीं सर्क्यूलेट नहीं हुये इसका मैं विरोध करता हूं हमको मिलने चाहिये क्योंकि कुछ सुनाई भी नहीं दिया कि इन्होंने क्या अमेण्डमेण्ट किया है।

दूसरी बात, अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे हिन्दू धर्म तो वसुदेव कुटुम्ब कम की संस्कृति का रहा है। सारा संसार एक परिवार की तरह है और उसका दृष्टिकोण हमेशा व्यापक रहा है, कभी भी संकीर्णतायें उसमें नहीं रही है।

जहां तक इस बिल का प्रश्न है, इस बिल में 16 गांवों के लोग मिल कर इसकी प्रबन्ध व्यवस्था कर रहे थे और इसमें 8 मैम्बर्स में से 3 मैम्बर उन गांव के लोगों में से लेना और बाकी बाहर से लेना, यह उन लोगों के साथ अन्याय है। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा कि यह मैम्बर्स सारे के सारे वहीं के होने चाहिये और जो पुरानी व्यवस्था एक प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुसार चल रही थी उसी प्रणाली के अनुसार उसकी व्यवस्था चलती रहनी चाहिये ताकि उस क्षेत्र में जो शिक्षा का और चिकित्सा का और जन कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार उन चुने हुये प्रतिनिधियों के माध्यम से हो रहा था वह ज्यादा सुचारु रूप से था। और अब इसका सरकारीकरण करके, सरकार का काम प्रशासन देना है न कि इन मन्दिरों के ऊपर शासन करना। मैंने पूर्व में भी यह बताया था कि यह प्रबन्ध, प्रशासन और शासन के लिये यह बिल ला रहे हैं। तो प्रबन्ध और प्रशासन तो वह अच्छा कर रहे थे और अब आप मन्दिर पर प्रशासन करना चाहते हैं तो वह तो निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वत्र व्यापक है उनके ऊपर शासन करने का जो सरकारीकरण करने की नीयत सरकार की है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सांवलियाजी मन्दिर विधेयक, 1992 संशोधित रूप से पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री सांवलियाजी मन्दिर विधेयक, 1992 संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 4 मार्च, 1992 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 4.54 बजे बुधवार, दिनांक 4 मार्च, 1992 के म. पूर्व 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुयी)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 116 का विवरण

माह	गेहूं			चावल		
	आवंटन	उठाव	वितरण	आवंटन	उठाव	वितरण
नवम्बर, 91	5500	5500	5500	90	90	90
दिसम्बर, 1991	5800	5800	5800	140	140	140
जनवरी, 92	6000	6000	6000	100	100	100
फरवरी, 92	5800	5800	वितरण जारी है।	140	उठाव एवं वितरण जारी है।	

परिशिष्ट—2

समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

लूणकरणसर लिफ्ट सिंचाई योजना

120. श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर लिफ्ट से सिंचाई करने हेतु मूल योजना में करीब तीन लाख एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना स्वीकृत करते वक्त बिजली की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था जिसमें सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु पुनः लिफ्ट करके ही पानी देना संभव था ?

(3) क्या उक्त लिफ्ट योजनाओं में खोखराना क्षेत्र 10 मीटर, कालू-गारबदेसर क्षेत्र 30 मीटर, शेखमर क्षेत्र के गांवों को 40 मीटर पानी लिफ्ट करके ही सिंचाई सुविधा दी जा सकती है ?

(4) क्या यह सही है कि ये सारे क्षेत्र अकाल संभाव्य क्षेत्र हैं तथा इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के विस्तार से आर्थिक दशा सुधारी जा सकती है एवं अकाल से भी मुक्ति दिलाई जा सकती है ?

(5) क्या खोखराना क्षेत्र में जमीदोज पानी खारा है। वहां 10 मीटर पानी लिफ्ट करके ही सिंचाई सुविधा प्रदान करके लोगों को अकाल से मुक्ति दिलाई जा सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु तत्काल सर्वे कराने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) इस परियोजना के लिये समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रस्ताव रखे गये थे, वर्ष 1963 से रिवाइज्ड परियोजना प्राक्कलन में नहर की क्षमता 1000 क्यूसेक्स रख कर लूणकरणसर-बीकानेर क्षेत्र में 2.50 लाख एकड़ भूमि सिंचित करना प्रस्तावित किया गया था।

(2) जी नहीं, इस नहर का निर्माण उसकी क्षमता 500-600 क्यूसेक्स व लिफ्ट सीमा 60 मीटर एवं मुख्य नहर से पुनः लिफ्ट नहीं करने के प्रावधान से स्वीकृत किया गया था।

(3) जी नहीं, उपरोक्तानुसार निर्मित लिफ्ट नहर से पुनः लिफ्ट कर अन्य क्षेत्र को पानी देना संभव नहीं है।

(4) जी हां, ये समस्त क्षेत्र अकाल संभाव्य क्षेत्र हैं तथा इन क्षेत्रों एवं अन्य सभी क्षेत्रों में पानी लिफ्ट कर सिंचाई सुविधा के विस्तार से आर्थिक दशा सुधारी जा सकती है, लेकिन पानी की उपलब्धता सीमित होने के कारण पलो क्षेत्र को सिंचाई सुविधा से वंचित कर पानी लिफ्ट कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना उचित नहीं है।

(5) जी हां, पानी की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान में इस क्षेत्र का सर्वे कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के भूमिहीन कृषकों की भूमि का नियमन

121. श्री अमीनखां (शिव): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में काबिज कितने भूमिहीन किसानों की भूमि का नियमन गत पांच वर्षों में किया गया है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने भूमिहीन किसानों को भूमि का नियमन गत 5 वर्षों में किया गया ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में जिला बाड़मेर में 111 भूमिहीन किसानों को तथा जिला जैसलमेर में 8 भूमिहीन किसानों को भूमि का नियमन किया गया है । तहसीलवार सूची संलग्न है ।

(2) जिला बाड़मेर में गत पांच वर्षों में 25 व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं 10 अनुसूचित जनजाति के कुल 35 भूमिहीन किसानों व जिला जैसलमेर में 1 अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन किसानों को भूमि का नियमन नियमन किया गया है । सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वन क्षेत्रों में अवैध खनन

122. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के वन क्षेत्र में अवैध खनन कार्य हो रहा है ?

(2) वन क्षेत्र में अवैध खनन कार्य को नहीं रोक पाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) अवैध खनन की शिकायतें आती रहती हैं जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

(2) विस्तृत एवं दुर्गम क्षेत्र होने का लाभ उठा कर अवैध खनन होता रहता है ।

(3) जी हां, राजस्थान वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, एवं भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अवैध खनन के रोकथाम की कार्यवाही वन विभाग द्वारा जारी है । इसके अतिरिक्त खनिज विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा पृथक् एवं संयुक्त रूप से कार्यवाही की जाती है ।

बांसवाड़ा व डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्रों में छात्रावास

123. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार आदिवासी इलाके बांसवाड़ा व डूंगरपुर में नये छात्रावास

(श्री फतेह सिंह)

खोलने का विचार रखरी है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र के छात्रावासों में वार्डन्स के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो रिक्तियों को कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान वर्ष 1991-92 में पीपलखूट, जिला बांसवाड़ा तथा सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर में टी. ए. डी. योजना के अन्तर्गत एक-एक छात्रावास प्रारम्भ किये जा चुके हैं। भविष्य में भी इन आदिवासी इलाकों में छात्रावास खोलने का प्रश्न राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा ।

(2) जी हां । रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु कार्यवाही की जा रही हैं ।

पंचायत समिति छबड़ा में पशु चिकित्सालय

124. श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छबड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पाली में पशु चिकित्सालय खोलने का गत सत्र में आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक क्यों नहीं खोला गया ।

(2) छबड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में पशु चिकित्सालय अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ।

उत्तर

(1) गत वर्ष एवं इस वर्ष नयी पशु चिकित्सा संस्था खोलने का प्रावधान न होने के कारण ग्राम पाली में एक उप केन्द्र स्वीकृत कर दिया गया है।

(2) चालू वर्ष के दौरान भी नये पशु चिकित्सालय खोलने हेतु प्रावधान नहीं है।

राज्य के डेयरी अवशीतन संयंत्र

125. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में डेयरी अवशीतन संयत्र कहां कहां तथा किस-किस क्षमता के स्थापित है एवं वर्तमान में उनका क्षमता का कितना-कितना उपयोग हो रहा है ?

(2) उक्त संयंत्र अपनी स्थापित क्षमता के अनुसार कार्य कर सके इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में डेयरी अवशीतन केन्द्रों की स्थिति, क्षमता एव उनका वर्तमान में क्षमता के उपयोग का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) दुग्ध अवशीतन केन्द्र अपनी स्थापित क्षमता के अनुसार कार्य कर सकें इस हेतु डेयरी फैडरेशन द्वारा किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है ।

परिशिष्ट "क"

डेयरी अवशीतन केन्द्र, क्षमता एवं क्षमता का वर्तमान में उपयोग का विवरण

क्र. सं.	अवशीतन केन्द्र	क्षमता ली./दिन	दूध संकलन औसत 1 से 4 फर., 92 (लीटर में)
1.	तिजारा	20000	1188
2.	कोटपूतली	20000	0
3.	दौसा	20000	4978
4.	गंगापुर सिटी	20000	1953
5.	मालपुरा	20000	9553
6.	ब्यावर	10000	0
7.	विजयनगर	20000	18963
8.	बांसवाड़ा	10000	767
9.	डूंगरपुर	10000	1083
10.	डूंगरगढ़	10000	0
11.	सरदारशहर	30000	3225
12.	लूणकरणसर	30000	31928
13.	बज्जू	10000	1575
14.	छतरगढ़	10000	8125
15.	सूरतगढ़	20000	14325
16.	नोहर	10000	2500
17.	बालोतरा	20000	9683
18.	बाड़मेर	10000	2700
19.	पोकरण	20000	1788
20.	पाली	20000	31840
21.	मेड़ता	20000	1983
22.	फालना	20000	6583
23.	फलोदी	10000	4500
24.	नागौर	10000	2945

नोट :—कोटपूतली में दूध की उपलब्धता न होने से बन्द है ब्यावर एवं डूंगरगढ़ क्षेत्र का दूध क्रमश: अजमेर एवं सरदारशहर संयंत्रों पर सीधा पहुंचाया जा रहा है क्योंकि इन क्षेत्रों में भी दूध की उपलब्धता कम है ।

परिशिष्ट "ख"

अवशीतन संयंत्रों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिये डेयरी फैडरेशन द्वारा किये जा रहे प्रयासों का विवरण

1. जो दुग्ध उत्पादक वर्तमान में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से जुड़े नहीं हैं उन्हें प्रयास कर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से जोड़ने के प्रयास किये जावेंगे जिससे कि दुग्ध संकलन की मात्रा बढ़ सकें।

2. बन्द दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को पुनर्जीवित कर, उनसे दूध संकलन किये जाने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

3. अवशीतन केन्द्र के दुग्ध क्षेत्रों में नई समितियों विशेष रूप से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाकर दूध प्राप्ति के साधनों को बढ़ाये जाने का एक वृहत कार्यक्रम हाथ में लिया गया है।

4. आई. आर. डी. पी, एवं महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक को पशु क्रय करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे कि क्षेत्र में नये दुग्ध उत्पादक पशु क्रय कर दुग्ध संकलन को बढ़ावा दिया जा सके।

5. अनेक तकनीकी आदान सुविधाओं जैसे कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, सन्तुलित पशु आहार, चारा विकास योजना पर अधिक ध्यान दिया जाकर उन्हें दुग्ध उत्पादकों की पहुंच में लाया जाने के प्रयास किये जा रहे हैं तथा समय-समय पर डेयरी फैडरेशन द्वारा प्रचार व प्रसार कराया गया है और प्रेरित किया कि वे दुग्ध उत्पादक समिति के सदस्य बनें।

———

भैंसवाड़ा (जालौर) में मठ पीपलेश्वर के नाम राजस्व काबिल काश्त भूमि

126. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भैंसवाड़ा जिला जालौर के मठ पीपलेश्वर के नाम संवत् 2012 में डोली के रूप में कुल कितनी राजस्व काबिल काश्त भूमि दर्ज थी ? खसरावार, ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सन् 1991 के अन्त तक कुल कितनी भूमि थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस मठ की भूमि देवस्थान की भूमि है ? क्या इस भूमि पर कोई अतिक्रमी काबिज है ? यदि हां, तो सरकार उनको हटाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या सरकार देवस्थान की भूमियों से अतिक्रमण हटाकर पुजारियों को कब्जा दिलाने हेतु कानून में कोई संशोधन करने का विचार रखती है ?

(5) क्या इस भूमि में कोई आबादी का पट्टा जारी किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) ग्राम भैंसवाड़ा तहसील आहोर के म. श्री महादेवजी (पीपलेश्वर) के सं. 2012 में खुद काश्त किला भूमि आहोर तहसील में 304/। बीघा थी जिसका ग्राम वार व खसरावार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म जमीन
1.	उण	40	4।।।)4	बा. प्र.
2.	काम्बा	474	171)3	बा. अ. माईन्स
3.	गोदन	399	5)	बा. दो.
4.	गोदन	453	16)	बा. दो.
5.	भैंसवाड़ा	170	25।।)2	चाही प्रथम (+)
6.	भैंसवाड़ा	169	।।।)	बेरा
7.	भैंसवाड़ा	164	9।।।)।	चा. प्र.
8.	भैंसवाड़ा	172		गै. मु.
9.	भैंसवाड़ा	85	3।।)	बा. दो.
10.	भैंसवाड़ा	156	6।।)।	बा. दो.
11.	भैंसवाड़ा	157	।)	बा. दो.
12.	भैंसवाड़ा	158	।।)4	बा. दो.
13.	भैंसवाड़ा	160	50।)	बा. दो.
14.	भैंसवाड़ा	168	81)2	आबादी
	योग :	14	304)।	

(देवस्थान मंत्री)

(2) सन् 1991 के अन्त में मठ के नाम कुल 50.22 हैक्टर है। ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है :—

ग्राम	कुल रकबा
उण	0.77 है.
गोदन	2.91 है.
काम्बा	28.10
भैंसवाड़ा	18.44
	50.22

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

जिलास्तरीय सहकारी बैंकों के चुनाव

127. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार राज्य के सभी जिला स्तरीय सहकारी बैंकों के चुनाव कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण देने वाले सहकारी बैंकों तथा दीर्घ कालीन ऋण देने वाले बैंकों के एकीकरण पर विचार किया जा रहा है ताकि किसानों को एक स्थान पर ही सभी प्रकार के ऋण मिल सके। नाबार्ड से वार्ता के बाद इस विषय पर अंतिम निर्णय होते ही एकीकृत बैंकों के चुनाव करा दिये जायेंगे।

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

128. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों के संबंध में राज्य सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की एवं उसके क्या परिणाम रहे ? उक्त सभी नदी जल विवादों के संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में विभिन्न अन्तर्राज्यीय नदी जल परियोजनाओं में प्रदेश को क्या कोई अतिरिक्त एम. ए. एफ. जल की मात्रा प्राप्त हुई ? यदि हां, तो किस-किस परियोजना से कितनी-कितनी एवं कब-कब ?

(3) अन्तर्राज्यीय नदी जल परियोजनाओं एवं उसमें राज्य के हिस्से तथा विवादित मुद्दों का सार, संक्षेप में, सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निम्नलिखित 8 अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद है :—

1. रोपड़, हरिके तथा फिरोजपुर के हैड-वर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को स्थानान्तरित करने हेतु।

(सिंचाई मंत्री)

2. पंजाब में रावी-व्यास नदियों पर विद्युत परियोजनाओं में राज्य का हिस्सा।

3. रावी-व्यास अनुबन्ध दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 के अनुच्छेद I एवं II की व्याख्या एवं भागीदारी राज्यों में रावी-व्यास जल के अनिर्णित बंटवारे का क्रियान्वयन।

4 माही जल उपयोग हेतु राजस्थान और गुजरात के मध्य हुये 1966 के अनुबन्ध का क्रियान्वयन।

5. यमुना जल में हिस्सा।

6. गंगा जल में हिस्सा।

7. टेहरी बांध में हिस्सा।

8. मध्य प्रदेश द्वारा गांधी सागर के जल ग्रहण क्षेत्र का अन्तारोधन (इन्टरसेप्शन) इन अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों के संबंध में की गयी कार्यवाही तथा उनके परिणाम विवरण परिशिष्ट "अ" पर है जो सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। सूचना परिशिष्ट "ब" में दर्शायी गयी है।

(3) अन्तर्राज्यीय नदी जल परियोजनाओं में राज्य का हिस्सा निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	अन्तर्राज्यीय नदी जल परियोजना	राज्य का हिस्सा
1.	नर्मदा	0.5 एम. ए. एफ.
2.	माही बजाज सागर	0.3673 एम. ए. एफ.
3.	चम्बल प्रणाली	उपलब्धि का 50%
4.	भाखड़ा नांगल अनुबन्ध 1959	1.4 एम. ए. एफ. सतलज नदी का
5.	रावी-व्यास का अनुबन्ध	8.60 एम. ए. एफ.

विवादित मुद्दों का सार खण्ड संख्या एक के उत्तर में सम्मिलित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

झालावाड़ महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पद

129. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) एवं **श्री अनंग कुमार** (झालरापाटन) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

झालावाड़ महाविद्यालय में किन-किन विषयों के व्याख्याताओं के पद लम्बे समय से रिक्त हैं? यह पद कब तक भर दिये जावेंगे? रिक्त पदों को लम्बे समय तक नहीं भरे जाने के क्या कारण रहे?

उत्तर

राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ में लम्बे समय से एक विधि व्याख्याता का दिनांक 17-7-90 से पद रिक्त है।

इस पद को भरने के लिये विभाग द्वारा दिनांक 25-1-92 को पुनः विज्ञापन जारी

(उच्च शिक्षा मंत्री)

कर प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर मैरिट सूची तैयार होते ही नियुक्तियां कर पद को भर दिया जावेगा जिसकी प्रक्रिया चल रही है।

विधि व्याख्याता का रिक्त पद लम्बे समय तक नहीं भरे जाने का निम्न कारण था :—

श्रीमती तलत फातीमा का स्थानान्तरण राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर में हो जाने के कारण दिनांक 17-7-90 से पद रिक्त है उक्त पद को भरने के लिये विज्ञापन के आधार पर गत सत्र श्री श्यामपाल सिंह को अस्थायी आधार पर दिनांक 6-2-91 को नियुक्त किया था लेकिन श्री सिंह ने कार्य ग्रहण नहीं किया। इसके पश्चात् मैरिट सूची में कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था।

छात्रों का सुचारू रूप से अध्यापन कार्य के लिये समय-समय पर दूसरे महाविद्यालयों से निम्नलिखित व्याख्याता प्रतिनियुक्त किये गये :—

1. श्री रामकरण को कोटा से दिनांक 28-12-90 को

2. श्री के. एन. पालीवाल को अजमेर से दिनांक 11-1-91 को

3. श्री बी. के. गलछानिया को कोटा से दिनांक 11-12-91 को

4. श्री रामकरण को कोटा से दिनांक 7-1-92 को

इस सत्र में कु. सीमा जैन को अस्थायी आधार पर दिनांक 15-1-92 को नियुक्त किया था लेकिन कार्य ग्रहण नहीं किया। इसके पश्चात् मैरिट सूची में कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था। अतः विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र अमंत्रित कर मैरिट सूची तैयार कर ली गयी है। इस पद पर शीघ्र ही नियुक्ति कर दी जावेगी।

इंदिरा गांधी-नहर परियोजना पर व्यय

130. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना जब प्रारम्भ की गयी तब उस पर पूर्ण होने पर कितनी निर्माण राशि व्यय होना आंका गया था और कब तक मूल योजना को पूर्ण होना था।

(2) इस परियोजना का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होने के कारण कुल कितनी राशि अतिरिक्त अब तक व्यय हो चुकी है ?

(3) इस परियोजना पर 31 दिसम्बर, 1991 तक कुल कितनी राशि व्यय हुयी ?

(4) इस परियोजना के निर्माण में भ्रष्टाचार करने वाले कितने इंजिनियरों को वर्ष 1991 तक सेवा से पृथक् किया गया है ? कुल कितने इंजिनियरों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय में चालान पेश किये गये ? कितने अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण जांच में विचाराधीन हैं ?

(5) यह परियोजना कब तक पूर्ण

(श्री हरीश कामनानी)

निर्मित हो जायेगी ? पूर्ण होने के लिये कितनी राशि की आवश्यकता है ?

उत्तर

(1) मार्च, 1958 में जब मूल योजना प्रारम्भ की गयी तब कार्यों को सम्पादित करने हेतु 66.67 करोड़ रुपये की लागत आंकी गयी थी और करीब 10 वर्ष की अवधि में योजना कार्य पूरा करना था।

(2) चूंकि परियोजना के स्वरूप में वृहद परिवर्तन किया जाकर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा का प्रावधान किया गया है, अतः समय पर कार्य पूरा नहीं होना व उस कारण अतिरिक्त व्यय किये जाने का प्रश्न प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है।

(3) इस परियोजना पर दिसम्बर, 1991 तक कुल 846.63 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं।

(4) प्रश्न के इस भाग का सम्बन्ध मुख्यतया भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से है। उनके प्रत्युत्तर के अनुसार इस भाग के सम्बन्ध में राजस्थान नहर का कार्य जब से शुरू हुआ (1958) से 1991 तक कुल 33 वर्ष की सूचना संकलित करनी है। इसमें काफी समय लगेगा और यह सुनिश्चित रूप से भी नहीं कहा जा सकता कि समस्त रिकार्ड उपलब्ध हो जाये। निवेदन है कि विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम पुस्तक 8वां संस्करण अध्याय 7 ख के नियम 37 की शर्तें। उप-नियम 2 के उपबन्धों की संख्या 8 व 10 के अनुसार प्रश्न की अवधि सीमित की जावे ताकि उत्तर शीघ्र तैयार किया जा सके।

(5) आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर परियोजना कार्य वर्ष 2003-04 तक पूर्ण करने के लिये मार्च 1992 के पश्चात् लगभग 1037 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

पौंग बांध के विस्थापितों को भूमि का आवण्टन

131. **प्रो. केदारनाथ शर्मा** (श्री गंगानगर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने पौंग बांध के विस्थापितों के कुल कितने परिवारों को गंगानगर ज़िले में कितने एकड़ खेती-बाड़ी की जमीन अलॉट की ?

(2) क्या यह सही है कि इन परिवारों को नकद राशि के रूप में भी मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कुल कितना मुआवजा दिया गया ?

(3) कितने परिवारों ने अपनी जमीन अन्य काश्तकारों को बेचान कर दी ?

(4) सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(1) जिला गंगानगर में कुल 7441 परिवारों को 77,390 एकड भूमि अलाट की गयी हैं।

(2) जी नहीं।

(3) दो परिवारों ने जरिये रजिस्ट्री भूमि बेय की है एवं 1155 परिवारों ने

(उपनिवेशन मंत्री)

जरिये इकरारनामा बेय का सौदा कर रखा है।

(4) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राजकीय कन्या छात्रावास खैरवाड़ा

132. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय कन्या छात्रावास, खैरवाड़ा में छात्राओं के रहने के लिये पर्याप्त भवन नहीं है? यदि नहीं, तो वर्तमान में छात्राओं की संख्या एवं भवन की स्थिति क्या है?

(2) क्या यह भी सही है कि छात्रावास में पानी की सुविधा के लिये जो स्वीकृति हुयी थी वह कार्य गत तीन वर्षों से अधूरा पड़ा है? यदि हां, तो पूर्ण कराने में क्या अड़चनें हैं?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में इस छात्रावास को स्वीकृत छात्र संख्या 80 के विरूद्ध 77 छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। भवन में कुल 5 कमरे हैं, जिसमें से 4 कमरे छात्राओं के आवास हेतु तथा एक कमरा स्टोर के रूप में उपयोग किया जा रहा है। शौचालय एवं स्नानागार कोसमुचित व्यवस्था है। इस भवन की मरम्मत/सुधार एवं पानी की व्यवस्था हेतु अब तक निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गयी है :—

क्र. सं.	वर्ष	स्वीकृत राशि
1.	1987-88	49,000
2.	1988-89	48,000
3.	1989-90	35,623
	योग	1,32,623

छात्राओं को पर्याप्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग उदयपुर को अन्य किराये के उपयुक्त भवनों में छात्रावास को तुरन्त स्थानान्तरण करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(2) जी नहीं। पानी की व्यवस्था के लिये स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

राजफैड, जयपुर का आइस प्लाण्ट

133. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजफैड, जयपुर का आइस प्लान्ट कब स्थापित किया गया था तथा इस समय किस स्थिति में है?

(2) उक्त आइस प्लान्ट किस-किस वर्ष किन निजी पार्टियों को लीज पर दिया गया?

(3) क्या लीज पर देते समय निजी पार्टियों से बैंक गारन्टी लेने के अनुबन्ध हुये थे? यदि हां, तो किस-किस पार्टी ने किस-किस वर्ष बैंक गारन्टी नहीं दी तथा कौन सी

(श्री रामनारायण वर्मा)

पार्टी लीज मनी एवं अन्य राशियों का पूरा भुगतान दिये बिना ही प्लान्ट छोड़कर गयी ?

(4) ऐसी पार्टियों पर कितनी-कितनी राशि बकाया है ? राशि वसूलने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है तथा कब तक राशि वसूल कर ली जावेगी ?

(5) बैंक गारन्टी प्राप्त किये बिना आइस प्लान्ट सम्भलवाने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेवार रहे हैं तथा उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) आइस प्लान्ट की स्थापना वर्ष 1982 में हुयी थी। वर्तमान में आइस प्लान्ट चालू हालत में हैं।

(2) उक्त प्लान्ट निम्नांकित अवधि में उनके आगे अंकित निजी पार्टियों को लीज पर दिया गया :—

क्र. सं.	वर्ष एवं अवधि	नाम पार्टी
1.	(1983-84) 22-2-84 से एक वर्ष	मैसर्स शेखावटी ट्रेडिंग कम्पनी
2.	(1984-85) 11-4-85) से 31-12-87	मैसर्स ज्ञानचन्द अरोड़ा
3.	(1986-87) 29-4-87 से 31-12-88	मैसर्स लाला-राम शर्मा
4.	(1987-88) 9-4-88 से 31-12-88	मैसर्स गजानन्द गुप्ता
5.	(1988-88) 1-5-89 से 31-12-89	मैसर्स गजानन्द गुप्ता
6.	(1990-91) 22-2-91 से 3 वर्ष	मैसर्स राज-कुमार पाण्डया

(3) जी हां। मैसर्स शेखावटी ट्रेडिंग कम्पनी ने वर्ष 83-84 में तथा मैसर्स ज्ञान-चन्द अरोड़ा ने वर्ष 84-85 में लीज पेटे बैंक गारन्टी नहीं दी। उक्त दोनों पार्टियों में राशि बकाया है।

(4) मैसर्स शेखावटी ट्रेडिंग कम्पनी की ओर 91732 रु. 56 पैसे तथा मैसर्स ज्ञान-चन्द अरोड़ा की ओर 78895 रु. 06 पैसे बकाया है। इन दोनों पार्टियों से राशि वसूल करने के लिये न्यायालय में दावे दर्ज करवा दिये गये हैं। वसूली न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है।

(5) 1984-85 के मामले में संबंधित अधिकारी सर्व श्री राम मोहन, सरदारसिंह व अवतार सिंह के विरूद्ध राजस्थान सह-कारी अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। 1983-84 में के मामले में पार्टी ने प्रथम किश्त के रूप में 31000 रु. का चैक प्लान्ट का कब्जा लेने से पहले 21-3-84 को दिया तथा अप्रेल में बैंक गारन्टी प्रस्तुत कर देने की बात कही। पार्टी के खाते में धनराशि नहीं होने से इस चैक का भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया गया और न ही पार्टी ने उसे लिखने के बाद भी बैंक गारन्टी दी। अतः प्लान्ट

(सहकारिता मंत्री)

का कब्जा देने के तीन महीने में ही प्लान्ट का कब्जा उससे वापस ले लिया गया तथा पार्टी के विरूद्ध सिविल न्यायालय मे वसूली के लिये वाद दायर किया गया। यह पार्टी द्वारा धोखाधड़ी का मामला है। इस मामले को धारा 74 के मामले पर निर्णय करने के लिये गठित राज्यस्तरीय कमेटी को सौंपने का निर्णय लिया गमा है।

यमुना जल में राज्य का हिस्सा

134. **श्री अरुणसिंह** (डीग) एवं **श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

यमुना के पानी में राजस्थान अपना कितना हिस्सा मानता है तथा इसे प्राप्त करने के अभी तक राज्य सरकार के क्या-क्या प्रयास किये हैं? इन प्रयासों के क्या परिणाम रहे?

उत्तर

अन्तर्राज्यीय नदियों के जल में संबन्धित राज्यों का हिस्सा निर्धारण हेतु कोई स्थापित फार्मूला नहीं है। अन्तराष्ट्रीय प्रेक्टिस के अनुसार, राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरुप मोटे रूप से हिस्सा तय किया जाता है। कैचमेंट क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाता है। रक्षित उपयोग (committed use) को भी देखना पड़ता है। राज्य ने अपनी आवश्यतानुसार 4.222 एम. ए. एफ. जल की मांग रखी है, जिसमें सिचाई हेतु 2.555 एम. ए. एफ. एवं 1.667 एम. ए. एफ. पेयजल एवं वन्य जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु।

यमुना जल प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार हर स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या 135

(स्थगित)

चम्बल दांई मुख्य नहर खण्ड प्रथम की नहरों की सफाई

136. **श्री बृजराज मीणा** (दीगोद) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में चम्बल दांई मुख्य नहर खण्ड प्रथम की कौन-कौन सी नहरों वर्ष की सफाई 1991-92 में की गयी?

(2) उक्त नहरों की सफाई एवं अन्य कार्यों पर कितनी राशि व्यय हुयी?

उत्तर

(1) कोटा जिले की चम्बल दांई मुख्य नहर खण्ड प्रथम की नहरों की वर्ष 1991-92 में सफाई करायी गयी सूची संलग्न है। (प्रपत्र अ)

(2) उक्त नहरों की सफाई एवं अन्य कार्यों पर कुल राशि रुपये 14.52 लाख व्यय की गयी।

'PROFORMA--A'

List of work executed during the 1991-91.

S. No.	Name of Work	Epx. Incureed	Working Period
1.	Restroration of banks of Kalyanpura Disty. R. D. 25500 to 28500	0.24	April & May 1991.
2.	Bed cutting and restoration of banks of Bhotipura Minor R. D. 0 to 5700	0.22	May & June 92.
3.	Providing puddle wall at left side bank of Kishanpura Sub Branch.	0.18	April & May 91.
4.	Strengtoening of bank of Bhadana Minor R. D. 0 to tail.	0.23	May & June 91.
5.	Bed cutting and strengthenidg of banks of Madania Minor	0.30	July, 91
6.	Strengthening of banks and bed cutting of Morpa Mr.	0.50	June, July 91.
7.	Bed Cutting & Strengthening of bank of Chainpura Minor	0.21	May, June 91.
8.	Bed cutting & Strengthening of bank of Degaria Minor	0.45	July, August 91.
9.	Bed cutting & repair of cannal bank of Bamori Distributory	0.13	Sept., Aug. 91.
10.	Strenathenion and naising of right bank of R. A. C. R. D. 148000 to 149400.	0.69	May, July 91.
11.	Bed cutting and restoration of Bank Sukhpura Mr.	0.09	Sep., Oct. 91.
12.	–do– Tater Minor	0.23	Oct., Nov. 91.
13.	Strengtgening and raising of right Bank of R. M. C. from R. D. 154800 to 156800.	0.65	July to Sept. 91.

S. No.	Name of Work	Epx. Incureed	Working Period
14.	Bedcutting and strengthening of bank of Manasgoan Disty. R. D. R. D. 16400 to R. D. 23900.	0.25	Nov., Dec. 91.
15.	-do- R. D. 24800 to 30000	0.25	-do-
16.	-do- R. D. 31000 to 37000	0.06	-do-
17.	-do- R. D. Manasnaon Mr.	0.25	Jan. 92.
18.	Bed cutting and rapair of Haripura Minor.	0.21	Dec., 91.
19.	Bed cutting of Nimola Disty R. D. 15000 to 23000.	0.11	Nov., 91.
20.	-do- Chiparada Mr. R. D. 0 to 6120.	0.12	Dec., 91.
21.	Bed cutting and bank repair or Nimola Minor	0.14	Dec., 91.
22.	-do- -do Darbiji Mr. R. D. O. to tail	0.08	Dec., 91.
23.	-do- -do- Jhopadia Mr.	0.08	Dec., 91.
24.	Bed eutting and restoration of bank of Jalkera Minor I.	0.09	Nov, 91.
25.	Bed cutting and restoration of bank of Jalkhera Mino., II.	0.05	Dec., 91.
26.	Bed cutting and restoration of bank of Kaithoon Minor	0.10	Nov., 91.
27.	Bed cutting of Khern Regular Minor Minor from R. D. 5800 to till.	0.15	Nov., 91.
28.	Bed cutting and restoration of bank of Chari Minor.	0.10	Jan., 92.

S. No.	Name of Work	Epx. Incureed	Working Period
29.	Bed cutting and repair of banks of kalaev Minor R. O. 0 to tail	0.10	Oct. 91.
30.	-do- Toran Minor	0.15	Jan., 92.
31.	-do- Kacholia Minor	0.10	Jan., 92
32.	-do- Jalimpur Minor	0.10	Jan., 92.
33.	-do- Atralia Minor	0.17	Nov. 91.
34.	-do- Chalarwal Minor	0.15	Jan. 92.
35.	Earth filling on R. C. C. syphon Nimola Disty.	0.15	Jan., 92.
36.	Bed cutting and repair of banks of Golepan Minor from R. D. 0 to 12500	0.10	Sept., 92.
37.	Bed cutting and repair of banks of Kherli Mahadat Minor.	0.10	Jan., 92.
38.	Bed cutting restocation of banks of. Raipues Minor	0.15	Jan., 92.
39.	Weel clearance and pulversatiou of R. M. C. from R. D. 51100 to R. D. 126000.	0.10	May., 91.
40.	Silt clearance in canal bed from R. D. 60100 to R. D. 114575.	0.60	May., 91.
41.	Bed cutting and strengtheni of Annia Minor I.	0.10	July., 91.
42.	Bad cutting and strenthemind of Anni Minor II.	0.10	June., 91.
43.	Provising earthan core wall in canal bed catch water drain U/s and D/s at R. D. 61550 of R. M. C.	0.09	May., 91.

S. No.	Name of Work	Epx. Incureed	Working Period
44.	Strongthemi of left bank of R. M. C. from R. D. 36250 to 36500.	0.10	July., 91.
45.	Puddling by black cotton soil in innor bank of Right M. in canal.	0.10	July., 91.
46.	Junyle cle rennce yf R. N. C. from R. D. 51100 to 68000, 102000 tel. 20000.	0.16	Oct., 91.
47.	Patch repaiar and jungle clarance of Annia Minor I, II Bhojpura Mr. Knera Mr. Mudaria Mr. Brijeshpur Minor.	0.09	Nov., 91.
48.	Resoration of right side bank at R. D. 3800 of Kishanpura Subhbranch.	0.10	Oct., 91.
49.	Bed cutting and strehghthening bank of Tater Minor, Jhalipura	0.10	Dec , 91.
50.	Weed clearance of Kalyanpur Disty. R nits Minor.	0.09	Nov., 91.
51.	Weed clearenee of whour Disty. system.	0.10	Dec., 91.
52.	Weed clearence of Dined Disty. R. D. to 25600 to 32300.	0.09	Dec., 91.
53.	Bed cutting of Borkhers an Banethia Minor R. D. 0 to tail.	0.06	Nov., 91.
54.	Siat clearence of passagon Disty.	0.09	Dec., 91.
55.	Bed cutting and repair of bank of Bhimpur minor R. D. 13600 to 186000.	0.09	Dec., 91.

S. No.	Name of Work	Epx. Incureed	Working Period
56.	Weed clearance of Kishan Sub Branch and Hathikera Minor.	0.09	Nov., 91.
57.	Jungle clerance of canal bank of R. M. C. from R. D. 21500 to 3000, 11450 to 21000 and 39000 to 50100.	0.08	Dec., 91.
58.	Jungle clearance of Branch Sub branch from R. D. 56000 to 76000	0.05	Dec., 91.
59.	Weed clearancc and jungle clearance of Raipura Minor, Kanwarpura Minor Bhimpura Minor and Jhalipura Section.	0.09	Dec., 91.
60.	Weed clearance and tyaha cutting from Managoan Disty. and its off	0.50	Dec., 91.
61.	Bed cutting of caiendrai along Toran Sultanpur cart track in toran drainage schane zone 33–C.	0.50	Dec., 91.
62.	Jungle clearance of Kishanganj, Minor Haripura Minor, Barod Minor R. D. 0 to 13000.	0.04	Jan., 92.
	Total Rs.	10.10	

S. No.	Name of Work	Epx. Incureed	Working Period
63.	Repair of RCC liming of Karoncuura Minor I cain 61 to tail.	0.093	Dec., 91.
64.	Protection work at R. D. 12748 of Jhalipura Distributory.	0.206	Dec., 91.
65.	Protention with Dry stone pitching from R D. 23800 to 24880 Mansgaon Distributory.	0.563	Dec., 91.
66.	Protection is the U/s Syphon at R. D. 3500 of Mansonggaon Disty.	0.192	Jan., 92.
67.	Constg. pipa type V. R. B. on Cart Track near R. D. 75000 of Chiparda Minor.	0.089	Dec., 92.
68.	Repair or Syphon of Nimola Disty. R. D. 12400 to 14100.	0.001	—
69.	Providing Protection on Chisa Minor from R. D. 0 to 600.	0.362	May & June,
70.	Providing protection of Dabar Br. from R. D. 18500 to 10500.	0.420	June & July,
71.	Protection of Notana Minor.	0 579	June & July. 91.
72.	Protection work in L/s Head regulator of Dagaria Minor off taking from Mansgaon Disty.	0.097	Nov., 91.
73.	Protaction in the L/s of Head regulator of Sholi Minor.	0.099	Nov., 91.
74.	Protection of D. R. B. at R. D. 2600 of Kisanpura Minor.	0.186	Nov., 91.

S. No.	Name of Work	Epx. Incureed	Working Period
75.	Repair of V. P. B. at R. D. 20600 of Notana Minor I.	0.095	Oct., 91.
76.	Protection work H/R of Dhakar Khari Minor.	0.196	May, 91.
77.	Protection work at falt of Kanwarpura Minor.	0.424	May. 91.
78.	Protaction work of S. S. B. from R. D. 43600 to 43800 by providing cement concrete lining and boulder filing.	0.137	June. 91.
79.	Protaction of fall at R, D. 43000 and 44000 of Kalyanpura Disty.	0.169	Jan., 91.

Total Rs. 4.418

Say Rs. 4.42 Lacs.

Grand Total 14.52 Lacs.

ग्राम विरड़ (जमवा रामगढ़) के बांध के पेटे की भूमि का आवंटन

137. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवा रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील जमवा रामगढ़ के अधीन ग्राम पंचायत भावनी में स्थित ग्राम विरड़ के पास सार्वजनिक बांध जयपुर रियासत के जमाने से बंधा हुआ है ? क्या सरकार द्वारा वर्ष 1961 में किसी व्यक्ति को बांध के पेटे में भूमि का आवंटन किया गया ?

(2) क्या रामजीपुरा गांव में खातेदारी रेकार्ड आज तक नहीं बना है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सार्वजनिक बांध का पेटा भी ग्राम रामजोपुरा के अधीन ही आता हैं ? क्या उक्त आवटन नियम विरुद्ध है ? यदि हां हो क्या सरकार आवंटन निरस्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1961 में किसी भी व्यक्ति को बांध के पेटे में भूमि का स्थायी आवंटन नहीं किया गया था।

(2) जी हां। समस्त ग्राम महकमा जंगलात के नाम दर्ज है तथा भू-प्रबन्ध एवं एकीकरण विभाग ने इस ग्राम का कोई रेकार्ड कलक्टर, जयपुर को उपलब्ध नहीं करवाया है। अतः इस ग्राम की जमाबन्दी नहीं बनाई गई है।

(3) जी हां। चूंकि कोई आवंटन नहीं किया गया है, अतः आवंटन निरस्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

तारांकित प्रश्न संख्या 138

(स्थगित)

बाणगंगा-गम्भीरी तथा रूपारेल नदियों से जल वितरण

139. **श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में बाणगंगा, गम्भीरी तथा रूपारेल नदियों में कुल कितना पानी उपलब्ध हुआ ?

(2) इस अवधि में इन नदियों का भरतपुर को कितना-कितना पानी उपलब्ध हुआ और उससे कितनी सिचाई हुई ?

(3) इस पानी में से कितना पानी बिना उपयोग के उत्तर प्रदेश की सीमा में गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में नीचे दिये अनुसार पानी उपलब्ध हुआ:

नदी का नाम	वर्ष 1990	पानी मिलियन घन फुट 1991
बाणगंगा नदी	4687	3462
गम्भीरी नदी	3880	1182
रूपारेल नदी	348	146

सिचाई मंत्री)

(2) वर्ष 1990 एवं 91 में नीचे दिये विवरण के अनुसार भरतपुर जिले में जल प्राप्त हुआ :

नदी का नाम	वर्ष	पानी मिलियन घन फुट में
(i) बाणगंगा नदी	3910	1913
(ii) गम्भीरी नदी	2424	439
(iii) रूपारेल नदी	348	146

उपलब्ध जल राशि से वर्ष 1990 में 21048 एकड़ भूमि की सिंचाई हुई व 1991 में अनुमानित 10,000 एकड़ भूमि की सिंचाई की सम्भावना है।

(3) कुछ लीकेज (Leakage) हुआ है। पर इसकी मात्रा बहुत कम है और मापी नहीं गई है।

निम्बाहेड़ा-उदयपुर मार्ग पर निगम बस सेवा

140. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने गत वर्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की निम्बाहेड़ा-उदयपुर मार्ग पर तीन बसें प्रारम्भ की थी ?

(2) क्या यह सही है कि उन बसों की समय सारिणी में बाद में परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि बाद में सरकार ने तीनों बसों को बन्द कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार निम्बाहेड़ा-उदयपुर मार्ग पर पुनः इन बसों को प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। ऐसा जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

(3) जी हां। यह निगम की आय के संचालन लागत से भी कम होने के कारण किया गया।

(4) जी नहीं। निम्बाहेड़ा से उदयपुर वाया चिकारड़ा-मंगलवाड़ मार्ग का निम्बाहेड़ा से मंगलवाड़ तक का 46 किलोमीटर भाग राष्ट्रीयकृत नहीं है, और इस भाग पर निजी वाहनें संचालित है। इसके अतिरिक्त इस मार्ग पर अनाधिकृत बसों/जीपों/मिनी बसों का परिचालन भी बाहुल्यता से है। इन कारणों से इस मार्ग पर निगम बसों का संचालन वर्तमान में अनार्थिक होगा।

नावां एवं कुचामन तहसीलों का पुनर्गठन

141. श्री हरिश चन्द्र (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नावां एव कुचामन तहसीलों के पुनर्गठन का मामला सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो इस पर सरकार कब तक निर्णय लेने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

157

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न संख्या 205 की सूची

गत 5 वर्षों में भू-प्रबन्ध अधिकारी, कार्यालय बीकानेर द्वारा निलम्बित एवं बहाल किये गये अधिनस्थ कर्मचारियों की सूची :—

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	निलम्बन का दिनांक	बहाली का दिनांक	निलम्बन का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रामचरण	भू-मापक	16-11-88	17-2-90	ऐच्छिक अनुपस्थिति बाबत ।
2.	,, महेन्द्र कुमार	निरीक्षक	1-3-89	28-9-89	ऐच्छिक अनुपस्थिति बाबत ।
3.	,, घनश्याम दत्त	निसीक्षक	7-3-89	23-3-89	ऐच्छिक अनुपस्थिति बाबत ।
4.	,, रणजीत सिंह	निरीक्षक	17-3-89	19-9-89	अभद्र व्यवहार करने बाबत ।
5.	,, किशोर सिंह	निरीक्षक	26-12-89	9-5-90	गलत रास्ता निकाल देने बाबत ।
6.	,, हरदयाल सिंह	भू-मापक	26-12-89	9-5-90	गलत रास्ता निकाल देने बाबत ।
7	,, विरेन्द्र कुमार	भू-मापक	15-1-90	9-5-90	सर्वे कार्य न करने बाबत ।
8.	,, बिठला ताबियार	च. श्रे. कर्म.	3-11-90	31-1-91	बिना अनुमति अवकाश के उपभोग करने बाबत ।
9.	,, राजेन्द प्रकाश यादव	भू-मापक	15-4-91	21-6-91	कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने बाबत ।
10.	,, कर्णसिंह यादव	भू-मापक	15-4-91	21-6-91	कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने बाबत ।

1	2	3	4	5	6
11.	श्री रामकुवल दुबे	निरीक्षक	6-5-91	2-7-91	कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने बाबत ।
12.	,, सुरेश कुमार गहलोत	क. लि.	6-5-91	2-7-91	कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने बाबत ।
13.	,, ताराचन्द	भू-मापक	4-5-91	5-10-91	फर्जी मेडीकल बिल प्रस्तुत करने बाबत ।
14.	,, रामकुमार वर्मा	भू-मापक	15-5-91	20-1-92	चुनाव ड्यूटी से स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने बाबत ।
15.	,, करणाराम	भू-मापक	30-7-91	5-8-91	ग्राम सिकमीदेसर व नत्थूसर में अनियमित कार्य करने से ।
16.	,, वनणाराम	भू-मापक	22-7-91	5-8-91	अराजीराज भूमि में से हरे पेड़ कटवाने बाबत ।
17.	,, सत्यनारायण आचार्य	क. लि.	29-10-91	लगातार	अभद्र व्यवहार करने बाबत ।

(159)

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 210 का विवरण

वर्ष 1989-90 में चूरू तथा झुन्झुनू जिलों में दी गई छात्रवृत्तियों का विवरण

क्र सं.	वर्ष	विवरण					
		अनु. जाति		अनु. जनजाति		वि. एवं घु. जाति	
		लाभान्वित छात्र/छात्रायें	व्यय राशि	लाभान्वित छात्र/छात्रायें	व्यय राशि	लाभान्वित छात्र/छात्रायें	व्यय राशि
जिला चूरू							
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति							
1.	1989-90	5099	10,05,116/-	227	52,122/-	—	—
2.	1990-91	6217	12,91,872/-	258	1,07,840/-	—	—
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति :							
1.	1989-90	315	3,66,179/-	220	1,31,135/-	—	—
2.	1990-91	117	3,67,459/-	86	78,566/-	—	—
जिला झुन्झुनू							
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति							
1.	1989-90	10,476	20,81,790/-	1652	2,99,590/-	162	33,470/-
2.	1990-91	9,991	21,65,130/-	1011	3,07,540/-	134	30,630/-
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति							
1.	1989-90	455	6,47,690/-	27	49,760/-	—	—
2.	1990-91	316	4,99 93C/-	34	34,800/-	—	—

संक्षिप्त सार प्रति अधिसूचना क्रमांक प. 9 (4) 15 छात्र/स. वि/86-87
38318 दिनांक 24-7-89

"राजस्थान अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति नियम, 1989"

पृष्ठ सं. 2

नियम 4—आवेदन-पत्र

(2) (क) अनुसूचित जाति/जनजाति/घुमन्तु/विमुक्त जाति अथवा अन्य पिछड़ी जाति जिसका छात्र सदस्य हो, उसका प्रमाण-पत्र । यह प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा दिया जाना चाहिये ।

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 216 की सूची

बाड़मेर जिले की सिवाना रेन्ज के स्थाई होने वाले श्रमिकों की सूची

क्रम संख्या	नाम	पद
1.	श्री संग्राम सिंह	कैटलगार्ड
2.	श्री अभय सिंह	"
3.	श्री इन्द्र सिंह	"
4.	श्री चन्दन सिंह	"
5.	श्रीमती धापू	बेलदार/कुली
6.	श्री पताराम	"
7.	श्री मेलाराम	"
8.	श्री सोनाराम	नर्सरी माली ।

161

परिशिष्ट—6

अतारांकित प्रश्न संख्या 224 की सूची

क्र. सं.	नाम माह	जिले को आवंटित मात्रा	तहसीलवार उप आवंटन पाली	बाली	देसुरी	मारवाड़ जंक्शन	सोजत	रायपुर	जैतारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
किस्म खाद्यान्न—गेहूं									
1.	जनवरी, 91	6000.0	1550	1600	600	400	750	450	650
2.	फरवरी, 91	5000.0	1300	1100	450	400	750	450	550
3.	मार्च, 91	6500.0	1540	1150	500	700	1010	750	850
4.	अप्रेल, 91	8000.0	1700	1900	800	600	1400	800	800
5.	मई, 91	8000.0	1900	2000	800	500	1200	800	800
6.	जून, 91	5000.0	1300	1100	450	400	750	450	550
7.	जुलाई, 91	5000.0	1300	1100	450	400	750	450	550
8.	अगस्त, 91	5000.0	1300	1100	450	400	750	450	550
9.	सितम्बर, 91	4500.0	1100	980	450	370	650	435	515
10.	अक्टूबर, 91	4300.0	1050	980	300	370	650	480	470
11.	नवम्बर, 91	4000.0	1000	880	400	320	600	360	440
12.	दिसम्बर, 91	3000.0	750	660	300	240	450	270	330
13.	जनवरी, 92	3600.0	850	920	500	320	380	300	330
14.	फरवरी, 92	3500.0	750	920	500	320	380	300	330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
किस्म खाद्यतेल—पामोलीन									
1.	जनवरी, 91	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	फरवरी, 91	20	10	—	—	10	—	—	—
3.	मार्च, 91	20	—	—	—	—	10	10	—
4.	अप्रैल, 91	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	मई, 91	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	जून, 91	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	जुलाई, 91	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	अगस्त, 91	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	सितम्बर, 91	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	अक्टूबर, 91	20	05	05	05	—	—	—	05
11.	नवम्बर, 91	20	05	05	05	—	—	—	05
12.	दिसम्बर, 91	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	जनवरी, 92	20	05	—	—	05	05	05	—
14.	फरवरी, 92	20	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
किस्म जिन्स—लेवी चीनी									
1.	जनवरी, 91	627.0	130	140	81	51	98	61	66
2.	फरवरी, 91	627.0	130	140	81	51	98	61	66
3.	मार्च, 91	627.0	130	140	81	51	98	61	66
4.	अप्रेल, 91	627.0	130	140	81	51	98	61	66
5.	मई, 91	627.0	130	140	81	51	98	61	66
6.	जून, 91	627.0	130	140	81	51	98	61	66
7.	जुलाई, 91	627.0	130	140	81	51	98	61	66
8.	अगस्त, 91	627.0	130	140	81	51	98	61	66
9.	सितम्बर, 91	689.0	143	154	89	56	108	67	72
10.	अक्टूबर, 91	752.0	160	168	97	61	118	70	78
11.	नवम्बर, 91	752.0	160	168	97	61	118	70	78
12.	दिसम्बर, 91	658.0	136.5	147	85	53.5	103	64	69
13.	जनवरी, 92	627.0	130	140	81	51	98	61	60
14.	फरवरी, 92	689.0	143	154	89	56	108	67	72